हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

पाकिस्तानी संकीर्णता

अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वज फहराने की घटना पाकिस्तान को अगर चुभ रही है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि भारतीयता के स्वाभाविक सद्भाव में सेंध लगाने का कोई अवसर पाकिस्तान हाथ से नहीं जाने देता है। पाकिस्तान ने राम मंदिर के निर्माण का भी विरोध किया था और उसके ध्वजारोहण कार्यक्रम की उसने संयुक्त राष्ट्र तक शिकायत की है। भारत के नजरिये से देखें, तो यह अनचाहा बयान है, पर ऐसी हल्की बयानबाजी पाकिस्तान की आदत में शुमार है। भारत आज जिस भाव भूमि पर खड़ा है, उसे पाकिस्तानी समझ नहीं सकते। उन्हें भारतीयता की समझ अगर होती, तो देश का बंटवारा न होता। बंटवारे के बाद भारत में मौजूद मुस्लिम-विरासत की चिंता पाकिस्तान को हो रही है, तो यह निंदनीय है। भारत में मौजूद विशाल मुस्लिम विरासत की कोई चिंता चंद कट्टर मुस्लिम नेताओं को नहीं थी, तभी देश बंटा। आज व्यावहारिकता का परिचय देते हुए, राम मंदिर निर्माण को व्यापकता में समझना चाहिए। दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को समझ रहे हैं। दुनिया भर से लोग मंदिर दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस मंदिर का जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक योगदान है, उसे आस्था की दृष्टि से समझने की आवश्यकता है।

पूरे कुतर्क के साथ अपने बयान में पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने आरोप लगाया है कि यह भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने की व्यापक प्रवृत्ति का परिणाम है। वैसे, दुनिया जानती है कि किस देश में अल्पसंख्यक ज्यादा दबाव में हैं। आज के समय में पाकिस्तान में बमुश्किल 50 लाख हिंदू बचे हैं, अन्य अल्पसंख्यक सिख और ईसाई तो न के बराबर हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में बंटवारे से पहले करीब 15 प्रतिशत हिंदू रहा करते थे, पर बंटवारे के बाद हिंदुओं की संख्या 2 प्रतिशत के आसपास आ सिमटी। दूसरी ओर, भारत में 20 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम हैं, इनकी संख्या अन्य अल्पसंख्यकों के साथ तेजी से बढ़ रही है। पाकिस्तान की ओर से यह फिजूल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब पाकिस्तान खुद लंबे समय से हिंदुओं, ईसाइयों और अहमदिया मुसलमानों सहित दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में पूरे पाकिस्तान में ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा व उत्पीड़न जारी रहा है। जो पाकिस्तानी अधिकारी अपने देश में अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने में नाकाम रहे हैं, उन्हें भारत के अल्पसंख्यकों की बड़ी चिंता है! उस देश में धर्मांतरण की ऐसी त्रासद कहानियां हैं, जिनसे उनका इतिहास लहूलुहान है।

पाकिस्तान की ओर से राम मंदिर पर फिजूल टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब वह खुद हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का केंद्र बना हुआ है।

बहरहाल, नई दिल्ली ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में इस्लामाबाद के पाखंड की कड़ी आलोचना की है। दरअसल, अब आगे बढ़ने की जरूरत है। अपने-अपने व्यवहार में सभ्य सुधार की जरूरत है। आगे बढ़ने वाले देश बार-बार पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। साथ ही, आगे बढ़ रहे देश अपना ईमानदारी से आकलन भी करते हैं। आज सद्भाव की चिंता बहुत जरूरी है। अपने धार्मिक समुदाय की चिंता गलत नहीं है, लेकिन किसी अन्य समुदाय को चोट पहुंचाना सरासर गलत है। भारत में किसी भी स्तर पर धार्मिक सद्भाव से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। समन्वय, संवाद और समझदारी का दामन थामे रहना चाहिए, तभी हमारे सुधार उस दिशा में जाएंगे, जहां भारतीयता का मनोबल बढ़ेगा और आलोचनाएं बेअसर हो जाएंगी।

हिन्दुस्तान Hindustan | **75 साल पहले** 27 नवंबर, 1950

कांग्रेस विधान में संशोधन

कांग्रेस के नासिक अधिवेशन ने निश्चय किया था कि कांग्रेस के विधान में जरूरी संशोधन किये जायें। इस काम के लिए सात सदस्यों की एक उपसमिति नियुक्त की गई थी। उस समिति की रिपोर्ट पर कांग्रेस कार्यसमिति की ताजा बैठकों में विचार किया गया और कुछ संशोधन मंजूर किये गये हैं। कार्यसमिति द्वारा स्वीकृत ये संशोधन अन्तिम स्वीकृति के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने रखे जायेंगे और उससे स्वीकृत होने पर ही प्रभावशील होंगे।

कांग्रेस कार्यसमिति ने कांग्रेस के विधान में जो संशोधन स्वीकार किये हैं, उनमें कांग्रेस की सदस्यता से संबंध रखने वाला संशोधन काफी महत्वपूर्ण है। पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता के लिए शुल्क देना होता था। कांग्रेस के विधान में सशुल्क सदस्यता सन् 1920 में जारी की गई थी जो अब से ढाई वर्ष पहले तक कायम रही। गांधीजी स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कांग्रेस के स्वरूप में मौलिक परिवर्तन कर देना चाहते थे। कांग्रेस में अशुद्धि बढ़ती जाती थी। उसकी रोकथाम के लिए गांधीजी का यह विचार था कि कांग्रेस अपने को राजनीतिक कामों से अलग करके विशुद्ध लोकसेवक संस्था का रूप ग्रहण कर ले। कांग्रेस को सत्ता-प्राप्ति का साधन मानकर चाहे जैसे लोग इसमें घुसने और उस पर कब्जा जमाये रखने का प्रयत्न करते थे। यदि कांग्रेस विशेषतः धारासभाई राजनीति से अपने को अलग कर लेती, तो उसमें ऐसा कोई आकर्षण नहीं रह जाता और फिर उसमें वही लोग आते, जो वास्तव में जन-सेवा के इच्छुक होते। किन्तु गांधीजी की इस विचारधारा को स्वीकार नहीं किया गया। कांग्रेस की प्रतिष्ठा का धारासभाई कार्यक्रम के लिए उपयोग करना आवश्यक समझा गया और इसके लिए यह जरूरी था कि कांग्रेस के जन-संगठन के रूप को कायम रखा जाता। अतः कांग्रेस की सदस्यता के द्वार सभी वयस्क भारतीयों के लिए खोल दिये गये और चार आना शुल्क की कैद भी हटा दी गई। सदस्यता का जब चार आना शुल्क था, तो यह शिकायत बहुधा सुनने को मिलती थी कि कुछ व्यक्ति अथवा कोई खास दल सदस्यों का शुल्क इकट्ठा अपनी जेब से दे देते हैं और सदस्यों की भर्ती कर लेते हैं। यह सोचा गया था कि शुल्क की कैद हटा देने से यह बुराई दूर हो जायेगी। साथ ही सदस्यों की दो श्रेणियां निर्धारित की गईं। एक श्रेणी योग्य सदस्यों की और दूसरी कर्मठ सदस्यों की।

खेलों में भारतीय बेटियों का खुशनुमा दौर

सलीमा टेटे | कप्तान, भारतीय हॉकी टीम

क्रिकेट, हॉकी से एथलेटिक्स तक बेटियां देश के लिए गौरव अर्जित कर रही हैं। पहली बार मैंने भारत की जर्सी पहनी, तो लगा था कि यह बड़ा दायित्व है, जिसे गर्व से निभाना होता है।

क्रिकेट से लेकर एथलेटिक्स तक में भारत की बेटियों ने पिछले कुछ दिनों में अपने देश के लिए जो गौरव अर्जित किया है, वह सचमुच सराहनीय है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में जीत के बाद अब भारतीय लड़कियों ने पहले 'ब्लाइंड वुमेन्स ट्वंटी-20 वर्ल्ड कप' को भी अपने नाम कर लिया है। ठीक इसी समय निकहत जरीन ने विश्व मुक्केबाजी कप प्रतिस्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा, तो अब महिला कबड्डी विश्व कप पर भी भारत का कब्जा हो गया है। ये पदक और कप बताते हैं कि लड़कियों के लिए खेलों में सुनहरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। मगर इस मुकाम तक उनका पहुंचना क्या आसान था? कतई नहीं! इसे आप मेरी कहानी के जरिये समझिए।

घर से मांड़-भात खाकर मैं सिमडेगा (झारखंड) की पथरीली पगडंडियों पर इधर-उधर भटकती रहती थी। मुझे कहां पता था कि हॉकी क्या होती है? ओलंपिक किसको कहते हैं और गोल्ड या सिल्वर मेडल का क्या महत्व होता है? आज मैं सलीमा टेटे के नाम से जानी-पहचानी जाती हूं। सलीमा टेटे, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान। लोग मुझे मैदान में जब खेलते हुए देखते होंगे, तो उन्हें शायद मेरे बैकहैंड हिट, मेरी स्पीड या मेरा आत्मविश्वास नजर आता होगा। मैं पलटकर देखती हूं, तो सबसे पहले मुझे सिमडेगा जिले के छोटे से गांव बड़कीछापर की पगडंडियां दिखती हैं, जिन पर मैं नंगे पांव दौड़ा करती थी।

इसी गांव में अपने पिता सुलक्सन टेटे और दूसरे गांव वालों को हॉकी खेलते देखकर मेरे अंदर इस खेल के प्रति दिलचस्पी पैदा हुई। मेरे पिता स्थानीय स्तर पर हॉकी खेलते थे। उनकी आंखों में मैंने अपने लिए एक सपना देखा था कि मैं हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़ूं, लेकिन हमारे पास संसाधन कहां थे? एक स्टिक तक नहीं। पिताजी बांस की खपच्चियों से मेरे लिए स्टिक बनाते और प्लास्टिक को आग में पिघलाकर गेंद। वही मेरी पहली हॉकी किट थी। उस समय मुझे नहीं मालूम था कि बांस की यही स्टिक और प्लास्टिक की गेंद हमारी दुनिया बदल देगी।

साल 2011-12 में मैं पिताजी के साथ गांव-गांव जाकर स्थानीय मैच देखा करती थी। मैदान में खिलाड़ियों को खेलते देखकर मैं खो जाती थी। पिताजी ने ही एक दिन मुझे कहा, सलीमा, तू भी खेल। साल 2012 में मैं लटाखमन गांव में खेल रही थी, तभी जिले में हॉकी के विकास के लिए काम करने वाले कोच मनोज कोनबेगी सर की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने मेरे खेल में कुछ ऐसा देखा, जो मुझे खुद भी तब तक नहीं समझ आया था। कोनबेगी सर ने कहा कि मुझे सिमडेगा के सरकारी आवासीय हॉकी प्रशिक्षण केंद्र में ट्रायल देना चाहिए। वह सलाह मेरी जिंदगी में टर्निंग प्वॉइंट साबित हुई।

साल 2013 में ट्रायल में चयन के बाद मैं केंद्र की प्रशिक्षु बन गई। वहीं पर मेरी मुलाकात कोच प्रतिमा बरवा (अब दिवंगत) से हुई। एक ऐसी कोच, जिन्होंने सिर्फ मुझे हॉकी की बारीकियां ही नहीं सिखाईं, यह भी सिखाया कि एक लड़की डगमगाए बिना कैसे आगे बढ़ सकती है। उन्हीं की देख-रेख में मैंने अपने खेल को निखारा और अपने भीतर यह भरोसा सहेजा कि मैं राष्ट्रीय टीम तक पहुंच सकती हूं।

मेरे प्रदेश ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। उन्हीं दिनों मुझे पहली बार राष्ट्रीय विद्यालय हॉकी प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम में शामिल किया गया। मेरे पूरे गांव में खुशी थी, लेकिन घर में टीवी नहीं था, जिस पर मेरे माता-पिता मुझे खेलते हुए देख पाते। संसाधन इतने सीमित थे कि कई बार लगता था कि आर्थिक तंगी के कारण सपने दम न तोड़ दें, लेकिन घरवालों ने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि वे कितना संघर्ष कर रहे हैं।

साल 2016 ने मेरे जीवन में एक नया दरवाजा खोला। मुझे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में खेलने का मौका मिला। गांव से निकलकर भारत की जर्सी पहनने का सपना साकार होने लगा। साल 2018 में मैं यूथ ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तान बनाई गई और हमने उस प्रतिस्पर्द्धा में रजत पदक जीता। इसके बाद से मेरा सफर भारतीय टीम के साथ लगातार आगे बढ़ता रहा। टोक्यो ओलंपिक, हॉकी विश्व कप, एशियाई खेल और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने देश का प्रतिनिधित्व किया। मैं यह कभी भूल नहीं सकती कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान जब भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल खेल रही थी, तब तक मेरे घर में टीवी नहीं था। यह सोचकर मन दुखी भी था, मगर जब इसकी जानकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हुई, तो उन्होंने तुरंत मेरे घर पर स्मार्ट टीवी और इन्वर्टर भिजवाया। वह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान था।

मेरे गांव में आज भी कई बुनियादी सुविधाओं की कमी है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में झारखंड और देश में खेल-ढांचा बहुत बदला है। जब मैंने खेलना शुरू किया था, तब एस्ट्रोटर्फ का नाम सुनकर ही रोमांच होता था। हालांकि, यह भी सच है कि मैं यदि सरकारी केंद्र में नहीं पहुंचती, तो स्टार सलीमा टेटे नहीं बन पाती। सरकार ने खेल उपकरण, आधारभूत संरचना और प्रशिक्षक जैसी बुनियादी सुविधाएं दीं, जिससे मेरा खेल आगे बढ़ा। आज सिमडेगा सहित अन्य जिलों में भी एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम हैं। सरकार उपकरण देती है, प्रतियोगिताएं ज्यादा होती हैं। शिविर भी लगातार लगते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू खेलो इंडिया मुहिम, साई की टैलेंट स्काउट योजनाएं और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बढ़ती संख्या ने नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता आसान बनाया है। हॉकी इंडिया आज खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दे रही है। हर राज्य में महिला हॉकी लीग जैसी प्रतियोगिताएं हो रही हैं।

अपने अनुभव से मैं एक बात अवश्य कहना चाहती हूं कि सुविधाएं सफलता की गारंटी नहीं होतीं। आपके पास इच्छा, मेहनत और हौसला होना चाहिए, यही तीन चीज किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाती हैं। मेरे पास तो न जूते थे, न स्टिक थी, न टर्फ था, न किट, पर आज जब मैं भारतीय टीम की कप्तानी कर रही हूं, तो मुझे लगता है कि मेरे लिए यह सिर्फ एक ओहदा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, उन लड़कियों के प्रति, जो छोटे-छोटे गांवों में बैठकर हॉकी खेलने के सपने देखती हैं। वे भी एक दिन देश का नाम रोशन कर सकती हैं। जब पहली बार मैंने भारत की जर्सी पहनी थी, तभी लग गया था कि यह सिर्फ कपड़ा नहीं, बड़ा दायित्व है, जिसे गर्व से निभाना होता है। आधी आबादी के गर्व के साथ!

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

जलवायु संरक्षण की जंग से जुड़ने लगे ज्यादातर देश

सुमंत सिन्हा | संस्थापक और सीईओ, रीन्यू

ब्राजील में शनिवार को संपन्न कॉप-30 इसको लेकर नहीं था कि जलवायु संकट से निपटने के लिए क्या किया जाए? यह तो पहले से सबको पता है। अलबत्ता, यह सम्मेलन इस बारे में था कि उन उपायों को कैसे अमल में लाया जाए? ऐसे में, जलवायु संबंधी कार्रवाइयों से जुड़ी छह सच्चाइयां हमें जाननी चाहिए।

पहली, पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद भी काम हो रहे हैं। गौरतलब है कि सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को ऐतिहासिक जलवायु समझौते से बाहर निकाल ले आए और जलवायु संरक्षण पर कोई भी कदम उठाने से बचते रहे। फिर भी, जलवायु संबंधी कार्रवाइयां चलती रहीं। जलवायु जैसे वैश्विक मुद्दों पर इस तरह की निरंतरता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निवेश बढ़ाने में कारगर साबित होती है।

दूसरी, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन लंबे समय से नजरंदाज की गई अन्य जलवायु प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मसलन, 115 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी योजनाओं और प्रतिबद्धताओं का खाका, यानी एनडीसी जमा किया है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर भी प्रतिबद्धताएं बढ़ी हैं। हम 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की ओर अग्रसर हैं। वैसे, एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि वनों व महासागरों के संरक्षण के लिए छह अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह उल्लेखनीय है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे उत्सर्जन का आधा हिस्सा सोख लेते हैं।

कॉप-30 सम्मेलन में 190 देशों ने दिखाया कि वे अब भी जलवायु संकट की लड़ाई में हैं, उन्हें बेशक जीत नहीं मिल रही है, पर वे हार भी नहीं मानने जा रहे।

तीसरी, जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध खात्मा अब भी मुश्किल में है। इस मुद्दे पर तमाम देशों को सहमत करना उतना ही कठिन है, जितना इस काम को संपन्न करना। कॉप-28 में बेशक इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन कॉप-30 में इसको लेकर रोडमैप नहीं बन सका। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के साथ ही हमें वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, साथ ही उत्पादन में जो कमी आएगी, उसका भी निदान खोजना होगा। यह जटिल काम है और प्रतिस्पर्द्धी हितों के बीच अभूतपूर्व सहयोग की मांग करती है। हालांकि, इसे तुरंत शुरू करने की दरकार भी है।

चौथी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल कदम उठाने पर बात तो हुई, लेकिन बहुत कम। विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने और बुनियादी ढांचे आदि के लिए 2035 तक तीन गुना रकम देने का वायदा किया है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर देर से उठाया गया अस्पष्ट और अपर्याप्त कदम है। बाढ़ और सूखा झेल रहे देशों के लिए यह अस्तित्व का सवाल है।

पांचवीं, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। अक्षय ऊर्जा को साकार करने में जिस क्षमता का परिचय भारत ने दिया है, उससे उसने उचित ही विकसित देशों की कमजोर इच्छाशक्ति पर कड़ा रुख अपनाया। भारत ने विकासशील देशों के लिए और अधिक आर्थिक मदद की मांग भी की। यह बेहद अहम रुख है, क्योंकि अगले पांच वर्षों में दुनिया को उत्सर्जन में और ज्यादा कमी करने व वित्त-पोषण की जरूरत है, न कि यथास्थिति से आत्मसंतुष्ट होने की। यह काम जारी रहेगा। डर यह है कि कॉप ने व्यापार पर चर्चा के लिए दो साल की प्रक्रिया पर सहमति जताई है और यूरोपीय संघ का कार्बन टैरिफ 2026 में हमारे निर्यातकों पर असर डालेगा, जिससे प्रतिस्पर्द्धा कमजोर होगी। इस मुद्दे का समाधान अब यूरोपीय संघ के साथ चल रहे व्यापार-समझौता संबंधी चर्चाओं में ढूंढ़ना होगा।

छठी, भू-राजनीति हावी है, लेकिन व्यापार जगत के हितों को बातचीत की मेज पर जगह मिलनी ही चाहिए। चूंकि अमेरिका बाहर निकल गया है, इसलिए कॉप-30 में वैश्विक ताकत बनने का जोड़-तोड़ खूब चला। उभरते गठबंधन और व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, जलवायु वित्त जैसे जटिल मुद्दों को तब तक के लिए टाल दिया गया है, जब तक कि व्यापक व्यापार समझौते नहीं हो जाते।

साफ है, कॉप-30 ने इस बंटी हुई दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर बातचीत को जीवित रखा है। 190 देशों ने दिखाया है कि वे अब भी जलवायु संकट की लड़ाई में हैं, बेशक अभी जीत नहीं मिल रही है, लेकिन वे हार भी नहीं मान रहे। मौजूदा हालात में यही जीत है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

क्रोध का मनोविज्ञान

क्रोध का मनोविज्ञान है कि तुम जो चाहते थे और किसी ने तुम्हें वह पाने से रोक दिया। तुम्हारी पूरी ऊर्जा कुछ पाने जा रही था और किसी ने ऊर्जा को रोक दिया। अब यह कुंठित ऊर्जा क्रोध बन जाती है... क्रोध उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसने तुम्हारी आकांक्षा पूरी होने की संभावना को नष्ट कर दिया हो। तुम क्रोध को नहीं रोक सकते, क्योंकि क्रोध एक 'बाइप्रोडक्ट' है। तुम कुछ और कर सकते हो, जिससे यह 'बाइप्रोडक्ट' फिर पैदा न हो।

जीवन में एक बात याद रखो। किसी भी वस्तु की चाहत इतनी तीव्रता से न करो कि यह तुम्हारे जीवन-मरण का प्रश्न बन जाए। थोड़े हल्के-फुल्के, खेलपूर्ण बनो। मैं नहीं कहता कि तुम इच्छा मत करो, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर एक दमन बनेगा। मैं कह रहा हूं कि इच्छा करो, लेकिन तुम्हारी इच्छा खेलपूर्ण हो। यदि तुम इसे पा सको, अच्छा है। यदि नहीं पा सके, तो यह सोचो कि शायद यह सही समय नहीं था; हम इसे अगली बार देखेंगे। खेल की कुछ कला सीखो।

तुम आकांक्षा से इतने एकाकार हो गए हो कि जब इसमें रोड़े अटकाए जाते हैं या इसे रोका जाता है, तो तुम्हारी अपनी ऊर्जा आग बन जाती है; यह तुम्हें ही जला देती है। लगभग पागलपन की उस दशा में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, जिसके लिए तुम पश्चाताप कर रहे हो। यह घटनाओं की एक श्रृंखला पैदा कर देती है कि तुम्हारा पूरा जीवन उसमें संलग्न हो जाता है। इसके कारण हजारों वर्षों से लोग कहते रहे हैं, आकांक्षा रहित हो जाओ। अब इसकी मांग करना कुछ अमानवीय हो जाता है। यहां तक कि जिन लोगों ने कहा, इच्छा रहित हो जाओ। उन्होंने भी तुम्हें एक उद्देश्य, एक आकांक्षा दे दिया : यदि तुम आकांक्षा रहित हो जाओ, तो तुम मोक्ष की परम स्वतंत्रता को उपलब्ध हो जाओगे। वह भी एक इच्छा है।

तुम अपनी आकांक्षा को कुछ बड़ी आकांक्षा के लिए दबा सकते हो और भूल भी सकते हो कि तुम अब भी वही व्यक्ति हो। तुमने सिर्फ लक्ष्य बदल दिया है। निश्चित ही बहुत लोग मोक्ष पाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना होगा, वास्तव में लोग बहुत प्रसन्न होंगे कि तुमने मोक्ष की ओर जाना शुरू कर दिया है, जीवन का एक प्रतियोगी कम हुआ। जहां तक तुम्हारा सवाल है, कुछ नहीं बदला है। यदि कुछ भी किया जाए, जो तुम्हारी मोक्ष की आकांक्षा में बाधा पैदा करे, तुम्हारा अहंकार प्रज्वलित हो उठेगा और इस बार अधिक बड़ा होगा। क्रोध हमेशा आकांक्षा के अनुपात में होता है।

किसी चीज को गंभीरता से मत लो... स्वयं को भी नहीं। तब तुम देखोगे कि क्रोध नहीं होगा। क्रोध आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है, इसलिए बहुत सहजता से अपने बारे में सोचो।

मेरे कहने का अर्थ यही है कि किसी चीज को गंभीरता से मत लो... स्वयं को भी नहीं। तुम देखोगे कि क्रोध नहीं होगा। क्रोध आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव है, इसलिए सहजता से अपने बारे में सोचना शुरू करो।

ओशो

एंटोनियो गुटेरस | संयुक्त राष्ट्र महासचिव

महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा एक वैश्विक समस्या है, जो डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी की पहुंच व स्पीड की वजह से और बढ़ गई है। हम डिजिटल मंचों को एक और ऐसी जगह नहीं बनने दे सकते, जहां महिलाएं व लड़कियां असुरक्षित हों।

अनुलोम-विलोम
हिंदी में शपथ

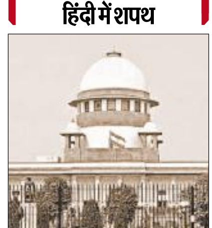

प्रधान न्यायाधीश ने हिंदी का मान बढ़ाया

भारत के नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में अपने पद की शपथ लेकर एक इतिहास रच दिया है। 26 जनवरी, 1950 को स्थापित स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में यह खास मौका है, क्योंकि यहां कामकाज की भाषा आज भी अंग्रेजी है। यही कारण है कि यहां के न्यायाधीश अंग्रेजी में ही शपथ लेते रहे हैं। नए प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस परंपरा को तोड़ दिया है और हिंदी में शपथ लेकर यह बता दिया है कि भारत कोई गूंगा राष्ट्र नहीं है और उसके पास अपनी एक सशक्त व समृद्ध भाषा है। उम्मीद करनी चाहिए कि अब सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी का वर्चस्व खत्म होगा और हिंदी स्थापित हो सकेगी। यह करना इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी हिंदी ही बोलती-समझती है।

देव नेहरा, टिप्पणीकार

देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ लेकर एक बेहतरीन मिसाल कायम की है। जो लोग हिंदी भाषा के प्रयोग में अपना अपमान समझते हैं या अपनी पढ़ाई-लिखाई को कमतर मानते हैं, उनको यह जरूर देखना चाहिए कि देश के प्रधान न्यायाधीश ने किस तरह से हिंदी की महत्ता को बताते हुए अपने पद की शपथ हिंदी में ली है। आज लोग अंग्रेजी बोलने में अपनी शान समझते हैं और अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही बातचीत करना सिखाते हैं। निस्संदेह, अंग्रेजी अच्छी भाषा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य भी है, लेकिन हमारे देश की भाषा हिंदी है और इसे बोलने में हमें झिझक महसूस नहीं होनी चाहिए। हमारे आस-पास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो बेशक खुद अंग्रेजी न जानते होंगे, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी में ही शिक्षा दिलाना चाहते हैं। यहां तक कि वे भी टूटी-फूटी अंग्रेजी में बच्चों से बात करना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। असलियत में ऐसा नहीं है। प्रधान न्यायाधीश निश्चय ही अंग्रेजी में पारंगत हैं, फिर भी उन्होंने हिंदी में शपथ लेकर संभवतः यही संकेत देने की कोशिश की है कि हमें हिंदी बोलने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और इस भाषा को ठीक उस तरह से सम्मान देना चाहिए, जिस तरह से हम अंग्रेजी को देते हैं। यह एक नए इतिहास को रचने जैसा है। उम्मीद करनी चाहिए कि इससे उन सभी लोगों की आंखें खुलेंगी, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षित करने के लिए निरर्थक तर्क देने को तैयार रहते हैं। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत मौजूदा समय में आदर्श बनकर हमारे सामने खड़े दिखते हैं। दूसरे लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

प्रतीक से आगे बढ़कर प्रयास की जरूरत

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने हिंदी में शपथ लेकर निश्चय ही अनोखा काम किया है। इससे हिंदी भाषा के प्रति उनके प्रेम का भी पता चलता है। मगर क्या सिर्फ इसी से हिंदी उस रूप में स्थापित हो जाएगी, जिसकी कल्पना आम जनता करती है? यह कोई छिपा तथ्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय में काम अंग्रेजी में ही होता है। वहां कई बार वादी इस ओर इशारा कर चुके हैं कि अंग्रेजी में कार्यवाही होने कारण उन्हें फैसले समझने में दिक्कत होती है, यहां तक कि कार्रवाई को लेकर भी वे अपनी समझ नहीं बना पाते। ऐसे में, अच्छा तो यही होगा कि शपथ-ग्रहण जैसे प्रतीकों से हिंदी आगे बढ़े और अदालती कामकाज की आधिकारिक भाषा बने।

संविधान का अनुच्छेद 348 यह व्यवस्था देता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में होंगी। हालांकि, इसी अनुच्छेद का एक पहलू यह भी है कि किसी राज्य के राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से हिंदी या दूसरी भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकते हैं। इसका मतलब है कि जब तक संसद इस बारे में कोई नया कानून नहीं बनाती, तब तक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी ही बनी रहेगी। पेशे से वकील रह चुके पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी इस विसंगति को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भाषायी सीमाओं के कारण अदालत में वादी को अपने ही मामलों में लिए गए फैसलों को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने सुझाव दिया था कि सभी उच्च न्यायालय को अपने प्रदेश की स्थानीय भाषा में जनहित के फैसलों का प्रामाणिक अनुवाद प्रकाशित व उपलब्ध कराना चाहिए। इसकी जरूरत वाकई आज बढ़ गई है, क्योंकि जब न्यायपालिका पर लोकतंत्र से संबंधित जवाबदेही बढ़ गई है, तब अधिक से अधिक लोग उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे हैं। ऐसे में, हिंदी के प्रति उदासीनता से न्याय का मूल मकसद अधूरा रह सकता है।

अपने देश में इस बात को लेकर आमतौर पर बहस होती रहती है कि पढ़ाई की भाषा क्या हो? क्या वह मातृभाषा में दी जाए? इसको लेकर एक स्पष्ट दिशा नई शिक्षा नीति में दिखाई गई है और 5वीं क्लास तक के बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कुछ इसी तरह के प्रयास अदालतों में भी किए जाने चाहिए। अब अदालती भाषा को आम आदमी के समझने योग्य बनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा हो सका, तभी न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना सार्थक हो सकेगा, अन्यथा यह महज प्रतीकात्मक ही रह जाएगी।

रविंद्रनाथ झा, टिप्पणीकार

भारतीय परम्पराओं का अनुपालन कर हमें संयुक्त परिवारों को बचाना होगा

प्रहलाद सबनानी

पश्चिमी विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें, कल किसने देखा है, यह पश्चिमी सोच, चर्च की प्रेरणा एवं भौतिकवाद पर आधारित है। इस्लाम एवं ईसाईयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना है वह इसी जन्म में करना है।

भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने, कम करने अथवा प्रभावित करने के उद्देश्य से दरअसल, चार शक्तियों ने हाथ मिला लिए हैं। ये चार शक्तियां हैं, क रवादी इस्लाम, प्रसारवादी चर्च, सांस्कृतिक मार्क्सवाद एवं वैश्विक बाजार शक्तियां। हालांकि उक्त चारों शक्तियों की अन्य देशों में आपसी लड़ाई है परंतु भारत के मामले में यह एक हो गई हैं और भारत में यह आपस में मिलकर भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करती हुई दिखाई दे रही हैं।

इसी संदर्भ में आज वैश्विक स्तर पर भारत के विरुद्ध कई झूठे विमर्श भी गढ़े जा रहे हैं। हाल ही के समय में इस प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। विमर्श के माध्यम से जनता के मानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। विमर्श सत्य, अर्द्धसत्य अथवा झूठ भी हो सकता है। भारत के बारे में पूरे विश्व में धारणा है कि यहां आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा रही है। परंतु, अब पूरे विश्व में विशेष रूप से भारत के संदर्भ में पुराने विमर्श टूट रहे हैं और नित नए विमर्श गढ़े जा रहे हैं। भारत चूंकि, हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक ताकत बन कर उभर रहा है, भारत की यह प्रगति कुछ देशों को रास नहीं आ रही है एवं यह सभी मिलकर भारत के सम्बंध में झूठे विमर्श गढ़ रहे हैं।

प मी विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें, कल किसने देखा है, यह प मी सोच, चर्च की प्रेरणा एवं भौतिकवाद पर आधारित है। इस्लाम एवं ईसाईयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना है वह इसी जन्म में करना है। इसके ठीक विपरीत भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है इससे भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग में संयम बरता जाता है एवं उत्पादन में बहुलता होने की विचारधारा पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और अन्य कोई भी भूखा ना सोय , यह भारतीय विचारधारा है।

भारतीय सनातन संस्कृति की विचारधारा के ठीक विपरीत आज वैश्विक बाजार शक्तियां भारत में भी उपभोक्तावाद को फैलाने का प्रयास कर रही हैं। विशेष रूप से दीपावली एवं रक्षाबंधन जैसे शुभ त्यौहारों के अवसर पर कुछ मीठा हो जाए जैसे विज्ञापन देकर यह विमर्श खड़ा करने का प्रयास किया जाता है कि भारतीय मिठाइयों एवं व्यंजनों जैसे जलेबी, इमरती तथा दूध एवं खोए से बनी मिठाईयां खाने से मधुमेह का रोग हो जाता है, अतः सदियों से भारत में उपयोग हो रहे इन स्वादिष्ट व्यंजनों के स्थान पर केडबरी चाकलेट अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, जिसका अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार, भारी भरकम राशि खर्च कर, विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित मीठे पदार्थों को, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय समाज के मानस पर उतारने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, विभिन्न भारतीय त्यौहारों के समय वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा यह भी कह कर कि, दीपावली के शुभ अवसर पर जलाए जाने वाले फटाके पर्यावरण का नुक्सान करते हैं ; होली पर्व पर भारी मात्रा में पानी की बबार्दी की जाती है ; महाशिवरात्रि पर्व पर दूध की बबार्दी की जाती है ; माई बॉडी माई चोईस ; हमको भारत में रहने में डर लगता है ; आदि विमर्श स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कुल मिलाकर प मी देशों द्वारा आज भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित हिन्दू परम्पराओं पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं।

भारतीय सनातन संस्कारों के अनुसार भारत में कुटुंब को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है एवं भारत में संयुक्त परिवार इसकी परिणती के रूप में दिखाई देते है। परंतु, प मी आर्थिक दर्शन में संयुक्त परिवार लगभग नहीं के बराबर ही दिखाई देते हैं एवं विकसित देशों में सामान्यतः बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही, वे अपना अलग परिवार बसा लेते हैं तथा अपने माता पिता से अलग मकान लेकर रहने लगते हैं। इस चलन के पीछे संभवत आर्थिक पक्ष इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जितने अधिक परिवार होंगे उतने ही अधिक मकानों की आवश्यकता होगी, कारों की आवश्यकता होगी, टीवी की आवश्यकता होगी, फ्रिज की आवश्यकता होगी, आदि। लगभग समस्त उत्पादों की आवश्यकता इससे बढ़ेगी जो अंततः मांग में वृद्धि के रूप में दिखाई देगी एवं इससे इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। ज्यादा वस्तुएं बिकने से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इससे आर्थिक वृद्धि दर तेज होगी। विकसित देशों में इस प्रकार की मान्यताएं समाज में अब सामान्य हो चलीं हैं। अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में भी प्रयासरत हैं कि किस प्रकार भारत में संयुक्त परिवार की प्रणाली को तोड़ा जाय ताकि परिवारों की संख्या बढ़े एवं विभिन्न उत्पादों की मांग बढ़े और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री बाजार में बढ़े। इसके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस प्रकार के विभिन्न सामाजिक सीरियलों को बनवाकर प्रायोजित करते हुए टीवी पर प्रसारित करवाती हैं जिनमे संयुक्त परिवार के नुक्सान बताए जाते हैं एवं छोटे छोटे परिवारों के फायदे दिखाए जाते हैं। सास बहू के बीच, ननद देवरानी के बीच, दो बहिनों के बीच, पड़ोसियों के बीच, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े दिखाए जाते हैं एवं जिनका अंत परिवार की टूट के रूप में बताया जाता है, ताकि भारत में भी पूंजीवाद की तर्ज पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल सके। भारत एक विशाल देश है एवं विश्व में सबसे बड़ा बाजार है, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यदि अपने इस कुचक्र में सफल हो जाती हैं तो उनकी सोच के अनुसार भारत में उत्पादों की मांग में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है, इससे विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सीधे सीधे फायदा होगा। इसी कारण के चलते आज जोर्ज सोरोस जैसे कई विदेशी नागरिक अन्य कई विदेशी संस्थानों एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं एवं भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं।

प मी देशों के नागरिकों के लक्ष्य भौतिक (जड़) हो रहे हैं और चेतना कहीं पीछे छूट रही है। केवल आर्थिक विकास अर्थात अर्थ का अर्जन करना ही जैसे इस जीवन का मुख्य उद्देश्य हो। परंतु, भारत के नागरिक सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के अहसास के प्रति भी सजग दिखाई देते हैं, अर्थात उनमें चेतना के दर्शन भी होते हैं।

अब हम समस्त भारतीय नागरिकों को वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे उक्त वर्णित जाल में नहीं फंसते हुए, हमारे अपने भारतीय व्यंजनों का भरपूर आनंद उठाते हुए अपनी भारतीय परम्पराओं का अनुपालन सुनि त करना चाहिए। हमें अपने जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में केवल स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करना चाहिए चाहे वह तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा ही क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर हमारे जीवन में रोजाना उपयोग होने वाले कुछ उत्पादों के नाम यहां पर दिए जा सकते हैं, जिनका उत्पादन सदियों से भारत में ही पर्याप्त मात्रा में होता चला आया है। केवल और केवल भारतीय कम्पनियों द्वारा निर्मित इन उत्पादों का उपयोग एवं विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित इन उत्पादों का उपयोग नहीं करने की शपथ ली जानी चाहिए। जैसे, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सौंदर्य प्रसाधन औषधियां, टुथथपेस्ट दंतमंजन टुथब्रश, दाढ़ी का साबुन ब्लेड्स रेजर, बिस्किट चाकलेट दुग्ध उत्पाद ब्रेड, चाय काफी, शीतपेय शरबत चटनी अचार मुरब्बा, आइसक्रीम खाद्यतेल खाद्य पदार्थ, विद्युत उपकरण गृहोपयोगी वस्तु घड़ियां, लेखन सामग्री, जूते चप्पल पोलिश, तैयार कपड़े, कम्प्यूटर लैपटॉप एवं उपकरण, टेलिकॉम उपकरण, बाम और मरहम, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, स्वचालित वाहन एवं मोबाइल फोन आदि। जब भी बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी ही लाएंगे जैसे तथ्यों को आत्मसात करना चाहिए। इससे न केवल चीन बल्कि अमेरिका को भी संदेश जाएगा कि भारत अब कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो चुका है तथा वैश्विक स्तर पर भारत अब इनके दबाव में आने वाला नहीं है।

संपादकीय

शहादत का स्मरण

भले ही श्रीलंकाई संकट के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाना तत्कालीन सरकार का फैसला रहा हो, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिक राष्ट्र के हितों और सैन्य दायित्वों के लिये ही लड़े थे। इस फैसले का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा और उनके न्यायसंगत पुनर्वास के लिये पहल करना भी रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों में इस बात को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त रहा है कि आईपीकेएफ सैनिकों के बलिदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। अब सरकार व सेना ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कम से कम एक पहल तो की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बाबत श्रद्धांजलि संदेश प्रेषित किया है। भले ही शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई यह पहल एक प्रतीकात्मक सुधार हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। हालांकि देर से ही सही, ये प्रयास श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1,171 भारतीय सैनिकों को उचित सम्मान देने में रही एक कमी को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में करीब तीन हजार से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। इससे पूर्व कई वीर सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन एक टीस के साथ कहा जाता रहा है कि यह अकसर भुला दिया जाने वाला युद्ध रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक सेना और पलाली में 10-पैरा के शहीदों के लिये स्मारक का निर्माण किया गया था। यह विडंबना ही है कि आईपीकेएफ के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं और उनके परिजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर निजी स्तर पर स्मरणोत्सव आयोजित करते रहे हैं। नि त ही देश के हितों के लिये चलाये गए किसी भी सैन्य अभियान में शहीद हुए सैनिकों को सामान्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों के परिजन और युद्ध में भाग लेने वाले जवान भी उन्हें पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आस लंबे समय से रखते रहे हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में मनाये जाने वाले खास दिनों की तरह ऑपरेशन पवन की याद में भी एक विशेष दिन की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिजनों की एक टीस उन्हें दशकों से सालती रही है।

चिंतन-मनन

संत की सीख

एक धनी सेठ ने एक संत के पास आकर उनसे प्रार्थना की, महाराज, मैं आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना करता हूं पर मेरा मन एकाग्र ही नहीं हो पाता है। आप मुझे मन को एकाग्र करने का कोई मंत्र बताएं। सेठ की बात सुनकर संत बोले, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें एकाग्रता का मंत्र प्रदान करूंगा। यह सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उसने इसे अपना सौभाग्य समझा कि इतने बड़े संत उसके घर पधारेंगे।

उसने अपनी हवेली की सफाई करवाई और संत के लिए स्वादिष्ट पकवान तैयार करवाए। नियत समय पर संत उसकी हवेली पर पधारे। सेठ ने उनका खूब स्वागत-सत्कार किया। सेठ की पत्नी ने मेवों व शुद्ध घी से स्वादिष्ट हलवा तैयार किया था। चांदी के बर्तन में हलवा सजाकर संत को दिया गया तो संत ने फौरन अपना कमंडल आगे कर दिया और बोले, यह हलवा इस कमंडल में डाल दो। सेठ ने देखा कि कमंडल में पहले ही कूड़ा-करकट भरा हुआ है। वह दुविधा में पड़ गया। उसने संकोच के साथ कहा, महाराज, यह हलवा मैं इसमें कैसे डाल सकता हूं।

कमंडल में तो यह सब भरा हुआ है। इसमें हलवा डालने पर भला वह खाने योग्य कहां रह जाएगा, वह भी इस कूड़े-करकट के साथ मिलकर दूषित हो जाएगा। यह सुनकर संत मुस्कराते हुए बोले, वत्स, तुम ठीक कहते हो। जिस तरह कमंडल में कूड़ा करकट भरा है उसी तरह तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सी ऐसी चीजें भरी हैं जो आत्मज्ञान के मार्ग में बाधक हैं। सबसे पहले पात्रता विकसित करो तभी तो आत्मज्ञान के योग्य बन पाओगे। यदि मन-मस्तिष्क में विकार तथा कुसंस्कार भरे रहेंगे तो एकाग्रता कहां से आएगी। एकाग्रता भी तभी आती है जब व्यक्ति शुद्धता से कार्य करने का संकल्प करता है। संत की बातें सुनकर सेठ ने उसी समय संकल्प लिया कि वह बेमतलब की बातों को मन-मस्तिष्क से निकाल बाहर करेगा।

समय के महत्व को समझें और अपनी महत्वकाक्षांओं को पूरा करें

नरेन्द्र भारती

समय के महत्व को समझें और अपनी महत्वकाक्षांओं को पूरा करें। समय एक अनमोल पूंजी है। समय को जिसने भी बरबाद किया समय ने उसे भी बरबाद कर दिया। समय किसी का इंतजार नहीं करता। समय का सदुपयोग करोगे तो सफलता हासिल करोगे अगर समय का दुरुपयोग किया तो धराशायी हो जाओगे। वक्त का पहिया जब घूमता है तो कंगाल होने में देर नहीं लगती। मानव को हमेशा अतीत का आईना देखते रहना चाहिए ताकि अहसास होता रहे कि ऐसे भी दिन थे दिन एक जून की रोटी नसीब नहीं होती थी आज जब समय बदला तो अपना गुजरा हुआ वक्त भूल रहा है। आदमी भले ही कितना बड़ा बन जाए अतीत की परछाईयां उसका दामन नहीं छोड़ती मरते दम तक साथ रहती हैं। । वक्त बदलते देर नहीं लगती भाग्य किसी को भी अर्श पर ले जाता है और किसी को फर्श पर ले जाता है इसलिए मानव को मयार्दा में रहकर ही हर काम करना चाहिए। आदमी को किसी के साथ भी धोखा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता तो फिर से कायम कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मानव का जीवन व्यर्थ है जो दूसरों को दुख देता है। समय के पास सबका लेखाजोखा है। मानव को समय से डरना चाहिए न जाने कब कैसा समय देखना पड़े। समय का मिजाज पता नहीं कब बदल जाए। समय ने बड़े से बड़े तानाशाहों को धूल चटा दी जो समय के खिलाफ चले थे मिटटी में मिल गए। आज मानव के पास अच्छा करने का समय ही नहीं है जबकि बुरा करने के लिए समय ही समय है। मानव कितन भी अमीर हो जाए अपना गुजरा हुआ समय नहीं खरीद सकता। आज लोग मोबाईल फोन पर समय बरबाद कर रहे है। चौबीसों घंटे सोशल मीडिया पर व्यस्त रहते है। समय की जिसने कदर की समय ने उसे उचाईयां दी है। मानव को चाहिए कि समय के हर एक मिनट और सैकंड व घंटों का सही सदुपयोग करे। जो समय के साथ निर्बाध गति से चला समय ने उसे मंजिल तक पहुंचाया है। समय से डरो अच्छे कर्म करो। जीवन में हम अनेक सुख-दुख देखते है,परन्तु क्या हमने किसी और के लिए कुछ करने के बाद सच्चे सुख की अनुभूति की है दूसरों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए, खासकर उन्हे जो अनेक चीजों से वंचित ही रहे या जिन्हे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। आप महसूस करेगें कि परोपकार का काम करने के बाद आपके होंठों पर आई मुस्कराहट दुनियाभर की दौलत से भी मंहगी होगी। समय मानव को कई रंग दिखाता है। समय -समय पर मानव की परीक्षा लेता रहता है। समय का सही मायने में सम्मान करो। समय अनमोल है व दुर्लभ है। सुख में तो सभी साथ होते है मगर दुख में साथ छोड देते है ,आदमी आज गिरगिटों की तरह रंग बदलता है। आज मानव मतलब निकल जाने पर पहचानने से इन्कार कर देता है। आज मानव ने भले ही कितनी प्रगति कर ली है मगर सोच वही सामंतवादी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता मगर आज रिश्ते तराजू पर तोले जाते है अगर कोई गरीब है तो उसके साथ भेदभाव किया जाता है। वक्त बदलते देर नही लगती इसलिए आदमी को अपना अतीत याद करते रहना चाहिए। ताकि विपतीयो का अहसास होता रहे। आदमी को सादगी व उच्च विचारों मे विश्वास रखना चाहिए। समय यही सिखाता है कि किसी का समय बरबाद मत करो। समय कीमती है जिसने समय की कीमत जान ली है वह हर जगह सफल होता है। आज अच्छाई के लिए समय नहीं है। बुराई के लिए हर समय तैयार है। समय एक जैसा नहीं रहता आज अच्छा है कल का पता नहीं होगा। समय को पहचानो तभी समय आपको एक अलग पहचान देगा। समय रेत की तरह हर पल फिसल रहा है समय को बांधा नहीं जा सकता यह अटल सत्य है। समय बहुत ही बलवान है वक्त के थपेडों से कोई नहीं बच पाया है। समय के पाबंद बने। अगर समय के साथ नहीं चलोगें तो पिछड़ जाओगें। समय का प्रबंधन करें। समय सारणी बनाएं और हर पल का फायदा उठाएं। समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। समय सबसे बड़ा गुरु है।

हिंदी में शपथः नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष

ललित गर्ग

भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक चेतना का नया शुभारंभ है। यह वह क्षण है जिसने भाषा को लेकर दशकों से चले आ रहे संकीर्ण विवादों, राजनीतिक विरोधाभासों और कृत्रिम विभाजनों पर एक गहरी चोट की है। हिंदी में शपथ का यह निर्णय राष्ट्रीय मानस में इस भावना को पुनः स्थापित करता है कि भाषा का प्रश्न केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। यह निर्णय उस विरोधाभास पर भी प्रकाश डालता है जिसमें विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी को अपने ही देश में सबसे अधिक उपेक्षा, संकोच और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता रहा है।

भारत में भाषा सदैव राजनीति का एक सुविधाजनक औजार रही है। कुछ दशकों से चले आ रहे भाषाई आंदोलन और हिंदी-विरोधी राजनीति ने देश की एकता को अक्सर चुनौती दी है। क्षेत्रवाद की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदी को एक क्षेत्र विशेष की भाषा बताकर उसका महत्व कम करने का प्रयास किया। लेकिन यह तर्क न तो व्यावहारिक था और न ही ऐतिहासिक। हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय की भाषा है, जनमानस की अभिव्यक्ति है, भारत की आत्मा की धड़कन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना इस सत्य को पुनः उद्घाटित करता है कि भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएँ केवल कानून और प्रशासन की रक्षा ही नहीं करतीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीय अस्मिता को भी नई दिशा देती हैं। यह कदम यह संदेश देता है कि नई पीढ़ी की संस्थाएँ अब संकोच नहीं, आत्मविश्वास के साथ भारत की भाषा में अपने कर्तव्यों की शुरूआत कर रही हैं।

हिंदी को लेकर जो विरोधाभास पैदा किया जाता रहा है, वह वास्तव में एक कृत्रिम एवं आग्रह-दुराग्रहपूर्ण द्वंद्व है। आज के वैश्विक दौर में भाषा का महत्व उसकी लोकस्वीकृति और उपयोगिता से तय होता है। हिंदी वैश्विक भाषाओं की सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रही है। करीब 113 करोड़ के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है. 111 करोड़ के साथ चीनी दुसरे स्थान पर है,इसके बाद हिन्दी का स्थान आता है। करीब 61.5 करोड़ विश्व में, हिन्दी को बोलने वाल लोगों की संख्या के आधार पर तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी का प्रभाव विश्व में बढ़ रहा है और यह सोशल मीडिया व संचार माध्यमों में भी लगातार उपयोग हो रही है। दुनिया भर के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। भारत सरकार की पहल के बाद से, संयुक्त राष्ट्र ने भी साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन शुरू किया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मोरिशस, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों और यूरोप में हिंदी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य, भाषाविज्ञान और अनुवाद अध्ययन का विस्तार हुआ है। हिंदी फिल्में, वेब प्लेटफॉर्म और मीडिया विश्व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह वह समय है जब हिंदी वैश्विक मंच पर उभर रही है, लेकिन अपने ही देश में उसे राजनीति और संकीर्णताओं का शिकार होना पड़ रहा है। यही वह असंगति है जिसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत की शपथ ने बड़े सौम्य किंतु तीव्र संदेश के साथ उजागर किया है कि जब दुनिया हिंदी को सम्मान दे रही है तो भारत में उसकी उपेक्षा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय प्रतीक केवल वस्तुएँ नहीं होते, वे राष्ट्र की चेतना के वाहक होते हैं। राष्ट्रध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रगान केवल धुन नहीं, बल्कि भारत की समष्टिगत भावना का सूत्र है। उसी प्रकार राष्ट्र की भाषा-चाहे उसे हम राजभाषा कहें या राष्ट्रभाषा भारतीय पहचान और राष्ट्रीय एकता का अदृश्य धागा है। नए भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम इन प्रतीकों का सम्मान केवल संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि हृदय में करें। हिंदी को लेकर जो संकोच, झिझक और कृत्रिम विरोध दशकों से बना हुआ था, वह राष्ट्रीय आत्मविश्वास के लिए बाधक था। हिंदी में शपथ लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मानसिक दरार को पाटने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का साहसिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर ब्रिक्स, जी-20 और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हिंदी में संबोधन देकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी भाषा को लेकर हिचकता नहीं, बल्कि गर्व करता है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर ऐतिहासिक परंपरा की शुरूआत की थी। उनकी वाणी में हिंदी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की ध्वनि थी। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को राष्ट्रीयता, आधुनिकता, आत्मविश्वास और वैश्विक उपस्थिति के साथ आगे बढ़ाया है। उन्हें यह समझ थी कि भाषा राष्ट्रीय चेतना की नींव होती है, और जिस राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की आकांक्षा है, उसे अपनी भाषा पर गर्व करना ही होगा। जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपनी भाषा को वैश्विक मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाता है और जब राष्ट्र का प्रधान न्यायाधीश उसी भाषा में शपथ लेता है, तब यह संकेत मिलता है कि नए भारत की भाषा नीति संकोच नहीं, बल्कि स्वाभाविक भारतीयता की पुनर्स्थापना है।

हिंदी केवल भावनात्मक आग्रह नहीं है। यह शासन, न्याय, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और तकनीक की भाषा बनती जा रही है। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकी क्रांति में हिंदी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आज इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में हिंदी शीर्ष पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन अनुवाद और डिजिटल पत्रकारिता में हिंदी का उपयोग बढ़ाना भारत की ज्ञान-आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी भाषाई आत्मनिर्भरता पर भी निर्भर करती है। जितनी अपनी भाषा मजबूत होगी, उतना ही विचार-निर्माण, नवाचार और जनसक्रियता मजबूत होगी। इस दृष्टि से हिंदी के प्रति उपेक्षा केवल सांस्कृतिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास को बाधित करने वाला संकीर्ण एवं राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण भी है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की हिंदी में शपथ वास्तव में एक वैचारिक उद्घोष है। यह घोषणा है कि भाषा को लेकर चलने वाला हमारा पुराना आत्मद्वंद्व समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान किसी क्षेत्र या समुदाय पर थोपा हुआ बोझ नहीं, बल्कि वह प्राकृतिक बंधन है जो विविधता को सामूहिकता में बदलता है। यह वह बंधन है जो भारत को भारत बनाता है। यह वह अदृश्य

शक्ति है जो उत्तर से दक्षिण, प म से पूर्व और ग्रामीण से महानगरीय भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोती है, व्यापार एवं विकास को गति देता है। हिंदी किसी पर थोपी जाने वाली भाषा नहीं, वह तो स्वयंस्फूर्त रूप से जनमानस की भाषा बन चुकी है। उसका विरोध अब एक राजनीतिक नाटक भर रह गया है जिसका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं। नए भारत ने अपने संकोचों को त्यागना शुरू कर दिया है। अपनी परंपराओं, अपने प्रतीकों और अपनी भाषा पर गर्व करना नया मानसिक स्वरूप बनता जा रहा है। न्यायपालिका से लेकर कार्यपालिका तक और वैश्विक मंचों से लेकर डिजिटल मंचों तक-हिंदी का सम्मान बढ़ रहा है। यह सम्मान न किसी के आदेश से आया है, न किसी दवाब से; यह सम्मान राष्ट्र की आत्मा से उठा है।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की हिंदी में शपथ नए भारत की सांस्कृतिक स्वाधीनता का प्रतीक बन गई है। यह उस स्वाभिमान का उद्घोष है कि भारत अब अपनी भाषा से संकोच नहीं करेगा। यह वह क्षण है जिसने भाषा के प्रश्न को संवैधानिक गरिमा और राष्ट्रीय चेतना के सर्वोच्च स्तर पर स्थापित कर दिया है। इस कदम ने यह सिद्ध कर दिया है कि हिंदी केवल भाषा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मा का प्रकाश है, एक ऐसा प्रकाश जो आत्मविश्वास, सांस्कृतिक प्रतिष्ठा और राष्ट्रीय एकता की नई राहें रोशन कर रहा है। यही वह दिशा है जिसमें नया भारत आगे बढ़ रहा है-अपनी भाषा में, अपने स्वभाव में और अपनी अस्मिता में आत्मविश्वास से भरपूर।

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । गुरुवार, 27 नवंबर 2025

क्रिकेट में हर हार आपको मजबूत बनाती है, अगर आप अपने भीतर झांकने की हिम्मत रखते हैं – *कपिल देव*

ऐतिहासिक हार

हार 30 रनों से मिले या फिर 408 से, चुभती ही है, लेकिन गुवाहाटी टेस्ट जैसी हार क्रिकेट फैंस के लिए त्रासदी जैसी होती है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट गंवाने वाली टीम इंडिया ने क्लीन स्वीप खाने के साथ-साथ ऐसे रेकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जो पीछे कई सवाल छोड़ जाते हैं। मैदान पर हार से पहले ही हारी हुई लग रही टीम इंडिया को फिर से उठाना है, तो रवायती जवाबों से काम नहीं चलेगा।

जीत की याद । कोच गौतम गंभीर इस समय क्रिकेट फैंस के निशाने पर हैं। उनके निर्णयों की आलोचना की जा रही है। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सबकी है और शुरुआत मुझसे होती है। लेकिन, यह याद दिलाना भी नहीं भूले कि उन्हीं की कोचिंग में टीम ने इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई थी और चैंपियंस ट्रॉफी जीती।

निशाने पर कोच

हार की जिम्मेदारी । कई पूर्व खिलाड़ी भी गंभीर के पक्ष में हैं, कि खेलना तो खिलाड़ी को होता है, कोच को नहीं। बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब कोच किसी जीत में हिस्सेदार होता है, तो हार की जिम्मेदारी से वह बच नहीं सकता। गंभीर के फैसले पर अंगुली उठाने वाले भी कई पूर्व खिलाड़ी ही हैं, जिन्हें टीम इंडिया का सिलेक्शन प्रॉसेस समझ नहीं आ रहा।

बहुत ज्यादा प्रयोग । हर कोच का अपना विजन होता है। राहुल द्रविड़ के जाने के बाद गौतम गंभीर ने जिस तरह टीम में नए कॉम्बिनेशन बनाए, वह उनका तरीका है। लेकिन, फिर भी कुछ फैसले सवालों से नहीं बचते। सरफराज जैसे खिलाड़ियों की अनदेखी क्या घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन की अनदेखी नहीं है? टेस्ट क्रिकेट को स्पेशलिस्ट और स्थायित्व चाहिए। क्या टीम इंडिया बहुत ज्यादा प्रयोग की शिकार हो गई?

बड़ी समस्या । गंभीर के कोच बनने के बाद भारत 18 में से 10 टेस्ट हार चुका है। 5 टेस्ट तो उसने अपनी जमीन पर गंवाए हैं। चैंपियनशिप के लगातार दो फाइनल में पहुंचने वाली टीम की ऐसी हार बड़ी समस्या की ओर इशारा करती है। गंभीर ने पिछले प्रदर्शनों का हवाला दिया, पर उसी दौरान भारत को श्रीलंका से 27 साल बाद वनडे सीरीज हारनी पड़ी थी। ऑस्ट्रेलिया में भारत उस टीम से वनडे श्रृंखला गंवा बैठा, जिसके कई मुख्य खिलाड़ी रेस्ट पर थे।

आत्मनिरीक्षण का समय । जीत हो या हार, उससे जुड़ी हकीकत को देखना जरूरी है। इस हार पर बहस केवल परिणाम नहीं, उस वजह से हो रही है, जैसे यह गले पड़ी है। गंभीर और BCCI, दोनों को सोचना है कि बदलाव के नाम पर बदलाव, सीनियर खिलाड़ियों की अनदेखी, टीम में लगातार उठा-पटक और घरेलू क्रिकेट में प्रदर्शन को तवज्जो न देना कितना सही है।

गुस्ताखी माफ़

अब काम में जुट जाएं

पूर्व दिशा की ओर आसमान में लालिमा उभर रही थी। उषा काल के प्रकाश से रात्रि के अंधकार का बंधन कट गया था और पक्षी भी प्रसन्नता से कलरव कर रहे थे। अचानक एक मधुर गीत सुनाई दिया, गाड़ीवाला आया घर से कचरा निकाल। मेरी नींद खुल गई। मैंने इसके रचयिता को हृदय से धन्यवाद दिया। इसकी धुन शास्त्रीय है या पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है, इस पर चिंतन बैठक का प्रस्ताव अपनी हस्तिनापुर टोली के वट्सऐप ग्रुप में रखा जाना चाहिए। ऐसा विचार करते हुए मैं सुबह की सैर के लिए निकल गया।

अखिलेश प्रताप सिंह

बाहर भी कोलाहल था। कुछ लोग माला-फूल और पताकाएं लिए हुए थे। वहीं अपना बल्लू बाश्शा दिख गया। गुड मॉर्निंग की जगह उसने प्रणाम कहा, तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने चहककर कहा, 'अंकल वहां संविधान के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को पढ़ने-लिखने और काम करने के एक जैसे अवसर मिलने चाहिए।' 'यह तो अच्छी बात है बल्लू, संविधान में ऐसा ही लिखा है। सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। सबकी अच्छी सेहत की व्यवस्था होनी चाहिए।' मैंने भी बल्लू की बात आगे बढ़ाई। उसने और प्रसन्नता से कहा, 'हां, वहां बता रहे थे कि हवा-पानी साफ रहे, इसके लिए जंगलों और जंगली जीवों की सुरक्षा की जानी चाहिए।'

'हां, बल्लू, शराब और ड्रग्स जैसी चीजों पर रोक लगानी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कुछ ही लोगों के पास बहुत अधिक धन-दौलत जमा न हो जाए। कल-कारखानों के मैनेजमेंट में कामगार भी शामिल हों। अंधविश्वास के बजाय वैज्ञानिक सोच बढ़े, ऐसे काम होने चाहिए। बहुत अच्छी बातें हैं अपने संविधान में।' मैंने अपना टुकड़ा जोड़ा।

मैं कुछ और कहता, इससे पहले बल्लू ने हंसते हुए कहा, 'अंकल, चाहिए-चाहिए काफी हो गया। वहां माला-फूल चढ़ाकर लोग अपने काम पर गए। अब आप भी जुट जाइए।' मैं सोचने लगा, बल्लू ने आज कोई गुस्ताखी की या नहीं?

एकदा

संकलन : **रिंकल शर्मा**

जादू-टोना नहीं, जीवाणु

फ्रांस के महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर (1822-1895) शोध के सिलसिले में एक गांव में पहुंचे। वहां एक किसान अपने बीमार पशु को लेकर आया। गांव वाले समझ रहे थे कि किसी जादू-टोने का असर है। पाश्चर ने देखते ही समझ लिया और गांव वालों से कहा, 'यह कोई जादू-टोना नहीं। एक जीवाणु इसे कमजोर कर रहा है।' गांव के लोग और किसान हैरान रह गए। पाश्चर ने कई घंटे मेहनत करके दवा और साफ-सफाई का तरीका बताया। किसान ने वैसा ही किया और कुछ ही दिनों में पशु ठीक हो गया। कृतज्ञ होकर किसान बोला, 'सर, आपने मेरे परिवार की आजीविका बचा ली। आपके इस उपकार को कैसे चुका सकता हूं?' पाश्चर मुस्कराए और बोले, 'मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि विज्ञान ने किसी का दुख कम किया। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है।' इस छोटे-से प्रसंग ने उस पूरे गांव की सोच बदल दी। उन्होंने ही Pasteurization की तकनीक दी, जिससे दूध और अन्य खाद्य पदार्थों को गर्म करके हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया विकसित हुई। आज भी यह तकनीक दुनिया भर में इस्तेमाल होती है। रेबीज का पहला टीका उन्होंने ही तैयार किया था। उन्हें माइक्रोबायॉलजी का जनक कहा जाता है।

Subrata Dhar

तालिबान से बेहतर होते रिश्तों ने मध्य एशिया के समीकरण को बदल दिया है

भारत ने क्यों छोड़ा विदेशी एयरबेस

ताजिकिस्तान के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते की मियाद खत्म होने पर भारत ने खामोशी से वहां के आयनी एयरबेस से अपनी मौजूदगी हटा ली। यह देश के बाहर भारत की इकलौती सैन्य मौजूदगी थी। ताजिकिस्तान का आयनी एयरबेस, जिसे गिसार मिलिट्री एयरोड्रोम भी कहा जाता है, कभी सोवियत संघ का सैन्य ठिकाना हुआ करता था। 1991 के बाद रूस के लिए उसका खर्च उठाना मुश्किल होता गया। तब रूस के मित्र भारत को आयनी एयरबेस विकसित करने की इजाजत मिल गई।

हर्ष वी. पंत

POK बॉर्डर से करीब । भारत ने POK और चीन के शिनच्यांग प्रांत से लगते वखान कॉरिडोर से महज 20 कि.मीं. दूर स्थित इस एयरबेस को विकसित करने का काम नब्बे के दशक के आखिर में शुरू किया। भारतीय वायुसेना और बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) ने 7 करोड़ डॉलर के निवेश से एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और फ्यूल डिपो के साथ-साथ 3,200 मीटर के रनवे को भी स्तरीय बनाया।

इतिहास की करवटें

- यह एयरबेस सोवियत संघ का सैन्य ठिकाना था
- रूस नहीं संभाल पाया तो भारत को मिला जिम्मा
- ढाई दशक बाद भारत भी समझौते से निकल आया

लड़ाकू विमानों की तैनाती । एक समय भारत ने यहां Su-30 MKI फाइटर जेट और हेलिकॉप्टर भी तैनात कर रखे थे। यही नहीं, भारत ने ताजिकिस्तान के फारखोर में एक सैन्य अस्पताल भी बनवाया। मकसद तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले ग्रुपों के गठबंधन नॉर्दर्न अलायंस के सदस्यों का इलाज करना ही नहीं, मध्य एशिया के इस गरीब इलाके में सॉफ्ट पावर प्रदर्शित करना भी था। 2021 में काबुल पर तालिबान की सत्ता फिर से स्थापित होने के बाद वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भी इस एयरबेस का इस्तेमाल किया गया था।

तालिबान से बढ़ती करीबी । इस सामरिक एयरबेस को छोड़ने के फैसले के पीछे ताजिकिस्तान पर बढ़ते चीनी और रूसी प्रभाव की भूमिका मानी जा रही है। वैसे, यह बात भी है कि आयनी एयरबेस की बड़ी भूमिका तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस को मजबूती देने में थी। इससे अलग होने का फैसला तालिबान से भारत की बढ़ती करीबी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, मध्य एशिया में भारत के बढ़ते प्रभाव से रूस को दिक्कत नहीं है। उसने न केवल इस क्षेत्र में भारत की अहम भूमिका को तवज्जो दी है बल्कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (SCO) की सदस्यता के सवाल पर भी उसका समर्थन किया है।

AI Image

चीन की बढ़ती पैठ । दूसरी तरफ पेइचिंग बेल्ट एंड रोड इनीशटिव (BRI) के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में जबर्दस्त निवेश करके मध्य एशिया में अपनी आर्थिक पैठ मजबूत करता जा रहा है। चीन ने ताजिकिस्तान के मुर्गोब डिस्ट्रिक्ट में सैन्य अड्डा स्थापित कर इस इलाके में अपना सैन्य प्रभाव बढ़ाने के लिए SCO का भी इस्तेमाल किया है। यही नहीं, वह मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय स्तर पर नियमित युद्धाभ्यास करता और इन देशों को सैन्य तकनीक मुहैया कराने के साथ-साथ इनकी सेनाओं को प्रशिक्षित भी करता है।

क्रिटिकल मिनरल्स पर निगाहें । हाल के वर्षों में मध्य एशिया में वैश्विक ताकतों की दिलचस्पी इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी का एक वैकल्पिक स्रोत तलाशकर वे चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती हैं। दूसरी ओर, यूक्रेन पर रूसी हमले और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के मद्देनजर मध्य एशियाई देशों में भी क्षेत्रीय स्थिरता, संप्रभुता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, तुर्किये, चीन और खाड़ी देशों के साथ संपर्क बढ़ाने की प्रवृत्ति तेज होती दिख रही है।

अमेरिकी नीति का विरोधाभास । मध्य एशिया को लेकर अमेरिका ने अहस्तक्षेप की अपनी नीति में बदलाव जरूर किया है, अब उससे संपर्क बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उसके रुख में रणनीतिक स्पष्टता का अभाव है। इसी वजह से अन्य समान सोच वाले देश क्षेत्रीय पहल नहीं करते। मिसाल के तौर पर ईरान के चाबहार पोर्ट को विकसित करने के भारत सरकार के प्रॉजेक्ट को अटका दिया गया, जबकि इससे मध्य एशियाई देशों की भारत से कनेक्टिविटी बढ़ने वाली थी। हालांकि बाद में अमेरिका ने इस प्रॉजेक्ट को छह महीनों के लिए तमाम प्रतिबंधों से मुक्त घोषित कर दिया, लेकिन तब तक निवेशकों का विश्वास हिल चुका था।

बढ़ानी होगी कनेक्टिविटी । बहरहाल, आयनी एयरबेस को छोड़ने का फैसला इस क्षेत्र में भारत की पहुंच पर कुछ प्रतिकूल असर भले डाले, इसने सांस्कृतिक और सभ्यतागत कूटनीति पर इसकी पारंपरिक निर्भरता को और मजबूत किया है। जैसे-जैसे मध्य एशिया में भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तेज होगी, भारत को एक भरोसेमंद क्षेत्रीय साझेदार के रूप में अपनी भूमिका बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी पर जोर देने वाली एक विश्वसनीय रणनीति तैयार करनी होगी।

(लेखक इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में प्रफेसर हैं)

असंभव संवाद

हारकर भी प्रमोशन! कैसे करते हैं जनाब?

इस बार बुलावा अतीत से आया था, क्योंकि दुबई के हॉस्पिटल में एडमिट परवेज मुशर्रफ को रावलपिंडी जाने की इजाजत न उनकी सेहत दे रही थी और न पाकिस्तानी सरकार। असीम मुनीर को ही वक्त में पीछे जाना पड़ा।

AI Image

धोनी को कभी बाल न कटवाने की नसीहत देने वाले मुशर्रफ के खुद के बाल चिंता ने गायब कर दिए थे। मुनीर को देख उन्हें तसल्ली हुई, 'क्या नूर है चेहरे पर, गजब!' 'सब उसकी देन है।' 'ऊपरवाले की?' 'नहीं जनाब, संसद की। दो-दो प्रमोशन दिए हैं मुझे।' 'प्रमोशन तो मुझे भी मिला था जीत के बाद।' 'आप भी कारगिल में जीते थे?' 'जैसे तुम जीते हो, वैसे ही हम भी जीते थे।' 'आप सरकार चुनने के चक्कर में पड़ गए जनाब और मैंने सरकार से खुद को चुनवा लिया। आपका शुक्रिया, आपको देखकर ही अक्ल आई...। अच्छा मैं चलूं, आज संसद से फिर कुछ मिलने वाला है।'

जनता जंक्शन — इरफ़ान

कोई झगड़ा ही न रहे, अगर सब बच्चे हो जाएं

जैन मुनिश्री तरुणसागरजी

मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें लिखा था - घर आए अतिथि को भोजन के लिए पूछा करो। भोजन के लिए नहीं पूछ सकते तो पानी के लिए पूछा करो। पानी के लिए भी नहीं पूछ सकते तो आसन दिया करो। आसन भी नहीं दे सकते तो दो मीठे बोल बोला करो। मीठे बोल भी नहीं बोल सकते तो कम से कम मुस्कराहट तो दिया करो और मुस्कराहट भी नहीं दे सकते तो फिर 'चुल्लू-भर पानी में डूब मरो'।

मां-बाप होने के नाते अपने बच्चे को खूब पढ़ाना-लिखाना और पढ़ा-लिखाकर खूब लायक बनाना। मगर इतना लायक भी मत बना देना कि वह कल तुम्हें ही 'नालायक' समझने लगे। अगर तुमने आज यह भूल की तो कल बुढ़ापे में तुम्हें बहुत रोना-पछताना पड़ेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग यह भूल कर चुके हैं और वे आज रो रहे हैं। अब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

बच्चों के झगड़ों में बड़ों को और सास-बहू के झगड़ों में बाप-बेटे को कभी नहीं पड़ना चाहिए। संभव है कि दिन में सास-बहू में कुछ कहा-सुनी हो जाए तो वे इसकी शिकायत रात घर लौटे अपने पति से करेंगी। पतियों को उनकी शिकायत गौर से सुननी चाहिए, सहानुभूति भी दिखानी चाहिए। मगर सुबह जब सोकर उठें तो 'आगे पाठ-पीछे सपाट' की नीति ही अपनानी चाहिए, तभी घर की एकता कायम रह सकती है।

प्रश्न पूछा है - स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो। बस इतना ही करो कि दिमाग को 'ठंडा' रखो, जेब को 'गरम' रखो, आंखों में 'शरम' रखो, जुबान को 'नरम' रखो और दिल में 'रहम' रखो। अगर तुम ऐसा कर सके तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत नहीं, स्वर्ग खुद तुम तक चलकर आएगा। विडंबना यही है कि हम स्वर्ग चाहते हैं, पर 'स्वर्गीय' होना नहीं चाहते।

कड़वे प्रवचन

भले ही लड़ लेना-झगड़ लेना, पिट जाना-पीट देना, मगर बोलचाल बंद मत करना, क्योंकि बोलचाल के बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। गुस्सा बुरा नहीं है। गुस्से के बाद आदमी जो बैर पाल लेता है, वह बुरा है। गुस्सा तो बच्चे भी करते हैं, मगर बच्चे बैर नहीं पालते। वे इधर लड़ते-झगड़ते हैं और उधर अगले ही क्षण फिर एक हो जाते हैं। कितना अच्छा रहे कि हर कोई बच्चा ही रहे।

दुनिया में रहते हुए दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। न भूलने वाली चीज- एक तो परमात्मा तथा दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली दो बातों में से एक है- तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ और दूसरी बात- किसी ने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा भी कर दिया तो उसे तुरंत भूल जाओ। बस, दुनिया में ये दो ही बातें याद रखने और भूल जाने जैसी हैं।

(साभार डायमंड बुक्स)

कैसा है शेख़ हसीना का 'स्वतंत्र' जीवन

साड्डी दिल्ली

ढाका से दूर नई दिल्ली के अपने सुरक्षित घर में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का वक्त टीवी देखने और बांग्ला साहित्य पढ़ने में गुजरता है। वह सुबह-शाम अपने घर के बगीचे में टहलती हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश की एक अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना की ही हमवतन और प्रख्यात लेखिका तसलीमा नसरीन तो बीते कई सालों से दिल्ली में रहती हैं। वह पहले एक फॉर्म हाउस में रहा करती थीं, आजकल लुटियंस दिल्ली के एक पॉश एरिया के फ्लैट में रहती हैं। दोनों के घरों की जानकारी गुप्त रखी गई है।

विवेक शुक्ला

तसलीमा नसरीन कभी-कभी इंडिया इंटरनैशनल सेंटर (IIC) के डाइनिंग हॉल में भी दोस्तों के साथ गपशप करती दिखाई दे जाती हैं। उनका प्रेस क्लब में भी आना-जाना लगा रहता है। वह यहां आती हैं और क्लब के मेंबर्स से मिलती-जुलती भी हैं। लेकिन शेख हसीना यहां आने के बाद एक बार भी किसी सार्वजनिक स्थान पर दिखाई नहीं दीं। वह जब यहां आती हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर गृहमंत्री अमित शाह खुद नजर रखते हैं। शेख हसीना ने बीते दिनों भारतीय मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कहा था कि दिल्ली में वे 'स्वतंत्र रूप से' जी रही हैं। लेकिन यह स्वतंत्रता एक छाया में है। वह भारतीय खुफिया एजेंसियों की निगरानी और कड़े सुरक्षा घेरे में रहती हैं।

शेख हसीना को दूसरी बार भारत में राजनीतिक शरण मिली है। उनके पिता शेख मुजीबुर्रहमान और परिवार के शेष सदस्यों की 15 अगस्त 1975 को ढाका में हत्या कर दी गई थी। उस वक्त शेख हसीना अपने पति और बच्चों के साथ जर्मनी में थीं। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत में राजनीतिक शरण दी। वह यहां पहले M-56 लाजपत नगर-पार्ट 3 और फिर पंडारा पार्क में रहीं। उस दौर में, दिल्ली में उनकी प्रणव मुखर्जी और उनकी पत्नी शुभ्रा मुखर्जी से घनिष्ठता थी। शुभ्रा मुखर्जी का 18 अगस्त 2015 को निधन हुआ तो शेख हसीना अपनी बेटी पुतुल के साथ श्रद्धांजलि देने भारत आई थीं। पुतुल और मुखर्जी दंपती की पुत्री शर्मिष्ठा इंडिया गेट के लॉन में साथ-साथ बहुत खेली हैं।

तसलीमा नसरीन का निर्वासन 1994 से चला आ रहा है, जब उनकी किताबों ने कठमुल्लों को चुनौती दी थी। वो 2010 से लगातार दिल्ली में हैं। तब से उनका रेसिडेंसी परमिट बार-बार बढ़ाया गया है। जब सितंबर 2024 में परमिट को लेकर अनिश्चितता बढ़ी, तो उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखा, 'भारत मेरा दूसरा घर है, मुझे यहां रहने की अनुमति दी जाए।' उनका अक्टूबर 2024 में परमिट बढ़ा दिया गया। तसलीमा के एक करीबी मित्र ने बताया कि उनका दिन सुबह योग और ध्यान से शुरू होता है। वह दोपहर में लिखती-पढ़ती हैं। फिलहाल तो दोनों के स्वदेश वापस जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती।

नए भारत की ज़रूरत थे श्रम सुधार

कॉमन रूम

भारत ने इस 21 नवंबर को वह निर्णायक छलांग लगा ली, जिसका इंतजार सात दशकों से था। चार नई श्रम संहिताओं के लागू होने के साथ ही मोदी सरकार ने 1930-1950 के बीच बने औपनिवेशिक दौर के 29 बिखरे, उलझे और पुराने कानूनों की जटिलता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। वे कानून एक अलग भारत के लिए बने थे, जब देश की अर्थव्यवस्था सीमित थी और श्रम संरचना भिन्न। आज के भारत को आधुनिक, एकीकृत, सरल और सम्मानजनक श्रम ढांचे की आवश्यकता थी।

कपिल मिश्रा

एकरूप ढांचा । यह परिवर्तन मजदूरी संहिता, 2019 के तहत किया गया ऐतिहासिक सुधार है। इसने पूरे देश के लिए स्पष्ट और एकरूप वेतन ढांचा बनाया है। हर सेक्टर में न्यूनतम मजदूरी लागू की गई है और ओवरटाइम का भुगतान वेतन से दोगुनी दर पर करना अनिवार्य। यहां तक कि ट्रांसजेंडर श्रमिकों को भी कानूनी सुरक्षा दी गई है। इस तरह की न्यायपूर्ण, पारदर्शी व्यवस्था की भारतीय श्रमिकों को दशकों से जरूरत थी।

न्याय में तेजी । इन सुधारों की गहराई शीर्षकों से कहीं अधिक है। औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 ने शिकायत निवारण को वास्तविक बना दिया है। अब समितियों में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी होगी। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को औपचारिक मान्यता मिलने से सामाजिक सुरक्षा और ग्रेच्युटी के लाभ निश्चित हुए हैं। वर्क फ्रॉम होम को पहली बार कानूनी स्थान मिला है। इससे राहत मिलेगी। प्रक्रियाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण से विवाद कम होंगे और न्याय तेज होगा।

AI Image

सबका विकास । सबसे परिवर्तनकारी बदलाव सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में दिखाई देता है। भारत उन गिने-चुने देशों में शामिल हो गया है, जिसने गिग और प्लैटफॉर्म वर्कर्स (डिलिवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, ऐप-आधारित फ्रीलांसर) को औपचारिक सुरक्षा जाल में शामिल किया है। जब रात के 12 बजे खाना पहुंचाने वाला गिग वर्कर कानूनी मान्यता और सुरक्षा पाता है, तो यह संदेश जाता है कि भारत का विकास मॉडल केवल चुनिंदा वर्गों के लिए नहीं, सबके लिए है।

सुधारों का असर । जिन राज्यों ने पहले सुधार किए, वहां इसके लाभ जमीन पर दिखने लगे हैं। गुजरात ने 2022-23 से 2023-24 के बीच 13.36% की GSDP वृद्धि दर्ज की। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का योगदान राष्ट्रीय औसत से अधिक है। आंध्र प्रदेश में सुधारों के बाद संगठित विनिर्माण में 5.7 लाख नए रोजगार जुड़े। उत्तर प्रदेश ने पिछले पांच बरसों में 7.4 लाख नए संगठित विनिर्माण कर्मियों को जोड़ा। राजस्थान में नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति के बाद महिला श्रमिकों में 13% की वृद्धि हुई। हरियाणा में बेरोजगारी 9.3% से घटकर 3.4% हो गई।

सुरक्षा का ख्याल । पुराने श्रम कानूनों में सुरक्षा और गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया था, जबकि नई संहिता में ये सबसे पहले हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता, 2020 के तहत हर वह प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं, आधुनिक सुरक्षा मानकों का पालन करेगा। अनिवार्य स्वास्थ्य जांच और नियुक्ति पत्र अब सभी पर लागू होंगे।

सोच में बदलाव । राजनीतिक दृष्टि से यह सुधार स्पष्ट रूप से मोदी सरकार की निर्णायक, साहसी और श्रमिक-केंद्रित शासन शैली का परिचायक है। पिछली सरकारें श्रम सुधारों का वादा तो करती रहीं, लेकिन दबाव, जड़ता और जटिलताओं के कारण कुछ बदल नहीं पाया। नए श्रम ढांचे ने भारत को वैश्विक मानकों के अनुरूप खड़ा किया है और श्रमिक को व्यवस्था के केंद्र में रखा है। ये चार श्रम संहिताएं केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, भारत की राष्ट्रीय सोच में परिवर्तन का प्रतीक हैं। ये नए भारत की ओर सभ्यतागत कदम है, जहां हर श्रमिक ऊंचा खड़ा होता है, हर उद्योग तेजी से बढ़ता है और हर आकांक्षा को न्यायपूर्ण अवसर मिलता है।

(लेखक दिल्ली सरकार में पर्यटन मंत्री हैं)

रीडर्स मेल

रिश्तों में सुधार

25 नवंबर का संपादकीय 'दोनों का फायदा' में ठीक ही कहा गया है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार अच्छी बात है। कनाडा के पिछले व्यवहार को देखते हुए उसमें सतर्कता भी जरूरी है। CEPA समझौते पर बातचीत फिर शुरू होना सकारात्मक संकेत है।

अमृतलाल मारू, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

आर.एन.आई. नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय: दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य: सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

जागरूक संपादकीय

जागरूक टाइम्स। मुंबई | गुरुवार, 27 नवंबर 2025

श्रीरामचरितमानस

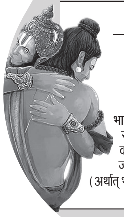

आखर मधुर मनोहर दोऊ।
बरन बिलोचन जन जिय जोऊ॥
ससुमिरत सुलभ सुखद सब काहू।
लोक लाहु परलोक निबाहू॥

भावार्थ : दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं, भक्तों के जीवन हैं तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं (अर्थात् भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह से सदा भगवत्सेवा में नियुक्त रखते हैं॥

धर्मेंद्र का स्टैच्यू

पंजाब के मोगा जिले के गांव मानुके के रहने वाले मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल अभिनेता धर्मेंद्र का स्टैच्यू (प्रतिमा) तैयार करने में जुटे हैं। मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल दिग्गज अभिनेता को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि देंगे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया। मुंबई के विले पार्ले स्थित पवन हंस श्मशान भूमि में अभिनेता का अंतिम संस्कार किया गया। उनके निधन के बाद इंडस्ट्री में मातम पसरा है। धर्मेंद्र का

जन्म पंजाब में हुआ था। उनके पिता केवल कृष्ण देओल शिक्षक थे। आखिरी बार 14 दिसंबर 2015 को धर्मेंद्र लुधियाना आए थे। पंजाब के मोगा जिले के गांव मानुके के रहने वाले मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल अभिनेता धर्मेंद्र का स्टैच्यू (प्रतिमा) तैयार करने में जुटे हैं। मूर्तिकार इकबाल सिंह गिल दिग्गज अभिनेता को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि देंगे। मूर्तिकार इकबाल सिंह बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को अपनी कला के जरिये श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्टैच्यू तैयार कर रहे हैं। धर्मेंद्र का स्टैच्यू लगभग एक सप्ताह में तैयार हो जाएगा, जिसके बाद इस स्टैच्यू को इकबाल अपनी आर्ट गैलरी में स्थापित करेंगे। इकबाल सिंह गिल ने बताया कि इस स्टैच्यू बनाने में लगभग एक लाख रुपए का खर्च आएगा। जो वह खुद ही वहन करेंगे। स्टैच्यू की लंबाई और चौड़ाई धर्मेंद्र जी के कद काठी के हिसाब से ही बनाई जाएगी। इकबाल सिंह को बचपन से ही मूर्ति बनाने का शौक था और मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली मूर्ति गौतम बुद्ध की बनाई थी। खेती-बाड़ी के साथ-साथ उन्होंने मूर्ति कला को अपना जुनून और पेशा दोनों बनाया। इकबाल ने बताया कि धर्मेंद्र पंजाब की मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, जिनको हम कभी नहीं भूल पाएंगे। आज इस संसार में वो नहीं हैं, लेकिन हर पंजाबियों के दिल में रहेंगे। बॉलीवुड के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र का स्टैच्यू बनाने का उद्देश्य उन्हें श्रद्धांजलि देना है। धर्मेंद्र का स्टैच्यू तैयार कर उन्हें अपनी कला से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उन्होंने बताया कि उनकी बनाई मूर्तियां देश के अलग-अलग राज्यों के साथ-साथ विदेशों में भी भेजी जाती हैं। अब तक वे बाबा लाडी शाह, सिद्धू मूसेवाला, संदीप नंगल अंबियां, कई फौजी शहीदों और कई प्रसिद्ध हस्तियों के स्टैच्यू बना चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, एथलीट मिल्खा सिंह और अन्य प्रमुख व्यक्तियों की भी मूर्तियां तैयार की हैं। इकबाल सिंह ने कहा कि जो लोग देश का मान बढ़ाते हैं, हम उन महान व्यक्तित्वों को अपनी कला के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके हाथों से अब तक सैकड़ों मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं, जो देश-विदेश की संस्थाओं व श्रद्धालुओं द्वारा बड़े सम्मान से स्थापित की गई हैं। बॉलीवुड लेजेंड धर्मेंद्र का स्टैच्यू उनकी कला को नई पहचान देगा और कला प्रेमियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा।

वोटों की खातिर मत निकालो

बोतल से 'बाबरी का जिन्न'...!!

वीना गौतम

"पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 25 नवंबर 2025 के देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगे देखे गए और इनकी तस्वीरों के सोशल मीडिया में आते ही देश के कई इलाकों में सांप्रदायिक तनाव का माहौल बनने लगा है। इन पोस्टर्स पर लिखा है– 6 दिसंबर 2025 को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा और इस शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजनकर्ता तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को बताया गया है। गौरतलब है कि यह सनसनी पिछले एक पखवाड़े से उत्तर भारत में बनी हुई है। जिस पर भाजपा नेता विनय कटियार ने एक टीवी रिपोर्टर से बात करते हुए कहा है कि कहीं भी बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी, तो हम उसे उखाड़ फेकेंगे।"

जाहिर है एक तरफ बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने की जिद्द और दूसरी तरफ ऐसी किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसी धमकियों के बाद देश का हिंदू-मुस्लिम भावनाओं में बहना स्वाभाविक है। इस भावनात्मक उन्माद का असर नेताओं पर कुछ नहीं होगा, लेकिन आम लोगों को इसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी और कहा जा रहा है, इसी दिन नया शिलान्यास होगा। इससे एक बार फिर अगर 1992 जैसी सांप्रदायिक स्थितियां पैदा हो जाए, तो भला उसे कौन रोक सकता है, क्योंकि इन स्थितियों को पैदा होने के लिए और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए टीएमसी हर हाल में इस आग में घी डालने की कोशिश कर रही है।

लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुसलमानों को होगा। पहले से ही उनकी आर्थिक स्थिति, इन्हीं नेताओं के कारण देश में बिगड़े सांप्रदायिक माहौल के कारण, उन्हें तमाम आर्थिक गतिविधियों में हाशिये पर रखा जा रहा है। हाल के दिनों में कई जगहों पर मुस्लिम युवकों ने शिकायत की है कि उन्हें प्राइवेट जॉब में नहीं रखा जाता, सिर्फ उनके मुस्लिम होने के कारण। ऐसे में इस तरह का वितंडा खड़ा करना देश की एक बहुत बड़ी आबादी को संकट में डालना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह हवा लगातार टीएमसी के नेता हुमायूं कबीर द्वारा दी जा रही है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा माहौल बनाने में टीएमसी की इच्छा है वर्ना एक साधारण नेता पूरी पार्टी की अनदेखी करके इतने संवेदनशील मुद्दे पर इस कदर भड़काऊ भाषण और कार्यवाई करने की धमकी नहीं दे सकता। गौरतलब है कि टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर का यह बयान तब सामने आया, जब मंगलवार यानी 25 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर स्थित शिखर पर ध्वजा रोहण करके औपचारिक रूप से राम मंदिर निर्माण को पूरा होने की घोषणा कर रहे थे। ज्ञात हो कि 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और 25 नवंबर 2025 को राम मंदिर के निर्माण को पूरी तरह से पूर्ण किया गया है। ऐसे में टीएमसी

इमेज

नेता हुमायूं इसलिए बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठा रहे हैं, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भाजपा से कड़ी टक्कर मिलने की आशंका है। टक्कर तो पिछले बार भी थी, लेकिन पिछले बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा की तमाम कोशिशों पर भारी पड़ी थीं, लेकिन इस बार ऐसा होने की संभावना नहीं लगती, क्योंकि पिछले तीन सालों में पश्चिम बंगाल अनेक पैमानों में लगातार पीछे जा रहा है। ऐसे में चुनाव जीतने के लिए इस तरह की रणनीतियों का सहारा लेना स्वाभाविक है। लेकिन एक समुदाय का वोट पाने के लिए उन्हें पूरे देश में सांप्रदायिकता की आग में झोंकना अक्लमंदी नहीं होगी और हां, यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इसकी प्रतिक्रिया में पश्चिम बंगाल में हिंदू ज्यादा एकजुट हो करके ऐसी सारी रणनीतियों की हवा भी निकाल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि अगर टीएमसी ऐसी कोई हरकत करेगी, तो इसका मतलब यह होगा कि वह पश्चिम बंगाल में कोई मस्जिद नहीं बल्कि एक नए बांग्लादेश की नींव रख रही है। ये दोनों ऐसे भड़काऊ बयान हैं जिस पर आज नहीं तो कल दोनों समुदाय की गोलबंदी तय है, जो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होगी। पहले से ही हिंदुस्तान वैश्विक राजनीति में कूटनीतिक दांवपेचों के चलते अपनी अर्थव्यवस्था को संभाल पाने में कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है। डॉलर के विरुद्ध रुपया अब तक के इतिहास में सबसे निचले पायदान पर चला गया है और जिस तरह से अमेरिका और चीन हाल में बनाई गई अपनी एक साझी रिपोर्ट में हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत का अप्रत्यक्ष तौरपर घोषणा कर रहे थे, उस सबके भंवरजाल में फंसे देश के लिए बाबरी मस्जिद का यह नया विवाद दशकों पीछे धकेल देगा। वैसे भी 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जब देश के कई इलाकों में हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए थे, उसमें न केवल सैकड़ों लोग मारे गए थे बल्कि अरबों रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। अगर वैसा ही माहौल फिर से बना तो अब 1992 के मुकाबले जितना नुकसान होगा, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि दिल्ली में लालकिले के सामने जो आत्मघाती विस्फोट हुआ था, उसकी टेक्निक डिकोड करने से पता चला है कि वह इतनी खतरनाक तकनीक है कि अगर आतंकवादियों की उस पर मजबूत पकड़ हो गई, तो अगले दंगों में या आतंकी हमलों में विध्वंस का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए यह सिर्फ भाजपा या टीएमसी के लिए ही नहीं देशभर के नेताओं के लिए सही समय पर संयम बरतने का वक्त है। अगर सिर्फ अपनी अपनी राजनीति के लिए आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, तो देश दशकों पीछे चला जाएगा और यह राजनीतिक पार्टियों की समझ में नहीं आ रहा। इसलिए टीएमसी के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज भी बढ़-चढ़कर हुमायूं कबीर का समर्थन कर रहे हैं। कह रहे हैं अगर मंदिर का शिलान्यास हो सकता है, तो मस्जिद का क्यों नहीं? उदित राज को यह बात समझ में नहीं आ रही कि यह सिर्फ मस्जिद के शिलान्यास की बात नहीं है। यह हिंदुस्तान पर आतताई हमला करने वाले बाबर के नाम की बात है। देशभर में प्रतिशत के मामले में मंदिरों से मस्जिदें कहीं ज्यादा हैं। ऐसा कोई महीना नहीं जाता, जब पूरे देश में औसतन 7 से 8 नई मस्जिदों की तामीर न होती हो, तो क्या मस्जिदों के शिलान्यास या उनके निर्माण पर कहीं से कोई विरोध की बात सामने आई है? यह विरोध सिर्फ बाबरी नाम से मस्जिद के शिलान्यास का है। ...और यकीन मानिये इससे सिर्फ टीएमसी को ही फायदा नहीं होगा, इससे टीएमसी से ज्यादा फायदा भाजपा का हो सकता है।

गीता सार

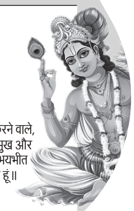

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णंव्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्।
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृतिं न विंदामि शमं च विष्णो ॥11.24॥

भावार्थ : क्योंकि हे विष्णो! आकाश को स्पर्श करने वाले, दैदीप्यमान, अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूं॥

चाइल्ड एब्यूज

खुद भी रहें सजग, बच्चों को भी करें सतर्क

नीलम अरोड़ा

चाइल्ड एब्यूज़ करने वाले इसी सभ्य समाज के घृणित और दो चेहरों वाले लोग होते हैं, जिन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये अजनबी भी होते हैं और हमारे बहुत अपने भी। ये वो चेहरे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं और जिनकी आंखें निरंतर मासूमों को अपना शिकार बनाने के लिए ताक में रहती हैं, ताकि वो अपनी घिनौनी वासनाओं को तृप्ति कर सकें। आज सोशल मीडिया पर कई ऐसे वयस्क लड़के-लड़कियां अपने साथ हुई दरिंदगी को बयान करते दिखते हैं, जो उन्होंने बचपन में ही अपने घर परिवार के सदस्यों के रूप में झेली गई होती है। अकसर लोगों को इस बात से तकलीफ होती है कि बचपन में जो झेला, अब उसको इतना खुलकर कहने का क्या फायदा? इसे आलोचना करने वाले क्या जानें कि बचपन में चाइल्ड एब्यूज़ का शिकार हुए लोगों को ताउम्र इसकी पीड़ा सालती है?

हमारे भारतीय परिवारों का ढांचा ही कुछ इस तरह का है कि हम जिन रिश्तों के बीच में अपने मासूमों को चाहे लड़का हो या लड़की सुरक्षित समझते हैं, कई बार उन्हीं रिश्तेदारों के द्वारा ही बच्चों का यौन शोषण किया जाता है। यह शोषण शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक किसी भी तरह का हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 5 से 11 बरस की आयु के बच्चों में हर दूसरा बच्चा भावनात्मक शोषण का शिकार होता है। इस भावनात्मक शोषण में बच्चे की जरूरतों पर ध्यान न देना, उन्हें गंभीरता से न लेना, उनकी समस्याओं को नजरअंदाज करना यानी कुल मिलाकर उसे बच्चा समझना। लड़कियों की तरह लड़के भी यौन शोषण का शिकार होते हैं। उनका भी शोषण हमारे वही करीबी करते हैं, जो हमारे घर में अकसर आते जाते हैं यानी माता-पिता के संबंधी, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार। हम बेटियों को दुनिया की नजरों से बचाकर रखना चाहते हैं, लेकिन अब लड़कों को भी उतनी ही सुरक्षा की जरूरत है। यूनिसेफ के आंकड़ों की मानें तो 69 प्रतिशत बच्चों का यौन शोषण परिवार के भीतर ही होता है और जिनमें से 55 प्रतिशत लड़कों का भी होता है। बच्चों को डरा धमकाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। कई बार तो बच्चे सालों अपने माता-पिता के डर की वजह से कुछ बताते ही नहीं है। वे चाहकर भी अपने पैरेंट्स से इस बारे में शिकायत नहीं कर पाते। ये वही घर के विश्वास पात्र लोग होते हैं जैसे-चाचा, ताऊ, अंकल, कजन्स, घर के पुराने कुक, नौकर। बच्चे न घर में सुरक्षित होते हैं, न घर से बाहर।

तिथि विशेष

हरिवंश राय बच्चन

हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और लेखक थे। इनकी प्रसिद्धि इनकी कृति 'मधुशाला' के लिए अधिक है। हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सितारे हैं। 27 नवंबर, 1907 को

इलाहा बाद, उत्तर प्रदेश में जन्मे हरिवंश राय बच्चन हिंदू कायस्थ परिवार से संबंध रखते हैं। यह 'प्रताप नारायण श्रीवास्तव' और 'सरस्वती देवी' के बड़े पुत्र थे। इनको बाल्यकाल में 'बच्चन' कहा जाता था जिसका शाब्दिक अर्थ 'बच्चा या संतान' होता है। बाद में हरिवंश राय बच्चन इसी नाम से मशहूर हुए। 1926 में 19 वर्ष की उम्र में उनका विवाह 'श्यामा बच्चन' से हुआ जो उस समय 14 वर्ष की थी। लेकिन 1936 में श्यामा की टी.बी के कारण मृत्यु हो गई। पांच साल बाद 1941 में बच्चन ने पंजाब की तेज़ी सूरी से विवाह किया जो रंगमंच तथा गायन से जुड़ी हुई थीं। इसी समय उन्होंने 'नीड़ का पुनर्निर्माण' जैसे कविताओं की रचना की। तेज़ी बच्चन से अमिताभ तथा अजिताभ दो पुत्र हुए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तेज़ी बच्चन ने हरिवंश राय बच्चन द्वारा 'शेक्सपीयर' के अनुदित कई नाटकों में अभिनय किया है। हरिवंश राय बच्चन की शिक्षा इलाहाबाद तथा 'कैंब्रिज विश्वविद्यालयों' में हुई। इन्होंने कायस्थ पाठशालाओं में पहले उर्दू की शिक्षा ली जो उस समय क़ानून की डिग्री के लिए पहला क़दम माना जाता था। इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेज़ी में एम. ए. और कैंब्रिज विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. किया। हरिवंश राय बच्चन अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेज़ी विभाग में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबद्ध रहे।

राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर विशेष

क्यों जरूरी अंगदान?

अपराजिता

"निश्चित रूप से यह समय हर दिन चमत्कार की तरह सामने आने वाले एआई की संभावनाओं और ताकत का दौर है। साथ ही इस दौर को चिकित्सकीय दृष्टि से क्रांति का दौर भी कहा जाता है। पिछले एक दशक में बायो क्षेत्र में जितनी तकनीकी प्रगति हुई है, उतनी शायद ही किसी दूसरे दौर में हुई हो। बावजूद इसके जीवन रक्षा के लिए आज भी तकनीक से ज्यादा जरूरी अंगदान ही हैं। क्योंकि अंग प्रत्यारोपण की तकनीक तो बहुत तेजी से विकसित हुई है, लेकिन अभी भी कृत्रिम अंगों की वह विश्वसनीयता नहीं हासिल हो सकी, जो आज भी मानवीय अंगों को है। हालांकि जीवन रक्षा और अंग प्रत्यारोपण की तकनीक बहुत तीव्र गति से विकसित हुई है। लेकिन कृत्रिम अंगों के विकास की दर अभी भी बहुत शुरुआती दौर में है और उसे अभी दशकों परखने के लिए वक्त चाहिए। सवाल है इस बीच में लोगों का जीवन बचाने और बेहतर बनाने का उपाय क्या हो सकता है?"

तो इस सवाल का सबसे आसान जवाब यही है अंगदान। लेकिन सामाजिक जागरुकता और नीति प्रक्रिया की स्थिति कुछ ऐसी है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देशों में अंगदान की गति बहुत धीमी है। मतलब साफ है कि जितने अंग लोगों के जीवन को बचाने और उसे बेहतर बनाने के लिए जरूरी हैं, उतने अंगदान द्वारा हासिल नहीं हो रहे। इसलिए अंगदान जैसे दिवसों का पहले के मुकाबले आज कहीं ज्यादा महत्व है। क्योंकि इसी बहाने लोगों को अंगदान को लेकर जागरूक किया जा सकता है। अंगदान इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यह केवल एक चिकित्सकीय प्रक्रियाभर नहीं है। यह समाज में करुणा, परोपकारिता, जीवन-मान्यता और मृत्यु के बाद भी मानव सेवा की परंपरा को जीवित रखने का जरिया है। जब इन मूल्यों को आमजन स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, तभी यह सुचारू रूप से संभव होगा। इसलिए अंगदान जैसे दिवस भले इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि दुनिया ज्यादा बेहतर और ज्यादा सुखी बन सके। यह इसलिए भी जरूरी है कि अगर यह परंपरा विकसित और मजबूत नहीं होती, तो भविष्य में जिन लोगों के पास महंगी कृत्रिम अंगों को खरीद पाने की क्षमता नहीं होगी, उन्हें अंग प्रत्यारोपण जैसी किसी तकनीक का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए आज इस बायो क्रांति के

दौर में भी लोगों को अंगदान के प्रति विशेष रूप से प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। भले आज हर क्षेत्र में एआई कमाल कर रहा हो और उसकी मौजूदगी चमत्कार का एहसास करा रही हो, लेकिन अंगदान प्रत्यारोपण की पूरी व्यवस्था अभी भी इंसान की उदारता, करुणा और मानवता जैसे विचारों पर ही टिकी हुई है। आज भी शरीर का कोई भी अंग पूरी तरह से कृत्रिम नहीं बनाया जा सका, जो सौ फीसदी कारगर हो। आज भी 99.99 फीसदी अंग प्रत्यारोपण जीवित या मृत लोगों के द्वारा दिये गए अंगों के दान पर ही निर्भर है। ऐसे में कोई भी तकनीक चाहे कितनी ही उन्नत हो जाए, किसी काम की नहीं होगी, जब प्रत्यारोपण के लिए अंग ही न मौजूद हों। यही कारण है कि अंग प्रत्यारोपण दिवस पर पूरी दुनिया में अनेक मेडिकल संस्थाएं और एजेंसियां अंगदान संबंधी कार्यक्रमों के जरिये लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करती हैं। गौरतलब है कि अंगदान के प्रति उदासीनता के कारण हर साल 25 लाख से ज्यादा लोगों की या तो दुर्घटना के चलते या असाध्य बीमारियों के तहत मौत हो जाती है और अगर पूरी दुनिया में लोग अंगदान को लेकर सहज हो जाएं, तो हर साल इतने लोगों को असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है। दरअसल यह बहुत आसानी से संभव है अगर पूरी दुनिया में लोग यह मान लें कि ब्रेन डेथ के बाद अंगदान किसी दूसरे की जिंदगी को बचाने के लिए कर दिए जाने चाहिए। क्योंकि ब्रेन डेथ के बाद इंसान भले कुछ घंटे या कुछ दिन जीवित रहे, लेकिन वह जीवित व्यक्ति भी मुर्दा जैसे ही रहता है और अंततः उसकी मौत हो जाती है। जबकि इस समय में अगर उसके विभिन्न शारीरिक अंगों को जरूरतमंदों के लिए दान दे दिया जाए तो ब्रेन डेथ से गुजरने वाला हर व्यक्ति कम से कम 3-4 लोगों को जीवनदान देकर जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया में ब्रेन डेथ को लेकर लोगों में न सिर्फ भ्रम बल्कि इतना मोह है कि सब कुछ जानने, समझने के बावजूद लोग अंगदान के लिए राजी नहीं होते। कई समाजों में इसके लिए धर्म बहुत बड़ी बाधा है। मसलन मुस्लिम समाज में यह मान्यता है कि कयामत का दिन आएगा और उस दिन कब्रों में पड़े लोग जिंदा हो जाएंगे। इस विश्वास के कारण अंगदान का सबसे कम चलन मुस्लिम समाज में है। हिंदू समाज में एक यह भ्रम बैठा है कि अगर मृत्यु के पहले या बाद में किसी के अंगों को उसके शरीर से निकाल लिया गया, तो जो अगला जन्म होगा, उसमें वो निकाले गए अंग नहीं होंगे।

वायरल

रेस्टोरेंट में 'सिंग' सुनते ही स्टाफ ने खाना परोसने से किया मना

सोलो-ट्रैवलर हों या फिर सोलो-मूवी गोअर कोई भी ऐसा काम जो आप अकेले करना चाहें, वो अपने आप में एक अलग ही अनुभव होता है। लेकिन अगर आप साउथ कोरिया में ट्रैवल करते हुए पहुंच गए हैं तो हो सकता है यहां आपको सोलो-डाइनर के तौर पर रेस्तरां में एंट्री ही न मिले। दक्षिण कोरिया के एक रेस्टोरेंट ने अकेले खाने आने वाले ग्राहकों यानी सोलो डाइनर को खाना देने से मना कर दिया। रेस्तरां की इस पॉलिसी को लेकर अब सोशल मीडिया पर बड़ी बहस छिड़ गई है। दक्षिण कोरिया में लोग इसे अकेलेपन, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक व्यवहार से जुड़ा मुद्दा मान रहे हैं। वहीं रेस्टोरेंट मालिक का कहना है कि उसके इस नियम के पीछे उसकी अपनी "फिलॉसफी" है। दक्षिण कोरिया के एक रेस्टोरेंट में एक ग्राहक अकेले खाना खाने गया। लेकिन रेस्टोरेंट स्टाफ ने उसे बताया कि वे सोलो डाइनर को खाना नहीं परोसते। रेस्टोरेंट मालिक का जवाब था, (हम अकेलापन नहीं बेचते)। यह सुनकर ग्राहक हैरान रह गया।

पंचांग

27 नवंबर 2025

- विक्रम संवत् - 2082
- शक संवत् - 1947
- रवि - दक्षिणायन
- ऋतु - हेमंत
- मास - मार्गशीर्ष
- पक्ष - शुक्ल
- तिथि - सप्तमी 24.30 तक
- वार - गुरुवार
- नक्षत्र - धनिष्ठा 26.32 तक
- योग - ध्रुव 12.09 तक
- करण - गर 12.21 तक
- सूर्योदय - 06.54 (मुंबई)
- सूर्यास्त - 05.58 (मुंबई)
- सूर्योदय - 07.06 (भीनमाल)
- सूर्यास्त - 05.50 (भीनमाल)
- चंद्र राशि - मकर 14.07 तक
- अभिजीत - 12.03 से 12.48
- राहु काल - 13.49 से 15.12
- दिषा शूल - दक्षिण
- व्रत त्यौहार - मित्र सप्तमी, पंचक 14.07 प्रारंभ, भद्रा 24.30 प्रारंभ, स्थिरयोग 26.32 से सूर्योदय

• शास्त्री प्रवीण त्रिवेदी, भीनमाल

X का एक्सरे

स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य का निर्वाहन किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर संविधान के प्रमुख निर्माता में से थे। बाबा साहब के 125वीं जयंती के वर्ष में 26 नवंबर 2015 में प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।

द्रौपदी मुर्मू

देश में संविधान की पवित्रता और कानून का शासन बनाए रखने के लिए बार की भूमिका बेहद जरूरी है। देश में कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए कानूनी सहायता देने में भी बार की अहम भूमिका है। जब भारत ने अपने आप को अपना बुनियादी अनुबंध दिया था।

सूर्यकांत

बीसीसीआई मेरे भविष्य पर फैसला करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं, भारतीय क्रिकेट जरूरी है। लेकिन मैं वही इंसान हूं जिसने आपको इंग्लैंड और चैंपियंस ट्रॉफी के कोच के तौर पर नतीजे दिलाए। दोष सभी का है और इसकी शुरुआत मुझसे होती है। हमें अच्छा खेलना चाहिए था।

गौतम गंभीर

जब भी राज्य में चुनाव होते हैं, मल्लिकार्जुन खरगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। जब भी संसदीय चुनाव होते हैं, वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या मायने रखती है और मल्लिकार्जुन खरगे को जो भी कहना है, वह कहेंगे।

प्रियांक खरगे

नारायण पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक-प्रकाशक-हेमल पुरोहित द्वारा एआईएस प्रिंटिंग सोल्यूशंस, प्लॉट नं. ए-544, टीटीसी इंडस्ट्रीयल एरिया, ठाणे-बेलापुर रोड, महापे, नवी मुंबई 400709 से मुद्रित एवं प्रिमाइसेस नं. 1303/चेंबर्स, 13वां माला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मेट्रो स्टेशन के पास, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 099 से प्रकाशित, पोस्टल रजि. MCN/325/2023-24, (चकाला MIDC पी.ओ.) रजि. नं. MAHHIN/2004/13755, संपादक-हेमल पुरोहित, स्थानीय संपादक-नीरज दवे, फोन : 022-46024646, ईमेल : jagruktimes@gmail.com

शंघाई में चीनी फितरत

शंघाई हवाई अड्डे पर हाल ही चीनी आव्रजन अधिकारियों द्वारा अरुणाचल प्रदेश निवासी एक भारतीय नागरिक पेमा वांगजोम थोंगडोक को जबरन 18 घंटे तक रोके जाने की घटना ने भारत-चीन रिश्तों में फिर से खिंचाव ला दिया है। वह भी ऐसे अवसर पर जब पिछले कुछ अर्से से दोनों देशों के बीच रिश्तों में सुधार की उम्मीद जताई जा रही हो। ऐसे में यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्री विवाद भर नहीं है बल्कि एक संवेदनशील मामला है। जो चीन की उस दीर्घकालीन दावे की पुनरावृत्ति है जिसमें वह अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन के इस दावे को अंतरराष्ट्रीय और भारतीय स्तरों पर राजनीतिक और कूटनीतिक संवेदनशीलता के रूप में देखा जाता है। यह चीन की भू-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का सबूत भी है। यह भी दर्शाता है कि सीमा विवाद, मानव स्तर पर भी संवेदनशीलता पैदा कर सकता है। किसी व्यक्ति का पासपोर्ट अमान्य बताना, जन्मस्थान के आधार पर उसकी नागरिकता पर सवाल उठाना और फिर उसे लंबे समय तक रोकना, यह सभी कृत्य न केवल व्यक्तिगत स्तर पर अपमानजनक हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक अधिकारों के दृष्टिकोण से भी गंभीर है। भारत की ओर से इसे गरिमा का अपमान बताया जाना इस बात की पुष्टि करता है। बता दें, वर्ष 2020 दौरान लद्दाख के गलवान क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीनी सैनिकों की टकराव वाली नीति से संबंध काफी तनावपूर्ण हो गए थे। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक एवं सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हुईं। पिछले सितंबर माह में चीन के तियाजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। उस दौरान दोनों देशों के बीच हुई सौहार्द्रपूर्ण वार्ता के बाद भारत-चीन के बीच सीधी हवाई सेवाएं फिर से शुरू हो गई थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बाद दोनों देशों के बीच कई वैश्विक मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वैचारिक सहमति का रुख भी साफ नजर आया। लेकिन अचानक इस शंघाई की घटना ने भारत को सोचने को विवश कर दिया है। दरअसल पेमा वांगजाग थोंगडोक अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। अभी ब्रिटेन में रहती हैं। भारतीय पासपोर्ट के जरिए छुट्टियां मनाने जापान जा रही थीं। शंघाई हवाई अड्डे पर उन्हें चीनी आव्रजन अधिकारियों ने पकड़ लिया। भारतीय पासपोर्ट पहचानने से इन्कार करते हुए उन्हें 17 घंटे तक परेशान किया। यह तो गनीमत रही कि भारतीय अधिकारियों ने इस मामले में दखल दिया, उन्हें पकड़ से मुक्त कराया। बता दें चीन पिछले कुछ अर्से से भारत के अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का दक्षिण हिस्सा बताकर, तो कभी उसकी जगहों के चीनी नाम बदलकर अपना दावा करता रहता है। या फिर इस सीमावर्ती राज्य के भारतीयों को स्टेपल्ड वीजा जारी करके नया विवाद खड़ा करने की कोशिश करता रहता है। भारत ने तुरंत कूटनीतिक सटीक प्रतिक्रिया दी है। उसे सीमा सुरक्षा के साथ राष्ट्रीय पहचान के भाव को भी मजबूती देने की जरूरत है।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए सरकार एकजुट

एक राष्ट्रीय संकल्प, बाल विवाह से मुक्त भारत

अन्नपूर्णा देवी
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार

हमने वर्ष 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई, ताकि हर बालिका और बालक सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, अपनी शिक्षा जारी रख सकें और गर्व तथा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को आकार दे सकें।

एक ऐसे देश में जहां महिलाएं और बच्चे एक अरब से ज्यादा हों,उनका सशक्तिकरण महज एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह भारत की नियति का मार्ग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी शासन में, भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को मानव केंद्रित प्रगति के साथ जोड़ रहा है। नए भारत की कहानी केवल आर्थिक उपलब्धियों और बढ़ते वैश्विक कद में ही नहीं, बल्कि उन कक्षाओं में भी आकार ले रही है, जहां युवा मन विकसित होते हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जहां हमारे बच्चों का पालन-पोषण होता है, और उन घरों में जहां आकांक्षाएं पनपती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई है, जो विकसित भारत/2047 के लिए हमारे सामूहिक मिशन को भी आगे बढ़ा रही है। इसी सफर में एक अहम पड़ाव पिछले वर्ष 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है।

राष्ट्रीय प्रतिबद्धता

हमने वर्ष 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई, ताकि हर बालिका और बालक सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, अपनी शिक्षा जारी रख सकें और गर्व तथा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को आकार दे सकें। शुरू से ही, हमने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के नजरिए को अपनाया है,हम मानते हैं कि इस चुनौती का हल महज नीतियों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक एकता की जरुरत है, जिसमें परिवार, समुदाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता, संस्थान और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने और हर बच्चे की आकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़े हों। हमारे साझा संकल्प के एक शक्तिशाली प्रतिबिंब के रूप में, गांवों और कस्बों के करोड़ों लोग बाल विवाह को समाप्त करने का संकल्प लेने के लिए आगे भी आए हैं।

प्रधानमंत्री योजना

पोषण ट्रैकर और पढ़ाई से लेकर समग्र शिक्षा अभियान तक, और राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम से लेकर प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना तक, हर पहल एक सुरक्षा कवच और हर बच्चे के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान भविष्य की ओर एक मार्ग के रूप में कार्य करती है। समावेशन के उत्प्रेरक के रूप में तकनीक की मदद से, मंत्रालय का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोषण ट्रैकर, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तनपान कराने वाली माताओं, छह साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों से सहजता से जोड़ता है। इसने देश भर में 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार कर दिया है। हमारी नीतियां न केवल इरादे, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई को भी दर्शाती हैं। निरंतर बजटीय प्रतिबद्धताओं और लक्षित निवेशों में सुधारों को शामिल करते हुए, मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बाल विवाह जैसी गंभीर समस्याओं से बच्चों की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है।

बेहतरी के लिए प्रयास

मोदी सरकार के तहत, हम उन जड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इस प्रथा को पोषित किया था। स्पष्ट नीतिगत दिशा, विचार विमर्श कर तैयार की गई योजनाओं और शासन में समुदायों के नए विश्वास के साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय उन परिस्थितियों को खत्म करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है, जिनके कारण बाल विवाह की प्रथा अब तक जारी रही। आज हम जो प्रगति देख रहे हैं, वह सुनियोजित ढंग से तैयार की गई योजनाओं की वजह से हैं, जिनके तहत महिलाएं और बच्चे राष्ट्रीय विकास के केंद्र में हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर अधिकार, देश के सबसे दूरस्थ गांव और बस्तियों में सबसे कमजोर बच्चे के जीवन पर सकारात्मक असर डालते हुए अंतिम छोर तक पहुंचे। सरकार की हर योजना महिलाओं और बच्चों को जोखिम के हर चरण में सहारा देने के लिए तैयार की गई हैं।

वित्तीय सहायता

राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके लिए केवल 2025-26 के लिए 1,827 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण स्कूल न छोड़े, जो बाल विवाह के सबसे अहम कारणों में से एक है। इस बीच,प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों को जरुरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ने युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल से लैस करके, उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रमाणन प्रदान करके इस सुरक्षा कवच को और मजबूत किया है। इसी प्रकार, प्रधानमंत्री दक्ष योजना, हाशिए पर पड़े समुदायों, खासकर अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाती है, हम समृद्ध और स्वतंत्र जीवन के मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम आज न केवल अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत की एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सशक्त नींव भी रख रहे हैं।

जीवन बोध

विचित्र आदत

कुछ लोगों की कुछ विचित्र आदत होती है। वे बाजार में, ऑफिस में, दुकान में या दोस्तों के बीच सदा प्रसन्न और मुस्कुराते रहेंगे पर घर पहुंचते ही गंभीर और गुस्से से भरे हुए हो जाएंगे। वे छोटी-छोटी बातों पर घर में गुस्सा करेंगे और घर की शांति को भंग करेंगे। आप घर में बड़े हैं, तो उसका अर्थ यह नहीं है कि हर समय आप हो-हल्ला करें या अपने बड़प्पन को जताने के लिए घर के वातावरण को कलुषित करें। आपकी बड़ाई इसमें है कि आप घर में अपने परिवार के सदस्यों को इतना प्रेम दें कि वे आपके जाने पर आपकी शीघ्र पुर्नवापसी की कामना करें। आप नहीं जानते कि आप बार-बार गुस्सा करके अपने खुशहाल घर को नरक बना देते हैं और परिवार का हर सदस्य भीतर ही भीतर आप से टूटा रहता है। फिर स्थिति यह होती है कि जब आप सामने होते हैं तो सब लोग आपसे दबे रहते हैं और आपके बाहर जाने पर आपकी मजाक उड़ाई जाती है। एक व्यक्ति जो गुस्सा बहुत किया करता था। पत्नी भी कम न थी। एक दिन पत्नी ने रात ग्यारह बजे अपने पति को नींद में से उठाया और हाथ में एक दूध का गिलास देते हुए कहा लो दूध पी लो।

- श्री ललितप्रभ जी

जल तरंग

सोना कितना सोना है

सोना और चांदी का दाम रोज नया कीर्तिमान बना रहा है। जिनके पास चांदी थी, वो सोना हो गए और जिनके पास सोना था, उनकी चांदी हो गई। एक कहावत है सोना सुख का श्रृंगार है विपत्ति का आहार है। जब किसी आदमी को पैसों की जरूरत होती है और कहीं से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो आदमी सोना रखकर पैसा लेता है,आदमी तो आदमी देश को भी ऐसा काम करना पड़ता है और एक बार अपने देश में भी विदेशी मुद्रा की कमी हो गई थी, तो सोना रखकर पैसा यानि विदेशी मुद्रा लाई गई, जिस तरह हर पीली धातु पदार्थ सोना नहीं होती उसी तरह हर सामान तुरंत नगद राशि नहीं ला सकता, यह सोना ही है जिसे आप जब चाहे नकदी में बदल सकते हैं। सोना का आभूषण पहनने के बाद जिस तरह मर्द से लेकर औरत तक भाव खाने लगता है वैसे ही आज सोना भी भाव भाव खा रहा है, रोज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सोने का भाव आज लोगों का सोना हराम कर रहा है। कभी प्रेम के चक्कर में सोना हराम हो जाता था, लेकिन आज सोने के भाव ने लोगों की नींद हराम कर दी है। सोना द्विअर्थी शब्द है, एक सोना का संबंध नींद से है और दूसरे सोने का संबंध पहनने वाले आभूषण से है। सोने की पहचान भी अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग होती है। यदि किसी गरीब आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी हो तो सामान्यतया उसे पीतल का ही समझा जाएगा और यदि किसी धनवान व्यक्ति के हाथ में पीतल की अंगूठी हो, तो सोने की अंगूठी समझा जाएगा। यह लोगों का नजरिया है और यह नजरिया ही सोने को सोना बना देता है। जिस तरह बाल-बच्चों का हाथ पीला करना माता-पिता का सामाजिक,पारिवारिक जिम्मेदारी होती है, उसी तरह घर में पीला धातु यानी सोना का होना समृद्धि का प्रतीक होता है। सोना कहने को तो ठोस पदार्थ है, लेकिन धन के रूप में नोट के बाद सबसे अधिक तरलता सोना में ही है। आपके पास यदि सोना है तो हमेशा नगद राशि उपलब्ध है, ऐसा माना जा सकता है। बैंक के कार लोन का विज्ञापन याद आता है चलकर आइए, चला कर जाइए। यदि आपके पास सोना है, तो सोने की दुकान में सोना लेकर जाएं और नगद लेकर लौटें। अन्य किसी भी सामान को यह गौरव प्राप्त नहीं है कि वह सामान लेकर दुकान में जाएं तो आप नकद लेकर ही लौटेंगे यह आवश्यक नहीं है। वेतन में जब ऊपरी आय का छौंक लगता है, तो वेतन का जायका बढ़ जाता है, उसी तरह सोने में भी जब मिलावट का छौंक लगता है, तो सोना 22/23 कैरेट का बन जाता है और एक से एक सुंदर गहना तैयार हो जाता है। कभी-कभी यह सुनने में आता है कि इस सोने में मिलावट ज्यादा है यानी सोना 14, 16,18 कैरेट का लगता है वैसे ही जैसे आदमी का वर्गीकरण 14,16,18, 22 कैरेट आदि में होता है,24 कैरेट का आदमी तो बहुत कम मिल पाता है।

-संतोष दिवाकर
यह लेखक के अपने विचार हैं।

आज का विचार

किसी व्यक्ति का अन्तःकरण कैसा है, यह जानना है तो उसका आहार चैक कीजिए। आहार से विचार, विचार से आचार का निर्माण होता है।

-श्री चन्द्रप्रभ जी

विंडो टू द वर्ल्ड

तोष, हिमाचल प्रदेश

तोष हिमाचल के कुल्लू जिले में स्थित एक गांव है। तोष लगभग 2,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह पार्वती घाटी में कसोल के निकट स्थित है और चारों ओर पहाड़ों से घिरा है। इस जगह को मिनी इजराइल भी कहा जाता है। यहां इजराइल जैसे लुभावने दृश्य देखने को मिलते हैं।

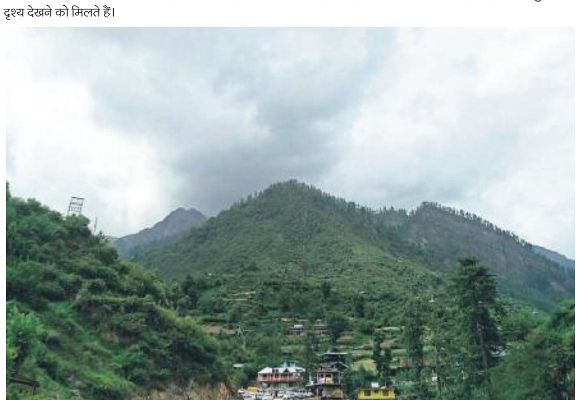

हेल्थ इज वेल्थ

- अगर शरीर में किसी भी विटामिन,मिनरल्स या मल्टी-विटामिन्स की कमी हो जाए, तो इससे आपको कई समस्याएं हो सकती हैं।
- अगर आप लो-फैट डाइट लेते हैं, तो इससे आपके शरीर में विटामिन ई की कमी हो सकती है।
- दरअसल ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, जो फैट के जरिए ही मिलता है।
- इसकी कमी होने पर शरीर के कई अंगों में दिक्कत हो सकती है।
- कई बार जेनेटिक कारणों से भी शरीर में इसकी कमी हो जाती है।
- अगर आपको बार-बार मौसमी बीमारियां जकड़ लेती हैं, तो समझ जाएं कि आपमें विटामिन ई की कमी हो गई है।
- विटामिन ई की कमी होने पर हेयर फॉलिकल्स और बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं।

अपनों से अपनी सी बात

अन्धानुकरण से बचें

आज का पूरा का पूरा समय हमारे लिये अन्धानुकरण का है और हम सभी लोग अपने आप को भुला बैठें है। अपनी संस्कृति, संस्कारों और परम्पराओं को तिलांजलि देकर उन लोगों के पीछे भाग रहें हैं, जिनके लिये न कोई कुटुम्ब है, न संस्कृति और न ही सभ्यता। जो कुछ है भौतिकता के सिद्धान्त को आकार देने वाला है। कहने का अर्थ यह है कि जो पशु कर रहें हैं वही हम लोग भी कर रहें हैं। कौन सा अन्तर रह गया है, हममें और उनमें, वास्तव में हमारी स्थिति भेड़ों के उस झुण्ड जैसी ही है जिन्हें यह तक नहीं पता रहता कि उन्हें कौन कहां ले जा रहा है, बस आगे वाला जा रहा है सो हम भी पीछे पीछे हो लिए। यह जीवन एक प्रयोगशाला है, जिसका जितना शोधन, दोहन और अनुसन्धान किया जाए, उतना सार तत्व प्रकट होता है, उतनी ही जिज्ञासाओं, शंकाओं और प्रश्नों का समाधान मिलता जाएगा। हममें से अधिकांश लोग सशंकित जीवन जीते हैं और किसी ठोस निर्णय के निकट पहुंचने से पहले ही भ्रमित होकर अपने मार्ग को बदल डालते हैं। हम थोड़ा सा कुछ कर बड़ा सा फल पाने की चेष्टा में इतने अधिक आतुर रहते हैं कि हम हर बार थोड़े थोड़े प्रयास ही करके छोड़ते रहते हैं और इसका परिणाम यह होता है कि हमें अपने पर भी अश्रद्धा हो जाती है और अपने कर्म पर भी। आत्मज्ञानी स्वयं अपनी आत्मा में संन्तुष्ट रहता है। सुख साधनों की बहुतायत अथवा अल्पता से वो प्रभावित नहीं होता। हम जिसे जानना चाहते हैं, वह सब हमारे भीतर में उपलब्ध है। बस आवश्यकता है तो मात्र जानने भर की। आत्मा और परमात्मा का सनातन और शाश्वत सम्बन्ध है। अतः जो आत्मतत्व को जान लेता है, वो परमात्मा को जान लेने की अपार क्षमताएं स्वयं ही प्राप्त कर लेता है।

-ललित अकिंचन

Feedback@dainiknavajyoti.com

दृष्टिकोण

जिम्मेदारी का पालन करें, तो दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं

लापरवाही से राष्ट्रीय त्रासदी बनते सड़क हादसे

सड़क सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी, जब हर व्यक्ति यह समझे कि सड़क पर एक छोटी-सी गलती भी किसी परिवार की पूरी दुनिया को उजाड़ सकती है। यही समझ हमें सुरक्षित यातायात संस्कृति की ओर ले जाएगी। इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा।

सड़क सुरक्षा पर जारी हाल ही में एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में भारत सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतों वाले देशों में शामिल है। यहां हर वर्ष लाखों लोग घायल होते हैं और लगभग डेढ़ लाख लोग जान गंवा देते हैं। ये आंकड़े किसी सूखे तथ्य की तरह नहीं, बल्कि उन परिवारों की टूटती दुनिया का बयान हैं, जिन्हें एक पल की गलती उम्र भर का दर्द दे जाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन दुर्घटनाओं में 70 फीसदी से अधिक मौतें 18 से 45 वर्ष की उम्र के युवाओं की होती हैं यानी समाज की सबसे उत्पादक, सपनों से भरी और भविष्य गढ़ने वाली पीढ़ी सड़क पर अपनी ही गलतियों के कारण मर रही है। यह एक ऐसी राष्ट्रीय त्रासदी है, जिसकी जड़ कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे बीच ही है।

एक गंभीर समस्या

देश में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति 2024-2025 में और गंभीर हो गई है। हाई-स्पीड कॉरिडोर देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम क्षेत्र बने हुए हैं। कई शहरों में रैश ड्राइविंग सड़क दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण बना है। यह स्पष्ट है कि भारत में सड़क हादसों के पीछे सड़क इंजीनियरिंग की समस्याएं, कानूनों का कमजोर प्रवर्तन और सबसे अधिक लोगों का गैरजिम्मेदाराना व्यवहार जैसे तेज रफ्तारए गलत दिशा में वाहन चलाना, ओवरटेकिंग, हेलमेट और सीट बेल्ट की अनदेखी, नशे में ड्राइविंग और मोबाइल फोन का इस्तेमाल दुर्घटनाओं की जड़ में हैं।

व्यक्ति के लिए खतरा

आज भी तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं की जड़ों में छिपा एक मौन हत्यारा मोबाइल फोन का बढ़ता उपयोग। यह ड्राइविंग के दौरान ध्यान को विभाजित कर देता है, जिससे डिस्ट्रेक्टेड ड्राइविंग एक गंभीर समस्या के रूप में उभर रहा है। एक पल की अनदेखी न केवल चालक, बल्कि सड़क पर मौजूद हर अन्य व्यक्ति के लिए खतरा बन जाती है। वहीं नशे में वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं का एक अत्यंत चिंताजनक कारण है। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों की उदासीनता भी सड़क हादसों के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। दुर्घटनाओं में इजाफे का बड़ा कारण ट्रैफिक पुलिस की सीमित क्षमता और नियमों के ढीला पालन भी है। जब लोग यह महसूस करते हैं कि उन पर नजर रखने वाला कोई नहीं है, तो वे नियम तोड़ने में संकोच नहीं करते। पैदल यात्रियों की अनदेखी भी बड़ी समस्या है। बहुत से लोग जेब्रा क्रॉसिंग की बजाय बीच सड़क से ही पार होते हैं, मोबाइल देखते हुए चलते हैं सड़क पर उतर पड़ते हैं, जिससे दुर्घटनाएं अनजाने में जन्म लेती हैं।

संयुक्त सुधार हो

देश में सड़क दुर्घटनाओं का वास्तविक निराकरण केवल कड़े कानूनों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच, सड़क संरचना और प्रशासनिक व्यवस्था तीनों के संयुक्त सुधार से संभव है। सबसे पहले आवश्यक है कि देश में जीरो टॉलरेंस रोड सेफ्टी पॉलिसी लागू की जाए, जिसमें किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन चाहे वह ओवरस्पीडिंग हो, नशे में ड्राइविंग, मोबाइल का उपयोग या बिना हेलमेट पर सख्त दंड दिए जाएं। कई देशों जैसे जापान और स्वीडन में सड़कों पर मृत्यु लगभग शून्य के स्तर तक इसलिए पहुंची, क्योंकि उन्होंने सजा में कड़ाई और निगरानी में 100 प्रतिशत प्रतिबद्धता अपनाई। भारत में भी हाईवे और शहरों में आधुनिक कैमरों, स्पीड ट्रैकर्स, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और नंबर प्लेट रिकग्निशन जैसी आधुनिक तकनीक मानव निर्भर न होकर तकनीक आधारित होनी चाहिए। साथ ही सभी राजमार्गों पर इमरजेंसी लेन और शहरी इलाकों में पैदल यात्री फर्स्ट डिजाइन लागू करनी चाहिए।

जिम्मेदारी का पालन

यदि लोग धैर्य, सभ्यता और जिम्मेदारी का पालन करें, तो दुर्घटनाएं आधी से भी कम हो सकती हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रति मानसिकता बदलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्हें पुलिस से डरकर पहनने की बजाय स्वयं की सुरक्षा के लिए अपनाना होगा। बच्चों और किशोरों में सड़क सुरक्षा की समझ बढ़ाने के लिए स्कूल स्तर से ही अनिवार्य रोड सेफ्टी एजुकेशन लागू की जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण निराकरण आपातकालीन सेवाओं की गति और गुणवत्ता से जुड़ा है। देश में कई दुर्घटनाएं इसलिए मौत में बदल जाती हैं, क्योंकि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती और प्राथमिक उपचार देर से मिलता है। इसके लिए 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स को हाईवे पर अनिवार्य बनाना, एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाना और सभी जिलों में ट्रॉमा सेंटर विकसित करना आवश्यक है। कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क सुरक्षा का निराकरण केवल किसी एक उपाय में नहीं, बल्कि व्यवहार, तकनीक, कानूनए संरचना, जागरूकता जैसे पांच स्तंभों पर आधारित है। यदि भारत इन सभी क्षेत्रों को एक साथ सुधारता है, तो आने वाले वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

-डॉ.नीलू तिवारी
यह लेखक के अपने विचार हैं।

उलझें नहीं

देश के नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया जारी है। बीएलओ घर-घर जाकर फॉर्म वितरित कर रहे हैं, पर आधार कार्ड को लेकर मतदाताओं में भ्रम है, क्या केवल आधार कार्ड से ही मतदाता सूची में नाम शामिल करवाया जा सकता है चुनाव आयोग के अनुसार लगभग 99 फीसदी फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं और अब फॉम संग्रह करने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि एसआईआर फॉर्म भरने में बीएलओ मतदाताओं की मदद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉर्म भरने को लेकर मतदाताओं में कन्फ्यूजन है। यह सवाल किए जा रहे हैं कि क्या आधार कार्ड रहने से ही वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाया जा सकता है या फिर अन्य डाक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। चुनाव आयोग के निर्देश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, आधार कार्ड अकेले किसी को वोटर बनने के योग्य नहीं बनाता है, हालांकि एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड का उपयोग अधिनियम के अनुरूप है। आधार अधिनियम के सेक्शन-9 में कहा गया है कि आधार कार्ड को डोमिसाइल या सिटीजनशिपका प्रमाण नहीं माना जा सकता है। हालांकि बीएलओ की ओर से मतदाताओं को जो गणना प्रपत्र दिए जा रहे हैं। उसमें नाम के बाद दूसरा कालम आधार कार्ड है और मतदाताओं को अपना आधार कार्ड नंबर लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन इस एसआईआर की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। वह है कि यदि आप मतदाता हैं, तो अपना वर्तमान एपिक नंबर लिखें और 2002-2003 की एसआईआर के लिस्ट में आपका नाम है, तो उसका विवरण फॉर्म के निचले हिस्से में दाएं ओर लिखें और यदि आपका नाम नहीं है, तो अपने माता-पिता, दादा -दादी या फिर नाना-नानी जिनका भी 2002-2003 के वोटर लिस्ट में नाम है। उसे फॉर्म के नीचे बाईं ओर लिखें और उनका वोटर कार्ड नंबर, मतदान केंद्र का नाम, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आदि का उल्लेख करें। यदि 2002 या 2003 के वोटर लिस्ट नाम नहीं तो भी आप फॉर्म भरें और उसे बीएलओ को जमा दें। उसके बाद आपको नोटिस जारी किया जाएगा और फिर डोक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा, लेकिन आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में वोटर लिस्ट में केवल आधार के आधार पर किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया जाएगा। चुनाव आयोग ने मान्य 13 दस्तावेजों की लिस्ट जारी की है। यदि 2002 और 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो सुनवाई के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए ये दस्तावेज साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। ऐसे सभी वोटर जिनके नाम साल 2003 के वोटर लिस्ट से मिलान या लिंक हैं। उन्हें संबंधित विधानसभा क्षेत्र के ईआरओ की तरफ से सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। सुनवाई के दौरान उस शख्स को इन 12 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज पेश करना होगा और उनका सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेजों की लिस्ट किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट/स्टेट गवर्नमेंट/पीएसयू के रेगुलर एम्प्लाई/ पेंशनर को जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। इंडियन गवर्नमेंट/बैंक/लोकल अथारिटी/पीसीयू द्वारा जारी किया गया कोई भी आइडेंटिटी कार्ड/ सर्टिफिकेट/ डाक्यूमेंट्स। काम्पिटेंट अथारिटी द्वारा जारी किया गया बर्थ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट। रिकाग्नाइज्ड बोर्ड/ यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया मैट्रिकुलेशन/एजुकेशनल सर्टिफिकेट। स्टेट अथारिटी द्वारा जारी किया गया परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट। फारेस्ट राइट्स सर्टिफिकेट। ओबीसी/ एसटी/एससी या कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट।

संविधान के खिलाफ था संघ

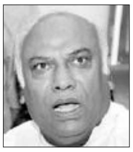

आरएसएस ने संविधान को पाश्चात्य मूल्यों को आधारित बताया था और संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंका था, भारत रत्न डा. अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरु और डा. राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के साथ मिलकर संविधान का ही नहीं, एक ऐसे भारत का निर्माण किया, जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है, भारत न्याय, समानता, आजादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की पहचान बन गया था, लेकिन आज ये पहचान खतरे में है, जब संविधान लागू हुआ था, तब आरएसएस जैसे संगठन खुले तौर पर कहते थे कि संविधान पाश्चात्य मूल्यों पर आधारित है और उनका आदर्श तो मनुस्मृति है, इतिहास गवाह है कि आरएसएस संविधान के खिलाफ था। **-मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष**

बाल उत्पीड़न: समस्या कितनी गहरी है

रजनीश कपूर

कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बाल यौन शोषण पर दायर एक याचिका सुनते हुए कड़ी टिप्पणी की और संबंधित कानूनी एजेंसियों को इन शिकायतों को गंभीरता से लेने के लिए कहा। भारत में आध्यात्मिक, धार्मिक. शैक्षणिक संस्थानों में हो रहे बाल उत्पीड़न का प्रश्न सिर्फ अपराध का नहीं, बल्कि सत्ता, आस्था और चुप्पी के गठजोड़ का सवाल है। यह समस्या अपवाद नहीं, एक संरचनागत विकृति बन चुकी है, जिस पर त्वरित और कड़े हस्तक्षेप की जरूरत है।

राष्ट्रीय स्तर पर हुए अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में बच्चों के बड़े हिस्से ने किसी न किसी रूप में यौन शोषण का अनुभव किया है। कई अध्ययनों में यह अनुपात 40.50 प्रतिशत तक बताया गया है। आध्यात्मिक आश्रमों, धार्मिक आवासीय विद्यालयों, मदरसों, कॉन्वेंट्स, हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों जैसे बंद व अनुशासित माहौल में, जहां गुरु-शिष्य या शिक्षक-छात्र संबंध में भारी शक्ति-असमानता होती है, वहां यह जोखिम और अधिक बढ़ जाता है।

इन संस्थानों में धर्म, राष्ट्रवाद या संस्कार की भाषा के सहारे एक ऐसी पवित्रता की छवि गढ़ी जाती है, जिसके कारण पीड़ित, परिवार और समाज शिकायत को पाप या अविश्वास मानकर दबा देते हैं। नतीजा यह कि जो अपराध सामान्य समाज में भी कम ही रिपोर्ट होते हैं, वे इन संस्थागत दीवारों के भीतर लगभग अदृश्य हो जाते हैं।

बड़ी संस्थाओं पर कार्रवाई न होने का पहला कारण है इन संगठनों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पकड़य बड़े आश्रमों, पंथों या प्रतिष्ठित स्कूलों के संचालक अक्सर राजनीतिक दलों, नौकरशाही और स्थानीय पुलिस से गहरे जुड़े होते हैं, जिससे शुरुआती शिकायत दर्ज कराना ही कठिन हो जाता है। कई मामलों में देखा गया है कि जब पीड़ित या सामाजिक संगठन शिकायत लेकर जाते हैं तो पुलिस पहले समझौता, प्रतिष्ठा और छवि का हवाला देकर मामला दबाने की कोशिश करती है।दूसरा कारण है हमारे समाज की अंध-श्रद्धा कई अनुयाई या अभिभावक खुद यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनके पूजनीय गुरु, फादर, मौलवी या प्रिंसिपल ऐसा अपराध कर सकते हैं। कभी-कभी तो वे ही संस्थान के पक्ष में खड़े होकर पीड़ित को ही झूठा साबित करने लगते हैं। तीसरा, इन संस्थाओं का प्रशासन अक्सर यह तर्क देता है कि पूरा संगठन बदनाम न हो, सिर्फ व्यक्ति पर दिखावटी कार्रवाई ही हो। इसी सोच के चलते संस्थागत जवाबदेही, सिस्टम में सुधार और संरचनागत जांच टलती रहती है। यूं तो कागज पर भारत के पास कई मजबूत कानून हैं। बाल यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम POCSO Act 2012 हर तरह के यौन शोषण, उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी को अपराध मानता है और 18 वर्ष से कम आयु के हर बच्चे को लैंगिक रूप से तटस्थ सुरक्षा देता है। यह कानून विश्वास की स्थिति में बैठे व्यक्ति जैसे शिक्षक, धार्मिक गुरु, वार्डन या डॉक्टर द्वारा किए गए अपराध को गंभीर श्रेणी में रखता है और सख्त सजा का प्रावधान करता है। फिर भी, दिक्कतें प्रक्रियागत हैं। जांच एजेंसियों की संवेदनशीलता की कमी, पीड़ित के बार-बार बयान होना, ट्रायल में देरी और गवाहों पर सामाजिक-आर्थिक दबाव के कारण बहुत से मामले या तो दर्ज नहीं हो पाते या अदालत तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर हो जाते हैं। कई बार स्थानीय पुलिस या बाल अधिकार आयोगों तक गई शिकायतों पर भी महीनों कार्रवाई नहीं होती, जैसा हाल में कुछ बड़े धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी उठाया। ऐसे में पीड़ितों व उनके परिवार की सबसे पहली और कठिन जिम्मेदारी है चुप्पी तोड़नाय बच्चों को यह बताया जाना जरूरी है कि कोई भी गुरु, फादर, मौलवी, भाईया 'या दीदी यदि उनकी मर्यादा का उल्लंघन करे, शरीर को गलत तरीके से छुए, तो यह गलती नहीं, अपराध है। माता-पिता और अभिभावकों को बच्चों की बात को गंभीरता से सुनना, उनके व्यवहार में अचानक आए बदलाव (डर, चिड़चिड़ापन, किसी स्थान या व्यक्ति से घबराहट) को संकेत मानना चाहिए। उन्हें धार्मिक या संस्थागत प्रतिष्ठा से ऊपर अपने बच्चों की सुरक्षा को रखना चाहिए। घटना होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को सूचना देना और पॉक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराने पर जोर देना आवश्यक है। क्योंकि कानून यह भी कहता है कि शिकायत मिलते ही बच्चे की सुरक्षा, चिकित्सा और पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। साथ ही, बाल अधिकार आयोगों, विश्वसनीय बाल अधिकार संगठनों या कानूनी सहायता समूहों से संपर्क कर पीड़ित के लिए परामर्श, सुरक्षित ठिकाना और कानूनी सहयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। अदालतें सिर्फ व्यक्तिगत मामलों में सजा देने तक सीमित न रहकर संस्थागत जवाबदे. ही तय कर सकती हैं। जैसे किसी बड़े आश्रम, कॉन्वेंट या स्कूल में दोहराए जा रहे आरोपों के मामले में स्वतरू संज्ञान लेकर स्वतंत्र जांच कमेटी, विशेष जांच दल या मॉनिटरिंग मेकनिज्म बनाने के निर्देश देना। न्यायालय समयबद्ध ट्रायल, पीड़ित गवाहों की सुरक्षा, मुआवजा और मनो. सामाजिक पुनर्वास को अनिवार्य करने वाले विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं, ताकि हर निचली अदालत में एक समान मानक लागू हो।

जांच एजेंसियों की संवेदनशीलता की कमी, पीड़ित के बार-बार बयान होना, ट्रायल में देरी और गवाहों पर सामाजिक-आर्थिक दबाव के कारण बहुत से मामले या तो दर्ज नहीं हो पाते या अदालत तक पहुंचते-पहुंचते कमजोर हो जाते हैं। कई बार स्थानीय पुलिस या बाल अधिकार आयोगों तक गई शिकायतों पर भी महीनों कार्रवाई नहीं होती, जैसा हाल में कुछ बड़े धार्मिक संस्थानों से जुड़े मामलों में याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी उठाया।

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय सरकारों को बाध्य कर सकते हैं कि सभी धार्मिक आध्यात्मिक-शैक्षणिक संस्थानों के लिए बाल सुरक्षा नीति और आंतरिक शिकायत तंत्र कानूनी रूप से अनिवार्य हो, जिसकी नियमित ऑडिटिंग हो और उल्लंघन पर पंजीकरण रद्द करने तक की कार्यवाही हो सके। जब तक आस्था का आवरण, सत्ता का संरक्षण और समाज की चुप्पी मिलकर अपराधियों के लिए ढाल बने रहेंगे, तब तक कानून की धार भी कुंद रहेगी। यह लड़ाई सिर्फ अदालतों की नहीं, परिवार, मीडिया, नागरिक समाज और जिम्मेदार धार्मिक-शैक्षणिक नेतृत्व की है, जो बच्चों की गरिमा और सुरक्षा को किसी भी पवित्र संस्था से ऊपर रख सके।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

धनिया भी देता है आपको सुंदर काया

धनिया तथा लैमन ग्रास के पेस्ट से कील मुहांसों को रोकने में मदद मिलती है। एक चम्मच धनिया रश तथा एक चम्मच लेमन ग्रास को उबलते पानी में डालकर एक घण्टा तक रहने दें तथा इससे बने पेस्ट को कील, मुहांसों पर लगाकर आधा घण्टा बाद ताजे साफ पानी से धो डालिए। ताजा धनिया पत्तियों के जूस तथा नींबू जूस को मिलाकर कील-मुहांसों तथा ब्लैक हैडस पर लगाकर आधा घण्टा बाद साफ ताजे पानी से धो डालिए। धनिया का फेस पैक त्वचा में चमक तथा आभा बढ़ाता है। ताजा टमाटर, हरी धनिया की पत्तियां तथा गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद ताजे साफ जल से धो डालिए।

शहनाज हुसैन

रसोई घर में सब्जियों का जायका बढ़ाने के लिए सर्दियों में प्रयोग किए जा रहे धनिए को हाल ही के वर्षों में सौंदर्य जगत का नया राक्स्टार माना जाने लगा है। सौंदर्य जगत में आज कल कील मुहांसों, तैलीय तथा शुष्क त्वचा, काले धब्बों के इलाज के लिए धनिए को हर्बल सौंदर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। घरेलू व्यंजनों को सुगन्ध प्रदान करने वाली जादुई जड़ी बूटी धनिए के नियमित उपयोग से कोलेस्टरोल को कम करने, पाचन तंत्र को मजबूत करने, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने तथा चर्म रोगों के उपचार में मदद मिलती है।

शरीर में पितवात को सन्तुलित एवं प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली धनिए की हरी पत्तियां शरीर में अम्ल को कम करके चेहरे के दाग, धब्बों को कम करके चेहरे की आभा को बढ़ाती है। धनिए की हरी पत्तियां चबाने से शरीर में एनिमिया को रोकने में मदद मिलती है जो कि शुष्क तथा निष्प्राण त्वचा का मुख्य कारण है ताजा धनिया में विटामिन-सी, वीटा कारोटीन, एण्टीऑक्सीडैंट के गुण विद्यमान होते हैं तथा इसकी सुगन्ध से मानसिक व शारीरिक ताजगी का अहसास होता है जिससे आपकी त्वचा मुलायम, कोमल तथा चमकदार बनती है। धनिया की पत्तियों का पेस्ट खोपड़ी पर लगाने से खुजली तथा खुशकी से निजात मिलती है। धनिया को पीस कर थोड़ा सा शहद मिलाकर बने पेस्ट को खोपड़ी पर लगाने से ताजगी तथा सफुर्ति का अहसास होता है।

धनिया तथा लैमन ग्रास के पेस्ट से कील मुहांसों को रोकने में मदद मिलती है। एक चम्मच धनिया रश तथा एक चम्मच लेमन ग्रास को उबलते पानी में डालकर एक घण्टा तक रहने दें तथा इससे बने पेस्ट को कील, मुहांसों पर लगाकर आधा घण्टा बाद ताजे साफ पानी से धो डालिए। ताजा धनिया पत्तियों के जूस तथा नींबू जूस को मिलाकर कील-मुहांसों तथा ब्लैक हैडस पर लगाकर आधा घण्टा बाद साफ ताजे पानी से धो डालिए। धनिया का फेस पैक त्वचा में चमक तथा आभा बढ़ाता है। ताजा टमाटर, हरी धनिया की पत्तियां तथा गुलाब जल को मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चेहरे पर लगाकर 15 मिनट बाद ताजे साफ जल से धो डालिए। गर्मियों में तापमान में वृद्धि तथा सूर्य की तेज किरणों से त्वचा में कालापन आ जाता है। आधा कप जई, एक चौथाई कप दही तथा एक चौथाई कप धनीया पत्तियों को काटकर मिक्सी में ब्लैंड कर लें तथा इस पेस्ट को चेहरे, गर्दन तथा आदि खुले भागों में लगाकर 20 मिनट बाद ताजे साफ पानी से धो डालिए तथा इससे गर्मियों में झुलसी त्वचा को शीतलता प्रदान होगी।

दो चम्मच धनिया पत्तियों का जूस तथा एक चम्मच नींबू जूस को मिलाकर रात को अपने होठों पर मालिश कर लें तथा इसे होठों पर रात भर रहने दें व सुबह ताजे पानी से धो डालें । इसे हफ्ते में दो बार प्रयोग करने से आपके होठ मुलायम तथा गुलाबी हो जाएंगे। गर्मियों में धूप से त्वचा अक्सर झुलस जाती हैं इसके उपचार के लिए एक चम्मच धनिया बीज पाउडर को एक कप सूर्यमुखी, बादाम या जैतून के तेल में एक हफ्ते तक इन्फ्यूज करके बने मिश्रण को सनबर्न से प्रभावित अंगों पर लगाने से शीतलता मिलती है।

धनिए की पत्तियों के जूस को ऐलोवेरा से मिश्रित कर बने मिश्रण को लगाने से चेहरे पर झुर्रियां रोकने में मदद मिलती है। धनिया की पत्तियों, चावल के आटे तथा दही के मिश्रण से बने फेस पैक के लगाने से चेहरे की मांसपेशियां तथा कोशिकाएं तरो ताजा हो जाती हैं तथा आप खिली-खिली महसूस करती हैं। ताजा हरी धनिया पत्तियों को ग्राइन्डर में डालकर पानी डालकर इसे ग्राइन्ड करके पेस्ट बना लें। अब इस मलमल को कपड़े या स्ट्रेनर की मदद से जूस अलग कर लें। थोड़े से जूस में चुटकी भर हल्दी मिलाकर बने पेस्ट को रात को सोते समय चेहरे पर लगाकर सुबह ताजे पानी से धोने से त्वचा में निखार आता है।

तुम्हारा है, तो परिवारवाद, हमारा है, तो गुणवाद

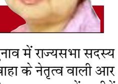

निर्मल रानी

बात जब परिवारवाद की आती है तो सबसे पहला निशाना गांधी-नेहरू परिवार पर साधा जाता है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव व लालू यादव जैसे नेताओं पर परिवारवादी राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है। इन लोगों के श्परिवारवाद श का विरोध करने वाले विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि इस परिवार के लोग लोकतंत्र विरोधी हैं और अपने परिवार के लोगों को राजनैतिक विरासत के रूप में जनता पर थोपने की कोशिश करते हैं। जबकि वास्तव में नेहरू घराने से लेकर मुलायम सिंह व यादव,लालू यादव जैसे नेताओं की भारतीय राजनीति में अहम भूमिका रही है। नि:संदेह नेहरू -इंदिरा -राजीव ने देश को विकास व आधुनिकता की राह पर लाने,देश को आत्मनिर्भर बनाने व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसी तरह लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव को भी भारतीय राजनी. ति में मुख्य रूप से मंडल राजनीति के दो सबसे बड़े चेहरे और उत्तर भारत में जातिगत गोलबंदी की राजनी. ति के जनक के रूप में याद किया जाता है। इन दोनों ही नेताओं ने 90 के दशक में ओ बी सी विशेषकर यादव-दलित-मुस्लिम गठजोड़ को इतनी शक्ति दी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में लंबे समय तक कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा दोनों को सत्ता से बाहर रखा। आज भी इन्हें मंडल क्रांति के नायक, सामाजिक न्याय के प्रतीक तथा भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय दलों का विकल्प देने की क्षमता रखने वाले नेताओं के रूप में याद किया जाता है।

पूरे देश में नेहरू-इंदिरा परिवार ने और देश के दो सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश व बिहार में इन यादव घरानों ने धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी राजनीति की जो अमिट छाप छोड़ी है उसी ने भाजपा को लंबे समय तक सत्ता से दूर रखा। अपनी इसी कसक को भाजपा नेता परिवारवाद के रूप में प्रचारित कर अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। जबकि इन परिवारों की वर्तमान पीढ़ियों में राहुल गांधी ने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका में पढ़ाई की बाद में रोलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा, अमेरिका से स्नातक की डिग्री ली और ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ब्रिटेन से 95 में डेवलोपमेन्ट स्टडीज में एम फिल पूरी की। चार बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी सिविलध्एनवायर्नमेंटल इंजीनियर की डिग्री व मास्टर्स डिग्री सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया से हासिल की है। वे भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व पांच बार सांसद होने का अनुभव रखते हैं। गोया यह लोग न अशिक्षित हैं न ही अनुभवविहीन न ही नकली डिग्री धारी। तेजस्वी यादव अशिक्षित जरूर हैं परन्तु उनके पास राजनीति का एक दशक से भी लंबे समय का अनुभव होने के साथ साथ पांच बार विधायक दो बार उपमुख्यमंत्री व नेता विपक्ष के पद पर रहने का अनुभव व लालू के कारण ही सही परन्तु भारी लोकप्रियता भी है। सवाल यह है कि परिवारवाद का विरोध करने वाली भाजपा क्या खुद भी परिवारवाद से दूर रहती है ? क्या उन क्षेत्रीय पार्टियों या नेताओं से पार्टी फासला बनाकर रखती है जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं?

इस समय वर्तमान नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में ही कम से कम 15 मंत्री ऐसे हैं जो परिवारवाद से जुड़े हैं या अपनी राजनीतिक विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा के कुल सांसदों में से लगभग 12 प्रतिशत राजनैतिक विरासत से आते हैं। अनुराग ठाकुर,ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, किरेन रिजिजू, राव इंद्रजीत सिंह, रक्षा खड़से आदि ऐसे कई उदाहरण हैं जो परिवारवाद के चलते ही केंद्र में मंत्री पद तक पहुंच सके हैं परन्तु जब विपक्ष भाजपाई परिवारवाद का यही दर्पण भाजपा को दिखाता है तो भाजपा दावा करती है कि इनका चयन योग्यता अर्थात श्गुणवादश पर आधारित है, न कि परिवारवाद पर। इससे बड़ा पाखंड और क्या हो सकता है?

अभी पिछले दिनों बिहार में जब नितीश कुमार मंत्रिमंडल ने शपथ ली तो उसमें भी भाजपा व उसके सहयोगी दलों का परिवारवाद टिकट वितरण से लेकर मंत्री मंडल में स्थान पाने तक सिर चढ़कर बोलता दिखाई दिया। यहां विधान सभा चुनाव में एन डी ए की ओर से 29 ऐसे विधायक जीतकर आए हैं जो परिवारवाद का प्रतीक हैं। जबकि 26 मंत्रियों में से 9 मंत्री भी परिवारवाद से जुड़े हैं। इनमें सबसे प्रमुख परिवार केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 2025 चुनाव में हिस्से में कुल 6 सीटें मिली थीं जिनमें से 5 पर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दिया। इस समय उनके परिवार के 7 सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं तथा 5 व्यक्ति सांसद, विधायक व मंत्री बने हैं। इनमें संतोष कुमार सुमन, जीतन राम मांझी के पुत्र हैं ए विधान पार्षद (एमएलसी) हैं तथा इन्हें इस बार तीसरी बार नितीश मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अतिरिक्त दीपा मांझी, जीतन राम की पुत्रवधू अर्थात संतोष (मंत्री जी) की पत्नी हैं। यह विधायक हैं। जीतन मांझी की भाभी ज्योति देवी विधायक हैं। प्रफुल्ल कुमार दामाद , संतोष (मंत्री जी) का साला विधायक है । एक अन्य रिश्तेदार देवेंद्र मांझी दामाद उपाध्यक्ष व बिहारै ब आयोग का अध्यक्ष है। यह पूर्व में मुख्यमंत्री काल में मांझी के पी ए भी रह चुके हैं।

इसी तरह बिहार की एक और क्षेत्रीय पार्टी है राष्ट्रीय लोक मोर्चा। बिहार चुनाव में राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली आर एल एम के हिस्से में बिहार के 2025 चुनाव में 6 सीटें मिलीं इनमें से 4 पर विजय हासिल की। इनके परिवार में भी कुल 3 व्यक्ति सांसद, विधायक व मंत्री बने हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश न तो विधायक हैं न ही विधान पार्षद न ही वे चुनाव लड़े परन्तु इस भरोसे मंत्री बना दिए गए कि अगले 6 महीने में यह विधान परिषद् सदस्य बन जाएंगे। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा इस बार सासाराम से विधायक चुनी गई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान की पार्टी में कई रिश्तेदार विधायक चुने गए हैं। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी भाजपा से उपमुख्यमंत्री हैं। कैप्टन जय नारायण निषाद पूर्व सांसद की बहू रमा निषाद को मंत्री बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा को मंत्री बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरिहर सिंह के बेटे भाजपा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह को मंत्री व जे डी यू के पूर्व विधायक राम नंदन सिंह के बेटे श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया। भाजपा शासित अन्य कई राज्यों में भी इसी तरह के परिवारवाद की पताका लहराती दिखाई देगी। परन्तु गत चार दशकों से इन्हें केवल विपक्षी दलों का ही परिवारवाद नजर आता है। गोया तुम्हारा है तो परिवारवाद हमारा है तो गुणवाद?

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

प्रेरणा

लोगों को हर तरह से खूबसूरत होना चाहिए। चेहरे से, विचार से और अंतरात्मा से। - **अंतोन चेखव**

संपादकीय

औपचारिक क्षेत्र में जॉब्स घटने का असर दिख रहा है

ताजा पीएलएफएस में बेरोजगारी अगस्त के मुकाबले पिछले दोनों माह में 0.1% की वृद्धि के साथ 5.2 पर बनी हुई है। विगत सप्ताह जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार ट्रम्प टैरिफ के कारण अक्टूबर में निर्यात 9% घटा है। इससे आने वाले दिनों में औपचारिक क्षेत्र में नौकरियां और घटेंगी। अनपेड फैमिली वर्क के वर्ग में और युवा जुड़ सकते हैं। इस काम में न तो कोई वेतन है, ना ही सेवा-सुरक्षा या अन्य स्वास्थ्य सुरक्षा। नोटबंदी और कोरोना के बाद से एमएसएमई सेक्टर के हाशिये पर जाने के बाद युवा मजबूर होकर वापस अपने मूल स्थान पर लौटे हैं। बिहार जैसे राज्य में प्रति परिवार बेहद कम होते खेत (0.39 हेक्टेयर से भी कम) हैं। युवाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेश्यो (एफएलपीआर)- यानी उम्र और क्षमता के बावजूद रोजगार पाने की चाहत राष्ट्रीय औसत से काफी कम (42%) है। दस साल पहले देश में 15-16% युवा निराश होकर खेती, दुकान या पशुपालन में हाथ बंटाते थे। नोटबंदी और कोरोना के बाद इनका प्रतिशत बढ़कर 20-24 हो गया है। चूंकि रोजगार प्रतिशत आंकने का तरीका गलत है, लिहाजा कम एफएलपीआर होने से नौकरियां पाने वालों की रोजगार दर बढ़ जाती है और सरकारी आंकड़ों में अनपेड फैमिली वर्क के कॉलम में कुछ करोड़ और जुड़ जाते हैं, जिसे बेरोजगारी घटना बताया जाता है। जबकि फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार बिहार में औपचारिक क्षेत्र खासकर मैन्युफैक्चरिंग और सेवा में रोजगार काफी घटे हैं, जिसकी वजह से कृषि पर दबाव बढ़ता गया है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

प्रतिस्पर्धी दुनिया में सहज बने रहने का सूत्र सीखें

पिछले वर्षों के मुकाबले पढ़े-लिखे लोगों और योग्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है। जाहिर है प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। लेकिन अब प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंद्विता और इससे भी आगे बढ़कर युद्ध में बदल गई है। अब लोग अपने प्रतिस्पर्धी को तनाव, चिंता और अपमान देने के नए-नए तरीके ईजाद कर चुके हैं। कई बार तो यदि प्रतिस्पर्धी कमजोर है तो वो तनावग्रस्त होकर, चिंता में डूबकर, अपमान से आहत होकर आत्महत्या तक करने की सोचता है। यह भी हिंसा है। किस युग में प्रतिस्पर्धा नहीं रही? चाहे अवतारों का युग हो या साधु-संतों का समय, सबको अपने दौर में चुनौतियां मिलीं। लेकिन उनके जो तरीके थे, वो आजमाए जाने चाहिए। वो सिखा गए कि सामने वाले की योग्यता पर ध्यान दो। उसके निर्णयों की पूरी जानकारी और उसकी कमजोरियों पर नजर रखो। और यदि आप अपने प्रतिस्पर्धी के प्रहार से आहत हो रहे हों तो एक प्रयोग प्रतिदिन करिए। सांस लें तो ताजगी और सहजता भीतर उतारें और सांस छोड़ें तो दूसरों के द्वारा दी गई निगेटिविटी को बाहर फेंकें। यह प्रयोग आपको प्रतिस्पर्धी दुनिया में सहज बनाएगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

पाठकों के पत्र

एक नई सामाजिक समझ

महिलाओं के कामकाजी होने से समाज की वर्षों पुरानी यह मानसिकता बदली है कि घर से बाहर के कार्यों पर पुरुषों का ही एकाधिकार है। पुरुष भी अब घरेलू कामकाज में हाथ बंटाते हैं। यह साझेदारी नई सामाजिक समझ का संकेत है। इससे न केवल महिलाएं शारीरिक और मानसिक सुकून महसूस करती हैं, बल्कि उनकी सृजनात्मकता का भी विकास होता है। यह बदलाव पुरुषों की भी उपलब्धि है, जिससे समाज संतुलित हो रहा है।
-डॉ. मिथिलेश कुमार, भागलपुर, बिहार

हार को भी सहजता से स्वीकारें

दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट मैच श्रृंखला में भारतीय क्रिकेट टीम के दयनीय प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमी आक्रोश में हैं। अकसर देखा गया है कि टीम के जीतने पर हम अति उत्साह में आ जाते हैं और हार के बाद अत्यधिक निराश होकर टीम प्रबंधन, प्रशिक्षक, चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों की आलोचना करने लगते हैं। कोई भी टीम निरंतर शीर्ष पर नहीं रह सकती, इसलिए हार को भी सहजता से स्वीकार करना चाहिए। **-रमेशचंद्र कर्नावट,** इंदौर, मध्य प्रदेश

प्रदूषण के खात्मे का प्रण लेना होगा

दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी की है। लेकिन हम कब तक ऐसे मुंह छुपाए बैठेंगे? अब तो एनसीआर ही नहीं, दूसरे राज्यों और जालंधर में भी ऐसा ही हाल है। हमें बढ़ते वायु प्रदूषण का अंत करने का प्रण अभी से ही लेना होगा, ताकि हमारे और भावी पीढ़ी के लिए यह आफत ना बने।
-राजेश कुमार चौहान, जालंधर, पंजाब

दोष से नहीं बच सकता आयोग

निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में लगे बूथ लेवल अधिकारियों की आत्महत्याओं के दोष से बच नहीं सकता। रोजाना 200 वोटर्स का लक्ष्य बहुत अधिक तनाव देने वाला आंकड़ा है। इसे निर्वाचन आयोग की लापरवाही कहा जा सकता है। बीएलओ की मौतों के लिए आयोग जवाबदेह है। और अधिक मौतें ना हों, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को मामले में तुरंत दखल देना होगा।
-सुश कोचर, जयपुर, राजस्थान

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

क्या आप जानते हैं

कीटों में सबसे ज्यादा दर्द देता है बुलेट चींटी का डंक

अमेजन के वर्षावनों में पाई जाने वाली बुलेट चींटी का डंक दुनिया भर के कीटों में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाला है। कीटों के डंकों की तीव्रता मापने के लिए प्रचलित शिमट स्टिंग पेन इन्डेक्स में इसे 4+ स्तर पर दर्ज किया गया है, जो सबसे ऊंचा माप है। एशियन जाइंट हॉर्नेट (ततैया) भी इसमें 2+ स्तर पर है। बुलेट चींटी के डंक में पोनेराटॉक्सिन नामक विष होता है, जो नसों में तीव्र जलन, मांसपेशियों की ऐंठन पैदा करता है। बुलेट चींटी के डंक से 24 घंटे तक बेहद तीव्र दर्द रह सकता है।

1500 तक चींटियां बुलेट एंट की एक कॉलोनी में आमतौर पर रहती हैं। गोली लगने जैसा दर्द देने के कारण इन्हें यह नाम मिला है।

बामुलाहिज़ा • आसमान में हमारा कोई और दुश्मन नहीं, सिवाय हमारी विलम्ब की संस्कृति के

अपनी हवाई ताकत बढ़ाने में देरी ठीक नहीं

वायु-शक्ति

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X @ShekharGupta

भारतीय वायुसेना (आईएएफ) इतनी मजबूत, गर्वीली तथा पेशेवर तो है ही कि वह तेजस हादसे से हताशा में नहीं डूब जाएगी। लेकिन हमारे नीति-निर्धारकों के लिए यह इस बात पर मनन करने का मौका है कि आईएएफ को जिस चीज की जरूरत है, उसके मद्देनजर नीतिकारों ने उसके प्रति पूरी तरह से उचित व्यवहार किया है या नहीं, या आईएएफ से वे जो मांग करते रहे हैं, उसे जो समझौते और 'एडजस्टमेंट' करने के लिए कहते रहे हैं, उस सबको कितना उचित माना जा सकता है।

हमें यह भी याद करना चाहिए कि पायलट खासतौर से मजबूत शख्स होते हैं और उनमें से भी जो सबसे मजबूत होते हैं, वे आईएएफ में होते हैं। दुनिया भर में वे ही उन कुछ पायलटों में शामिल हैं, जो हमेशा ऑपरेशन की मुद्रा में होते हैं। यहां यह नहीं कहा जा रहा है कि भारत की थलसेना और नौसेना शांति के काल में लंबी सेवा अवधि का लाभ उठाती हैं। लेकिन आईएएफ का विशेष उल्लेख तीन कारणों से किया जा सकता है।

पहला यह कि जब भी तनाव बढ़ता है या सबक सिखाने वाली परिस्थिति आती है, तब सबसे पहले जवाब देने के लिए उसे ही उतरना पड़ता है, खासकर मोदी सरकार के इस सिद्धांत के मद्देनजर कि आतंक की हर कार्रवाई को हमला माना जाएगा और उसका तुरंत जवाब दिया जाएगा। दूसरे, तीनों सेनाओं में आईएएफ के अधिकारी ही प्रायः युद्ध में उतरते हैं। इन अधिकारियों का एक संगठित समुदाय है। और तीसरे, तीनों सेनाओं में आईएएफ ही टेक्नोलॉजी पर सबसे ज्यादा निर्भर है। लड़ाई के सारे साधन, जमीन पर उसे निर्देश देने, नियंत्रण में रखने और सुरक्षा देने वाले उपकरण निरंतर बदलती तकनीक पर निर्भर होते हैं।

थलसेना और नौसेना में यहां-वहां टेक्नोलॉजी संबंधी कमियों को कभी-कभी संख्याबल से पूरा किया जा सकता है, लेकिन वायुसेना को यह छूट नहीं होती। इसके अलावा, चूंकि हवाई युद्ध के साधनों की पूंजीगत लागत नौसेना के साधनों जितनी ऊंची नहीं होती, इसलिए पाकिस्तान के लिए इसमें आगे बढ़ना मुमकिन हो सकता है, खासकर इसलिए कि छोटी-मोटी झड़पों में हवाई युद्ध करने के लिए वायुसेना को तैयार किया गया है। और चीन तो पाकिस्तान की मदद के लिए हमेशा तैयार है ही।

अमेरिका ने 1950 वाले दशक के मध्य से पाकिस्तान एअर फोर्स (पीएएफ) को अपने आधुनिकतम लड़ाकू विमान देने शुरू किए थे, तब से आईएएफ प्रायः उसकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। 1965 में इसने पीएएफ का मुकाबला सुपरसोनिक विमान और मिसाइल से लैस एफ-104 स्टारफाइटर्स से किया। 1971 आने तक सोवियत संघ के साथ गहराते रिश्ते ने आईएएफ को पीएएफ की बराबरी पर ला दिया। सत्तर वाले दशक में पाकिस्तान अपनी चोट से उबरने में जुटा था।

1984 तक, एफ-16 की पहली खेप आने के साथ तस्वीर नाटकीय रूप से बदल गई। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर सोवियत हमले के पांच साल बाद एफ-16 विमान दिए थे, लेकिन यह इस उपमहादेश में हवाई जंग में सबसे आगे निकलने की सात दशकों की होड़ का इतिहास नहीं है। यह कहानी है उन अहम दुविधाओं की जिनसे भारत इस मोर्चे पर जूझता रहा है। इनका एक नतीजा है 'तेजस', जो काफी अच्छा है। यह शानदार, काफी कम कीमत वाला, अधिकतर घरेलू उत्पादन वाला है और सुरक्षा के मामले में इसका रिकॉर्ड शानदार रहा है। पहली उड़ान भरने के बाद बीते 24 सालों में इसके केवल दो हादसे हुए हैं, लेकिन 2025 तक क्या यही हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होना चाहिए था?

हमारे लिए आत्म-विश्लेषण करना भी जरूरी है...

तेजस एक बेहतरीन, कम कीमत वाला और ज्यादातर देश में बना हुआ लड़ाकू विमान है, जिसका सुरक्षा रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा रहा है। पिछले 24 साल में इसके सिर्फ दो हादसे हुए हैं। इसके बावजूद दुबई के हादसे के बाद आत्म-विश्लेषण जरूरी हो जाता है।

याद कीजिए, 2015 में रक्षा मंत्री रहे मनोहर पर्रिकर ने अनिच्छुक आईएएफ को तेजस मार्क 1ए को अपनाने पर मजबूर किया था, जिसकी डिलीवरी 2022 से देने का वादा किया गया था। अब 2027 के शुरू में भी इसका पहला स्क्वाड्रन पूरी तरह ऑपरेशन में आ जाए तो हम खुद को खुशकिस्मत मानेंगे। पांच साल की देरी की सामरिक तथा रणनीतिक कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। इस बीच पाकिस्तान जेएफ-17 की कई आवृत्तियां उत्पादित कर चुका है और ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा है कि यह 57 फीसदी से ज्यादा 'देसी' है। यह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स (पीएसी) और चीन के चेंगडु एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का संयुक्त उपक्रम है।

तेजस हमारी अनिश्चितता का शिकार हुआ। सरकार ने 1983 में इसे हल्के लड़ाकू विमान (एलएसी) के रूप में मंजूरी दी। लेकिन इसे पहली उड़ान भरने में 18 साल लग गए, इसे ऑपरेशन में शामिल करने की शुरुआती मंजूरी (आइओसी) मिलने में 12 साल और लग गए और ऑपरेशन में शामिल करने की पूर्ण मंजूरी (एफओसी) मिलने में छह साल और लग गए। यह कहानी जारी है। भारत की हवाई शक्ति सात दशकों से टेक्नोलॉजी की दौड़ में फंसी रही है। कहा जा रहा है कि आईएएफ जब तक आदर्श मॉडल से 10-15 परसेंट नीचे वाली चीज को कबूल नहीं करता, तब तक हमारी घरेलू टेक्नोलॉजी प्रगति नहीं कर सकती। अंतर को जल्दी दूर करने की मांग करने वाले को 'इम्पोर्ट बहादुर' नाम देकर खारिज कर दिया जाता है।

यहां यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि तेजस में कोई नुक्स नहीं है, लेकिन यह कुरबानी अगर हमें हमारी टालमटोल वाली प्रवृत्ति की याद दिलाता है और हममें बदलाव लाता है तो वह भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। अपना लड़ाकू विमान हो, यह तो बहुत अच्छी बात है लेकिन हम हमेशा होड़ में फंसे रहकर अपना ही नुकसान करते हैं। हवाई शक्ति को लेकर हम जिन दुविधाओं की बात करते हैं, उनमें यह केंद्रीय है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

विश्लेषण • वोटरों को निकालने-जोड़ने का सवाल

विपक्षी दलों को एकजुट कर सकती है एसआईआर प्रक्रिया

वोटर-लिस्ट

अभय कुमार दुबे
लेखक सीएसडीएस और अम्बेडकर विवि दिल्ली में प्रोफेसर रह चुके हैं

चुनाव आयोग के अनुसार एसआईआर का लक्ष्य मौजूदा मतदाता सूची के स्थान पर एक पूरी तरह से शुद्ध सूची बनाना है। लेकिन हाल ही में चले इसके 'पायलट प्रोजेक्ट' के नतीजों की वजह से इस प्रक्रिया में खास तरह के राजनीतिक मंतव्यों का समावेश हो गया है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के लिए अब एसआईआर राजनीति में टिकने या न टिक पाने का पर्याय बन चुका है। इसके इर्द-गिर्द जो तीखी बहस चल रही है, वह 4 दिसम्बर को इस प्रक्रिया के खत्म हो जाने के बाद ठंडी होने वाली नहीं है। वह तो हर उस प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के पहले और बाद में जारी रहेगी, जहां-जहां इस समय एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है।

जाहिर है कि एकदम नई मतदाता सूची बनाने का मतलब ही है बड़े पैमाने पर वोटरों को निकालना और जोड़ना। यानी एसआईआर से चुनाव परिणाम लाजिमी तौर पर प्रभावित होते हैं। किसके वोट निकाले जा रहे हैं और किसके जोड़े जा रहे हैं- इस पर लोकतंत्र का राजनीतिक भविष्य निर्भर हो सकता है। दरअसल, इन अंदेशों के पीछे दो मुख्य व्यावहारिक कारण हैं। पहला, एसआईआर की प्रक्रिया कुछ इस तरह से डिजाइन की गई है कि सूची में नाम सुनिश्चित कराने का जिम्मा वोटर का हो गया है, जबकि इससे पहले यह दायित्व आयोग का होता था। दूसरा, ईवीएम से मतदान के पिछले दशकों में वोट डालने की प्रक्रिया की गोपनीयता पहले जैसी नहीं रह गई है। जब मतगणना के दौरान ईवीएम बूथवार खुलती है तो पता चल जाता है कि किस बूथ पर मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया। किसी बूथ से बार-बार एक ही परिणाम आने से काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के कौन से मतदाता किस पार्टी के समर्थक या विरोधी हो चुके हैं। यानी अगर इन पार्टी निष्ठाओं का ध्यान रखकर बूथवार योजना बनाई जाए तो वोटरों को निकालने और जोड़ने के कुछ फायदे या नुकसान हो सकते हैं।

विपक्ष अपने इस दावे को खुलकर कह रहा है कि एसआईआर का मकसद गैर-भाजपा दलों को चुनाव में हराने का पक्का और स्थायी बंदोबस्त करना है। इसके उलट सत्ता पक्ष एसआईआर को अपनी जीत के उपकरण की तरह पेश करने के विपक्षी आग्रह को चुनावी हार से पैदा हुई खिसियाहट का नतीजा बताने में लगा है। वह पूरी कोशिश कर रहा है कि एसआईआर कराने को एक निर्दोष संवैधानिक प्रक्रिया की तरह पेश किया जाए। पर उसके आलोचक यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं। वे कहते हैं कि पुरानी मतदाता सूची को खारिज करके एकदम नई मतदाता सूची बनाने का बीड़ा उठाने से पहले चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया के सभी स्टेकहोल्डरों के साथ कम से कम चर्चा तो करनी ही चाहिए थी। देश की सभी राजनीतिक पार्टियां और राज्य सरकारें इससे प्रभावित होने वाली हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। बस एक दिन अचानक इसकी घोषणा कर दी गई। पहले बिहार में यह प्रक्रिया ताबड़तोड़ चलाई गई और अब 12 अन्य राज्यों में किसी भी आपत्ति से बेपरवाह होकर जल्दबाजी में इसे किया जा रहा है।

अगर विपक्ष की रणनीति के संदर्भ में देखें तो उसके नेता किसी न किसी रूप में मान रहे हैं कि एसआईआर की काट अगर उनकी तरफ से न की गई तो चुनावी प्रतियोगिता में उनका भविष्य अंधकारमय है। इसलिए उनके दायरे में इसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की रणनीतिक सुगबुगाहट शुरू हो गई है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जाहिर है कि यह पहलकदमी कांग्रेस और राहुल गांधी ने की है। उसने एसआईआर के खिलाफ एक राष्ट्रीय मुहिम का खाका बना लिया है। इसकी शुरुआत रामलीला मैदान में एक रैली करने और गुजरात से एक पदयात्रा निकालकर की जाएगी। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी इस मुहिम में न केवल वे क्षेत्रीय शक्तियां जुड़ेंगी, जिनसे उसके अच्छे संबंध हैं (जैसे यूपी की सपा, बिहार का राजद और तमिलनाडु की द्रमुक), बल्कि वे पार्टियां भी साथ आएंगी, जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से परहेज करती हैं (जैसे बंगाल की टीएमसी और केरल की माकपा)। कांग्रेस की इस उम्मीद में कुछ तो दम है। कारण यह है कि एसआईआर से सभी क्षेत्रीय शक्तियों के कान खड़े हो गए हैं!

कांग्रेस से मतभेदों के बावजूद विपक्षी दलों को उसके साथ एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ सकता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में ही ऐसी एकता हो पाती थी, पर इसके अब विधानसभाओं के स्तर पर भी होने की संभावना पैदा हो गई है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

नजरिया • बदलाव लाना है तो पहले जनता से जुड़ें

पर्यावरण सुधार जमीनी स्तर पर जुड़ाव से ही सम्भव है

क्लाइमेट

प्रो. चेतन सिंह सोलंकी
आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर
chetanss@gmail.com

जलवायु सुधार की तमाम कोशिशें आज जमीनी स्तर पर एक किस्म के 'डिसकनेक्ट' से जूझ रही हैं। दुनिया के नीति-निर्माता, विशेषज्ञ, एनजीओ और थिंक टैंक हर साल बड़े-बड़े सम्मेलनों में भाग लेते है। समझौते और घोषणाएं करते है। लेकिन सच्चाई यह है कि इन तमाम प्रयासों के बावजूद दुनिया का कार्बन उत्सर्जन हर वर्ष कम होने की बजाय उलटे बढ़ ही रहा है। वर्ष 1995 में जब वैश्विक स्तर का पहला जलवायु परिवर्तन सम्मलेन हुआ था, तब दुनिया में हर साल लगभग 22 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती थी। लेकिन आज, तमाम कवायदों के बावजूद, यह आंकड़ा 40 अरब टन से अधिक हो गया है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक स्तर का सम्मलेन- जिसमें विश्व की सभी सरकारें भी भाग लेती हैं- यानी सीओपी की 30वीं मीटिंग हाल ही में ब्राजील में सम्पन्न हुई है। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन एक चुनाव होता, तो हमारे ये विशेषज्ञ अब तक 29 बार चुनाव हार चुके होते। फिर भी वे हर बार ज्यादा पॉलिसी, ज्यादा पैसे और ज्यादा टेक्नोलॉजी जैसी रणनीतियों को दोहराते रहते हैं, मानो इस बार इनके नतीजे पहले से अलग होंगे।

असल समस्या यही है कि जो लोग निर्णय लेते हैं, वे जमीन से बहुत दूर हैं। वे कार्बन क्रेडिट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग, नेट-जीरो और ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाने की बात करते हैं, लेकिन इन सब का जलवायु सुधार में कितना असर होगा, आम आदमी किस ढंग से इन्हें अपनाएगा या नहीं अपनाएगा, उन्हें ये कम ही समझ आता है। जमीन से दूर रहने वाले लोग आंकड़ों को गिनते हैं, आदतों को नहीं।

पिछले पांच वर्षों से मैं अपना घर और आईआईटी बॉम्बे की नौकरी को छोड़कर- एक बस में रहते हुए- पूरे देश की एक यात्रा कर रहा हूं, जिसका नाम है एनर्जी स्वराज यात्रा। इस यात्रा ने मुझे वो सिखाया है, जो किसी नीति निर्माताओं के दस्तावेजों में नहीं मिलता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कौन-सी पहल जमीनी स्तर पर चलती हैं और कौन-सी नहीं। कौन-सी बात लोगों को सच में प्रेरित करती है और किसका उन पर सिर्फ कागजी असर पड़ता है।

हकीकत यह है कि सच्ची जलवायु कार्रवाई न तो तकनीक से शुरू होती है, न ही नीतियों से। यह शुरू होती है मानव व्यवहार को समझने से- लोगों के साथ संवाद से, सहभागिता से और जिम्मेदारी के बोध से। अधिकांश नीतियां जलवायु सुधार को एक बाहरी समस्या मानती हैं, जिसे सरकारें या कंपनियां सुलझाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ऊपर से कभी कोई सुधार नहीं होता, यह जमीन से जुड़ाव से ही होता है। नीतियां और तकनीक केवल औजार हैं- समाधान नहीं। जब तक हमारी मानसिकता नहीं बदलती, ये औजार किसी काम के नहीं हैं।

मेरी यात्रा ने मुझे यह सिखाया है कि जलवायु सुधार की पहली शर्त धरती की सीमितता को स्वीकार करना है। हर व्यक्ति और हर नीति-निर्माता को समझना होगा की एक सीमित धरती पर असीमित उपयोग संभव नहीं है। जब धरती सीमित है, इसके खनिज और मिट्टी भी सीमित हैं, तो हमारी अलमारियों में कपड़ों की संख्या, हमारी सड़कों पर गाड़ियों की संख्या और हमारे शहरों में इमारतों की संख्या भी सीमित ही रखनी पड़ेगी।

अधिकांश नीतियां जलवायु सुधार को एक बाहरी समस्या मानती हैं, जिसे सरकारें या कंपनियां सुलझाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ऊपर से कभी कोई सुधार नहीं होता, यह जमीन से जुड़ाव से ही होता है। नीतियां और तकनीक केवल औजार हैं- समाधान नहीं।

जब यह समझ जन-जन के दिल और दिमाग में उतर नहीं जाती है, तब तक नीति और तकनीक का सही उपयोग संभव नहीं होगा। फाइनाइट अर्थ मूवमेंट (एफईएम) धरती की सीमितता के सत्य पर आधारित है। दुर्भाग्य से, ज्यादातर थिंक टैंक, एनजीओ और वैश्विक नेता अब भी इस बुनियादी सच को नजरअंदाज कर रहे हैं। वे पर्यावरणीय संकट को आर्थिक उन्नति से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वे उपभोग की समस्या को बिना उपभोग घटाए सुलझाना चाहते हैं।

जब तक ये नीति-निर्माता और विशेषज्ञ जमीन पर नहीं आएंगे, तब तक बात और बदलाव के बीच की दूरी बढ़ती ही जाएगी। चाहे राजनीति में हो या जलवायु में सुधार, यदि आपको बदलाव चाहिए, तो सबसे पहले जमीन से जुड़ना पड़ेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

डिफ्रेंट एंगल • बेशक, खूब पढ़ाई करो और पैसे कमाओ, लेकिन बेसिक लाइफ स्किल्स भी तो सीखो...

स्कूलों में हमें सब सिखाया जाता है, पर खाना बनाना क्यों नहीं?

सेल्फ-हेल्प

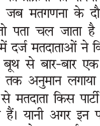

रश्मि बंसल
लेखिका और स्पीकर
mail@rashmibansal.in

हाल ही मैंने पढ़ा कि लंबी उम्र पाने का एक नुस्खा है- उलटे लटक जाइए। यह सलाह दी है एक फूड-डिलीवरी प्लेटफॉर्म के संचालक ने। वो मानते हैं कि जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ब्रेन में खून का प्रवाह कम हो जाता है, और इसके लिए जिम्मेदार है फोर्स ऑफ ग्रैविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का बल।

वैसे अगर आप योग करते हैं तो जानते होंगे कि ऐसी कई मुद्राएं हैं, जिनमें सिर नीचे की तरफ होता है। और शीर्षासन में तो आप सिर के बल पूरे शरीर को खड़ा करते हो। मगर आप यह भी जानते होंगे कि जो योगविद्या का पालन करते हैं, वो खाना भी सरल और शाकाहारी खाते हैं। मजे की बात यह है कि जिन्होंने वो कंपनी बनाई, जो नई पीढ़ी के खाने की आदतों को बर्बाद कर रही है, अब वही हमें स्वास्थ्य की टिप्स दे रहे हैं। आज चाहे होस्टल हो या घर, अगर आपको थाली में रखी सब्जी पसंद नहीं, तो मन में खयाल आता है- कुछ ऑर्डर कर लूं।

अब आप ऑर्डर करते हो या नहीं, यह आपके हालात के ऊपर है। अगर मां की डांट से डरते हो तो चुपचाप लौकी खा लोगे। और सब के सोने के बाद, कुछ चटपटा मंगाकर खाओगे। डिलीवरी वाले को यह बोलकर कि भाई, घंटी ना बजाना, मैं बाहर आकर ले लूंगा।

अगर होस्टल हो या बैचलर फ्लैट, तब तो कोई रोक-टोक ही नहीं। आजकल के कपल्स भी काफी दिन तक सिंगल वाली लाइफ जीना चाहते हैं, सो वहां भी हर दूसरे दिन खाना मंगवाना आम बात है। लेकिन इसका नतीजा यह कि एक दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होते-होते अहसास हुआ- उफ, पैंट टाइट हो गई। वजन 3 किलो बढ़ गया। हम्म, अब दो रास्ते हैं- या तो अपनी आदतें बदलें, या दूसरी साइज की पैंट लें। अगर आपने पहला ऑप्शन चुना तो आप धन्य हैं। ऑफिस की मारामारी में अगर आप सुबह की सैर या शाम को जिम जाने लगे तो काफी फायदा होगा। लेकिन थोड़ी एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं कि आपको अटरम-पटरम खाने का लाइसेंस मिल गया। घर पर बनाया पौष्टिक खाना बाहर से मंगाए खाने से हमेशा ही बेहतर होगा। हां, आपको रोटी और चावल कम, दाल-सब्जी ज्यादा खानी है। नमक कम, तेल कम, फल-सलाद भी लेना होगा।

अब सवाल है कि बनाएगा कौन? अगर आपका लक अच्छा है तो खाना बनाने वाली कोई अच्छी आंटी या दीदी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी उसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बाजार से सामान मंगवाना पड़ेगा। आजकल ऐसे आलसी लोग हैं, जिनको यह भी भारी पड़ता है। खैर, दस-पंद्रह साल में ऐसी आंटी और दीदी भी नहीं मिलने वालीं। क्योंकि इनकी बेटियां पढ़-लिखकर कुछ और करना चाहती हैं। तब तक आशा है हमारे लिए रोबोट दीदी ईजाद हो जाएगी, जो स्टील के हाथों से दाल में तड़का डालकर मां के प्यार का अहसास दिलाएगी।

वैसे, आज भी खाना बनाना एक लड़की का काम समझा जाता है, क्योंकि यही हम सदियों से देखते आ रहे हैं। हम गणित-विज्ञान-भूगोल, सब सीखते हैं स्कूल में, लेकिन ये बेसिक लाइफ स्किल हमें सिखाई नहीं जाती। पढ़ाई करो, जॉब करो, पैसे कमाओ, लेकिन क्या रुपयों को आप अचार के साथ खा सकते हो?

चाइना में केजी के विद्यार्थी अपना काम खुद करना सीखते हैं। तीन-चार साल के बच्चे अपना बैड बनाते हैं, बस्ता लगाते हैं, सफाई करते हैं। और एक छोटे-से स्टोव पर ऑमलेट। आज के मां-बाप खुद घर का काम करने से कतराते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? इसमें वैसे मैं भी शामिल हूं। मेरा ध्यान हमेशा पढ़ने-लिखने पर ज्यादा था। पर अब समझ में आता है कि जो काम मां ने बिना किसी अहसान, प्रशंसा, पेमेंट के परिवार के लिए किया- वो बहुमूल्य था!

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

6 | संपादकीय
जनसत्ता | 27 नवंबर, 2025

कल्पमेधा

जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं, वह विद्या निस्तेज है।

– विनोबा भावे

न्याय की उम्मीद

पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में हिरासत में मौत की घटनाओं का मसला चिंताजनक रूप से उभर कर सामने आया है। जांच एजंसियों का काम आपराधिक मामलों में आरोपियों को न्याय के कठघरे में लाना है। दोष साबित करने के लिए सबूत जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। ऐसे में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। मगर इस दौरान आरोपी की सुरक्षा का दायित्व भी संबंधित जांच एजंसी का ही होता है। सवाल है कि अगर पुलिस या अन्य जांच एजंसियां अपने इस दायित्व को सही तरीके से निभा रही हैं, तो आए दिन हिरासत में मौत के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही है। जाहिर है कि इस मामले में कहीं न कहीं लापरवाही और मनमानी की जा रही है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान में आठ माह के भीतर पुलिस हिरासत में ग्यारह लोगों की मौत हो जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि हिरासत में हिंसा एवं मौत व्यवस्था पर एक धब्बा है और देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा।

यह सच है कि लोग जांच एजंसियों पर कम और न्यायपालिका पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मगर न्याय प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अगर किसी आरोपी की हिरासत में मौत हो जाती है, तो निश्चित रूप से न्याय की भावना को चोट पहुंचती है। सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए वर्ष 2018 और 2020 में अलग-अलग आदेशों में पुलिस थानों, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजंसी सहित अन्य जांच एजंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा रिकार्डिंग उपकरण लगाने को कहा था। इस व्यवस्था से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आना स्वाभाविक था, लेकिन इस पर अमल करने में भी कई स्तरों पर कोताही बरती जा रही है। कई पुलिस थानों में सीसीटीवी न लगे होने या उनके बंद होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि जांच एजंसियां हिरासत में मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने इस मसले पर भी संज्ञान लिया है और अब तक अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं करने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2017-2022 तक पांच वर्षों में देश भर में पुलिस हिरासत में 669 लोगों की मौत हुई। यह स्थिति पुलिस हिरासत में लोगों की सुरक्षा को लेकर वास्तव में गंभीर चिंता पैदा करने वाली है। इस तरह के मामलों में शारीरिक प्रताड़ना, जरूरी चिकित्सा सेवाएं मुहैया न कराना या आत्महत्या जैसे कारण हो सकते हैं। नियमानुसार किसी भी मामले की जांच के दौरान मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की शिकायतें आए दिन सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हिरासत में मौत की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ न्यायालय की नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों सरकारों को भी इस पर तत्परता एवं गंभीरता दिखानी होगी। संबंधित कानूनों और न्यायालय के निर्देशों पर प्रभावी तरीके से अमल हो, इसका दायित्व सरकार का ही है। अगर हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके लिए जवाबदेही तय कर दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

सोने की चमक

सोने के आभूषणों की चाहत हर किसी को होती है। मगर इसकी कीमतों में आए दिन जिस तरह का उछाल देखने को मिल रहा है, उससे समाज का एक बड़ा वर्ग सोने की खरीदारी करने की हैसियत से बाहर होता जा रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना बारह सौ रुपए की छलांग लगा कर दो सप्ताह के उच्चतम स्तर एक लाख तीस हजार रुपए प्रति दस ग्राम के पार चला गया। मगर सवाल है कि सोने के दाम लगातार नई ऊंचाइयों को क्यों छू रहे हैं? असल में संस्थागत निवेशकों, बड़े आभूषण कारोबारियों, खुदरा विक्रेताओं और आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की जबर्दस्त खरीदारी इसका एक बड़ा कारण है। इससे मांग बढ़ रही है और आपूर्ति कम होने से दाम आसमान छू रहे हैं। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, बैंकों की जमा ब्याज दरों में कमी और वैश्विक अनिश्चितता के कारण भी सोने की मांग बढ़ रही है। यह सच है कि कुछ लोग सोने की खरीदारी को सुरक्षित निवेश मान रहे हैं, लेकिन इसके बढ़ते दामों का बाजार और अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है।

यह एक नया परिदृश्य है, जिसमें सोने को अब सुरक्षित और स्थिर निवेश के रूप में देखा जा रहा है। जबकि वित्तीय निवेश तंत्र और मुद्रा में लोगों का भरोसा घट रहा है। दुनियाभर में अस्थिरता का असर भी सोने की कीमतों पर पड़ा है। केंद्रीय बैंक सोने की ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। उनकी अपनी चिंताएं हैं। डालर के मुकाबले रुपया कमजोर हो रहा है। तमाम आशंकाओं और अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में अगर सोने की खरीदारी बढ़ रही है, तो इसके पीछे की चिंता को समझा जा सकता है। लोगों को लगता है कि अन्य निवेश के मुकाबले सोने में फायदा है। इसके दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं, लिहाजा इसमें किसी का सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है। मगर वैकल्पिक बंदोबस्त किए जा सकते हैं। जब-जब सोने के दाम बढ़ते हैं, महंगाई भी बढ़ती जाती है। चिंता की बात है कि सरकार इसे गंभीरता से लेती नहीं दिख रही है, जबकि सोने में तेजी महंगाई बढ़ने का ही संकेत है।

महिला भागीदारी की राह में बाधाएं

लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों या फिर पंचायती संस्थाओं का निर्वाचन, महिलाओं का मत हर जगह खास मायने रखता है। इसके बावजूद प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं की भूमिका आज भी एक सीमित दायरे में ही सिमटी हुई है।

मोनिका शर्मा

भारतीय राजनीति में महिला मतदाताओं की विशेष भूमिका है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव हों या फिर पंचायती प्रतिनिधियों का निर्वाचन, महिलाओं का मत खास मायने रखता है। इसके बावजूद प्रतिनिधित्व के मामले में महिलाओं की भूमिका अपेक्षा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ रही है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जमकर मतदान किया। कई क्षेत्रों में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में अधिक मतदान किया। शहरों से लेकर गांवों-कस्बों तक के मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें एक नागरिक के तौर पर अपने मत का महत्त्व समझने का द्योतक भी बनीं। महिला मतदाताओं का यह उत्साह अब राजनीतिक समीकरण बनाने और बिगाड़ने वाला बन गया है। व्यापक रूप से देखा जाए, तो महिलाओं की यह भागीदारी शिक्षा, सजगता और सामाजिक तौर पर उनकी भूमिका में आ रहे सकारात्मक बदलावों का परिणाम है।

वास्तव में जीवन की बेहतरी से जुड़ी सरकारी योजनाएं हों या सुरक्षित परिवेश बनाने की कवायद, इनसे महिलाओं का जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है। यही वजह है कि बिहार में वर्ष 2010 के बाद से आधी आबादी ने हर बार बढ़-चढ़कर मतदान किया है। हाल के वर्षों में कमोबेश हर प्रांत में महिला मतदाता चुनाव की धुरी बन गई हैं। मगर सवाल यह है कि जात-पात और मतदान की पारंपरिक लकीर से हटकर अपना मत देने वाली महिलाएं प्रतिनिधित्व के मामले में पीछे क्यों हैं? इस बार के बिहार विधानसभा चुनावों में भी विपक्षी महागठबंधन के कुल उम्मीदवारों में महिलाओं की भागीदारी करीब बारह फीसद ही रही। इनमें राजद ने चौबीस महिलाओं और कांग्रेस ने पांच महिलाओं को उम्मीदवार बनाया। वीआइपी और भाकपा-माले ने एक-एक महिला को टिकट दिया। वहीं, महिला मतदाताओं के बूते प्रचंड बहुमत पाने वाले राजग ने भी दो सौ तैंतालीस में से केवल चौंतीस सीटों पर महिलाओं को प्रत्याशी बनाया। इनमें भाजपा और जद (एकी) ने तेरह-तेरह और लोजपा (राम विलास पासवान) ने पांच महिलाओं को टिकट दिया। वहीं राजग में शामिल दूसरे दलों ने एक-एक महिला को उम्मीदवार बनाया। कुल मिलाकर दस राजनीतिक दलों ने अट्ठासी महिलाओं को ही चुनावी मैदान में उतारा।

गौर करने वाली बात है कि टिकट बंटवारे के मामले में यह असमानता मोटे तौर पर हर दल में और हर चुनाव में देखने को मिलती है। जबकि बीते कुछ वर्षों में मतदान में महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है। महिलाएं अब जमीनी मसलों की समझ रखने लगी हैं। सामुदायिक भेद से परे एक मतदाता के रूप में अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उनकी सोच बहुत स्पष्ट रहती है। यही वजह है कि अब आधी आबादी केंद्रित योजनाओं पर विशेष ध्यान भी दिया जाने लगा है। बिहार चुनाव में भी चाहे राजग हो या फिर विपक्षी महागठबंधन, सभी दल इस आधी आबादी की महत्त्वपूर्ण भूमिका को समझने और सरकार बनाने के वास्ते उनका साथ पाने के लिए प्रयासरत दिखे। इन्हीं कोशिशों के अंतर्गत इस चुनाव में विकास, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दे छाए रहे। समझना मुश्किल नहीं कि ऐसे सभी मुद्दे महिलाओं के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर गहरा असर डालते हैं। नतीजतन, महिला मतदाताओं के झुकाव को समझने की कवायदें अब केवल राजनीतिक विश्लेषण

का विषय भर नहीं रही हैं। जीवनयापन में सहजता से संबंधित योजनाओं और नीतियों के अलावा सम्मान और सुरक्षा महिलाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा बन गया है। महिलाओं में बढ़ती बुनियादी समझ और स्पष्ट सरोकारी भाव के बावजूद उनकी नेतृत्वकारी भूमिका आज भी पीछे क्यों है? इस पर गहराई और व्यापक

> **महिलाओं में बढ़ती बुनियादी समझ और स्पष्ट सरोकारी भाव के बावजूद उनकी नेतृत्वकारी भूमिका आज भी पीछे क्यों है? इस पर गहराई और व्यापक रूप से विचार करने की जरूरत है। आम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों तक, हर बार महिला मतदाताओं की मुखर भूमिका देखने को मिल रही है। महिलाएं वोट बैंक के रूप में सियासी परिवर्तन की वाहक तो बन रही हैं मगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनके हिस्से कम ही आ रहा है। सियासी दलों में महिला मतदाताओं को लुभाने की होड़ तो बढ़ी है, पर उन्हें प्रत्याशी बनाने के मामले में गंभीरता कहीं नजर नहीं आती है।**

रूप से विचार करने की जरूरत है।आम चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों तक, हर बार महिला मतदाताओं की मुखर भूमिका देखने को मिल रही है। महिलाएं वोट बैंक के रूप में सियासी परिवर्तन की वाहक तो बन रही हैं, मगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनके हिस्से कम ही आ रहा है। अब तक देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा में विपक्ष की नेता और लोकसभा अध्यक्ष के साथ-साथ अन्य कई महत्त्वपूर्ण पदों को संभालने के बावजूद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। सियासी जगत में सशक्त और निर्णयकारी भूमिका में महिलाओं की संख्या बहुत सीमित है। महिला मतदाताओं को लुभाने की होड़ तो बढ़ी है, पर उन्हें प्रत्याशी बनाने के मामले में सभी दल कंजूसी दिखाते हैं। जबकि, चुनावों में मतदान का उत्साह और रुझान महिलाओं के दायित्वबोध को साफ दर्शाता है।

दरअसल, राजनीति में महिलाओं की सजग हिस्सेदारी के बावजूद उन्हें प्रतिनिधित्व के उचित अवसर न मिलना हमारे सामाजिक-पारिवारिक और राजनीतिक परिवेश में कायम तयशुदा मानसिकता को सामने रखता है। वर्ष 2020 में किए गए एक सर्वेक्षण में देश की महिलाओं और उनकी राजनीतिक सक्रियता से संबंधित कई पहलुओं पर विचारणीय स्थितियां सामने आई थीं। सर्वेक्षण के अनुसार, महिलाओं की चुनावी भागीदारी में उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। गौरतलब है कि हमारे यहां राजनीति में उच्च सामाजिक एवं आर्थिक वर्ग की महिलाओं की भागीदारी सामान्य वर्ग से अधिक रही है। सर्वेक्षण में लगभग छियासठ फीसद महिलाओं ने कहा कि उन्हें राजनीतिक निर्णय लेने की स्वायत्तता नहीं है। पारिवारिक मोर्चे पर देखें तो करीब एक-तिहाई महिलाओं का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज उनकी राजनीतिक भागीदारी में बाधा बनता है। तेरह फीसद महिलाओं ने राजनीति में अपनी कम भागीदारी के लिए घरेलू जिम्मेदारियों को बड़ी वजह माना।

शिक्षित एवं सजग महिलाओं के बढ़ते आंकड़ों के बीच यह भी आवश्यक है कि समय के साथ राजनीति में उनकी भागीदारी में बढ़ोतरी होती रहे। न केवल परिवार और सामाजिक परिवेश में महिला नेतृत्व को सहज स्वीकार्यता मिलनी चाहिए, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों को भी महिलाओं को अगुआई के अवसर देने के लिए आगे आना होगा। ताकि महिलाओं की भूमिका राजनीतिक दलों की जीत-हार के निर्णायक पक्ष तक ही सीमित न रहे, बल्कि उन्हें नीति निर्माण में भी व्यापक हिस्सेदारी मिले। महिलाओं को सत्ता के गलियारों में पहुंचाकर निर्णयात्मक दायित्व सौंपने से देश की आधी आबादी की मूल समस्याओं के समाधान का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लैंगिक समानता जैसी समस्याओं को महिलाएं भली-भांति समझ सकती हैं तथा नीतियों और योजनाओं में उनका हल तलाशने के उपाय भी सुझा सकती हैं। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि राजनीति में महिलाओं की जमीन पुख्ता करने के लिए हर स्तर पर उनकी सामुदायिक भागीदारी बढाने की जरूरत है। साथ ही समाज की सोच और अपनों के विचारों में साथ देने के भाव को लेकर सकारात्मक बदलाव भी जरूरी है। वर्ष 2023 में बनाए गए 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को जमीनी स्तर पर प्रभावी तरीके से लागू करने की जरूरत है। इसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सामाजिक-पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक हर स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। भावी योजनाओं में आधी आबादी की बेहतरी से जुड़े पक्ष हों या महिला जीवन से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का मसला, महिला प्रतिनिधियों की मौजूदगी हर मोर्चे पर बदलाव लाने के लिए आवश्यक है।

अमीरी की अमरबेल

पूनम पांडे

इच्छा को अमरबेल कहा जाता है। इसका पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। इच्छा के दरबार में कभी इस चीज की अहमियत है, तो कभी उस वस्तु की। यह लालसा किसी भी वस्तु की कल्पना को मन के अंधेरे कोने से झाड़ पोंछकर ले आती है और इच्छा की जीभ लपलपाने लग जाती है। इसीलिए अरस्तू कहते हैं कि संसार में जितने मनुष्य हैं, उतनी ही मनःस्थिति और मानसिकता भी विद्यमान है। जगत की तमाम इच्छाओं में रुपए-पैसे की कामना सबसे अलहदा और बलवती मानी जाती रही है, लेकिन कभी-कभार इससे इतर भी कुछ देखने को मिल जाता है। एक कार्यशाला में सहभागियों से दौलतमंद होने का असली मतलब पूछा गया। हैरानी की बात यह है कि सौ फीसद लोगों ने कहा सादा जीवन और खुशी ही अमीरी का संकेत है। आभासी मंचों पर भी लगभग हर आयु वर्ग का अंतिम जवाब यही था कि शांति और सुकून ही दौलतमंद होना है। यानी अब लोगों की सोच कुछ तो बदल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि हमेशा महंगे लिबास में रहना और मूल्यवान चीजें हासिल करना अमीरी नहीं है।

दुनिया मेरे आगे

चार साल पहले की महामारी, उतने समय से युद्ध के भयानक घटाटोप तथा कुदरती कहर और मौसमी असंतुलन के हालात आदि से लोगों की कामना ने करवट ली और लोगों ने सरल जीवन को ही संपन्न जीवन कहना-मानना आरंभ किया। अब शायद सिक्कों की खनक और शाही ठसक काफी लोगों के लिए सही मायने में अमीरी नहीं है। पैसे देकर अपने लिए सुविधा जुटा लेने को भी पूरी तरह से अमीरी नहीं कह सकते हैं। अमीरी है प्रसन्नता के सबसे उम्दा पलों में चेहरे पर खिला संतुष्टि का भाव। इस परिभाषा पर तंत्रिका वैज्ञानिकों से लेकर मनोचिकित्सकों, व्यवहार अर्थशास्त्रियों, सकारात्मक मनोवैज्ञानिकों और बौद्ध भिक्षुओं की भी आम सहमति थी। दरअसल, संपन्नता पर्याय है अर्थपूर्ण जीवन का, जो सिखाता है वक्त की अहमियत, मंजिल का महत्त्व। यह भी कि यह जीवन सोच और उम्मीदों से भरा हुआ है। यकीनन कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो इसी तरह की वास्तविक विचारधारा से ही फलते-फूलते हैं।

आज कुछ पुराने फलसफे बदल भी रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण जीवन में धनवान होने का क्या अर्थ है और वहां तक पहुंचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? क्या दौलतमंद होने की कोई एक परिभाषा हो सकती है? इनका तात्पर्य ताबड़तोड़ धन हासिल करना नहीं है। अब इसको भी जीवन मंत्र माना जाने लगा है कि कम भी हमेशा ज्यादा होता है। सामान्य तौर पर जिंदगी में अमीर होने के लिए कुछ बुनियादी चीजों पर भी गौर किया जाता है। मसलन, छोटे मकान की जगह एक बंगला, दो या तीन वाहन तथा नौकर आदि की सुविधा होगी, तभी अमीर कहलाने का गौरव हासिल होगा। यह भाव पिछले एक दशक से शायद कम होने लगा है। मगर गौर से सोचें तो आज ऐसा लगता है कि यह परिपक्व परिभाषा बहुत उजली है और सकारात्मक भी। अच्छी मानसिकता, अच्छी सेहत, आकांक्षाओं और असलियत के बीच एक शानदार तालमेल, परिवार, दोस्ती और समुदाय के साथ समरस और सुदृढ़ रिश्ते, एक शांत मन और अच्छे उद्देश्य से अपना जीवनयापन और सार्थक काम, इसके साथ करुणा का भाव और दूसरों को मदद करना। शायद यही आज अमीरी की असली परिभाषा कही जाएगी।

आज अगर कोई सोने-चांदी के बर्तन में भोजन करने के बाद भी बेचैन है, तो उसकी दौलत माटी के ढेर के बराबर है। और अगर कोई कम जरूरत में आनंद से जी रहा है, तो उसकी सादी रोटी और दाल भी शाही कही जा सकती है। रेलयात्रा के दौरान एक सज्जन किसी मित्र से बतिया रहे थे। वह सज्जन अपने साथी से कह रहे थे कि मेरी अमीरी तुम ले लो और अपनी सेहत मुझे दे दो। यह सुनकर वह दोस्त कहने लगा कि मैंने तो तुमको सौ बार कहा था कि हर रोज एक घंटा अपने शरीर को दो। तुमने बस बैंक खाता ही समृद्ध किया मेरे मित्र। सचमुच, दौलत का पैरोकार बनने में उतना मजा नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति संतोष से सराबोर है तो उसका मन और भी ज्यादा खुश होगा। इसी क्रम में अगर उसका अपना कुटुंब भी इसी तरह खुश है, तो उसके इर्द-गिर्द और वातावरण में यों भी हंसी-खुशी तो मौजूद होंगी और इस प्रकार वह व्यक्ति अपने समाज की खुशी का कारण बनेगा।

> **गहरी तथा मीठी नींद, खुशगवार और हवादार मौसम में टहलना तथा उन लोगों के साथ होना, जिन्हें हम प्यार करते है। यह सब भी वास्तविक अमीरी के लिए बेहद जरूरी है। कुदरत को उसके दिए रूप में देखना और ज्यादा अमीरी से भर देता है। जिंदगी के सच्चे अहसास में ही संपन्नता का रस लबालब भरा हुआ है।**

गहरी तथा मीठी नींद, खुशगवार और हवादार मौसम में टहलना और उन लोगों के साथ होना, जिन्हें हम प्यार करते है। यह सब भी वास्तविक अमीरी के लिए बेहद जरूरी है। कुदरत को उसके दिए रूप में देखना और ज्यादा अमीरी से भर देता है। जिंदगी के सच्चे अहसास में ही संपन्नता का रस लबालब भरा हुआ है। उसका तत्त्व जो है, वही जीवन को अमीर महसूस करने का हिस्सा हैं। जिसने यह बात समझ ली वह हर हाल में अमीर है।

उच्च वर्ग के बीच उठना-बैठना, महंगी जीवन शैली का अनुगमन या आरामतलब होने से कोई व्यक्ति न तो अमीरी पा सकता है और न ही आत्मसंतोष। इन सबसे महत्त्वपूर्ण है परिष्कृत व्यक्तित्व। प्रतिभाशील और उन्नतिशील बनने का अवसर इसी आधार पर मिलता है कि हम कुदरत का सामीप्य खोजते है। रुपए से नहीं, जीवन से लगाव रखते हैं। शायद सरल जीवन जीते हुए इंसानियत ऊंच-नीच के सांचे, गोलबंदी, छोटे-बड़े की जंजीर की सीवन उधड़ेगी और असंतोष, घुटन, कुढ़न की कड़वी गोली से निजात पा लेगी। चौतरफा संतोष से हर तरह की कामयाबी हासिल होगी।

तकनीक के जोखिम

आज के दौर में कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटाप और इंटरनेट से दूर रहना चाहिए, ताकि दिमाग को आराम मिल सके। लोग रोजाना कई घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं, जिससे तनाव, चिंता और नींद जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे में कभी-कभी कुछ समय के लिए तकनीक से दूरी जरूरी है। ऐसा इसलिए कि यह दूरी हमारे दिमाग, शरीर और रिश्तों तीनों को संतुलन में लाने में मदद करती है। लगातार स्क्रीन पर रहने से जो नकारात्मक प्रभाव होते हैं, उनसे बाहर निकलने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका यही है कि कुछ देर तकनीकी उपकरणों से दूर रहा जाए। हमारा दिमाग लगातार संदेशों और जानकारियों से जुड़ा रहता है। थोड़ी देर की 'डिजिटल दूरी' दिमाग को आराम देती है। सोशल मीडिया पर लगातार आनलाइन रहने का दबाव तनाव बढ़ाता है। मगर कुछ समय के लिए इससे दूर रहने से मन शांत होता है। ध्यान भटकाने वाले तत्त्व कम हो जाते हैं। सोने से पहले मोबाइल इस्तेमाल करने से अक्सर नींद खराब होती है। मगर जैसे ही हम मोबाइल से दूर होते हैं, नींद अच्छी आती है। तकनीक को साधन बनाएं, लत नहीं।

– सुनील कुमार चौधरी, पटना

काम का दबाव

देश में चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को पारदर्शी बनाने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। इस कार्य में बूथ स्तरीय अधकारी (बीएलओ) बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मगर उन पर जिस तरह का दबाव है, वह चिंताजनक है। कार्य और समय सीमा के बीच वे रोजाना अतिरिक्त घंटे काम कर रहे हैं। समय पर कार्य पूरा करने का तनाव होना स्वभाविक है। मगर इससे उनकी सेहत के साथ जिंदगी भी दांव पर लगी है। ऐसे में नागरिकों का यह कर्तव्य है कि बीएलओ को सभी जानकारी समय पर दें, ताकि उन्हें बार-बार घरों के चक्कर न लगाना पड़े। हालांकि इस कार्य में पूरे तंत्र को लगा दिया गया है, मगर बीएलओ की व्यथा और उनकी परेशानियों को कोई नहीं सुन रहा है। नतीजा यह कि वे लगातार तनाव में हैं। अधिकारियों को उनकी तमाम दिक्कतें सुननी चाहिए। उनका मनोबल भी बढ़ाना होगा, तभी वे ठीक से काम कर पाएंगे।

– योगेश जोशी, बड़वाह

अन्नदाता की उपेक्षा

हाल ही में कृषि मंत्री ने कहा है कि बाढ़ तथा जंगली जानवरों से नुकसान की भरपाई को भी अब फसल बीमा योजना के दायरे में लाया जाएगा। कोई दो राय नहीं कि यह निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन क्या बीमा कंपनियां इस तरह के दावे को सहजता से स्वीकार करेंगी? यह विचारणीय है, क्योंकि अभी तक फसल बीमा योजना का वास्तविक लाभ किसानों को बीमा कंपनियों से नहीं मिल पाया है। अगर बीमा राशि दी भी गईं, तो वह वसूली गई प्रीमियम राशि से भी कम थी। कृषि मंत्रालय को किसानों के नुकसान का वास्तविकता आकलन करवा कर सौ फीसद भुगतान कराना चाहिए। यह दुखद है कि किसानों के दावे प्रकरणों पर या तो ध्यान नहीं दिया जाता या बिना जांचे-परखे उन्हें खारिज कर दिया जाता है। सरकार को फसल बीमा योजना की खामियां हर हाल में दूर करनी चाहिए। जंगली तथा आवारा पशु खेती को नुकसान पहुंचाते हैं और इस समस्या का भी स्थायी समाधान खोजा जाना चाहिए।

– हुकुम सिंह पंवार, इंदौर

नशे का कारोबार

अवैध दवा व्यापार और नशीली दवाओं की तस्करी वैश्विक काला बाजार का हिस्सा हैं। यह मसला निषिद्ध दवाओं के निर्माण, वितरण और बिक्री से भी जुड़ा है। भारत को भी नशीले पदार्थों के तस्करों ने अपना अड्डा बना लिया है। हालांकि सरकार नशा मुक्त भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, मगर अभी नतीजे नहीं दिख रहे। वर्ष 2024 में विभिन्न बंदरगाहों पर जब्त किए गए 'मेथामफेटामाइन' जैसे पदार्थों की मात्रा 2023 में 34 कुंतल से बढ़कर दोगुनी से भी अधिक 80 कुंतल हो गई है। इसी तरह कोकीन की मात्रा भी 2023 में 292 किलो हो गई है। वैश्विक स्तर पर बात की जाए, तो अफगानिस्तान से पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के जरिए यूरोप और अमेरिका तक हेरोइन की तस्करी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में नशे के इस काले कारोबार को रोकना जरूरी है।

– युगल किशोर राही, छपरा

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

सम्पादकीय

देश की जोखिम बढ़ता जाएगा

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान कॉरपोरेट अधिकारियों के साथ एक सेमीनार में शामिल हुए। वहां उन्होंने जो भाषण दिया, उससे रक्षा उत्पादन में कॉरपोरेट सेक्टर के प्रदर्शन पर सेना में बढ़ते असंतोष की झलक मिली।चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने कॉरपोरेट सेक्टर से कहा है कि मुनाफा प्रेरित अपने कारोबार में वे कुछ राष्ट्रवाद एवं देश-भक्ति भी दिखाएं। जनरल चौहान कॉरपोरेट अधिकारियों के साथ एक सेमीनार में शामिल हुए। वहां उन्होंने जो भाषण दिया, उससे रक्षा उत्पादन में कॉरपोरेट सेक्टर के प्रदर्शन पर सेना में बढ़ते असंतोष की झलक मिली। यहां ऑपरेशन सिंदूर के कुछ ही दिन बाद दिया गया वायु सेनाध्यक्ष एयर मार्शल एपी सिंह का एक भाषण सहज याद आया, जिसमें उन्होंने रक्षा आपूर्ति में देर से सैनिकों के लिए पैदा होने वाले जोखिम का जिक्र किया था। देर का उल्लेख सीडीएस ने भी किया। इसके साथ उन्होंने दो और मुद्दे उठाएः इनमें एक है उत्पादन के पूर्णतः देसी होने के दावे और हकीकत के बीच फर्क का। दूसरा है कीमत का।जनरल चौहान ने कहा कि कंपनियों को उत्पाद के देसी होने के संबंध में सच बोलना चाहिए। ऐसा हुआ है, जब कोई उत्पाद यह कह कर बेचा गया कि वह 70 प्रतिशत देसी है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। सीडीएस के मुताबिक यह पहलू अहम है, क्योंकि इसका संबंध सुरक्षा से है। संभवतः उनका इशारा इस ओर था कि विदेशी उपकरणों के हैक होने या उनसे सूचनाएं उनके स्रोत देश में पहुंच जाने की आशंका रहती है। ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल कंपनियां इसलिए करती हैं, क्योंकि वे किफायती पड़ती हैं। कीमत के मुद्दे पर सीडीएस ने कंपनियों को सलाह दी कि वे प्रतिस्पर्धी लागत से उत्पाद तैयार करें, ताकि विदेशों में भी उनको बाजार मिल सके।ये सब बातें तब कही गई हैं, जब भारत में रक्षा उत्पादन के उत्तरोत्तर निजीकरण एवं रक्षा निर्यात बढ़ने की कहानियां चर्चा में हैं। मगर उनसे भारत की सुरक्षा को कितनी मदद मिली है, यह सेना के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी सार्वजनिक रूप से बता रहे हैं। वे वह कह रहे हैं, जो उनका अनुभव है। वे वो सलाह दे रहे हैं, जो उनके दायरे में है। नीति निर्माता इससे सबक लें तो यह देश के लिए बेहतर होगा। वरना, ना सिर्फ सैनिकों, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी जोखिम बढ़ता जाएगा।

आक्रामक साज़िशों के बीच संविधान की असल ताक़त

संजय सक्सेना,लखनऊ

26 नवम्बर आज केवल एक तारीख नहीं, आज की तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेज़ी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही।आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संवैधानिक अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्पुष्टि होती है। राष्ट्रपति जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर ज़ोर देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है।अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मज़बूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज़ नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया। इसी संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गये और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की सूची पहली बार संविधान में दर्ज की गयी, जिससे अधिकारों के साथ कर्तव्यों की वैधानिक जिम्मेदारी भी रेखांकित हुई। यह संशोधन आपातकालीन दौर की राजनीति की देन था और आज भी इस पर बहस होती है कि इसने संविधान की मूल भावना को कितना मज़बूत किया और कहाँ-कहाँ सत्ता के केंद्रीकरण का रास्ता खोला।44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मज़बूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के ज़रिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाज़े पर लोकतंत्र की आवाजाही बढ़ी। इन संशोधनों ने महिला सहभागिता बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था को मजबूती दी, जो बाद में राज्यों द्वारा अलग-अलग स्तर पर और विस्तारित की गयी; इस तरह संविधान ने लोकतंत्र को केवल राजधानी और विधानसभा भवनों तक सीमित नहीं रहने दिया बल्कि उसे मोहल्ले और गाँव की चौपाल तक पहुँचाया। इसी दौरान शिक्षा, नगर नियोजन और स्थानीय संसाधनों के नियंत्रण पर भी जनता और स्थानीय निकायों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में संवैधानिक सुरक्षा मिली।अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से जुड़े संशोधन भी संविधान में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाये गये। उच्चतम न्यायालय के फैसलों और राजनीतिक सहमति के बीच टकराव और समन्वय की कठिन प्रक्रिया से गुजरते हुए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को संतुलित किया गया, ताकि समता के आदर्श और प्रशासनिक दक्षता दोनों के बीच एक व्यावहारिक रास्ता निकल सके। हाल के वर्षों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को आरक्षण देने वाला संशोधन भी इसी बहस का हिस्सा है, जो दिखाता है कि संविधान की व्याख्या केवल जाति आधारित पिछड़ेपन तक सीमित नहीं रखी जा रही।इन सभी बड़े संशोधनों के बावजूद संविधान की प्रस्तावना में दर्ज न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल आदर्श आज भी वही हैं, जिन पर पूरी राजनीतिक बहस घूमती है। आज सत्ता पक्ष इन्हीं आदर्शों के नाम पर अपनी नीतियों को जनता के सामने न्यायोचित ठहराता है, तो विपक्ष भी इन्हीं आदर्शों का हवाला देकर सरकार पर हमला बोलता है कि कहीं न कहीं संवैधानिक संस्थाएँ कमज़ोर की जा रही हैं या अधिकारों को सीमित किया जा रहा है। इसी टकराव में नागरिकों की भूमिका निर्णायक बनती है, क्योंकि लोकतंत्र में आख़िरी फैसला मतदाता के हाथ में होता है, जो संविधान को अपने वोट से ज़िंदा रखता है।संविधान दिवस की राजनीति इसलिए भी अधिक तीखी हो गयी है क्योंकि यह दिन केवल उत्सव नहीं, आत्ममंथन का भी दिन बनता जा रहा है। आज जब संसद में बहस होती है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की आज़ादी, चुनावी व्यवस्था की पारदर्शिता और संघीय ढांचे की मजबूती कितनी सुरक्षित है, तो उसका सीधा संबंध संविधान की आत्मा से जुड़ जाता है; कोई भी दल खुलकर यह स्वीकार नहीं कर सकता कि वह संविधान से ऊपर है, इसलिए सब उसकी व्याख्या अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। यही संविधान की असली ताकत है कि हर दल, हर नेता, हर आंदोलन को अंततः उसी किताब का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें पहली पंक्ति जनता को सर्वोच्च बताती है।आज भी जब संसद के बाहर नारों, टीवी बहसों और सामाजिक माध्यमों पर आरोप-प्रत्यारोप का शोर गूंजता है, तब भी संविधान की प्रस्तावना शांत, स्पष्ट और अडिग खड़ी रहती है। यह दिन याद दिलाता है कि सरकारें आयेंगी, जायेंगी, बहुमत बदलेंगे, नारे बासी हो जायेंगे, लेकिन अगर नागरिक सचेत रहें, अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझें, तो संविधान किसी भी तानाशाही इरादे को मात दे सकता है। इसी चेतना को ज़िंदा रखना ही संविधान दिवस का असली उद्देश्य है, और यही वजह है कि इस दिन की राजनीति जितनी गरम होगी, जनता के लिए संविधान की रक्षा की ज़िम्मेदारी उतनी ही बड़ी होती जाएगी।

सरोकार

क्या संसद का शीतकालीन सत्र कोई नया मानक स्थापित कर पाएगा

कमलेश पांडेय

कभी लोकतंत्र की जनभावनाओं को स्पष्ट करते हुए फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा था कि ÷मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो सकता लेकिन उसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा आखिरी दम तक करूंगा।÷ लेकिन यह विशुद्ध रूप से संस्कारवान नीति की बात है। आज जबकि लोकतांत्रिक सियासत का विकृत चेहरा घटना दर घटना सामने आ चुका है और चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन, दोनों की विभिन्न कुसंस्कारी घटनाएं कुछ गलत नजीर/नजरिया प्रदान कर चुकी हैं तो इनकी निरन्तरता को लेकर अब प्रशासनिक और न्यायिक सख्ती की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि अब राजनीतिक आचार संहिता भी पक्षपात पूर्ण प्रतीत होने लगी हैं। ऐसे में फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर के विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता है।चूंकि भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसलिए सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी नकारात्मक अतीत से सबक लेकर सकारात्मक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। इसे जनहित के विषय पर स्वस्थ बहस का मंच बने रहने देना चाहिए। राजनेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी सियासत तो होती रहेगी लेकिन इस क्रम में जो अनैतिक परंपराएं विधायिका के ऊपर हावी होती चली जा रही हैं, उसे रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे माननीय सांसद बंधुओं पर ही है क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा की ही नकल अब विधानसभा व विधानपरिषद में ही होने लगी है। खासकर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर बयानबाजी व गुटबाजी तथा झड़प को रोकने की जरूरत है।यही वजह है कि सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यसभा बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें सदस्यों के लिए %करने% और %न करने% वाली बातों का जिक्र किया गया है। इसी बुलेटिन के मुताबिक, सभापति के निर्णय की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आलोचना नही की जानी चाहिए। यही स्वस्थ संसदीय परंपरा समझी जाती है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि सभापति सदन के पूर्व उदाहरणों के अनुसार निर्णय देते हैं और जहां कोई पूर्व उदाहरण नहीं होता, वहां सामान्य संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है।जाहिर तौर पर इस दिशानिर्देश का मकसद राज्यसभा की कार्यवाही को अतीत की अपेक्षा और बेहतर बनाना है लेकिन इसमें आलोचना की भी जगह होनी चाहिए। आलोचना की जगह समालोचना हो तो और अच्छी बात होगी लेकिन सियासी कुलोचना कतई नहीं होनी चाहिए और न ही इसे बर्दास्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो राज्यसभा का बुलेटिन सदन की बेहतरी में ही मदद करेगा। चूंकि यह उच्च सदन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है।इस बात में कोई दो राय नहीं कि आलोचना और वाद-विवाद संसदीय परंपरा का ही हिस्सा हैं। जब तक कि आलोचना पूर्वाग्रह से ग्रसित या व्यक्तिगत न हो, तब तक उसका पुरजोर स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ यही पवित्र भाव देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी है, मसलन- अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। उसके फैसलों से असहमति जताई जा सकती है और उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। इस प्रकार आलोचना और असहमति की आजादी के बिना यह सबकुछ संभव ही न होता।लेकिन सदन में विपक्ष से तनाव न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी चुनावी राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष से हर बात पर सहमति की उम्मीद करना बेमानी ही है।

फिर अभी देश का जैसा सियासी माहौल है, उसमें सदन के भीतर और बाहर टकराव आम बात है। वाकई पिछले कई उदाहरण है, जहां विपक्ष और आसन (चेयर) के बीच तनाव भरे रिश्ते देखने को मिले थे। सच कहूं तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में यह तनाव बिल्कुल चरम पर था और इसी गफलत की भेंट भी वह चढ़ गए या चढ़ा दिए गए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की एक टिप्पणी को लेकर राज्यसभा की प्रिविलेज कमिटी में मामला चल रहा है, जो उसी तनाव का नतीजा है। लिहाजा, इस तरह की प्रवृत्ति से नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को सचेत रहना चाहिए।

जहां तक लोकतांत्रिक मर्यादा के ख्याल का सवाल है तो यह कहना उचित होगा कि लोकतंत्र में कोई भी आलोचना के परे नहीं कहा जा सकता लेकिन यह तो बिल्कुल बेहतरी का जरिया है। बहरहाल, राज्यसभा बुलेटिन से ऐसा भी लग सकता है कि सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। हां, इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति या आलोचना का अधिकार भी कुछ सीमाओं के साथ लागू होता है। इसलिए इन्हें पहचानने और मानने की दरकार है, ताकि स्वस्थ आलोचनात्मक परंपरा फलती फूलती रहे।यही वजह है कि संसदीय सत्र की शीतकालीन बैठक बेहद चुनौती पूर्ण रह सकती है।

खासकर राज्यसभा व लोकसभा दोनों में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मात खाया विपक्ष अब एसआईआर को लेकर आक्रामक होगा।इससे विपक्षी एकता को भी बल मिलेगा, जो निज सियासी स्वार्थवश नारंगी की तरह भीतर से विभाजित, पर ऊपर से एक होने का नया स्वांग रचेगा। इस प्रकार शीतकालीन सत्र सरकार और विपक्ष के संबंधों की नई आजमाइश साबित होने वाली है। चूंकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए यह पहला सत्र है, इसलिए उन्हें चौकन्ना रहना होगा। वैसे भी बीते मॉनसून सत्र का अनुभव अच्छा नहीं था। तब राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी केवल 38.88त्न थी और केवल 41.15 घंटे काम हो पाया था। इस बार भी स्ढ्डक्र का मुद्दा गरम है। लिहाजा राधाकृष्णन के सामने संतुलन बनाने की चुनौती होगी।ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कब क्या कर बैठेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शहंशाह गृहमंत्री अमित शाह कब कौन सी रणनीति लेकर विपक्ष पर टूट पड़ेंगे, पूर्वानुमान लगाना कठिन है। वैसे भी लालकिला दिल्ली आतंकी बम ब्लास्ट की घटना से सरकार के तेवर आतंक परस्त विपक्ष को लेकर आक्रामक है। इंडिया गेट अर्बन नक्सली कांड से सरकार गम्भीर हो चुकी है। एसआईआर पर कांग्रेस और ममता के तेवर से सरकार चौकन्नी हो चुकी है। इसलिए विपक्ष को भी राष्ट्रवादी संवेदनशीलता दिखानी होगी, अन्यथा सियासी महाभारत तय है।

राशिफल

मेष	आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आज आपकी कोई इच्छा पूरा होने से पूरे दिन मन प्रसन्न रहेगा। आप उच्च शिक्षा के लिए हाई प्रोफाइल संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य पर आप धन खर्च करेंगे। भूमि संबंधी कार्यों में आपके लिए लाभ के योग हैं। आपकी व्यावसायिक योजनाएं सफल होंगी। व्यापार में आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे।
वृष	आज आपके लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। कार्यक्षेत्र में आपको बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। व्यापारियों को व्यापार से रिलेटेड यात्रा होने के योग हैं। इस यात्रा से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज आप धन की बचत करने में कामयाब रहेंगे। परिवारजनों के साथ आप कहीं घूमने जा सकते हैं।
मिथुन	आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने प्रियजनों और परिवार के बड़ों से सलाह लेकर ही कोई व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेंगे। किसी तरह के पैसों के लेन-देन में आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप कोई मकान या जमीन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
कर्क	आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आप अपने प्रियजनों और परिवार के बड़ों से सलाह लेकर ही कोई व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेंगे। किसी तरह के पैसों के लेन-देन में आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आप कोई मकान या जमीन खरीदने का प्लान बना सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।
सिंह	आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपको किसी प्रकार के लेन-देन के मामले में स्पष्टता रखनी होगी। संतान के करियर में विशेष उपलब्धि मिलने से आपको खुशी मिलेगी। काफी दिनों से स्टार्टअप शुरू करने का प्लान पूरा करने में कामयाब रहेंगे। आज आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे।
कन्या	आज आपका दिन लकी रहने वाला है। आप व्यापार शुरू करने का मन बनाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी, आज किसी प्रकार की बिजनेस डील हो सकती है। घर के कार्यों में जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आप माता-पिता के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाएंगे।

तुला	आपके लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। कुछ नए संपर्कों से आपको लाभ मिलेगा। आज आपके व्यापार में उन्नति होने के योग बने हुए है। किसी पारिवारिक समस्या का आज समाधान निकालने में सफल होंगे, परिवार के सदस्यों में ताल-मेल बढ़ेगा। व्यापार को बढ़ाने के लिए आज आप कुछ नया करने की कोशिश करेंगे।
वश्चिक	आज आपका दिन प्रसन्नता पूर्वक बीतेगा। आपको अपने कुछ पुराने मित्रों से मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। कार्यक्षेत्र क्षेत्र में दी गई जिम्मेदारियों को आज आप बखूबी निभाएंगे। अपने सीनियर्स के साथ कुछ पुरानी यादों को ताजा करेंगे। कार्य स्थल पर आज आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी सहकर्मी के सहयोग से आपके रुके हुए काम पूरे होंगे।
धनु	आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। आपको नौकरी से रिलेटेड कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा, जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। जीवनसाथी की ओर से कोई उपहार मिलने से पूरे दिन आपका मन प्रसन्न रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों का अपने कार्यों में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। आज आपको आर्थिक लाभ होने के योग हैं।
मकर	वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप अपनी अच्छी सोच का लाभ उठाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। आज आपको किसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर आएगा। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। संतान पक्ष से खुशियां मिलेंगी। आज आपको कार्यों में मित्रों का सहयोग मिलेगा।
कुम्भ	आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आप धर्म-कर्म के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे। छात्रों को सफलता मिलने के योग बने हुए है, बस थोड़ी और मेहनत करने की जरुरत है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों को उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। जिससे वह अपना कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करने में सफल होंगे। आपका वैवाहिक जीवन खूबसूरत रहेगा।
मीन	आज आपका दिन अनुकूल रहेगा। कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना होगी। मीडिया और जनसंचार से जुड़े लोगों को उनके काम के लिए प्रसिद्धि मिलेगी। अगर आप लेखक है और कोई किताब लिखना चाह रहे हैं तो समय अनुकूल है। सेहत के मामले में आज आप चुस्त-दुरुस्त बने रहेंगे। आपका पारिवारिक जीवन उत्साह से भरा रहेगा।

लोकमित्र का रंग कवियों के संग

दोहे

रह-रह कर यह कौन फिर, देता है आवाज़।
तोड़ा फिर छोड़ा उसे, कहकर टूटा साज़।।
डर लगता है आजकल, कहती है उम्मीद।
अपना कह कर काट दे, जग से कौन रसीद।।
हद से ज्यादा जो मिले, कब आए वो रास।
प्रेम बने उपहास जब, मर जाते अहसास।।
काट रहा है कान जो, गला नहीं दे काट।
उससे पहले त्याग दें, माया के सब घाट।।
उसके कर्मों की बही, किसने खोली आज।
महल दुमहले ढह गए, ढहे तख़्त-ओ-ताज।।
हम-तुम दोनों यों जिए, ज्यों नदिया के पाट।
कुछ कदमों की दूरियाँ, जीवन भर की बाट।।
दिल के घर को मूढ़ मति, कर लेते आबाद।
फिर दिल पर ही चोट दे, कर देते बर्बाद।।
सच से निज मुख मोड़कर, नित्य जियें जो झूठ।
उनसे मन अरु राम जी, दोनों जाते रूठ।।

सुशीला शील स्वयंसिद्धा
जयपुर

दीवानों का हाल न पूछो

आज का युग तकनीक युग,
तकनीक का जाल न पूछो।
सब हुए मोबाइल का दीवाना,
दीवानों का हाल न पूछो।।
बीता समय अब किताबों का,
आज मोबाइल का है जमाना।
अलमीरा में सजी हैं किताबें,
किताबों का बीता अफसाना।।
पल बदलने में समय न लगता,
इस समय की चाल न पूछो।
सब हुए मोबाइल का दीवाना,
दीवानों का हाल न पूछो।।
किताबों से आगे है मोबाइल,
पर अब भी किताबें हैं बड़ी।
मोबाइल में फिसलता है ज्ञान,
पर किताबें हर हाल में खड़ी।।
मोबाइल किताब दोनों हैं पूरक,
उनके ज्ञान का कमाल न पूछो।
सब हुए मोबाइल का दीवाना,
दीवानों का हाल न पूछो।।

मनोरमा शर्मा मनु
हैदराबाद, तेलंगाना

अंतिम यात्रा का पड़ाव तुम हो राम

मेरे हर कर्म का
प्रतिफल तुम हो,
यत्र-तत्र-सर्वत्र तुम हो,
मेरे समस्त जीवन का
लेखा-जोखा तुम हो।
नदी तुम हो,
नदी की धार तुम हो,
सरयू इस पार तुम हो,
सरयू उस पार तुम हो।
धरतीङ्कनभ क्या–
अखंड ब्रह्मांड तुम हो,
मेरी खोज का विस्तार तुम हो,
मेरे भीतर का अनुराग तुम हो।
मेरी समस्त यात्राओं का अंतिम
पड़ाव तुम हो – राम।।

डिम्पल तिवारी
अयोध्या

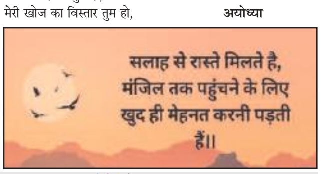

सम्पादकीय

शहादत का स्मरण

भले ही श्रीलंकाई संकट के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाना तत्कालीन सरकार का फैसला रहा हो, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिक राष्ट्र के हितों और सैन्य दायित्वों के लिये ही लड़े थे। इस फैसले का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा और उनके न्यायसंगत पुनर्वास के लिये पहल करना भी रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों में इस बात को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त रहा है कि आईपीकेएफ सैनिकों के बलिदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। अब सरकार व सेना ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कम से कम एक पहल तो की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बाबत श्रद्धांजलि संदेश प्रेषित किया है। भले ही शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई यह पहल एक प्रतीकात्मक सुधार हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। हालांकि देर से ही सही, ये प्रयास श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1,171 भारतीय सैनिकों को उचित सम्मान देने में रही एक कमी को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में करीब तीन हजार से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। इससे पूर्व कई वीर सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन एक टीस के साथ कहा जाता रहा है कि यह अकसर भुला दिया जाने वाला युद्ध रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक सेना और पलाली में 10-पैरा के शहीदों के लिये स्मारक का निर्माण किया गया था। यह विडंबना ही है कि आईपीकेएफ के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं और उनके परिजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर निजी स्तर पर स्मरणोत्सव आयोजित करते रहे हैं। निश्चित ही देश के हितों के लिये चलाये गए किसी भी सैन्य अभियान में शहीद हुए सैनिकों को सामान्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए।दरअसल, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों के परिजन और युद्ध में भाग लेने वाले जवान भी उन्हें पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आस लंबे समय से रखते रहे हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में मनाये जाने वाले खास दिनों की तरह 'ऑपरेशन पवन' की याद में भी एक विशेष दिन की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिजनों की एक टीस उन्हें दशकों से सालती रही है। चूंकि ऑपरेशन पवन में शहीद हुए कई सैनिकों का अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया विदेशी धरती पर पूरी हुई थी, इसलिए उनके परिजन शहीद सैनिकों के अवशेषों को वापस भारत लाने की नीति को सुव्यवस्थित करने की मांग करते रहे हैं। वे एक ऐसे आयोग के गठन की भी मांग करते रहे हैं जो शहीद सैनिकों के पार्थिव अवशेष को वापस भारत लाने की नीति को तार्किक बना सके। उनकी मांग रही है कि उन अवशेषों को भारत लाकर आईपीकेएफ का एक स्मारक बनाकर, उसमें सम्मान के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, किसी भी देश के वीर शहीदों के स्मारक सामूहिक स्मृति के प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए बलिदान के लिये एक सम्मान और स्मरण स्थल के रूप में चिरस्थायी श्रद्धांजलि के रूप में होते हैं। निर्विवाद रूप से इस बहुप्रतीक्षित मांग को हकीकत में बदलने के लिये चाहे कितनी भी जटिलताएं क्यों न हो, सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को कम करके आंकने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। यदि हम वीर सैनिकों के बलिदान को समुचित सम्मान देते हैं तो इससे तमाम सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। इस दिशा में अविलंब सार्थक पहल किया जाना वक्त की जरूरत ही है।

ठंड में खानपान के साथ व्यायाम का खास ध्यान

हेमन्त ऋतु में वातावरण रूखा, ठंडा व स्थिर हो जाता है। सुबह भूख खूब लगती है। ऐसे में शरीर को तैलयुक्त और पोषक आहार की आवश्यकता होती है जिससे शरीर को ऊष्मा, ऊर्जा और स्थिरता मिले। गेहूं, चावल से बने पदार्थ, उड़द की दाल, दूध-घी, गन्ना, गुड़ तथा तेल से बने व्यंजन लाभकारी हैं। वहीं नियमित व्यायाम भी जरूरी है। हेमन्त ऋतु दक्षिणायन की अंतिम एवं सौम्य अवस्था है, जहां प्रकृति विश्राम की ओर अग्रसर होती है और वातावरण स्थिरता, शांति और शीतलता से भर जाता है। भारतीय संवत्सर में मार्गशीर्ष और पौष मास के बीच मध्य नवम्बर से मध्य जनवरी के बीच इस ऋतु का आगमन होता है। ठंडी हवाएं, धुंधभरी सुबह, लंबे रात्रिकाल और जमी हुई जलराशि इस ऋतु की प्राकृतिक छवि को स्पष्ट करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति स्वयं चादर ओढ़कर मौन ध्यान में बैठ गई हो।

मौसम ठंडा होता है और भूख तेज़

इस ऋतु में वातावरण शुष्क, ठंडा और स्थिर हो जाता है। सूर्य की किरणें कोमल और मंद होती हैं। रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। हवा की गति धीरे-धीरे तीक्ष्ण और उत्तर दिशा की ओर से आने वाली प्रतीत होती है। रोमकूप संकुचित हो जाते हैं और शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती। इसके कारण जठराग्नि तीव्र हो जाती है, जिससे स्वाभाविक रूप से भूख अधिक लगती है। इस ऋतु में पाचन की क्षमता वर्ष के अन्य काल की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है, इसलिए शरीर पौष्टिक एवं भारी भोजन को भी सहजता से पचा सकता है। इस समय कफ का संचय प्रारम्भ होता है, किंतु यदि जीवनचर्या संतुलित हो तो यह कफ भविष्य में रोगों का कारण बनने के बजाय शरीर में बल, ओज और स्थिरता उत्पन्न करता है।

भोजन सिर्फ स्वाद नहीं

सुबह जागने के पश्चात् नित्यकर्म के बाद उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक भूख का सम्मान करना चाहिए। यह संकेत है कि शरीर भोजन ग्रहण करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस समय का भोजन स्निग्ध, ऊर्जावान और तृप्तिकारक होना चाहिए। नवीन गेहूं और चावल से बने पदार्थ, उड़द की दाल, गन्ना एवं उससे बने पदार्थ जैसे गुड़, शक्कर तथा तिल, सरसों के तेल से बने व्यंजन इस ऋतु में अत्यंत लाभकारी हैं। दूध, दही, मक्खन, रबड़ी, खीर और मावा जैसे दुग्धोत्पाद शरीर को बल, ऊष्मा एवं पोषण प्रदान करते हैं। पीने हेतु गुनगुना जल श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि यह पाचन को सहयोग देता है और शरीर को शीत प्रभाव से बचाता है। हेमन्त ऋतु का भोजन केवल शरीर को नहीं, बल्कि मन को भी तृप्त करता है। यह वह समय है जब भोजन स्वाद, सुगंध और भावनात्मक संतुष्टि का माध्यम बन जाता है।

कैसे रहें गर्म, सशक्त

इस ऋतु में शरीर को संरक्षण और स्नेह की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन प्रातःकाल तिल के तेल से अभ्यंग ;शरीर मालिश करना अत्यंत हितकारी है। अभ्यंग के पश्चात् उबटन लगाने से त्वचा को पोषण, कोमलता और शक्ति प्राप्त होती है। नियमित व्यायाम आवश्यक है क्योंकि इस समय शरीर की सहनशक्ति और बलसंचय क्षमता सर्वोत्तम होती है। स्नान, मुख प्रक्षालन तथा हाथ-पांव धोने के लिए गुनगुने जल का उपयोग करना चाहिए। लेकिन सिर पर कभी भी गर्म जल से स्नान नहीं करें। ऊन, रेशम या मोटे वस्त्र शरीर की ऊष्मा को बनाए रखते हैं और शीतलता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। दिन के समय हल्की धूप में बैठना इस ऋतु की श्रेष्ठ औषधि कही गई है।

शरीर कहता है- मुझे पोषण दो

इस ऋतु में जठराग्नि स्वाभाविक रूप से तीव्र हो जाती है, इसलिए सामान्य से अधिक भूख लगना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह शरीर का संकेत है कि उसे ऊर्जा, स्निग्धता और पोषण की आवश्यकता है। ऐसे समय भोजन को टालना या लंबे समय तक खाली पेट रहना शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि पर्याप्त और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता, तो प्रबल अग्नि स्वयं शरीर की धातुओं को खाना प्रारंभ कर देती है। इसके परिणामस्वरूप शरीर में रूखापन बढ़ता है, त्वचा शुष्क होने लगती है और कमजोरी तथा असंतुलन अनुभव होने लगता है। इसलिए हेमन्त ऋतु में शरीर को स्नेहयुक्त, तैलयुक्त और पोषक आहार की आवश्यकता होती है।

भारत का संविधान

भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन (26 नवम्बर) भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भीमराव आम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है।

भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो हिस्सों - भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सो में बंट गई- भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा।

भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवम्बर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन का समय लगा था।

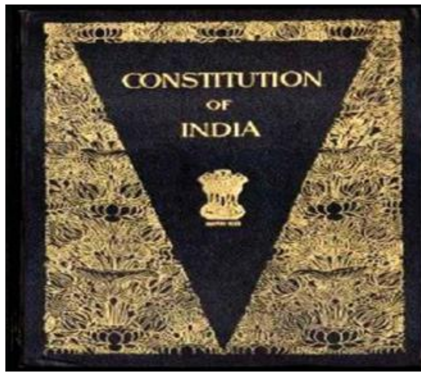

संक्षिप्त परिचय- भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक रूप होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है, जो वर्तमान में नरेन्द्र मोदी हैं।

मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन (लोक सभा) के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक,आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है जिसे विधानपरिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्रिपरिषद, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है।

संविधान की सातवीं अनुसूची में संसद तथा राज्य विधायिकाओं के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ संसद में विहित हैं। केन्द्रीय प्रशासित भू-भागों को संघराज्य क्षेत्र कहा जाता है।

भारतीय संविधान के भाग- भारतीय संविधान 22 भागों में विभजित है तथा इसमे 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं ।

इतिहास- द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबन्धी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष, 11 माह, 18 दिन में कुल 114 दिन बहस की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए तथा अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया । संविधान बनने में 166 दिन बैठक की गई । इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतन्त्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इस में लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिये गए हैं।

भारतीय संविधान की संरचना- यह वर्तमान समय में भारतीय संविधान के निम्नलिखित भाग हैं एक उद्देशिका, 470 अनुच्छेदों से युक्त 25 भाग, 12 अनुसूचियाँ, 5 अनुलग्नक, 104 संशोधन।

(अब तक 124 संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाये गये हैं जिनमें से 103 संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर संविधान संशोधन अधिनियम का रूप ले चुके हैं। 124वां संविधान संशोधन विधेयक 9 जनवरी 2019 को संसद में ÷अनुच्छेद्द368 संवैधानिक संशोधनके विशेष बहुमत से पास हुआ, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण तथा 8 अगस्त 2016 को संसद ने वस्तु और सेवा कर पारित कर 101वाँ संविधान संशोधन किया।)

अनुसूचियाँ- भारत के मूल संविधान में मूलतः आठ अनुसूचियाँ थीं परन्तु वर्तमान में भारतीय संविधान में बारह अनुसूचियाँ हैं। संविधान में नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 एवं बारहवीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा सम्मिलित की गयी ।

आधारभूत विशेषताएँ- संविधान प्रारूप समिति तथा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान को संघात्मक संविधान माना है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत एक सम्प्रुभतासम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है।

सम्प्रभुता- सम्प्रभुता शब्द का अर्थ है सर्वोच्च या स्वतंत्र होना। भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त सम्प्रभुतासम्पन्न राष्ट्र है। यह सीधे लोगों द्वारा चुनी गयी एक मुक्त सरकार द्वारा शासित है तथा यही सरकार कानून बनाकर लोगों पर शासन करती है।

समाजवादी- समाजवादी शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह अपने सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता सुनिश्चित करता है। जाति, रंग, नस्ल, लिंग, धर्म या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना सभी को बराबर का दर्जा और अवसर देता है। सरकार केवल कुछ लोगों के हाथों में धन जमा होने से रोकेगी तथा सभी नागरिकों को एक अच्छा जीवन स्तर प्रदान करने की कोशिश करेगी।

पन्थनिरपेक्ष- धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान के 1976 में हुए 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यह सभी धर्मों की समानता और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चीत करता है। भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। यह ना तो किसी धर्म को बढावा देता है, ना ही किसी से भेदभाव करता है। यह सभी धर्मों का सम्मान करता है व एक समान व्यवहार करता है। हर व्यक्ति को अपने पसन्द के किसी भी धर्म का उपासना, पालन और प्रचार का अधिकार है। सभी नागरिकों, चाहे उनकी धार्मिक मान्यता कुछ भी हो कानून की नजर में बराबर होते हैं। सरकारी या सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों में कोई धार्मिक अनुदेश लागू नहीं होता।

लोकतांत्रिक- भारत एक स्वतंत्र देश है, किसी भी जगह से वोट देने की आजादी, संसद में अनुसूचित सामाजिक समूहों और अनुसूचित जनजातियों को विशिष्ट सीटें आरक्षित की गई है। स्थानीय निकाय चुनाव में महिला उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। सभी चुनावों में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का एक विधेयक लम्बित है। हालांकि इसका क्रियांनवयन कैसे होगा, यह निश्चित नहीं हैं। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिये नियुक्त किया जाता है ।

गणतांत्रिक राष्ट्र के प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते है। भारत के राष्ट्रपति पांच वर्ष की अवधि के लिए एक चुनावी प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं।

शक्ति विभाजन- यह भारतीय संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है, राज्य की शक्तियां केंद्रीय तथा राज्य सरकारों में विभाजित होती हैं। दोनों सत्ताएँ एक-दूसरे के अधीन नहीं होती है, वे संविधान से उत्पन्न तथा नियंत्रित होती हैं।

संविधान की सर्वोच्चता- संविधान के उपबंध संघ तथा राज्य सरकारों पर समान रूप से बाध्यकारी होते हैं। केन्द्र तथा राज्य शक्ति विभाजित करने वाले अनुच्छेद निम्न दिए गए हैं- अनुच्छेद 54,55,73,162,241।

भाग -5 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय राज्य तथा केन्द्र के मध्य वैधानिक संबंध।

अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कोई भी सूची।

राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व।

संविधान में संशोधन की शक्ति अनु 368इन सभी अनुच्छेदो में संसद अकेले संशोधन नहीं ला सकती है उसे राज्यों की सहमति भी चाहिए।

अन्य अनुच्छेद शक्ति विभाजन से सम्बन्धित नहीं हैं- लिखित संविधान अनिवार्य रूप से लिखित रूप में होगा क्योंकि उसमें शक्ति विभाजन का स्पष्ट वर्णन आवश्यक है। अतः संघ में लिखित संविधान अवश्य होगा।

संविधान की कठोरता इसका अर्थ है संविधान संशोधन में राज्य केन्द्र दोनो भाग लेंगे।

न्यायालयों की अधिकारिता- इसका अर्थ है कि केन्द्र-राज्य कानून की व्याख्या हेतु एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र सत्ता पर निर्भर करेंगे।

विधि द्वारा स्थापित- न्यायालय ही संघ-राज्य शक्तियो के विभाजन का पर्यवेक्षण करेंगे।

न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता होंगे भारत में यह सत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

ये पांच शर्ते किसी संविधान को संघात्मक बनाने हेतु अनिवार्य हैं। भारत में ये पांचों लक्षण संविधान में मौजूद हैं अतः यह संघात्मक है। परंतु भारतीय संविधान में कुछ विभेदकारी विशेषताएँ भी है, जिसका विस्तार से उसमें उल्लेख किया गया है।

हमारा संविधान ही हमारी आत्मा है

- वेदव्यास

भारत का संविधान ही 140 करोड़ देशवासियों की आत्मा है और डॉ. भीमराव अंबेडकर ही इसकी प्रस्तावना के रचनाकार हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' डॉ. भीमराव अंबेडकर को इस संविधान के आलोक में याद करते हुए जब हम भारत की खोज को पढ़ते हैं, तो लगता है कि वंदे मातरम् और जन गण मन' जैसी आराधना से बढ़कर कोई अन्य कविता इस धरती पर हो ही नहीं सकती। भारत का यह दिव्य सपना 26 नवंबर, 1949 से साकार होकर हमारे देश का मार्गदर्शक है।

दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार (1) समानता का अधिकार (2) स्वतंत्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (5) संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार आज हमें प्राप्त है, उसकी अनुपालना में ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की संपूर्ण संरचना प्रेरित और उत्तरदायी है। इस विभाजित राष्ट्र की अनेकताओं को एकता में बांधने का यह अमर तंत्र जब डॉ. अंबेडकर ने लिखा था, तब वह कोई दलित नहीं थे, अपितु एक भारतीय नागरिक थे। इसी तरह 1857 से लेकर 1947 तक भारत में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके सभी महानायक किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के सैनिक और सेनानी नहीं थे, अपितु भारत के उपासक थे। लेकिन, तब से लेकर अब तक इस देश के विकास और परिवर्तन का प्रवाह कुछ ऐसी विपरीत दिशा में धकेला जा रहा है कि हमने अपने सभी राष्ट्र निर्माताओं को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के हाशिए पर धकेल दिया है। जो भी भारत गणराज्य का अधिपति बनता है, वह एक भारत - श्रेष्ठ भारत और सबका साथ-सबका विकास की नई-नई बातें तो करता है, लेकिन असल में संविधान के विपरीत सत्ता और व्यवस्था का एक नया ताना-बाना भी बुनता है। यही कारण है कि नए भारत की पिछले 78 साल की कहानी समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और इसके संवैधानिक उपचारों के आसपास ही घूम रही है। हमने अंबेडकर को दलित नेता बना दिया है, तो ज्योतिबा फुले को मालियों का आराध्य, भगत सिंह को चरमपंथ का सिपाही, तो वल्लभ भाई पटेल को गुजरात का गौरव, तो सुभाषचंद्र बोस को बंगाल गरिमा, तो जवाहरलाल नेहरू को वंशवाद का जनक, तो विवेकानंद को कट्टर हिंदुत्व का प्रणेता, तो सुब्रहण्यम भारती को तमिल प्रतिष्ठा और न जाने किन-किन को अपनी-अपनी कैसी-कैसी जाति-धर्म की पहचान का प्रतीक बना दिया है।

इसी तरह हमने संपूर्ण मानवता के उपासकों की जगह राम-कृष्ण को हिंदुओं की, बुद्ध को बौद्धों की, हजरत मोहम्मद को मुसलमानों की, गुरु नानक को सिक्खों की, महावीर को जैनियों की तथा ईसा मसीह को ईसाइयों की चारदीवारी में ही कैद कर दिया है। यानी कि हमने नदी, पर्वत, हवा, प्रकाश, पृथ्वी तक को अपनी जाति-धर्म की पहचान में समेट लिया है तथा मां गंगा की जीवनदायी पवित्रता को भी हिंदू संस्कृति की मुख्यधारा तथा सूर्य और चंद्रमा को भी हिंदू संस्कृति के नमस्कार में बदल दिया है।

आज भी हम जब महात्मा गांधी को किसी राजनीतिक पार्टी का विज्ञापन बना देते हैं और अंबेडकर को दलितों का मसीहा कहते रहते हैं, तो हम यह भूल जाते हैं कि इनका जीवन-दर्शन क्या था? हम एक कृतज्ञ राष्ट्र के रूप में भी कभी अंबेडकर के भारत के संविधान की बात क्यों नहीं करते और महात्मा गांधी की सत्य और अहिंसा को याद क्यों नहीं करते? यह सीमित समझ ही बताती है कि हम ऐसे सभी राष्ट्र निर्माताओं को एक व्यक्ति के रूप में जाति-धर्म के लिए उपयोगिता की सामग्री में बदल रहे हैं, जबकि गांधी और अंबेडकर एक विचार है तथा वह किसी संकीर्णता के हकदार नहीं हैं। महाराणा प्रताप और शिवाजी को किसी धर्म और जाति का नायक बनाना भी हमारी समझ की संकीर्णता है, क्योंकि यह सभी इतिहास पुरुष राजा और प्रजा की मर्यादा के आधार हैं।

इसलिए, हमें आज यह अवधारणा भी बदलनी होगी कि जाति और धर्म की पहचान से ही किसी देश की पहचान बनती है और विकास तथा परिवर्तन की योजनाएं चलाई जाती हैं। यदि भारत में दलितों को सामाजिक-आर्थिक समानता का अधिकार हम आज तक नहीं दे पाए हैं, तो यह डॉ. अंबेडकर और हमारे संविधान का अपमान है। इसी तरह भारत में असत्य और हिंसा का विस्तार भी महात्मा गांधी के सपनों की अवहेलना है। भारत का संविधान ही हमें वह ताकत देता है कि-आज भी हम एक हैं और आगे-पीछे वंदे मातरम् और जन गण मन ही गा रहे हैं तथा सभी प्रकार की शपथ अपने संविधान के अंतर्गत ही ले रहे हैं।

ऐसे में, भारत का जीवन धर्म और जीवन कर्म भारत का संविधान ही है। अतः अंबेडकर को जाति-धर्म की सीमाओं में बांधकर इन्हें छोटा मत बनाइए, क्योंकि प्रेरणा के प्रकाश का कोई जाति-धर्म नहीं होता। अतः समय की चेतावनी को समझते हुए डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभास की जिंदगी में प्रवेश करने जा रहे हैं। हमारी राजनीति में समानता होगी और हमारे सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता। राजनीति में हम एक वोट और हर वोट का समान मूल्य पर चल रहे होंगे। परंतु अपने सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में हमारे सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे के कारण हर व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकार रहे होंगे। इस विरोधाभास के जीवन को हम कब तक जीते रहेंगे? कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता को नकारते रहेंगे? यदि हम इसे नकारना जारी रखते हैं तो हम केवल अपने राजनीतिक प्रजातंत्र को संकट में डाल रहे होंगे। हमें जितनी जल्दी हो सके, इस विरोधाभास को समाप्त करना होगा, अन्यथा जो लोग इस असमानता से पीड़ित हैं, वे उस राजनीतिक प्रजातंत्र को उखाड़ फेकेंगे जिसे हम सभी ने परिश्रम से खड़ा किया है।

संपादकीय

हमारा महानगर

संसद का शीतकालीन सत्र

कभी लोकतंत्र की जनभावनाओं को स्पष्ट करते हुए फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर ने कहा था कि "मैं आपके विचार से सहमत नहीं हो सकता लेकिन उसे कहने के आपके अधिकार की रक्षा आखिरी दम तक करूंगा।" लेकिन यह विशुद्ध रूप से संस्कारवान नीति की बात है। आज जबकि लोकतांत्रिक सियासत का विकृत चेहरा घटना दर घटना सामने आ चुका है और चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन, दोनों की विभिन्न कुसंस्कारी घटनाएं कुछ गलत नजीर/नजरिया प्रदान कर चुकी हैं तो इनकी निरन्तरता को लेकर अब प्रशासनिक और न्यायिक सख्ती की जरूरत आन पड़ी है क्योंकि अब राजनीतिक आचार संहिता भी पक्षपात पूर्ण प्रतीत होने लगी हैं। ऐसे में फ्रांसीसी दार्शनिक वॉल्टेयर के विचारों से पूर्णतया सहमत नहीं हुआ जा सकता है। चूंकि भारतीय संसद का शीतकालीन सत्र आगामी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। इसलिए सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को अपनी नकारात्मक अतीत से सबक लेकर सकारात्मक दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहिए। इसे जनहित के विषय पर स्वस्थ बहस का मंच बने रहने देना चाहिए। राजनेताओं को यह समझ लेना चाहिए कि उनकी सियासत तो होती रहेगी लेकिन इस क्रम में जो अनैतिक परंपराएं विधायिका के ऊपर हावी होती चली जा रही हैं, उसे रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी हमारे माननीय सांसद बंधुओं पर ही है क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा की ही नकल अब विधानसभा व विधानपरिषद में ही होने लगी है। खासकर जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के नाम पर बयानबाजी व गुटबाजी तथा झड़प को रोकने की जरूरत है। यही वजह है कि सदन के कामकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए राज्यसभा बुलेटिन जारी किया गया है जिसमें सदस्यों के लिए 'करने' और 'न करने' वाली बातों का जिक्र किया गया है। इसी बुलेटिन के मुताबिक, सभापति के निर्णय की सदन के अंदर या बाहर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आलोचना नही की जानी चाहिए। यही स्वस्थ संसदीय परंपरा समझी जाती है। बुलेटिन में यह भी कहा गया है कि सभापति सदन के पूर्व उदाहरणों के अनुसार निर्णय देते हैं और जहां कोई पूर्व उदाहरण नहीं होता, वहां सामान्य संसदीय परंपरा का पालन किया जाता है। जाहिर तौर पर इस दिशानिर्देश का मकसद राज्यसभा की कार्यवाही को अतीत की अपेक्षा और बेहतर बनाना है लेकिन इसमें आलोचना की भी जगह होनी चाहिए। आलोचना की जगह समालोचना हो तो और अच्छी बात होगी लेकिन सियासी कुलोचना कतई नहीं होनी चाहिए और न ही इसे बर्दास्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो राज्यसभा का बुलेटिन सदन की बेहतरी में ही मदद करेगा। चूंकि यह उच्च सदन है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा बनती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आलोचना और वाद-विवाद संसदीय परंपरा का ही हिस्सा हैं। जब तक कि आलोचना पूर्वाग्रह से ग्रसित या व्यक्तिगत न हो, तब तक उसका पुरजोर स्वागत किया जाना चाहिए। कुछ यही पवित्र भाव देश की दूसरी संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी है, मसलन- अदालत के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। उसके फैसलों से असहमति जताई जा सकती है और उनके खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील की जा सकती है। इस प्रकार आलोचना और असहमति की आजादी के बिना यह सबकुछ संभव ही न होता। लेकिन सदन में विपक्ष से तनाव न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। वैसे भी चुनावी राजनीतिक व्यवस्था में विपक्ष से हर बात पर सहमति की उम्मीद करना बेमानी ही है। फिर अभी देश का जैसा सियासी माहौल है, उसमें सदन के भीतर और बाहर टकराव आम बात है। वाकई पिछले कई उदाहरण है, जहां विपक्ष और आसन (चेयर) के बीच तनाव भरे रिश्ते देखने को मिले थे। सच कहूं तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कार्यकाल में यह तनाव बिल्कुल चरम पर था और इसी गफलत की भेंट भी वह चढ़ गए या चढ़ा दिए गए। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश की एक टिप्पणी को लेकर राज्यसभा की प्रिविलेज कमिटी में मामला चल रहा है, जो उसी तनाव का नतीजा है। लिहाजा, इस तरह की प्रवृत्ति से नए उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन को सचेत रहना चाहिए। जहां तक लोकतांत्रिक मर्यादा के ख्याल का सवाल है तो यह कहना उचित होगा कि लोकतंत्र में कोई भी आलोचना के परे नहीं कहा जा सकता लेकिन यह तो बिल्कुल बेहतरी का जरिया है। बहरहाल, राज्यसभा बुलेटिन से ऐसा भी लग सकता है कि सांसदों की अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, जिसका संदेश अच्छा नहीं जाएगा। हां, इस बात का ख्याल सभी को रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति या आलोचना का अधिकार भी कुछ सीमाओं के साथ लागू होता है। इसलिए इन्हें पहचानने और मानने की दरकार है, ताकि स्वस्थ आलोचनात्मक परंपरा फलती फूलती रहे। यही वजह है कि संसदीय सत्र की शीतकालीन बैठक बेहद चुनौती पूर्ण रह सकती है। खासकर राज्यसभा व लोकसभा दोनों में, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मात खाया विपक्ष अब एसआईआर को लेकर आक्रामक होगा।इससे विपक्षी एकता को भी बल मिलेगा, जो निज सियासी स्वार्थवश नारंगी की तरह भीतर से विभाजित, पर ऊपर से एक होने का नया स्वांग रचेगा। इस प्रकार शीतकालीन सत्र सरकार और विपक्ष के संबंधों की नई आजमाइश साबित होने वाली है। चूंकि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के लिए यह पहला सत्र है, इसलिए उन्हें चौकन्ना रहना होगा। वैसे भी बीते मॉनसून सत्र का अनुभव अच्छा नहीं था। तब राज्यसभा की प्रॉडक्टिविटी केवल 38.88% थी और केवल 41.15 घंटे काम हो पाया था। इस बार भी SIR का मुद्दा गरम है। लिहाजा राधाकृष्णन के सामने संतुलन बनाने की चुनौती होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोकसभा का भी हाल कुछ ऐसा ही रहेगा क्योंकि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष कब क्या कर बैठेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। वही लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके शहंशाह गृहमंत्री अमित शाह कब कौन सी रणनीति लेकर विपक्ष पर टूट पड़ेंगे, पूर्वानुमान लगाना कठिन है। वैसे भी लालकिला दिल्ली आतंकी बम ब्लास्ट की घटना से सरकार के तेवर आतंक परस्त विपक्ष को लेकर आक्रामक है। इंडिया गेट अर्बन नक्सली कांड से सरकार गम्भीर हो चुकी है। एसआईआर पर कांग्रेस और ममता के तेवर से सरकार चौकन्नी हो चुकी है।

कटाक्ष | सुरेश मिश्र

टीम इंडिया पिट गई, थू-थू करते लोग
दो-जीरो से हारकर, कुटिल कर रहे ढोंग
कुटिल कर रहे ढोंग, रोग ये पैसे वाला
मैच कर रहे फिक्स, कराकर के मुंह काला
कह सुरेश पटना में जैसे पिटा इंडिया
वैसे ही लतियाइ गई अब टीम इंडिया

बीआर गवई का देश को संदेश

बिबीआर गवई 23 नवंबर को सीजेआई पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और जाते-जाते उन्होंने ऐसे कई संदेश दिये जिन्हें समझने की जरूरत है। अपने कार्यकाल के दौरान उनका केन्द्र सरकार से कई मुद्दों पर टकराव स्पष्ट रूप से दिखा। इसके बावजूद दोनों के रिश्तों में कड़वाहट दिखाई नहीं दी। जब उनके ऊपर जूता फेंक कर मारा गया तो इस पर देश में काफी बवाल हुआ। दलित संगठनों और उनसे जुड़े लोगों ने इसे दलित सीजेआई का अपमान करना बताया। वास्तव में जूता फेंकना उनका निजी अपमान नहीं था बल्कि वो न्यायपालिका के प्रति गुस्सा था। उनके फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता लेकिन उन्होंने फैसले के दौरान भगवान विष्णु को लेकर जो टिप्पणी की थी, वो बिल्कुल गैर-जरूरी थी। शायद यही सोचकर उन्होंने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने से मना कर दिया था लेकिन सरकार ने कार्यवाही की। आरोपी के प्रति उनकी दरियादिली यह बताती है कि वो मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो आरोपी के आवेश में आकर उठाये गये कदम के लिए उसे सजा देना उचित नहीं समझते थे। वैसे उस घटना से यह भी पता चलता है कि जजों को तथ्यों और तर्कों के आधार पर फैसला देना चाहिए और निजी टिप्पणियों से बचना चाहिए। इसके अलावा उनका यह बयान भी महत्वपूर्ण है कि सरकार के खिलाफ फैसला देना जरूरी नहीं है। जज को यह नहीं देखना चाहिए कि सामने कौन है, उसे संविधान और कानून के अनुसार ही फैसला देना चाहिए। सरकार के खिलाफ फैसला देना न्यायपालिका की स्वतंत्रता की

> मीडिया हो या सामाजिक कार्यकर्ता, उनके लिए यही सही है कि वो देश और समाज के हित में काम करें। वो सच के साथ खड़े रहे। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना सरासर बेईमानी है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में यह चलन हो गया है कि जो सरकार के पक्ष की बात करे, वो गोदी मीडिया है या अंधभक्त है।

निशानी नहीं है। वास्तव में हमारे देश में स्वतंत्रता और निष्पक्षता का मतलब ही यही रह गया है कि आप सरकार का विरोध करते रहे। सरकार के पक्ष में बोलना या लिखना पक्षपाती माना जाता है। उनकी बात सिर्फ एक जज पर लागू नहीं होती है बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति पर लागू होती है। मीडिया हो या सामाजिक कार्यकर्ता, उनके लिए यही सही है कि वो देश और समाज के हित में काम करें। वो सच के साथ खड़े रहे. सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना सरासर बेईमानी है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद देश में यह चलन हो गया है कि जो सरकार के पक्ष की बात करे, वो गोदी मीडिया है या अंधभक्त है। वही मीडिया सही है जो सरकार की हर बात का विरोध करे, बेशक इस चक्कर में देश, संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ क्यों न खड़ा होना पड़े। वास्तव में आजादी के 78 साल बाद भी हमारी मानसिक गुलामी खत्म नहीं हुई है। जैसे अंग्रेजों का विरोध करना ही देशप्रेम और समाजसेवा माना जाता था, वैसे ही आज भी सरकार का विरोध करने वाला खुद को लोकतंत्र और संविधान का रक्षक मानता है। अगर सरकार संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी लड़ रही हो तो ऐसे लोग उनके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। गवई का इशारा इस ओर ही है कि सरकार के पक्ष में फैसला देना पक्षपात करना या सरकार से डरना नहीं है। जज को सिर्फ तर्कों और तथ्यों के आधार पर फैसला देना चाहिए। संसद और विधानसभा द्वारा पास बिलों को राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लंबित रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने जो फैसला सुनाया था, उसे उनकी संवैधानिक पीठ ने पलट दिया। देखा जाए तो उन्होंने जाते-जाते संविधान की सर्वोच्चता को प्राथमिकता दी। दो जजों की पीठ ने तमिलनाडु सरकार के बिलों को रोकने के मामले को लेकर हुई सुनवाई के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदन करने की एक निश्चित अवधि तय कर दी थी जबकि संविधान में ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान नहीं लिख सकता, इसलिए पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। सरकार ने इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी, जिस पर विचार करते हुए संवैधानिक पीठ ने यह फैसला सुनाया है। देखा जाए तो ऐसे हालातों से जजों को बचना चाहिए। गवई कई बार कह चुके हैं कि संसद और सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि संविधान सर्वोच्च है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे रहे हैं जो कि संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत थे। सुप्रीम कोर्ट वहां अपनी राय बता सकता है, जहां संविधान स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उसे व्याख्या देने का अधिकार है। जब संविधान में स्पष्टता से कोई प्रावधान है तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को नहीं जाना चाहिए। इससे दोनों संस्थाओं में टकराव होता है। गवई ने कहा कि न्यायिक आतंक नहीं होना चाहिए, उनका इशारा इसी ओर है। सुप्रीम कोर्ट को उनकी इस बात को समझने की जरूरत है क्योंकि इससे दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी और टकराव नहीं होगा। अपने विदाई समारोह में गवई ने अपने 2024 के उस फैसले का बचाव किया जिसमें उन्होंने अनुसूचित जातियों पर क्रीमीलेयर का नियम लागू करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि उनके इस फैसले की वजह से उनके ही समुदाय में उनकी जबरदस्त आलोचना हुई। उनका कहना है कि वो अब आगे न्यायिक कार्य नहीं करेंगे, इसलिए इस फैसले पर चर्चा करना चाहते हैं। उनका कहना है कि एक जज से अपने फैसले का बचाव करने की उम्मीद नहीं की जाती लेकिन वो अपनी बात रखना चाहते हैं। वास्तव में वो अकेले नहीं है। हर वो व्यक्ति जो अपने समाज में सुधार करना चाहता है, उसे अपने ही समाज की आलोचना झेलनी पड़ती है। वास्तव में दलित समाज का मुखर वर्ग ही आरक्षण का लाभ ले रहा है। वो क्रीमीलेयर को किसी भी प्रकार से अनुसूचित जाति में लागू नहीं होने देना चाहता। उसका कहना है कि आरक्षण प्रतिनिधित्व का अधिकार है, ये गरीबी दूर करने का अधिकार नहीं है। सवाल यह है कि जो वर्ग आगे बढ़ गया है, वो बिना आरक्षण के प्रतिनिधित्व क्यों नहीं हासिल करता। राजनीति में आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए हो सकता है लेकिन शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण को प्रतिनिधित्व कैसे माना जा सकता है। मैंने अपने जीवन में सरकारी नौकरी वालों को समाज के लिए कुछ भी करते हुए नहीं देखा है। एक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार का भरण-पोषण करता है, वो समाजसेवक नहीं होता। गवई ने अपने भाषण में कहा कि मैंने एक उदाहरण दिया था कि क्या दिल्ली के सबसे अच्छे कॉलेज, सेंट स्टीफंस में पढ़ने वाले मुख्य सचिव के बेटे को ग्राम पंचायत या जिला परिषद स्कूल में पढ़ने वाले खेतिहर मजदूर के बेटे के साथ मुकाबला करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है लेकिन समानता का मतलब यह नहीं है कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉ अंबेडकर ने कहा था कि अगर हम सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे, तो असमानता बढ़ेगी। इसलिए जो पीछे हैं, उनके साथ विशेष बर्ताव करने की जरूरत है। देखा जाए तो बाबा साहब ने आरक्षण इसी आधार पर मांगा था कि हम लोग इतने पीछे रह गए हैं कि अगर हमारे साथ समानता का व्यवहार हुआ तो वो भी एक असमानता होगी।

■ राजेश कुमार पासी

इंडिया गेट पर प्रदर्शन में हिडमा के पोस्टर

राजधानी दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। इसी गंभीर स्थिति का हवाला देते हुए कुछ युवाओं ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। शुरुआत में वे ये दिखा रहे थे कि वे हवा की खराब गुणवत्ता को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन थोड़ी देर बाद उनका असली रंग सामने आ गया। वामपंथी प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में मारे गए खूंखार नक्सली हिडमा के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी और 'कॉमरेड हिडमा अमर रहे' के नारे लगाए। इन वापपंथी प्रदर्शनकारियों की तैयारी देखकर साफ समझा जा सकता है कि प्रदूषण तो एक बहाना था, इनका मुद्दा कुछ और था क्योंकि प्रदर्शनकारी अपने साथ हिडमा के नाम लिखी तख्तियाँ और पोस्टर ही नहीं बल्कि पेपर स्प्रे भी लेकर आए थे। पुलिस ने जब इनसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की माँग की तो इन्होंने पुलिसकर्मियों पर इसका इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार, 23 नवंबर 2025 को करीब 4.30 बजे ये प्रदर्शनकारी इंडिया गेट के सी-हेक्सागन क्षेत्र में जुटे। वहाँ मौजूद पुलिस ने उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से हटने को कहा लेकिन वे लगातार हिडमा के पक्ष में नारे लगाते रहे और निर्देशों को नजरअंदाज करते रहे। स्थिति तब बिगड़ गई जब पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाना शुरू किया। इसी दौरान प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने पुलिस पर पेपर स्प्रे कर दिया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। कई पुलिसकर्मियों की आँखों में तेज जलन हुई और तीन से चार कर्मियों को तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार के अनुसार "पहली बार हमने पुलिसवालों पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल होते देखा। जानकारी के अनुसार कुछ प्रदर्शनकारी सी-हेक्सागन के अंदर जमा हो गए और फिर उस बैरिकेड को पार करने की कोशिश की जिसे पुलिस ने आने-जाने पर रोक लगाने के लिए लगाया था हालाँकि, वे नहीं माने. उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिया, सड़क पर आ गए, और वहीं बैठ गए। पुलिस ने उनसे हटने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उनके पीछे कई एम्बुलेंस और मेडिकल कर्मचारी इंतजार कर रहे थे और उन्हें इमरजेंसी एक्सेस की जरूरत थी. पुलिस ने ट्रैफिक में रुकावट से बचने के लिए उन्हें सी-हेक्सागन से हटा दिया। हटाने के दौरान, कई प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हाथापाई हुई और कई

पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। हंगामे के कारण ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई। सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कुल 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है और उनके खिलाफ पुलिस पर हमला करने और हिंसक गतिविधियों में शामिल होने जैसी गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। जानकारों के अनुसार असल में इन्हें दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण से तो कोई लेना-देना ही नहीं था। इनका टार्गेट ही अशांति पैदा करना था। एक वामपंथी ने इस पर बयान देते हुए तो भारत के सबसे खूँखार और मोस्ट वांटेड माओवादी कमांडरों में शुमार माड़वी हिड़मा के तारीफ के पुल ही बाँध दिए। उसने कहा, "हिडमा एक जनजातीय है जिसने अपने हक के लिए हथियार उठाए। इसे गलत कह सकते हैं लेकिन वे इसके पीछे के कारण को नकार नहीं सकते। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ लड़ाई जनजातियों की लड़ाई है. यह पानी, जंगल और जमीन की लड़ाई है। इस वजह से नारायण कान्हा को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। अपने हक की रक्षा करने वाले लोगों पर ऐसा दबाव नहीं डाला जा सकता।"यह पहली बार नहीं जब ये वामपंथी गुट किसी भी अन्य मुद्दे को ढाल बनाकर सामने आया हो और बाद में असली रंग दिखाया हो। किसान आंदोलन के समय भी किसानों के साथ उनकी लड़ाई में शामिल होने को ढोंग कर के इन वामपंथियों ने एक शांत से धरने को दूसरा रंग दे दिया था। उस समय किसानों के हितों की माँग का दावा करने वाले प्रदर्शनकारी अचानक उमर खालिद और शरजील इमाम की तख्तियाँ लेकर बैठ गए थे। इतना ही नहीं, उस समय भी पुलिस को टार्गेट करके हिंसा के प्रयास हुए थे। इसके अलावा, साल 2019-20 का समय याद करें तो दिल्ली समेत जगह-जगह सीएए-एनआरसी के विरोध में सड़क पर आकर बैठे प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रोटेस्ट का रंग बदल दिया था। उन्हीं प्रदर्शनों का नतीजा था कि दिल्ली को हिंदू विरोधी दंगे झेलने पड़े। 40-50 लोगों की निर्ममता से मौत हुई। पुलिस को निशाना बनाया गया। उनके ऊपर कहीं गर्म पानी फेंका गया था तो कहीं हथियार लेकर उन्हें दौड़ाया गया था। उन्हें टारगेट करने के लिए दिल्ली दंगों में आरोपित गुलफिशा फातिमा जैसे लोगों ने उमर खालिद के कहने पर लाल मिर्च पाउडर, एसिड, बोतलें, डंडे तक जमा किए थे। दोबारा वैसी ही स्थिति देखने को मिली है जिसका मतलब साफ है कि पर्यावरण जैसा मुद्दा भी इन वामपंथियों के लिए सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा फैलाने का एक साधन मात्र है। अंत में इनका असली चेहरा कभी नक्सल समर्थक, कभी आतंक समर्थक के तौर पर उभर कर आता है। इन्हें समस्या देश, देश की सरकार और देश के कानून से होती है और इनकी संवेदना देश विरोधी तत्वों से। जिस हिडमा के लिए इन्होंने दिल्ली में पुलिस पर हमला किया है, क्या उसकी लड़ाई सच में अपनी जमीन जंगल और अधिकार की थी? क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके हाथ मासूमों की हत्या से लाल नहीं होते। हकीकत यही है कि हिडमा बस्तर में नक्सलियों का सबसे बड़ा कमांडर था और सेंट्रल टीम को सँभाल रहा था। माना जाता है कि करेंगुट्टा की पहाड़ियों पर जब नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया गया था, तब माड़वी हिडमा भागने में कामयाब रहा था लेकिन इस बार सुरक्षाबलों ने उसे खत्म कर दिया। हिडमा 150 से अधिक जवानों की जान ले चुका था। साल 2004 से अब तक 26 से अधिक हमलों में वह शामिल था। इन हमलों में 2013 का झीरम अटैक और 2021 का बीजापुर अटैक शामिल है। 3 अप्रैल 2021 को सुरक्षाबलों ने माड़वी हिडमा को पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। बीजापुर में नक्सलियों ने जवानों पर हमला बोल दिया और इस मुठभेड़ में 22 जवान बलिदान हो गए थे। दंतेवाड़ा हमले में सीआरपीएफ के 76 जवानों की बलिदानी हुई थी, इसका नेतृत्व भी इसी ने किया था।

■ रामस्वरूप रावतसरे

सर्दियों में सेहत की सुरक्षा

सर्दियों की ठंडक मन को सुकून देती है लेकिन यह मौसम शरीर से गर्माहट भी छीन लेता है। वायरल इंफेक्शन, खांसी-जुकाम, स्किन ड्राइनेस और मौसमजनित आलस। ये सभी हमारी सेहत को चुनौती देते हैं। ऐसे समय में जरूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को 'विंटर रेडी' बना लें ताकि पूरा मौसम आसानी और ऊर्जा के साथ बीते। सर्दियों में इम्युनिटी कमजोर होती है, इसलिए भोजन में विविधता बेहद जरूरी है। संतरा, नींबू, कीवी, अमरूद जैसे फल विटामिन C से भरपूर होते हैं। पालक, मेथी और सरसों जैसी पत्तेदार सब्जियाँ एंटीऑक्सिडेंट्स प्रदान करती हैं। बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ ठंड से बचाव में भी मदद करते हैं। जितने रंग आपकी थाली में होंगे, उतनी ही मजबूत होगी आपकी प्रतिरोधक क्षमता। सर्दियों में स्टाइलिश कपड़े पहनना आम बात है, लेकिन सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सिर, कान, गर्दन और पैरों को ढककर रखना विशेष रूप से जरूरी है, क्योंकि ठंड सबसे जल्दी इन्हीं हिस्सों पर असर करती है। शाम और रात में तापमान तेजी से गिरता है, इसलिए गर्म कपड़ों से समझौता न करें। गीले बालों के साथ बाहर निकलना सर्दी-जुकाम और सिरदर्द की समस्या को बढ़ा सकता है। ठंड में प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत पहले जितनी ही रहती है। दिनभर में 7–8 गिलास गुनगुना पानी शरीर को गर्म रखता है और पाचन क्रिया को सुचारू बनाता है। अक्सर डिहाइड्रेशन को लोग सुस्ती, सिरदर्द या स्किन ड्राइनेस समझ बैठते हैं। सर्दियों में हवा शुष्क हो जाती है, जिससे त्वचा रूखी पड़ने लगती है। नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाने से नमी बरकरार रहती है। बहुत अधिक गर्म पानी से स्नान करने से त्वचा की नैचुरल ऑइल कम हो जाती है, इसलिए हल्के गर्म पानी का प्रयोग बेहतर है। लिप बाम और हैंड क्रीम नियमित रूप से इस्तेमाल करते रहें ताकि होंठ और हाथ फटने से बचें। ठंड में नींद गहरी आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि नींद का पैटर्न बिगाड़ दिया जाए। हर रात 7–8 घंटे की नींद शरीर के लिए अनिवार्य है। सोने से आधा घंटा पहले मोबाइल और स्क्रीन से दूरी बनाएं, और रात का भोजन हल्का रखें ताकि नींद बेहतर हो। सर्दियों में अक्सर लोग वर्कआउट टाल देते हैं, लेकिन यह शरीर को कमजोर कर देता है। सुबह ठंड लगे तो दोपहर की हल्की धूप में वॉक करें। घर पर योग, स्ट्रेचिंग और हल्का-फुल्का व्यायाम भी बेहतरीन विकल्प हैं। सिर्फ 20–25 मिनट की गतिविधि भी शरीर की गर्माहट को बनाए रखती है। अदरक वाली चाय, सूप, हर्बल टी या तुलसी का काढ़ा, ये सभी शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देते हैं। दिन में एक-दो बार इनका सेवन गले को आराम देता है और संक्रमण से बचाता है। ध्यान रखें कि चाय और कॉफी का अधिक सेवन डिहाइड्रेशन बढ़ा सकता है। सर्दियों में धूप कम निकलती है, इसलिए जब भी मिले, उसका पूरा फायदा उठाएं। प्रतिदिन 15–20 मिनट धूप में बैठना विटामिन D का सर्वोत्तम स्रोत है। यह हड्डियों को मजबूत करता है और मूड को बेहतर बनाकर सर्दियों की उदासी को दूर करता है। सर्दियाँ अपनी खूबसूरती और शांति के साथ आती हैं, लेकिन स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। पोषक आहार, गर्म कपड़े, पर्याप्त पानी, नियमित वर्कआउट और भरपूर नींद, ये सभी मिलकर सर्दियों को खुशहाल और स्वस्थ बनाते हैं।

आज का कार्टून

साभार

विद्यार्थियों में बढ़ता करियर भ्रम

आज के प्रतिस्पर्धात्मक दौर में विद्यार्थियों के सामने कॅरियर विकल्पों की दुनिया जितनी विस्तृत हुई है, उतनी ही उलझनें भी बढ़ गई हैं। पहले जहां रोजगार के मार्ग सीमित थे। सरकारी नौकरी, कृषि, सीमित निजी क्षेत्र वहीं अब सूचना-प्रौद्योगिकी, डिजिटल माध्यम, स्टार्ट-अप, विदेशी अवसर, स्किल-बेस्ड करियर और फ्रीलांसिंग के नए विकल्पों ने युवाओं की सोच को व्यापक बना दिया है लेकिन इसी विस्तृतता ने एक नई समस्या को भी जन्म दिया है-कॅरियर भ्रम। यह भ्रम न केवल विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को प्रभावित कर रहा है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास पर भी गहरा असर डाल रहा है। पिछले करीब एक दशक में हर क्षेत्र में करियर अवसरों का विस्तार हुआ है लेकिन मार्गदर्शन की कमी उतनी ही बनी हुई है। विद्यार्थी इंटरनेट, सोशल मीडिया और आसपास की तुलना के प्रभाव में कई बार ऐसा लक्ष्य चुन लेते हैं जिसके बारे में उन्हें न ज्ञान होता है, न वास्तविक रुचि। कई छात्रों का ध्यान कॅरियर की वास्तविकताओं की बजाय उसकी चमक पर होता है। ऊंची तनख्वाह, विदेश यात्रा, सोशल मीडिया पर दिखने वाली ग्लैमरस जीवनशैली इत्यादि। यही वजह है कि वे एक रास्ता चुनकर जल्दी ऊब जाते हैं और बार-बार लक्ष्य बदलते हैं। बहुत से परिवारों में कॅरियर का अर्थ अभी भी सरकारी नौकरी या पारंपरिक पेशा ही माना जाता है। विद्यार्थी की रूचि, कौशल और व्यक्तित्व को नजर अंदाज करते हुए समाज उसे उसी सीमित दायरे में सोचने को मजबूर कर देता है। माता-पिता की अपेक्षाओं का दबाव कई बच्चों को अपनी वास्तविक दिशा से भटका देता है। यही कारण है कि इंजीनियरिंग, मेडिकल या प्रशासनिक सेवाओं में भीड़ बढ़ती जा रही है, जबकि अनेक प्रतिभाएं कला, खेल, डिजिटल मीडिया, उद्यमिता या वैज्ञानिक अनुसंधान में बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। देश में कैरियर काउंसलिंग की संरचना अभी भी मजबूत नहीं है। विद्यालयों में नियमित काउंसलर उपलब्ध नहीं, कॉलेजों में कॅरियर सम्मेलनों की कमी, और विशेषज्ञों तक सामान्य विद्यार्थियों की पहुंच कठिन है। इस स्थिति में वे अपने भविष्य का निर्णय अनुमानों, सलाहों और तुलना के आधार पर करते हैं। परिणामस्वरूप पढ़ाई में ध्यान की कमी, लक्ष्य को लेकर भ्रम, तनाव, चिंता और आत्मविश्वास में गिरावट, गलत विषय या कोर्स चुनने से भविष्य में पछतावा, ये सभी समस्याएं आज लगभग हर परिवार में देखी जा सकती हैं। वर्तमान दौर में कॅरियर को लेकर युवाओ की सोच बदल रही है। सकारात्मक पहलू यह है कि आज नई पीढ़ी में कॅरियर को लेकर साहसिक और नवाचारी सोच विकसित हो रही है। स्टार्ट-अप संस्कृति, डिजिटल इकॉनमी, फ्रीलांसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स और डिजाइन जैसे क्षेत्रों ने युवाओं को पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलना सिखाया है लेकिन इस बदलाव का लाभ तभी मिलता है जब विद्यार्थी रुचि, क्षमता और अवस के संतुलन को समझें। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी और अभिभावक क्या करें? यह प्रश्न स्वभाविक है। इसके लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है। सबसे पहले रुचि की पहचान करें। हर छात्र को अपनी पसंद, मजबूत पक्ष और कौशल पहचानने के लिए नियमित समय देना चाहिए। कॅरियर की वास्तविक जानकारी जुटाएं। केवल सुनी-सुनाई बातों पर भरोसा न करें बल्कि कोर्स, कॉलेज, जॉब-प्रोफाइल और भविष्य के अवसरों की सही जानकारी प्राप्त करें। समय-समय पर विशेषज्ञों, कैरियर काउंसलर, विषय विशेषज्ञ, सफल युवा उद्यमी, वरिष्ठ शिक्षकों से मार्गदर्शन अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अभिभावक किसी भी प्रकार का दबाव न बनाएं। बच्चों की रुचि और स्वभाव को समझकर उन्हें सही निर्णय लेने में सहयोग दें। इसके अलावा कौशल विकास को प्राथमिकता जरूर दे। आज डिग्री से अधिक स्किल मायने रखती है। डिजिटल, तकनीकी, भाषा और संप्रेषण कौशल हर क्षेत्र के लिए अनिवार्य हैं। कॅरियर भ्रम आज की शिक्षा व्यवस्था और समाज के सामने एक गहरी चुनौती बन चुका है। अवसरों की अधिकता तभी लाभकारी है जब विद्यार्थी अपने भीतर की प्रतिभा पहचानें, सही मार्गदर्शन मिले और अभिभावक उनका उत्साह बढ़ाएं। यह समय है कि हम युवाओं पर अपेक्षाओं का बोझ कम करके उन्हें आत्म-विश्लेषण, कौशल-विकास और सार्थक कॅरियर मार्ग चुनने की स्वतंत्रता दें। सही दिशा ही विद्यार्थियों को भविष्य में सफलता, संतुलन और संतुष्टि प्रदान करने में सक्षम हो सकती है।

डा. वीरेन्द्र भाटी मंगल

दैनिक सवेरा टाइम्स
नई दिल्ली, वीरवार, 27 नवम्बर 2025

समस्या को हल करने की तुलना में अधिकतर लोग उससे जूझने में समय बर्बाद कर देते हैं। –हैनरी फोर्ड

धर्मध्वजा का आरोहण श्री राम मंदिर की सम्पूर्णता का प्रतीक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति के रूप में सम्पूर्ण हो गए श्री राम मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज स्थापित कर दिया। श्रद्धा से भरे मन और सजल आंखों के साथ उसे प्रणाम किया। उन्होंने इस धर्मध्वज को स्थापित करने के कार्य को उस अग्नि की पूर्णाहुति बताया जो 500 साल से प्रज्ज्वलित थी। उनका कहना था कि यह एक कठिन यात्रा थी। आज अयोध्या नगरी सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन गई है। सदियों के घाव भरे हैं।

सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हुआ है। भारत और विश्व आज राममय है और अपार आलौकिक आनंद ले रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे। हमारे विचार में भगवान श्री राम का चरित्र देश की सामूहिकता और सहभागिता का आदर्श प्रतीक है। ध्वज इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मौसमों के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सम्पूर्ण हो गए मंदिर के बाद परिसर में बने माता शबरी, महर्षि वाल्मीकि और ऋषि विश्वामित्र के मंदिर सर्वसमाज के प्रेमभाव का प्रतीक हैं।

निषाद राज मित्रता के प्रतीक हैं। जटायु और गिलहरी जी बताते हैं कि बड़ा संकल्प पूरा करने के लिए छोटे प्रयासों का भी बड़ा महत्व है। श्री राम मंदिर आने वालों को परिसर में सप्तऋषियों के भी दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने 32 मिनट के भावुक भाषण में इस धर्मध्वजा को भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज बताया। उन्होंने कहा कि सबने योगदान दिया तो एक राजकुमार मर्यादा पुरुषोत्तम बना। इसीलिए अब भी देश में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं को केन्द्र में रखकर विकास हो रहा है। जब हर वर्ग का विकास होगा, तभी राष्ट्र विकास होगा और राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी। यह वही चेतना है जिसे जगाने का प्रयास इस वर्ष को वंदे मातरम् वर्ष घोषित करके जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर पीएम ने यह भी कहा कि उस गुलामी की मानसिकता को त्यागिए जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक घोषित करने लगी थी।

इस गुलामी से मुक्ति पाकर रहेंगे। इस मंदिर निर्माण में जुड़े श्रमवीरों और वंचित वर्ग से श्रद्धा का संवाद जोड़े। श्री राम जन्म भूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव भी इस मौके पर उपस्थित थे। उन्होंने अन्य पदाधिकारियों के साथ बिना किसी बाहरी राजनीति के मंदिर के म्यूजियम और वाचनालय को भी पूर्ण करने पर बल दिया। मंगलवार को भगवान श्री राम की विवाह पंचमी थी।

ऐसे में अयोध्या में विशेष आरती और पूजा-अर्चना संपन्न हुई। दीपोत्सव व मंत्रोच्चार के साथ बड़ी श्रद्धा से यह उत्सव मनाया गया। अब परिसर के सभी देव मंदिरों को एक सूत्र में बांधने के लिए निर्मित कराए गए 750 मीटर परकोटे को सजाया, संवारा जा रहा है। इस अवसर पर भी चौपाइयों और श्लोकों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया, यह हमारी सांस्कृतिक गरिमा का प्रभावशाली प्रदर्शन था।

श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद शिखर पर धर्मध्वजा फहराने से यह स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रीय चेतना जागृत होगी तो सांस्कृतिक विकास द्रुत गति से किया जा सकता है। हां, इतना अवश्य है कि जिस एकसूत्र में और एकरंग में अयोध्या नगरी को बांधा गया है और जिस प्रकार वहां घाटों का पुनर्निर्माण हुआ है, उससे श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या नगरी हमारे सांस्कृतिक इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन गई है। ऐसे अध्याय खुलने ही चाहिए क्योंकि पूरे देश को आदर्शों और नैतिक मूल्यों के एक सदा जीवित सूत्र में बांधना है। श्री राममंदिर के शिखर पर धर्मध्वजा स्थापित होना जाहिर करता है कि यहां केवल घोषणाएं ही नहीं होतीं, उन्हें पूर्ण भी किया जाता है। श्री राम मंदिर देश-विदेश के लिए एक अन्यतम आकर्षण का केन्द्र बन गया है। –शीतल विज

विश्वभर में महिलाओं से नृशंसता और अनाचार

महिलाओं की पुरुषों से बराबरी, सशक्तिकरण और महिला जागरण की बातें करते हम नहीं थकते लेकिन जिस प्रकार गत दिनों पंजाब के जिला जालंधर में एक 43 वर्षीय अधेड़ व्यक्ति ने एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी, इस घटना ने केवल एक क्षेत्र या शहर को नहीं बल्कि पूरे समाज को शर्मिंदा कर दिया है। बच्ची के साथ ऐसी नृशंसता पूरे समाज के आक्रोश का कारण बनी है। आरोपी गिरफ्तार होते हैं, ट्रायल चलते हैं, सालों साल मामले लटकते हैं। सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं रुकती क्यों नहीं?

आसपास और दूर-दराज से भी महिलाओं के प्रति ऐसे नृशंस कृत्यों के समाचार मिलते हैं और आरोपी कानून की गिरफ्त से बच निकलने के लिए हरसंभव हरबे का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें न कोई पछतावा होता है, न शर्म आती है। निःसंदेह यह क्षरित होते हुए समाज का दृश्य है। अभी-अभी संयुक्त राष्ट्र ने कुछ नये आंकड़े जारी किए हैं जिनका कहना है कि महिलाओं के प्रति ये नृशंस कृत्य केवल एक शहर या राज्य में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र कहता है कि दुनिया में हर दस मिनट में एक महिला (या लड़की) की उसके किसी नजदीकी परिजन द्वारा ही हत्या कर दी जाती है। औसतन रोजाना विश्व में 137 महिलाओं या लड़कियों की हत्या हो रही है जबकि इसी के समकक्ष पुरुष हत्याएं कुल हत्याओं का केवल 11 प्रतिशत है। बीती सदियों में भी महिलाएं अगर पुरुषों के अनाचार का शिकार थीं तो आज भी वे उसी स्थिति में हैं। अगर यही देश, दुनिया में हो रहा है तो हमने क्या उन्नति की है?

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय और संयुक्त राष्ट्र (महिला) ने सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में बताया कि यूं लैंगिक असमानता के साथ स्त्रियों की हत्याएं करने की यह पुरुष वृत्ति दुनियाभर में हजारों महिलाओं की जान ले रही है। इसके अपराधियों को कहीं भी त्वरित दंड नहीं मिलता। रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल 83 हजार महिलाओं की जानबूझकर हत्या की गई है।

इनमें से 60 प्रतिशत यानी 50 हजार महिलाओं और लड़कियों की हत्या उनके अंतरंग साथियों या परिवार के सदस्यों के हाथों हुई है। ये आंकड़े केवल भारत के नहीं हैं, इससे भी अधिक हत्याएं अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के देशों में हो रही हैं। हम ऐसी खूंखार दुनिया में रहते हैं जहां आज भी महिलाओं का आखेट किया जाता है। यह एक बड़ी चिंता का विषय है। –शीतल विज

Email: letter2editor@dainiksaveratimes.net

आसिम मुनीर-एक और सैन्य तानाशाह

नि :संदेह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर उससे पहले के तानाशाहों के मार्ग पर चलने की तैयारी कर रहा है

डा. बरजिन्दर सिंह हमदर्द
शिरोमणि पत्रकार
एवं वरिष्ठ साहित्यकार

पाकिस्तान एक बार फिर सैन्य तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 1947 में अस्तित्व में आने से लेकर ही इसका भविष्य अनिश्चित दिखाई देता रहा है। बेहद गरीबी का सामना करते हुए, यह अपनी जरूरतों के लिए ज्यादातर अन्य देशों पर ही निर्भर रहा है।

अस्तित्व में आते ही इस पर अमरीका भारी हो गया था, जिस कारण इसके अपने विकास की चाल धीमी पड़ गई थी। जिस ढंग-तरीके से यह वजूद में आया था, उस पूरे दृश्य के दृष्टिगत यह जरूर महसूस होने लगा था कि ब्रिटिश कूटनीति के प्रभाव से बने इस नए देश को ऐसे बड़े नेताओं की जरूरत होगी, जो इसकी समूची स्थिति को समझते हुए इसे कोई अच्छी दिशा देने का यत्न कर सकें। इसके संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना इसके अस्तित्व में आने के बाद अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके और न ही भारत की तरह इसकी लोकतांत्रिक जड़ें ही मजबूत हो सकीं। जिस कारण यह भाग्यहीन देश अब तक प्रत्यक्ष रूप में 33 वर्षों से भी अधिक समय तक सैन्य तानाशाही के अधीन ही विचरण करता रहा है। जब कभी जन-साधारण में चली लहरों के दम पर अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपने नेताओं के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित भी कर लीं तो भी देश के प्रशासन पर सैन्य प्रमुखों का ही दबदबा बना रहा।

जनरल अयूब खान ने वर्ष 1958 में सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया और वह 11 वर्ष तक शासन करता रहा। उसके बाद याहया खान ने कुर्सी सम्भाली और उसके बाद कुछ समय के लिए लोकतंत्र का अनुभव लिया गया, परन्तु तब बनी कमजोर सरकारों को हटा कर 1977 में जनरल जिया-उल-हक ने कुर्सी सम्भाल ली और दुर्घटना में अपनी मौत तक उसने धार्मिक कट्टरता को आधार बना कर और शरीयत कानून लागू करके सत्ता पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी। उससे पहले 1977 में ही पाकिस्तान के दो टुकड़े भी हो चुके थे और इसकी लोगों द्वारा निर्वाचित सरकारें अंधेरे में ही हाथ-पांव मार रही थीं कि वर्ष 1999 में जरनल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की निर्वाचित सरकार का तख्ता पलट करके सत्ता

सम्भाल ली। अपने अनुसार संविधान में अनेक बदलाव कर लिए और वर्ष 2008 तक लोगों में फैली बगावत के कारण उसे कुर्सी से उतारना पड़ा परन्तु उसके बाद की सरकारों पर भी सेना की नीतियां ही भारी रहीं। इमरान खान ने वर्ष 2018 में आंदोलन द्वारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) की निर्वाचित सरकार को बेहद कमजोर कर दिया और सेना की सहायता से वर्ष 2018 में वह अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ द्वारा चुनाव लड़ कर प्रधानमंत्री जरूर बने परन्तु उन्हें जिताने में सेना का ही बड़ा हाथ था। उसकी सेना के साथ लम्बे समय तक बन न सकी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने सेना की सहायता से इमरान खान का तख्ता पलट करके सत्ता सम्भाल ली। विगत पूरी अवधि में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक तरह से सेना के हाथों में ही खेलते आया है। समय-समय पर पाकिस्तान की निर्वाचित सरकारों ने भारत के साथ मित्रता और सहयोग का हाथ बढ़ाने का यत्न जरूर किया परन्तु वहां की सेना का एजैंडा भारत के विरोध में ही रहा। सेना ने तरह-तरह के आतंकवादी संगठनों का पोषण करके भारत के विरुद्ध जेहाद छेड़ रखा।

इन संगठनों ने दशकों तक लगातार भारत को प्रत्येक पक्ष से घायल करने के लिए हिंसक खेल जारी रखा। अब भारत के साथ बढ़े तनाव का लाभ उठा कर वहां के जनरल आसिम मुनीर ने एक तरह से फिर अपना प्रभाव बढ़ा लिया है और निर्वाचित सरकार पुनः उसकी कठपुतली बनी दिखाई देती है। भारत के साथ टकराव के चलते पहले उसे फील्ड मार्शल बना दिया गया, जिसके बाद उसने सीधी ताकत तो अपने हाथों में नहीं ली परन्तु वह संविधान में कुछ और ऐसे बदलाव करवाने में सफल हो गया है, जिससे निर्वाचित सरकार खड़ की मुहर बनी ही दिखाई देगी उसके प्रभाव के कारण विगत दिवस वहां की राष्ट्रीय असैम्बली ने संविधान में 27वां संशोधन कर दिया है, जिससे आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफैंस फोर्सेज बन गया है। उसने एक और योजना से सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करके एक अलग संघीय संवैधानिक अदालत बनवा ली है। अब उस पर मुकद्दमा नहीं चलाया जा सकेगा और महत्त्वपूर्ण नियुक्तियां भी उसकी सहमति के बिना नहीं की जा सकेंगी।

संविधान की धारा 175 में किए गए संशोधन से न्यायपालिका की शक्ति बेहद सीमित होकर रह गई है। इसके साथ ही उसके पास परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने और अन्य बड़े फैसले लेने के अधिकार भी होंगे। इन बदलावों की देश की विपक्षी पार्टियों ने कड़ी आलोचना की है और इसके विरुद्ध आन्दोलन शुरू करने की धमकी भी दी है। परन्तु इस सब कुछ के बावजूद यह बात सुनिश्चित बन चुकी है कि आर्थिक पक्ष से बुरी तरह टूट चुका पाकिस्तान एक बार फिर वहां के जनरल द्वारा ही प्रताड़ित किया जाएगा। जैसे पहले सैन्य तानाशाहों ने अपनी ताकतों द्वारा लम्बी अवधि तक देश का शासन चलाया था, निःसंदेह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी उसी मार्ग पर चलने की तैयारी कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के लोगों का भविष्य और भी अनिश्चित होने की सम्भावना बन गई है।

बाल विवाह मुक्त भारत की ओर अग्रसर..

अन्नपूर्णा देवी
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार

एक ऐसे देश में जहां महिलाएं और बच्चे एक अरब से ज्यादा जीवनों का आधार हैं, उनका सशक्तिकरण महज एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि यह भारत की नियति का मार्ग है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी शासन में, भारत एक ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जो वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को मानव-केंद्रित प्रगति के साथ जोड़ रहा है। नए भारत की कहानी केवल आर्थिक उपलब्धियों और बढ़ते वैश्विक कद में ही नहीं, बल्कि उन कक्षाओं में भी आकार ले रही है, जहां युवा मन विकसित होते हैं, उन आंगनवाड़ी केंद्रों में जहां हमारे बच्चों का पालन-पोषण होता है, और उन घरों में जहां आकांक्षाएं पनपती हैं।

'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' के प्रति प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बन गई है, जो विकसित भारत@2047 के लिए हमारे सामूहिक मिशन को भी आगे बढ़ा रही है। इसी सफर में एक अहम पड़ाव पिछले वर्ष 27 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ है। अपनी साहसिक और अटल दृष्टि के साथ, हमने वर्ष 2030 तक बाल विवाह को खत्म करने की अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एक बार फिर दोहराई है, ताकि हर बालिका और बालक सुरक्षित रूप से बड़े हो सकें, अपनी शिक्षा जारी रख सकें और गर्व तथा आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य को आकार दे सकें। शुरू से ही, हमने 'संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज' के नजरिए को अपनाया है, लिहाजा हम मानते हैं कि इस चुनौती का हल महज नीतियों से नहीं किया जा सकता। इसके लिए सामूहिक एकता की जरूरत है, जिसमें परिवार, समुदाय, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ता, संस्थान और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर, सदियों पुरानी प्रथा को तोड़ने और हर बच्चे की आकांक्षाओं की रक्षा करने के लिए एक साथ खड़े हों।

बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 'पूरी सरकार' एकजुटः बाल विवाह हमारे देश में पीढ़ियों से चली आ रही सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। यह अक्सर उन समुदायों में दिखती है, जहां शिक्षा, संसाधनों और जागरूकता की सीमित पहुंच है। अभाव और असमान अवसरों के कारण पैदा हुई ये कमियां, इस प्रथा को जारी रखने में मदद करती हैं, जिससे अनगिनत बच्चे अपने उज्ज्वल भविष्य को साकार करने से वंचित रह जाते हैं। वर्तमान में बेहतरी के लिए प्रयासः मोदी सरकार के तहत, हम उन जड़ों को खत्म कर रहे हैं, जिन्होंने कभी इस प्रथा को पोषित किया था।

हमारी नीतियां और पहल, संवेदनशील कारणों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हर अधिकार, देश के सबसे दूरस्थ गांव और बस्तियों में सबसे कमजोर बच्चे के जीवन पर सकारात्मक असर डालते हुए अंतिम छोर तक पहुंचे। सरकार की हर योजना महिलाओं और बच्चों को जोखिम के हर चरण में सहारा देने के लिए तैयार की गई है, ताकि अजन्मे बच्चे से लेकर किशोरी तक, उनके जीवन के हर चरण की सुरक्षा, प्राथमिकता और सशक्तिकरण हो।

समावेशन के उत्प्रेरक के रूप में तकनीक की मदद से, मंत्रालय का प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोषण ट्रैकर, 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को स्तनपान कराने वाली माताओं, छह साल से कम उम्र के बच्चों और किशोरियों से सहजता से जोड़ता है। इसने देश भर में 10.14 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र तैयार कर दिया है। इस डिजिटल सक्षमता के साथ पोषण भी पढ़ाई भी, एक बदलावकारी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पहल के रूप में तैयार हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक बच्चे को समग्र, उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक प्रोत्साहन मिले, जो आजीवन सीखने की भावना की नींव रखता है। हमारी नीतियां न केवल इरादे, बल्कि जमीनी स्तर पर कार्रवाई को भी दर्शाती हैं। निरंतर बजटीय प्रतिबद्धताओं और लक्षित निवेशों में सुधारों को शामिल करते हुए, मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि बाल विवाह जैसी गंभीर समस्याओं से बच्चों की रक्षा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनी हुई है। राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति कार्यक्रम, जिसके लिए केवल 2025-26 के लिए 1,827 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण स्कूल न छोड़े, जो बाल विवाह के सबसे अहम कारणों में से एक है। इस बीच, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली युवतियों को जरुरी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

प्रभावः बाल विवाह मुक्त भारत बनने के और नजदीकः कुछ साल पहले तक, बाल विवाह को समाप्त करने का विचार दूर की कौड़ी, यहां तक कि असंभव नजर आता था। लेकिन भारत ने इसके विपरीत साबित कर दिया है। स्पष्ट नीतियों, निरंतर कार्रवाई, केंद्रित जमीनी प्रयासों और मापयोग्य प्रगति के जरिए, हमने उस धारणा को चुनौती दी है और दिखाया है कि बदलाव न केवल मुमकिन है, बल्कि पहले से ही उसके प्रयास जारी हैं। यह अभूतपूर्व बदलाव हजारों छोटी-बड़ी, सशक्त कोशिशों का नतीजा है।

हमारे बाल विवाह निषेध अधिकारी (सीएमपीओ) इस मिशन की रीढ़ बनकर उभरे हैं। पिछले एक साल में ही, हमने देश भर में 37,000 से ज्यादा सीएमपीओ नियुक्त करके अपनी अग्रिम पंक्ति को मजबूत किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्षम बनाकर, पंचायतों को सशक्त बनाकर और जिला प्रशासन को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी देकर, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सबसे वंचित परिवारों को भी सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए, बच्चों को वापस स्कूल लाया जाए और समुदायों को बाल विवाह के गंभीर उल्लंघन के बारे में जागरूक किया जाए।

अब तक, हमने 6,30,000 से ज्यादा, स्कूल न जाने वाली लड़कियों की पहचान की है और उन्हें कक्षाओं में फिर से दाखिला दिलाया है। चुप्पी से लेकर शिकायत तक, सामाजिक कलंक से लेकर समर्थन तक–भारत ने चुना बदलाव का रास्ताः आज, हम इस समस्या का हल अधिक सटीकता, पारदर्शिता और प्रभाव के साथ निकालने के लिए नवीनतम तकनीकी प्रगति की मदद ले रहे हैं। सार्वजनिक रूप से सुलभ, केंद्रीकृत मंच, बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल, इस प्रगति का प्रतीक है, जो देश भर के बाल विवाह निषेध अधिकारियों की जानकारी एक साथ लाता है, मामलों की रिपोर्टिंग के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है, और हितधारकों और नागरिकों के बीच जागरूकता को मजबूत करता है।

पहली बार, बाल-विवाह-मुक्त भारत का सपना एक एकीकृत राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित हुआ है। भारत सरकार का प्रत्येक अंग और समाज का प्रत्येक वर्ग इस साझा उद्देश्य और दृढ़ संकल्प के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हम आज न केवल अपने बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि विकसित भारत की एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सशक्त नींव भी रख रहे हैं। जैसे-जैसे भारत बाल विवाह के खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है, हम दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश कर रहे हैं, कि कैसे शासन और समुदाय मिलकर हर बच्चे की सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं और बाल विवाह के वैश्विक संकट को तत्काल और निश्चित रूप से खत्म कर सकते हैं। आखिरकार, ये बच्चे ही उस विकसित भारत के पथप्रदर्शक और सच्चे 'सारथी' हैं, जिसका निर्माण हम सभी करना चाहते हैं।

संविधान और न्यायालय हैं सर्वोच्च

निशिकांत ठाकुर
वरिष्ठ पत्रकार/ राजनीतिक विश्लेषक

यदि कोई अपनी अज्ञानता में भारतीय न्यायपद्धति को अपमानित करता है, तो उसे भारतीय न्यायपालिका के बारे में भ्रम है कि वह इस अपमान के बदले में दंडित करेगा। लेकिन, सच तो यह है कि हमारी न्यायपद्धति की सोच इतनी विशाल है कि वह उस व्यक्ति को दंड देने के बदले क्षमा कर देता है। इसके कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। यहां तक कि जब एक सिरफिरा सुप्रीम कोर्ट के लिए अनाप-शनाप कहता है, तो उसे भी माफ कर दिया जाता है। यह हमारी न्याय व्यवस्था का लचीलापन है, अन्यथा पिछले दिनों जिस तरह एक सांसद द्वारा देश के प्रधान न्यायाधीश के ऊपर सरेआम आरोप लगाया तो, वह क्षमायोग्य कतई नहीं था, लेकिन सांसद बच निकला। अभी पिछले दिनों देश के प्रधान न्यायाधीश के ऊपर भरी अदालत में जिस तरह जूता उछाला गया, उसे तो देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, लेकिन ऐसे लोग भरे समाज में खुलेआम घूम रहे हैं और अपनी हरकतों को न्यायसंगत बताते हुए समाज को बरगलाने का भरसक प्रयास करते हैं। न्याय के पक्षधरों ने इसे न्याय प्रणाली पर हमला बताया है और हमलावर की भर्त्सना भी की जा रही है। लेकिन, न्याय प्रणाली और सर्वोच्च न्यायाधीश की अवहेलना जो होनी थी, वह तो हो ही गई।

उसे खारिज करने का जितना प्रयास किया जाएगा, उससे न्यायपालिका की उतनी ही बदनामी होगी। फिलवक्त यह एक अलग विषय है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ टिप्पणी की है, उसे तो एक नजीर ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए ट्रिब्यूनल सुधार अधिनियम 2021 के तहत सदस्यों की नियुक्ति कार्यकाल और सेवा शर्तों से संबंधित प्रावधानों को रद्द कर दिया और कहा कि संसद कानून लाकर न्यायिक आदेश को पलट नहीं सकती। इसे केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि पहले से खारिज प्रावधानों को मामूली बदलाव के साथ नए कानून के रूप में फिर से लागू कर दिया गया है। अदालत ने कहा कि भारतीय सांवैधानिक ढांचा संसदीय संप्रभुता का समर्थन नहीं करता और न ही न्यायपालिका को बिना शर्त सर्वोच्चता प्रदान करता है। पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र की यह दलील सही है कि न्यायालय संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने को बाध्य नहीं कर सकता, फिर भी अदालत के पास संसद द्वारा बनाए गए कानून की बाध्यता, जनहानि का अधिकार और वास्तव में सांवैधानिक दायित्व, निर्विवाद रूप से बना रहता है। न्यायिक समीक्षा संविधान की मूलभूत विशेषता है। संसद को किसी विशेष तरीके से कानून बनाने के लिए बाध्य करने में असमर्थता का अर्थ संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को आंख मूंदकर स्वीकार करना कतई नहीं है। देश के पिछले प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अध्यादेश के पुराने प्रावधानों को कानून में वापस लाने के लिए केंद्र पर टिप्पणी की।

न्याय व्यवस्था

स्पष्ट दिखने लगा है कि शीर्ष अदालत ने सरकार को चेताया है कि देश को मनमाने तरीके से चलाने का सर्वाधिकार जनता ने उसे नहीं दिया है। उसी तरह के निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों व राष्ट्रपति के विधायक पर मंजूरी के लिए समय–सीमा कोर्ट तय नहीं कर सकता। पीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विधेयकों को स्वतः स्वीकृति का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोई भी विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता। पांच जजों की संविधान पीठ ने प्रैसिडैंशियल रेफरेंस पर सर्वसम्मति से दी गई राय में कहा कि विधेयकों पर निर्णय लेने के संबंध में राज्यपाल को विवेकाधिकार है और वह इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं बंधे हैं, लेकिन राज्यपाल विधेयक को लटकाकर नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देशभर के कई राज्यों पर प्रभाव डालने वाला है, इसलिए क्योंकि इससे पिछले 8 अप्रैल को दो जजों का फैसला निष्प्रभावी हो जाता है।

मालूम हो कि राज्यों के विधेयकों पर निर्णय के संबंध में राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय–सीमा तय करने के साथ ही राज्यपाल द्वारा रोके रखे गए तमिलनाडु के दस विधेयकों को मंजूरी दे दी गई थी। यह पहला अवसर था, जब सीधे कोर्ट के आदेश से विधेयकों को मंजूरी मिली थी। पीठ ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 142 का उपयोग संविधान के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए नहीं किया जा सकता। इन आदेशों में खास बातें यह रहीं कि विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता, क्योंकि बिलों को मंजूरी देने, रोकने या सुरक्षित रखने के राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्य न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते।

जजों की सीमित संख्या होने के बावजूद देश की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए न्यायाधीशों को कितनी मेहनत करनी होती है, यह सोचकर ही शरीर में सिहरन होने लगती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी व्यक्ति विशेष के लिए होता है, तो उसका असर देश के लगभग प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ता है। जजों की इतनी बेशुमार मेहनत के बावजूद आलोचना होने लगी थी कि कोर्ट तो सरकार के निर्देशों पर काम करना शुरू कर दिया है। सच तो यह है कि न्यायालय को जितना अधिकार हमारा संविधान देता है, उसके अनुसार उसकी व्याख्या करके यदि उसके द्वारा निर्णय दिया जाता है, तो जरूर कुछ लोग उसकी तारीफ करेंगे कुछ आलोचना भी करेंगे। एक आम आदमी के मन में यह बैठ गया है कि अदालत का झुकाव सरकार के पक्ष में जाने लगा है। यदि सच यही है तो जनता अपने न्याय की गुहार फिर कहां करेगी? इस बीच कुछ ऐसे ताबड़तोड़ निर्णय दिए गए जिसे समाज के अधिकांश वर्ग ने नकारा, लेकिन हर किसी की भारत में उतनी क्षमता नहीं है कि आदेश के विरोध में अपनी गुहार लगा सके। इसलिए अब तक तो समाज सरकार से डरकर रहता आया है, लेकिन न्याय पर भी अब खुलेआम आरोप लगने लगा है।

अभी कोर्ट ने कुछ निर्णय देना शुरू ही किया है कि समाज ने उससे राहत की सांस लेना शुरू कर दिया है। इन फैसलों का क्या असर देश, समाज और सरकार पर पड़ता है, यह देखने के लिएथोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। निश्चित रूप से न्यायपालिका एक अलग स्तंभ है जिसका दुरुपयोग यदि किया जाने लगेगा, तो यह पूरे समाज के लिए अहितकर होगा। लेकिन, इस धारणा को निवर्तमान सीजेआई बीआर गवई ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के खिलाफ यदि फैसला नहीं दिया, तो जज स्वतंत्र नहीं हैं। यह विचार गलत है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है। एक जज के बारे में यह सोचने से संपूर्ण न्यायपालिका पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्टून कोना

विश्वा मित्र

20 दिन में 16 बीएलओ की मौत, एसआईआर पर लगते आरोप

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जारी स्पैशल इंटैंसिव रिविजन (एसआईआर) के बीच बूथ लैवल अफसरों (बीएलओ) की मौतें व बीमारियां गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं। 4 नवम्बर 2025 से आरंभ हुई एसआईआर से इस लेख के लिखे जाने तक 6 राज्यों में 16 बीएलओ की मृत्यु हो गई है, जिसके कारण आत्महत्या, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज आदि हैं। इसके अतिरिक्त तनाव व डिप्रैशन की वजह से सैंकड़ों बीएलओ बीमार पड़े हैं।

गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की मौत हो गई, जबकि एक ने आत्महत्या की है। मध्य प्रदेश में 4 बीएलओ की मौत हुई है, दो को हार्ट अटैक पड़ा है, एक लापता है और 50 से ज्यादा बीमार पड़े हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक 3 बीएलओ की मौत हुई हैं, जिनमें से 2 ने आत्महत्या की। राजस्थान से 3 और तमिलनाडु व केरल से 1-1 बीएलओ के मरने की अब तक खबर है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में बीएलओ के रूप में कार्य कर रही एक महिला का शव 22 नवम्बर 2025 को उसके घर पर लटका हुआ मिला। उसके परिजनों का कहना है कि वह एसआईआर के काम के कारण बहुत अधिक तनाव में थी। पुलिस ने श्रीमती रिंकू तरफदार की मौत का कारण आत्महत्या बताया है। महिला ने अपने आत्महत्या नोट में लिखा है कि उस पर 'एसआईआर के कार्य का बहुत अधिक दबाव था', इस तनाव को वह 'बर्दाश्त नहीं कर पा रही' थी, इसलिए तनाव में थी। प. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आत्महत्या नोट को साझा करते हुए बीएलओ की मौत पर दुःख व्यक्त किया और इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि यह 'वास्तव में अब बहुत चिंताजनक हो गया है'।

चूंकि बीएलओ की दिल का दौरा पड़ने व आत्महत्या से हो रही मौतों को एसआईआर के कार्य-संबंधी 'दबाव' से जोड़ा जा रहा है, इसलिए चुनाव आयोग के अधिकारियों का कहना है कि एसआईआर के फेज-2 के कार्य को अधिक 'रिलैक्स गति' से आगे बढ़ाया जा रहा है; फेज-1 बिहार के लिए विशिष्ट था। एक अधिकारी के अनुसार, बिहार में मतदाता फॉर्म

जवाबदेही/ शाहिद ए. चौधरी

चार दिन में बांट दिए गए थे, लेकिन फेज-2 में वितरण की अवधि को बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया है। इस अधिकारी का यह भी कहना है कि बीएलओ पर दबाव की शिकायतें मुख्यतः पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से ही आ रही हैं, जबकि अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का कार्य एकदम सुचारू रूप से चल रहा है। इस अधिकारी ने इस संदर्भ में राजस्थान के एक बीएलओ बाबू लाल की मिसाल दी कि उसने अपंग होने के बावजूद चुनावी फॉर्म का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण पूर्ण कर लिया है। लेकिन इस अधिकारी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा कि 23 नवम्बर 2025 को बीएलओ 48-वर्षीय मुकेश जांगिड़ ने रेल के आगे कूदकर अपनी जान क्यों दी? राजस्थान के ही करौली में एक अन्य बीएलओ की मौत एसआईआर कार्य-संबंधी दबाव के कारण हुई है और सवाई माधोपुर में एक बीएलओ को इसी वजह से दिल का दौरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के रायसेन में बीएलओ रमाकांत पांडे की मौत हुई।

दामोह के 50-वर्षीय सीताराम गौड़ फार्म भरते समय बीमार हुए और उनकी भी मौत हो गई। भोपाल में काम कर रही बीएलओ कीर्ति कौशल और मुहम्मद लईक को ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक आया, दोनों अस्पताल में भर्ती हैं। दतिया के 50 वर्षीय बीएलओ उदयभान सिहारे ने 11 नवम्बर 2025 को आत्महत्या कर ली थी, उन्होंने भी एसआईआर के कार्य-संबंधी तनाव को अपनी जान स्वयं लेने का कारण बताया। सौराष्ट्र के अरविंद वाढेर ने अपनी आत्महत्या चिट्ठी में लिखा-काम नहीं हो सकता। अब तक जो बात सामने आई है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एसआईआर में एक बीएलओ पर काम का बहुत अधिक बोझ डाला गया है यानी काम ज्यादा है और उसे पूरा करने के लिए समय कम दिया गया है। साथ ही जो डेडलाइन दी गई है, उस तक काम पूरा न करने पर निलम्बन की धमकी की तलवार भी लटकी हुई है।

जाहिर है इससे दबाव तो पड़ेगा ही, विशेषकर इसलिए कि अधिकतर बीएलओ 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, जो डिजिटल कार्य करने में युवाओं की तरह निपुण नहीं हैं। ऐसे में उनसे गलतियां होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि गलत या सही यह धारणा बन गई है कि एसआईआर के कार्य-संबंधी दबाव के कारण बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं। अब यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वह बीएलओ पर डेड लाइन के प्रैशर को कम करे, उन्हें काम पूरा करने के लिए अधिक समय दे ताकि इस धारणा को दूर किया जा सके ताकि नागरिकों का लोकतंत्र व चुनावी प्रक्रिया में विश्वास बना रहे।

दैनिक सवेरा टाइम्स
सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक शीतल कुमार विज के स्वामित्व में, दैनिक सवेरा न्यूज एंड मीडिया नेटवर्क, एस.-9, इंडस्ट्रियल एरिया जालंधर से मुद्रित एवं डी.-55, प्रीत विहार, नई दिल्ली से प्रकाशित किया।
DELHIN/2013/53563
पोस्टल रजि. नं. PB-JL-058/25-27
फोन 0181-2370100, 4625005, 4626006, 4629009
समाचार (फैक्स) 0181-2224455
इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा उनसे उत्पन्न समस्त विवाद जालंधर न्यायालय के अधीन होंगे।

हमारा संविधान विश्व इतिहास के सबसे बड़े गणराज्य का स्रोत है। यह विविधता में एकता का स्रोत है। यह विषमताओं की पृष्ठभूमि में स्थापित की गई समता का स्रोत है।

द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

अयोध्या के पावन धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का हिस्सा बनना मेरे लिए अत्यंत भावविभोर करने वाला अनुभव रहा। शुभ मुहूर्त में संपन्न हुआ यह अनुष्ठान हमारे सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय का उद्घोष है। राम मंदिर का गौरवशाली ध्वज, विकसित भारत के नवजागरण की संस्थापना है।

-नरेंद्र मोदी

संपादकीय

अनुसूचित जाति को साधने का दांव

हिमाचल में विनय कुमार कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले विनय कुमार के नाम पर मोहर लगाई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की सहमति के बाद विनय को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के आदेश जारी कर दिए गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद विनय कुमार ने विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने बिना देर किए इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। विनय इस समय सिरमौर जिले की आरक्षित विधानसभा सीट रेणुका से विधायक हैं। हिमाचल में एक साल से कांग्रेस संगठन भंग चल रहा था। प्रतिभा सिंह का तीन साल का कार्यकाल बतौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पिछले वर्ष नवंबर में पूरा हो गया था। उसके बाद से वे कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रही थीं। ऐसे में नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए पार्टी आलाकमान लंबे समय से विचार विमर्श कर रहा था। आगामी दिनों में हिमाचल में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान का यह निर्णय महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस हाईकमान ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लक्षित कर भी अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधने के लिए विनय को अध्यक्ष बनाया है। राज्य में राजपूतों के बाद अनुसूचित जाति की जनसंख्या ही सबसे अधिक है। शिमला संसदीय क्षेत्र से संबंध रखने वाले पांच कांग्रेस नेता अध्यक्ष पद के दावेदार माने जा रहे थे। विनय कुमार के अलावा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुरी और अर्की के विधायक संजय अवस्थी इस दौड़ में शामिल रहे हैं। विनय कुमार ने कहा कि पिता से विरासत में मिली राजनीति का उन्हें पूरा लाभ मिला है। उनके पिता स्व. डॉ. प्रेम सिंह छह बार विधायक बनकर रेणुका विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्हें कांग्रेस का कट्टर व ईमानदार सिपाही माना जाता था। विनय ने अध्यक्ष बनने के बाद कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हाईकमान के समक्ष नया अध्यक्ष अनुसूचित जाति से बनाने की पैरवी की थी। विनय कुमार के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, दोनों से ही अच्छे संबंध हैं। उन्हें अध्यक्ष बनाने में जहां मुकेश अग्निहोत्री की विशेष दिलचस्पी रही है, वहीं मुख्यमंत्री ने भी उनके नाम पर सहमति प्रकट की। होलीलॉज के करीबी रह चुके सरल स्वभाव के विनय कुमार का किसी अन्य खेमे से भी कोई विरोध नहीं रहा। विनय कुमार कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी नई दिल्ली जाकर अक्सर मिलते रहे हैं। कांग्रेस ने अनुसूचित जाति के अध्यक्ष पर 20 साल बाद फिर दांव खेला है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद पर विनय कुमार की नियुक्ति से जातीय ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी साधा गया है। इसके साथ ही भाजपा-कांग्रेस, दोनों दलों के प्रदेश अध्यक्ष अब सिरमौर जिले से हो गए हैं। इससे पूर्व हिमाचल में लगातार छह राजपूत नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। विप्लव ठाकुर, कौल सिंह ठाकुर, वीरभद्र सिंह, सुखविंद्र सिंह सुक्खू, कुलदीप सिंह राठौर और फिर प्रतिभा सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था। विप्लव ठाकुर से पहले अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप कुमार को अध्यक्ष बनाया गया था। कुलदीप कुमार 24 नवंबर, 2004 से 25 जुलाई, 2005 के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्तमान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ही हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से, विस अध्यक्ष कांगड़ा क्षेत्र से हैं। मंडी क्षेत्र की सांसद रह चुकीं प्रतिभा सिंह इससे पहले तक कांग्रेस अध्यक्ष थीं। कांग्रेस की योजना है कि हिमाचल में अगले विधानसभा चुनाव अनुसूचित जाति के पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में ही हों। जाहिर है कि अनुसूचित जाति के मतदाताओं को साधने के मकसद से ही कांग्रेस ने यह दांव खेला है। पार्टी को इसका कितना चुनावी लाभ मिल पाएगा, यह समय आने पर ही साफ़ हो पाएगा।

हिंदी में शपथः नए भारत की भाषाई चेतना का निर्णायक उद्घोष

-ललित गर्ग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का साहसिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर ब्रिक्स, जी-२० और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हिंदी में संबोधन देकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी भाषा को लेकर हिचकता नहीं, बल्कि गर्व करता है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की थी। उनकी वाणी में हिंदी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की ध्वनि थी। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को राष्ट्रीयता, आधुनिकता, आत्मविश्वास और वैश्विक उपस्थिति के साथ आगे बढ़ाया है।

भारत के 53वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में केवल एक औपचारिक घटना नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और मनोवैज्ञानिक चेतना का नया शुभारंभ है। यह वह क्षण है जिसने भाषा को लेकर दशकों से चले आ रहे संकीर्ण विवादों, राजनीतिक विरोधाभासों और कृत्रिम विभाजनों पर एक गहरी चोट की है। हिंदी में शपथ का यह निर्णय राष्ट्रीय मानस में इस भावना को पुनः स्थापित करता है कि भाषा का प्रश्न केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है। यह निर्णय उस विरोधाभास पर भी प्रकाश डालता है जिसमें विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी को अपने ही देश में सबसे अधिक उपेक्षा, संकोच और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ता रहा है।

भारत में भाषा सदैव राजनीति का एक सुविधाजनक औज़ार रही है। कुछ दशकों से चले आ रहे भाषाई आंदोलन और हिंदी-विरोधी राजनीति ने देश की एकता को अक्सर चुनौती दी है। क्षेत्रवाद की आड़ में कुछ राजनीतिक दलों ने हिंदी को एक क्षेत्र विशेष की भाषा बताकर उसका महत्व कम करने का प्रयास किया। लेकिन यह तर्क न तो व्यावहारिक था और न ही ऐतिहासिक। हिंदी किसी क्षेत्र की भाषा नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों के हृदय की भाषा है, जनमानस की अभिव्यक्ति है, भारत की आत्मा की धड़कन है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा हिंदी में शपथ लेना इस सत्य को पुनः उद्घाटित करता है कि भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संस्थाएँ केवल कानून और प्रशासन की रक्षा ही नहीं करतीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीय अस्मिता को भी नई दिशा देती हैं। यह कदम यह संदेश देता है कि नई पीढ़ी की संस्थाएँ अब संकोच नहीं, आत्मविश्वास के साथ भारत की भाषा में अपने कर्तव्यों की शुरुआत कर रही हैं।

हिंदी को लेकर जो विरोधाभास पैदा किया जाता रहा है, वह वास्तव में एक कृत्रिम एवं आग्रह-दुराग्रहपूर्ण द्वंद्व है। आज के वैश्विक दौर में भाषा का महत्व उसकी लोकस्वीकृति और उपयोगिता से तय होता है। हिंदी वैश्विक भाषाओं की सूची में तेजी से ऊपर बढ़ रही है। करीब 113 करोड़ के साथ अंग्रेजी पहले स्थान पर है. 111 करोड़ के साथ चीनी दूसरे स्थान पर है,इसके बाद हिन्दी का स्थान आता है। करीब 61.5 करोड़ विश्व में, हिन्दी को बोलने वाल लोगों की संख्या के आधार पर तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा का स्थान प्राप्त है। हिंदी का प्रभाव विश्व में बढ़ रहा है और यह सोशल मीडिया व संचार माध्यमों में भी लगातार उपयोग हो रही है। दुनिया भर के 175 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। देवनागरी लिपि को दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक माना जाता है। भारत सरकार की पहल के बाद से, संयुक्त राष्ट्र ने भी साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन शुरू किया है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, मोरिशस, दक्षिण अफ्रीका, खाड़ी देशों और यूरोप में हिंदी सीखने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में हिंदी साहित्य, भाषाविज्ञान और अनुवाद अध्ययन का विस्तार हुआ है। हिंदी फिल्में, वेब प्लेटफॉर्म और मीडिया विश्व संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ रहे हैं। यह वह समय है जब हिंदी वैश्विक मंच पर उभर रही है, लेकिन अपने ही देश में उसे राजनीति और संकीर्णताओं का शिकार होना पड़ रहा है। यही वह असंगति है जिसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत की शपथ ने बड़े सौम्य किंतु तीव्र संदेश के साथ उजागर किया है कि जब दुनिया हिंदी को सम्मान दे रही है तो भारत में उसकी उपेक्षा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं हो सकती।

राष्ट्रीय प्रतीक केवल वस्तुएँ नहीं होते, वे राष्ट्र की चेतना के वाहक होते हैं। राष्ट्रध्वज केवल कपड़े का टुकड़ा नहीं, करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और बलिदान का प्रतीक है। राष्ट्रगान केवल धुन नहीं, बल्कि भारत की समष्टिगत भावना का सूत्र है। उसी प्रकार राष्ट्र की भाषा-चाहे उसे हम राजभाषा कहें या राष्ट्रभाषा भारतीय पहचान और राष्ट्रीय एकता का अदृश्य धागा है। नए भारत का निर्माण तभी संभव है जब हम इन प्रतीकों का सम्मान केवल संविधान की धाराओं में नहीं, बल्कि हृदय में करें। हिंदी को लेकर जो संकोच, झिझक और कृत्रिम विरोध दशकों से बना हुआ था, वह राष्ट्रीय आत्मविश्वास के लिए बाधक था। हिंदी में शपथ लेकर न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इस मानसिक दरार को पाटने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदी को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित करने का साहसिक कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा से लेकर ब्रिक्स, जी-20 और अनेक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उन्होंने हिंदी में संबोधन देकर दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी भाषा को लेकर हिचकता नहीं, बल्कि गर्व करता है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देकर ऐतिहासिक परंपरा की शुरुआत की थी। उनकी वाणी में हिंदी केवल शब्द नहीं थी, बल्कि भारत की आत्मा की ध्वनि थी। नरेंद्र मोदी ने इस परंपरा को राष्ट्रीयता, आधुनिकता, आत्मविश्वास और वैश्विक उपस्थिति के साथ आगे बढ़ाया है। उन्हें यह समझ थी कि भाषा राष्ट्रीय चेतना की नींव होती है, और जिस राष्ट्र को विश्व नेतृत्व की आकांक्षा है, उसे अपनी भाषा पर गर्व करना ही होगा। जब राष्ट्र का प्रधानमंत्री अपनी भाषा को वैश्विक मंचों पर प्रतिष्ठा दिलाता है और जब राष्ट्र का प्रधान न्यायाधीश उसी भाषा में शपथ लेता है, तब यह संकेत मिलता है कि नए भारत की भाषा नीति संकोच नहीं, बल्कि स्वाभाविक भारतीयता की पुनर्स्थापना है। हिंदी केवल भावनात्मक आग्रह नहीं है। यह शासन, न्याय, शिक्षा, प्रशासन, मीडिया और तकनीक की भाषा बनती जा रही है। डिजिटल इंडिया और नई तकनीकी क्रांति में हिंदी की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। आज इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली भाषाओं में हिंदी शीर्ष पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन अनुवाद और डिजिटल पत्रकारिता में हिंदी का उपयोग बढ़ाना भारत की ज्ञान-आर्थिक उन्नति के लिए अनिवार्य है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसकी भाषाई आत्मनिर्भरता पर भी निर्भर करती है। जितनी अपनी भाषा मजबूत होगी, उतना ही विचार-निर्माण, नवाचार और जनसक्रियता मजबूत होगी। इस दृष्टि से हिंदी के प्रति उपेक्षा केवल सांस्कृतिक अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास को बाधित करने वाला संकीर्ण एवं राष्ट्र-विरोधी दृष्टिकोण भी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की हिंदी में शपथ वास्तव में एक वैचारिक उद्घोष है। यह घोषणा है कि भाषा को लेकर चलने वाला हमारा पुराना आत्मद्वंद्व समाप्त होना चाहिए। राष्ट्रभाषा का सम्मान किसी क्षेत्र या समुदाय पर थोपा हुआ बोझ नहीं, बल्कि वह प्राकृतिक बंधन है जो विविधता को सामूहिकता में बदलता है। यह वह बंधन है जो भारत को भारत बनाता है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व और ग्रामीण से महानगरीय भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में पिरोती है, व्यापार एवं विकास को गति देता है।

आक्रामक साजिशों के बीच संविधान की असल ताक़त

संजय सक्सेना

44वें संशोधन ने उसी आपातकालीन दौर की कई अतियों पर प्रहार करते हुए मूल अधिकारों की रक्षा को फिर से मज़बूत किया और आपातकाल की घोषणा जैसे प्रावधानों को अधिक कठोर और जवाबदेह बनाया। इस संशोधन के ज़रिये यह प्रयास किया गया कि भविष्य में सत्ता किसी एक व्यक्ति या दल के हाथ में अत्यधिक केंद्रित होकर नागरिक स्वतंत्रताओं को कुचल न सके; यानी संविधान ने खुद अपने भीतर सुधार की प्रक्रिया अपनाकर लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए नई दीवारें खड़ी कीं। इसी क्रम में बाद के संशोधनों ने चुनावी व्यवस्था, पंचायती राज, नगर निकायों और आरक्षण नीति तक को नए रूप में गढ़ा। 73वें और 74वें संशोधनों ने गाँव से लेकर शहर तक स्थानीय स्वशासन की नई नींव रखी, जिससे पंचायतों और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला और आम नागरिक के दरवाज़े पर लोकतंत्र की आवाजाही बढ़ी।

26 नवम्बर आज केवल एक तारीख नहीं, आज की तारीख देश की आत्मा, उसके बुनियादी ढांचे और जनता की सर्वोच्चता की याद दिलाने वाला दिन है। संसद के गौरवशाली भवन में जब राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और विभिन्न दलों के नेता संविधान दिवस पर अपने विचार रखते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जानते हैं कि असली नैतिक शक्ति उस मोटी किताब में दर्ज जनता के अधिकारों से आती है। इसी वजह से आज की राजनीति में संविधान दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि विचारधाराओं की टकराहट, जनता के समर्थन की होड़ और भविष्य के भारत की दिशा तय करने का अहम मौका बन चुका है। सवाल यह उठता है कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो फिर संविधान दिवस 26 नवम्बर को क्यों मनाया जाता है। इसका उत्तर इतिहास के उस निर्णायक क्षण में छुपा है जब 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने बहस, मतभेद और भारी मंथन के बाद भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की लगातार मेहनत के बाद तैयार हुए इस संविधान को उसी दिन स्वीकार किया गया और यह दिन हमारे लोकतांत्रिक सफर की असली दस्तावेज़ी जन्मतिथि बन गया। बाद में 26 जनवरी को लागू करने के पीछे भी एक राजनीतिक और सांकेतिक निर्णय था, ताकि 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस की याद के साथ गणराज्य की नई शुरुआत जोड़ी जा सके, इसलिए लागू होने की तारीख 26 जनवरी रखी गयी, जबकि अपनाने की ऐतिहासिक तारीख 26 नवम्बर ही रही।

आज जो संविधान दिवस राजनीतिक बहस का केन्द्र है, वह दरअसल 2015 में एक नए रूप में सामने आया जब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर केन्द्र सरकार ने 26 नवम्बर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया। इस निर्णय के पीछे तर्क यह था कि केवल गणतंत्र दिवस जैसे औपचारिक उत्सव से आगे बढ़कर साल में एक दिन ऐसा भी हो जो खास तौर पर नागरिकों को संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों और कर्तव्यों की याद दिलाए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के बाद से हर वर्ष इस दिन विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों और सरकारी दफ्तरों में प्रस्तावना का सामूहिक पठन, गोष्ठियाँ, शपथ कार्यक्रम और बहसों का आयोजन होने लगा, जिसने इसे एक जीवंत राजनीतिक और सामाजिक उत्सव में बदल दिया। इस दिन संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित कार्यक्रम केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि सत्ता और जनमत के बीच संवैधानिक अनुबंध की सार्वजनिक पुनर्पुष्टि होती है। राष्ट्रपति जब प्रस्तावना और मूल अधिकारों पर ज़ोर देती हैं, लोकसभा अध्यक्ष संसद की गरिमा और मर्यादा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा दोहराते हैं, तो विपक्ष भी इस मंच को सरकार से सवाल करने और संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करता है। यही वजह है कि आज संविधान दिवस पर राजनीति गर्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि यही मंच सत्ता के चरित्र, नीतियों और मंशा की असली परीक्षा का दिन भी बन जाता है। अब सवाल यह भी है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान में इतने सालों में कितने बड़े बदलाव आ चुके हैं और उनका स्वरूप क्या रहा है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और इसकी मज़बूती का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इसे समय के साथ बदलने और समाज की नई ज़रूरतों के अनुरूप ढलने की क्षमता दी गयी है। आज तक इसमें सौ से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से कई ने देश की राजनीतिक व्यवस्था, अधिकारों और शासन संरचना को गहरे तौर पर प्रभावित किया है; इन्हीं बड़े संशोधनों ने संविधान को केवल स्थिर दस्तावेज़ नहीं रहने दिया बल्कि एक जीवंत, बढ़ती हुई व्यवस्था में बदला है। इन बड़े परिवर्तनों में सबसे प्रमुख स्थान 42वें संशोधन को दिया जाता है, जिसे अक्सर 'लघु संविधान' कहा जाता है क्योंकि इसने प्रस्तावना से लेकर मूल कर्तव्यों और केन्द्र-राज्य संबंधों तक कई बुनियादी हिस्सों को बदल दिया।

कविता

तो गीत लिखूं

कुछ अधूरा सृजन,बिखरे सपने
कुछ धुंधली यादें,बिछड़े अपने
कुछ अश्रु बूंद ठहरीं पलकों पर
मन में उभरे कुछ चित्र अधबने
इनको ज़रा उकेरूं तो गीत लिखूं।

कुछ मधुरिम पल मेरे अतीत के
कुछ स्वर राग छंद भी संगीत के
भावों पर लगे प्रतिबंधों के
कुछ उलझे धागे संबंधों के
इनको ज़रा लपेटूं तो गीत लिखूं!

प्रति पल उफनाते संवेगों
उर में हहराते आवेगों को
चिर चपला पांवों की थिरकन को
अति आकुल अंतस की धड़कन को
इनको ज़रा सहेजूं तो गीत लिखूं !

जो चाहा वो कभी मिला नहीं
जो मिला वो तो चाहा ही नहीं
ना जानी क्या है रीत प्रीत की
ना समझ सकी मैं चाह मीत की
इनको ज़रा सकेलूं तो गीत लिखूं।

रेशे-रेशे उड़ते बादल सा
नीर भरे नयनों के काजल सा
धुंआ-धुआ होते अरमानों का
तिनका-तिनका सब पहचानों का
इनको ज़रा समेटूं तो गीत लिखूं

-विजया गुप्ता ' सुवर्ण किंशुक'

आपका मत

शादी में झूठी शान

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शादी विवाह के मौके पर प्रसन्नता का माहौल मातम में बदल जाता है। पुलिस की धर पकड़ शुरू होती है और शादियां टूट जाती हैं। शादी में झूठी शान दिखाने का, पैसा उड़ाने का और हवा में गोलियां दागकर खुद को बड़ा योद्धा साबित करने जिसके प्रणाम दुखदाई और भयंकर होते हैं। बारात के दौरान गोली चलाई जाने से छत पर देख रही एक युवा बेटी के पेट में गोली लगने से मौत हो गई। यह बीमारी सिर्फ गांव-देहात की नहीं रही। शहरों में भी अब लाइसेंसी हथियारों के साथ लोग शादी में पहुंचते हैं और सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हुए फायरिंग करते हैं।यह बिल्कुल उचित नहीं है कि जिस मौके पर फूल बरसने चाहिए वहां पर गोली चलाई जाती है । नतीजा सामने है मां-बहन की लाशें, रोते बच्चे और कोर्ट-कचहरी के चक्कर। अगर सच में शान दिखानी है तो दहेज न लो, बेटी को बोझ न समझो, बारात में शराब पीकर हंगामा न करो। सरकार को हर्ष फायरिंग पर और कड़े कानून बनाने चाहिए।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

लोकसत्य
आप अपना मत व लेख हमें इस ई-मेल भेज सकते है।
loksatyaedit01@gmail.com

राम ध्वज के नीचे जन्म लेता नया भारत

प्रो. आरके जैन

सरल शब्दों में कहें तो यह वादा हर भारतीय का है। मोदी की वाणी जैसे राम की वाणी—शांत, लेकिन अटूट। "हमारी विरासत पर गर्व करो, गुलामी की मानसिकता से मुक्त हो जाओ।" युवाओं, सुनो—यह तुम्हारा समय है। राम के जैसे संघर्ष करो, लक्ष्य पर नजर रखो। दस वर्षों में, हम मैकॉले की किताबों को रामायण से बदल देंगे। पर्यावरण संरक्षण से लेकर सामाजिक न्याय तक, सब राम राज्य से प्रेरित।

अयोध्या की सुबह, सरयू की लहरों के साथ जैसे राम की वापसी का गान गा रही थी। सूरज की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ रही थी, और वहां खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी— साधारण वेश में, लेकिन आंखों में अटूट संकल्प लिए। हाथों में 22 फुट ऊंचा 'धर्म ध्वज', भगवा रंग (सूर्य, 'ओम' और कोविदार वृक्ष का प्रतीक) में लिपटा, जैसे राम के न्याय, त्याग और सत्य का प्रतीक है। जैसे ही ध्वज हवा में लहराया, लाखों दिल धड़क उठे। यह क्षण केवल एक उत्सव नहीं था; यह था गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का बिगुल।

मोदी की आवाज, शांत लेकिन गरजती हुई, बोलीः सदियों पुराने घाव अब भर रहे हैं। और फिर वह ऐतिहासिक वादा—अगले दस वर्षों में भारत को 'गुलामी की मानसिकता' से पूरी तरह आजाद करना। यह रोडमैप कोई कागजी योजना नहीं, बल्कि एक जीवंत क्रांति है, जो हर भारतीय को राम की तरह संघर्षशील बनाएगी, अपनी जड़ों से जुड़ाएगी। अयोध्या, जहां राम मंदिर अब खड़ा है, वहां 45 करोड़ से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं—यह संख्या नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, जो बताता है कि राम सिर्फ मंदिर में नहीं, हर दिल में बसते हैं। गुलामी की मानसिकता—यह क्या है? वह अदृश्य जहर जो 1835 में लॉर्ड मैकॉले ने बोया, शिक्षा के नाम पर हमें अपनी संस्कृति से दूर करना, हमें पश्चिमी सोच का गुलाम बनाना। आज भी वह जहर हमारे विचारों में बहता हैः अपनी भाषा को कमतर समझना, पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानना, राम को सिर्फ कहानी मानना। मोदी ने इसे सीधे चुनौती दी हमारी आजादी अधूरी है, क्योंकि मन अभी गुलाम है। दस वर्षों का यह रोडमैप इसी जहर को निकालने का है।

पहला पड़ावः सांस्कृतिक जागरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मैकॉले की छाया से मुक्त करना, स्कूलों में रामायण को जीवंत बनाना। जहां बच्चे न सिर्फ पढ़ें, बल्कि राम के गुणों—धैर्य, दया, नेतृत्व—को जीएं। जैसे राम ने वनवास में भी संकल्प नहीं छोड़ा, वैसे ही हर बच्चा अपनी जड़ों से मजबूत बने। यह होगा राष्ट्र का नया निर्माण, जहां भारत अपनी विरासत पर गर्व करे, न कि किसी विदेशी सोच पर। मोदी ने कहा, राम व्यक्ति नहीं, मूल्य हैं—जो हमें दिशा देते हैं। और यह मूल्य अब भारत की अर्थव्यवस्था में भी दिखेंगेः आज हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जल्द तीसरी बनेंगे। लेकिन असली जीत तब होगी जब हम आर्थिक स्वावलंबन को राम के स्वदेशी से जोड़ें। यह रोडमैप सरल है, लेकिन अप्रतिम—क्योंकि यह राम राज्य के सपने पर टिका है। राम राज्य में क्या था? न्याय की धारा हर घर तक, पर्यावरण का सम्मान जहां जटायु और गिलहरी भी योगदान दें, समाज जहां कोई भेदभाव न हो। मोदी ने अयोध्या को इसी का प्रतीक बताया—यहां का सामूहिक प्रयास विकसित भारत 2047 का रोडमैप है। दस वर्षों में, हमें 'मेक इन इंडिया' को राम की उद्यमिता से सशक्त करना है। युवाओं को स्टार्टअप्स में राम सेतु जैसा पुल बनाना सिखाना—छोटे प्रयासों से बड़ा लक्ष्य। अयोध्या, अब हजारों तीर्थों का मॉडल बनेगी। पर्यटन से अर्थव्यवस्था बूम करेगी, लेकिन साथ में सांस्कृतिक दूतावास भी। युवाओं की भूमिका यहां सबसे दमदार है। आज की पीढ़ी, जो सोशल मीडिया पर खोई है, उसे राम की कहानी से जोड़ना। मोदी का आह्वान—युवा उठो, राम के धनुष को उठाओ। दस वर्षों का दूसरा चरणः युवा सशक्तिकरण। सोशल मीडिया पर राम कथा वायरल करना, एनजीओ से ग्रामीण भारत में राम मेलों का आयोजन। जैसे राम ने लक्ष्मण और हनुमान के साथ टीम बनाई, वैसे ही युवा एकजुट हों। लेकिन यह सिर्फ शब्द नहीं—व्यावहारिक कदम, जैसे डिजिटल रामायण ऐप्स, जहां युवा राम के संघर्ष से प्रेरणा लें और अपनी जिंदगी में लागू करें। अनुपम बात यह है कि यह रोडमैप समावेशी है। राम राज्य में कोई भेदभाव नहीं—दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, सबका साथ। मोदी ने कहा, राम के कण-कण में भारत, भारत के कण-कण में राम। दस वर्षों का तीसरा चरणः सामाजिक सद्भाव। जाति की दीवारें राम नाम से तोड़ना, त्योहारों को साझा बनाना। कल्पना कीजिए, एक भारत जहां त्योहार राम की तरह साझा हों, जहां गिलहरी जैसा छोटा योगदान भी बड़ा बने। लेकिन चुनौतियां हैं—विपक्ष की आलोचना, सेकुलरिज्म के नाम पर सांस्कृतिक अस्मिता को दबाना। मोदी जी का जवाब साफ—संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास। यह दस वर्ष 2047 तक विकसित भारत की नींव रखेंगे, जब आजादी के सौ साल पूरे होंगे।

संपादकीय

शहादत का स्मरण

भले ही श्रीलंकाई संकट के समाधान हेतु भारतीय शांति सेना को श्रीलंका भेजा जाना तत्कालीन सरकार का फैसला रहा हो, लेकिन वास्तव में भारतीय सैनिक राष्ट्र के हितों और सैन्य दायित्वों के लिये ही लड़े थे। इस फैसले का उद्देश्य श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा और उनके न्यायसंगत पुनर्वास के लिये पहल करना भी रहा है। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि भारतीय शांति सेना यानी आईपीकेएफ के पूर्व सैनिकों में इस बात को लेकर लंबे समय से रोष व्याप्त रहा है कि आईपीकेएफ सैनिकों के बलिदान को उचित सम्मान नहीं दिया गया। अब सरकार व सेना ने इस कमी को पूरा करने की दिशा में कम से कम एक पहल तो की है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर परमवीर चक्र विजेता मेजर रामास्वामी परमेश्वरन को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करना, इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बाबत श्रद्धांजलि संदेश प्रेषित किया है। भले ही शीर्ष अधिकारियों द्वारा की गई यह पहल एक प्रतीकात्मक सुधार हो, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया सार्थक कदम है। हालांकि देर से ही सही, ये प्रयास श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान शहीद हुए 1,171 भारतीय सैनिकों को उचित सम्मान देने में रही एक कमी को दूर करने का प्रयास कहा जा सकता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में करीब तीन हजार से ज्यादा सैनिक घायल भी हुए थे। इससे पूर्व कई वीर सैनिकों को वीरता पदक से सम्मानित भी किया जा चुका है। लेकिन एक टीस के साथ कहा जाता रहा है कि यह अकसर भुला दिया जाने वाला युद्ध रहा है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कोलंबो में भारतीय शांति रक्षक सेना और पलाली में 10-पैरा के शहीदों के लिये स्मारक का निर्माण किया गया था। यह विडंबना ही है कि आईपीकेएफ के पूर्व सैनिक, शहीदों की विधवाएं और उनके परिजन राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर निजी स्तर पर स्मरणोत्सव आयोजित करते रहे हैं। निश्चित ही देश के हितों के लिये चलाये गए किसी भी सैन्य अभियान में शहीद हुए सैनिकों को सामान्य युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तरह पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। दरअसल, ऑपरेशन पवन में शहीद हुए सैनिकों के परिजन और युद्ध में भाग लेने वाले जवान भी उन्हें पर्याप्त सम्मान दिए जाने की आस लंबे समय से रखते रहे हैं। वर्षों से उनकी मांग रही है कि साल 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम और वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में मनाये जाने वाले खास दिनों की तरह ऑपरेशन पवन की याद में भी एक विशेष दिन की घोषणा की जानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शहीद सैनिकों के परिजनों की एक टीस उन्हें दशकों से सालती रही है। चूंकि ऑपरेशन पवन में शहीद हुए कई सैनिकों का अंतिम संस्कार या दफनाने की प्रक्रिया विदेशी धरती पर पूरी हुई थी, इसलिए उनके परिजन शहीद सैनिकों के अवशेषों को वापस भारत लाने की नीति को सुव्यवस्थित करने की मांग करते रहे हैं। वे एक ऐसे आयोग के गठन की भी मांग करते रहे हैं जो शहीद सैनिकों के पार्थिव अवशेष को वापस भारत लाने की नीति को तार्किक बना सके। उनकी मांग रही है कि उन अवशेषों को भारत लाकर आईपीकेएफ का एक स्मारक बनाकर, उसमें सम्मान के साथ स्थानांतरित किया जाना चाहिए। निस्संदेह, किसी भी देश के वीर शहीदों के स्मारक सामूहिक स्मृति के प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बलों द्वारा दिए गए बलिदान के लिये एक सम्मान और स्मरण स्थल के रूप में चिरस्थायी श्रद्धांजलि के रूप में होते हैं। निर्विवाद रूप से इस बहुप्रतीक्षित मांग को हकीकत में बदलने के लिये चाहे कितनी भी जटिलताएं क्यों न हो, सैनिकों के पराक्रम और बलिदान को कम करके आंकने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। हम वीर सैनिकों के बलिदान को समुचित सम्मान दें तो इससे तमाम सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। इस दिशा में अविलंब सार्थक पहल किया जाना वक्त की जरूरत ही है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में नफरत का विस्तार

यह सरासर छात्रों के साथ अन्याय है और उस संविधान का भी अपमान है, जिसकी शपथ उपराज्यपाल ने पद ग्रहण करते वक्त ली थी। भाजपा की तो राजनीति ही धर्मांधता और नफरत की है, लेकिन क्या मनोज सिन्हा अब भी खुद को भाजपा की राजनीति से बांध कर चल रहे हैं। जबकि उनका पद उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की मर्यादा के अनुरूप फैसले लेने की मांग करता है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में पांच सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार 22 नवंबर को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और मांग की कि प्रतिनिधिमंडल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नियमों में संशोधन कर विश्वविद्यालय में केवल हिंदू छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इसके साथ ही इस साल मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करने की मांग की।

भाजपा शासन में नफरत का विस्तार किस हद तक किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर से आया है, जहां कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करने की भाजपा ने की और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मांग करता है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में पांच सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार 22 नवंबर को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और मांग की कि प्रतिनिधिमंडल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बढ़ावा मिले। लेकिन बोर्ड और विश्वविद्यालय दोनों ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। हमने एलजी से साफ कहा है कि केवल वही छात्र प्रवेश पा सकें जिन्हें माता वैष्णो देवी में आस्था हो। भाजपा शासन में नफरत का विस्तार किस हद तक किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण जम्मू-

ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया। यह सरासर छात्रों के साथ अन्याय है और उस संविधान का भी अपमान है, जिसकी शपथ उपराज्यपाल ने पद ग्रहण करते वक्त ली थी। भाजपा की तो राजनीति ही धर्मांधता और नफरत की है, लेकिन क्या मनोज सिन्हा अब भी खुद को भाजपा की राजनीति से बांध कर चल रहे हैं। जबकि उनका पद उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की मर्यादा के अनुरूप फैसले लेने की नियमों में संशोधन कर विश्वविद्यालय में केवल हिंदू छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इसके साथ ही इस साल मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करने की मांग की। सुनील शर्मा का कहना है कि श्इस साल प्रवेश सूची में ज्यादातर छात्र एक ही समुदाय से हैं। यह विश्वविद्यालय एक धार्मिक संस्था है। हर श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना से इस धार्मिक संस्था को दान देता है और चाहता है कि उसकी आस्था को कश्मीर से आया है, जहां कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करने की भाजपा ने की और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिया। यह सरासर छात्रों के साथ अन्याय है और उस संविधान का भी अपमान है, जिसकी शपथ उपराज्यपाल ने पद ग्रहण करते वक्त ली थी। भाजपा की तो राजनीति ही धर्मांधता और नफरत की है, लेकिन क्या मनोज सिन्हा अब

भी खुद को भाजपा की राजनीति से बांध कर चल रहे हैं। जबकि उनका पद उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संविधान की मयार्दा के अनुरूप फैसले लेने की मांग करता है।गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा की अगुवाई में पांच सदस्यीय भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार 22 नवंबर को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की और मांग की कि प्रतिनिधिमंडल ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के नियमों में संशोधन कर विश्वविद्यालय में केवल हिंदू छात्रों के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इसके साथ ही इस साल मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करने की मांग की। सुनील शर्मा का कहना है कि श्इस साल प्रवेश सूची में ज्यादातर छात्र एक ही समुदाय से हैं। यह विश्वविद्यालय एक धार्मिक संस्था है। हर श्रद्धालु अपनी भक्ति भावना से इस धार्मिक संस्था को दान देता है और चाहता है कि उसकी आस्था को बढ़ावा मिले। लेकिन बोर्ड और विश्वविद्यालय दोनों ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया। हमने एलजी से साफ कहा है कि केवल वही छात्र प्रवेश पा सकें जिन्हें माता वैष्णो देवी में आस्था हो।भाजपा शासन में नफरत का विस्तार किस हद तक किया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण जम्मू-कश्मीर से आया है, जहां कटरा के श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में मुस्लिम छात्रों का दाखिला रद्द करने की भाजपा ने की और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा

ने इस मांग को स्वीकार भी कर लिय यह सरासर छात्रों के साथ अन्याय और उस संविधान का भी अपमान जिसकी शपथ उपराज्यपाल ने प ग्रहण करते वक्त ली थी। भाजपा तो राजनीति ही धर्मांधता और नफ की है, लेकिन क्या मनोज सिन अब भी खुद को भाजपा की राजनी से बांध कर चल रहे हैं। जबकि उन पद उन्हें दलगत राजनीति से ऊ उठकर संविधान की मयार्दा अनुरूप फैसले लेने की मांग कर है। गौरतलब है कि जम्मू-कश्मि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुनी शर्मा की अगुवाई में पांच सदस्यी भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने शनिव 22 नवंबर को एलजी मनोज सिन से मुलाकात की और मांग की प्रतिनिधिमंडल ने श्री माता वैष्णो दे श्राइन बोर्ड के नियमों में संशोधन विश्वविद्यालय में केवल हिंदू छा के लिए सीटें आरक्षित की जाएं। इस साथ ही इस साल मुस्लिम छात्रों दाखिला रद्द करने की मांग क सुनील शर्मा का कहना है कि श्इ साल प्रवेश सूची में ज्यादातर छात्र ए ही समुदाय से हैं। यह विश्वविद्याल एक धार्मिक संस्था है। हर श्रद्धा अपनी भक्ति भावना से इस धार्मि संस्था को दान देता है और चाहता कि उसकी आस्था को बढ़ावा मिले लेकिन बोर्ड और विश्वविद्याल दोनों ने इस पहलू पर ध्यान नहीं दि हमने एलजी से साफ कहा है ि केवल वही छात्र प्रवेश पा सकें जि माता वैष्णो देवी में आस्था हो।

नारी सिक्षा और साक्षरता से प्रस्फुटित भविष्य के नए आयाम

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

संजीव ठाकुर

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या में स्त्रियों और बच्चों की संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की, किंतु सामाजिक ढांचे में स्त्री-शोषण, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, असमानताओं और अवसरों की कमी ने आज भी महिलाओं को उनके मूल अधिकारों विशेषतः शिक्षा और सुरक्षा से वंचित कर रखा है, यही कारण है कि आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा और साक्षरता को केवल सामाजिक आवश्यकता न मानकर सामाजिक क्रांति का आधार माना जाने लगा है, क्योंकि स्त्री केवल परिवार की संरक्षिका नहीं बल्कि भविष्य की जननी, समाज की प्रथम मार्गदर्शक और संस्कारों की आधारशिला है, और जब स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने परिवार और बच्चों को अच्छे-बुरे, सुरक्षित-असुरक्षित, सामाजिक-असामाजिक के अंतर को समझाती है, यही चेतना आगे चलकर एक सामाजिक परिवर्तन और व्यापक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती है, आज भारत में कोरोना संक्रमण से लेकर स्वास्थ्य, आर्थिक विवेक, स्वच्छता, तकनीकी विकास, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों तक हर मुद्दे पर शिक्षा और साक्षरता की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिस प्रकार जल के बिना जीवन असंभव है उसी प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा और निरर्थक है, किंतु यहाँ आवश्यक है कि शिक्षा और साक्षरता के अंतर को समझा जाए, क्योंकि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने, रोजगार पाने या तकनीकी दक्षताओं तक सीमित है जबकि शिक्षा व्यक्ति का समग्र विकास करती है जिसमें बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिपक्वता शामिल है, शिक्षा व्यक्ति को सभ्य और विवेकी बनाती है, उसके भीतर संतुलन, सद्बुद्धि और मानवीय संवेदनाएँ विकसित करती है, जबकि साक्षरता केवल वेतन, पद, और व्यावसायिक लाभ से जुड़कर रह जाती है, यही कारण है कि आज उच्च शिक्षित लेकिन व्यवहारिक रूप से अज्ञानी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो समाज के लिए चुनौती बनते दिखाई देते हैं, इतिहास में रावण प्रकांड विद्वान था पर स्त्री-अपहरण जैसी कृत्य ने उसकी विद्वता को व्यर्थ कर दिया, आधुनिक समाज में केतन पारेख और हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज तथा ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी साक्षर तो थे पर शिक्षित नहीं थे, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का संबंध चरित्र-निर्माण से है मात्र रोजगार से नहीं, शिक्षा घर से शुरू होती है जहाँ मां प्रथम गुरु होती है और गर्भकाल से ही संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, अभिमन्यु इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन दोनों ने स्वीकार किया कि बच्चे के चरित्र-निर्माण में माताओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके बाद विद्यालय, शिक्षक और खेल-कूद जीवन में अनुशासन, नेतृत्व, सहभागीभाव और ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करते हैं, इसीलिए कहा जाता है गुरु बिन ज्ञान नहीं, वहीं सुकरात का यह कथनकृमैं इसलिए ज्ञानी हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। शिक्षा की विनम्रता और मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देता है, परंतु आज प्रतिस्पर्धा के युग में समाज ने साक्षरता को शिक्षा का स्थान दे दिया है, नौकरी, वेतन, पद और आर्थिक चमक के कारण नैतिक मूल्य सांस्कृतिक विरासत और चरित्र निर्मा पीछे छूट गए हैं, इसी वजह से शिक्षा नकल, फर्जीवाड़ा, धन देकर नौक पाना और भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियाँ ब हैं जिससे सामाजिक मूल्य संकट में पड़ लगे हैं, ऐसे समय में आवश्यकता नैतिक साक्षरता कीकृऐसी शिक्षा की ज्ञान के साथ-साथ संवेदना, जिम्मेद और सांस्कृतिक चेतना को विकसि करे, विशेष रूप से महिलाओं में य शिक्षा एक सामाजिक बदलाव की सब मजबूत कड़ी बन सकती है, क्यों शिक्षित स्त्री शोषण से लड़ना जानती अपने अधिकार पहचानती है, परिवार सही दिशा देती है और आने वाली पीढ़ि को सुसंस्कृत बनाती है, वास्तव में स का शिक्षित होना सिर्फ उसके परिवार उत्थान नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रग की कुंजी है, इसलिए आज भारत केवल साक्षर नागरिक नहीं बलि शिक्षित, संवेदनशील, मूल्य-सम्प और संस्कारित नागरिकों आवश्यकता है, विशेषतः शिक्षि स्त्रियाँ ही समाज में वास्तवि जागरूकता, समानता और नैतिकता नींव मजबूत कर सकती हैं, क्यों साक्षरता हमें पेशा दे सकती है।

भारतीय परम्पराओं का अनुपालन कर हमें संयुक्त परिवारों को बचाना होगा

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

पश्चिमी विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें, कल किसने देखा है, यह पश्चिमी सोच, चर्च की प्रेरणा एवं भौतिकवाद पर आधारित है। इस्लाम एवं ईसाईयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना है वह इसी जन्म में करना है। भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने, कम करने अथवा प्रभावित करने के उद्देश्य से दरअसल, चार शक्तियों ने हाथ मिला लिए हैं। ये चार शक्तियां हैं, कट्टरवादी इस्लाम, प्रसारवादी चर्च, सांस्कृतिक मार्क्सवाद एवं वैश्विक बाजार शक्तियां। हालांकि उक्त चारों शक्तियों की अन्य देशों में आपसी लड़ाई है परंतु भारत के मामले में यह एक हो गई हैं और भारत में यह आपस में मिलकर भारत के हितों के विरुद्ध कार्य करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी संदर्भ में आज वैश्विक स्तर पर भारत के विरुद्ध कई झूठे विमर्श भी गढ़े जा रहे हैं। हाल ही के समय में इस प्रक्रिया ने कुछ रफ्तार पकड़ी है। विमर्श के माध्यम से जनता के मानस को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। विमर्श सत्य, अर्द्धसत्य अथवा झूठ भी हो सकता है। भारत के बारे में पूरे विश्व में धारणा है कि यहां आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा रही है। परंतु, अब पूरे विश्व में विशेष रूप से भारत के संदर्भ में पुराने विमर्श टूट रहे हैं और नित नए विमर्श गढ़े जा रहे हैं। भारत चूंकि, हाल ही के समय में वैश्विक स्तर पर एक मजबूत आर्थिक ताकत बन कर उभर रहा है, भारत की यह प्रगति कुछ देशों को रास नहीं आ रही है एवं यह सभी मिलकर भारत के सम्बंध में झूठे विमर्श गढ़ रहे हैं। पश्चिमी विचारधारा में उत्पादों के अधिकतम उपभोग को जगह दी गई है। आज को अच्छी तरह से जी लें, कल किसने देखा है, यह पश्चिमी सोच, चर्च की प्रेरणा एवं भौतिकवाद पर आधारित है। इस्लाम एवं ईसाईयत में पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। जो कुछ भी करना है वह इसी जन्म में करना है। इसके ठीक विपरीत भारतीय सनातन संस्कृति पुनर्जन्म में विश्वास करती है इससे भारतीय नागरिकों द्वारा उपभोग में संयम बरता जाता है एवं उत्पादन में बहुलता होने की विचारधारा पर कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु इतना दीजिए कि मैं भी भूखा ना रहूं और अन्य कोई भी भूखा ना सोय, यह भारतीय विचारधारा है। भारतीय सनातन संस्कृति की विचारधारा के ठीक विपरीत आज वैश्विक बाजार शक्तियां भारत में भी उपभोक्तावाद को फैलाने का प्रयास कर रही हैं। विशेष रूप से दीपावली एवं रक्षाबंधन जैसे शुभ त्यौहारों के अवसर पर कुछ मीठा हो जाए जैसे विज्ञापन देकर यह विमर्श खड़ा करने का प्रयास

किया जाता है कि भारतीय मिठाइयों एवं व्यंजनों जैसे जलेबी, इमरती तथा दूध एवं खोए से बनी मिठाईयां खाने से मधुमेह का रोग हो जाता है, अतः सदियों से भारत में उपयोग हो रहे इन स्वादिष्ट व्यंजनों के स्थान पर केडबरी चाकलेट अधिक स्वास्थ्यवर्धक है, जिसका अधिक उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार, भारी भरकम राशि खर्च कर, विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा निर्मित मीठे पदार्थों को, विभिन्न विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय समाज के मानस पर उतारने का प्रयास किया जाता है। साथ ही, विभिन्न भारतीय त्यौहारों के समय वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा यह भी कह कर कि, दीपावली के शुभ अवसर पर जलाए जाने वाले फटाके पर्यावरण का नुक्सान करते हैं; होली पर्व पर भारी मात्रा में पानी की बबार्दी की जाती है; महाशिवरात्रि पर्व पर दूध की बबार्दी की जाती है; माई बॉडी माई चोईस; हमको भा में रहने में डर लगता है; आदि विमर्श स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। कु मिलाकर पश्चिमी देशों द्वारा आज भारतीय सनातन संस्कृति पर आधारित हि परम्पराओं पर लगातार प्रहार किए जा रहे हैं। भारतीय सनातन संस्कारों के अनुस भारत में कुटुंब को एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है एवं भा में संयुक्त परिवार इसकी परिणती के रूप में दिखाई देते है। परंतु, पश्चिमी आर्थि दर्शन में संयुक्त परिवार लगभग नहीं के बराबर ही दिखाई देते हैं एवं विकसित दे में सामान्यतः बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही, वे अपना अलग परिव बसा लेते हैं तथा अपने माता पिता से अलग मकान लेकर रहने लगते हैं। इस चल के पीछे संभवत आर्थिक पक्ष इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि जितने अधिक परिव होंगे उतने ही अधिक मकानों की आवश्यकता होगी, कारों की आवश्यकता हो टीवी की आवश्यकता होगी, फ्रिज की आवश्यकता होगी, आदि। लगभग सम उत्पादों की आवश्यकता इससे बढ़ेगी जो अंततः मांग में वृद्धि के रूप में दिखाई दे एवं इससे इन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा। ज्यादा वस्तुएं बिकने से बहुराष्ट्रीय कम्पनि की लाभप्रदता में भी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर इससे आर्थिक वृद्धि दर तेज होग विकसित देशों में इस प्रकार की मान्यताएं समाज में अब सामान्य हो चलीं हैं। अ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में भी प्रयासरत हैं कि किस प्रकार भारत में संयुक्त परिव की प्रणाली को तोड़ा जाय ताकि परिवारों की संख्या बढ़े एवं विभिन्न उत्पादों मांग बढ़े और इन कम्पनियों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री बाजार में बढ़े। इसके लि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस प्रकार के विभिन्न सामाजिक सीरियलों को बनवाक प्रायोजित करते हुए टीवी पर प्रसारित करवाती हैं जिनमे संयुक्त परिवार के नुक्स बताए जाते हैं एवं छोटे छोटे परिवारों के फायदे दिखाए जाते हैं। सास बहू के बी ननद देवरानी के बीच, दो बहिनों के बीच, पड़ोसियों के बीच, छोटी छोटी बातों लेकर झगड़े दिखाए जाते हैं एवं जिनका अंत परिवार की टूट के रूप में बताया जा है, ताकि भारत में भी पूंजीवाद की तर्ज पर व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिल सके।

सम्पादकीय

नारी सिक्षा और साक्षरता से प्रस्फुटित भविष्य के नए आयाम , स्त्रियों को मुक्त आकाश की दरकार

भारत एक विशाल लोकतांत्रिक राष्ट्र है जिसकी जनसंख्या में स्त्रियों और बच्चों की संख्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पुरुषों की, किंतु सामाजिक ढांचे में स्त्री-शोषण, धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, असमानताओं और अवसरों की कमी ने आज भी महिलाओं को उनके मूल अधिकारों विशेषतः शिक्षा और सुरक्षा से वंचित कर रखा है, यही कारण है कि आधुनिक भारत में स्त्री शिक्षा और साक्षरता को केवल सामाजिक आवश्यकता न मानकर सामाजिक क्रांति का आधार माना जाने लगा है, क्योंकि स्त्री केवल परिवार की संरक्षिका नहीं बल्कि भविष्य की जननी, समाज की प्रथम मार्गदर्शक और संस्कारों की आधारशिला है, और जब स्त्री शिक्षित होती है तो वह अपने परिवार और बच्चों को अच्छे-बुरे, सुरक्षित-असुरक्षित, सामाजिक-असामाजिक के अंतर को समझाती है, यही चेतना आगे चलकर एक सामाजिक परिवर्तन और व्यापक आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करती है, आज भारत में कोरोना संक्रमण से लेकर स्वास्थ्य, आर्थिक विवेक, स्वच्छता, तकनीकी विकास, मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों तक हर मुद्दे पर शिक्षा और साक्षरता की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिस प्रकार जल के बिना जीवन असंभव है उसी प्रकार शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा और निरर्थक है, किंतु यहाँ आवश्यक है कि शिक्षा और साक्षरता के अंतर को समझा जाए, क्योंकि साक्षरता केवल पढ़ने-लिखने, रोजगार पाने या तकनीकी दक्षताओं तक सीमित है जबकि शिक्षा व्यक्ति का समग्र विकास करती है जिसमें बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परिपक्वता शामिल है, शिक्षा व्यक्ति को सभ्य और विवेकी बनाती है, उसके भीतर संतुलन, सद्बुद्धि और मानवीय संवेदनाएँ विकसित करती है, जबकि साक्षरता केवल वेतन, पद, और व्यावसायिक लाभ से जुड़कर रह जाती है, यही कारण है कि आज उच्च शिक्षित लेकिन व्यवहारिक रूप से अज्ञानी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जो समाज के लिए चुनौती बनते दिखाई देते हैं, इतिहास में रावण प्रकांड विद्वान था पर स्त्री-अपहरण जैसी कृत्य ने उसकी विद्वता को व्यर्थ कर दिया, आधुनिक समाज में केतन पारेख और हर्षद मेहता जैसे घोटालेबाज तथा ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादी साक्षर तो थे पर शिक्षित नहीं थे, इससे स्पष्ट है कि शिक्षा का संबंध चरित्र-निर्माण से है मात्र रोजगार से नहीं, शिक्षा घर से शुरू होती है जहाँ मां प्रथम गुरु होती है और गर्भकाल से ही संस्कारों का प्रभाव पड़ता है, अभिमन्यु इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन दोनों ने स्वीकार किया कि बच्चे के चरित्र-निर्माण में माताओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसके बाद विद्यालय, शिक्षक और खेल-कूद जीवन में अनुशासन, नेतृत्व, सहभागीभाव और ईमानदारी जैसे गुणों का विकास करते हैं, इसीलिए कहा जाता है 'गुरु बिन ज्ञान नहीं, शिक्षा की विनम्रता और मूल्यों को सर्वोच्च स्थान देता है, परंतु आज प्रतिस्पर्धा के युग में समाज ने साक्षरता को शिक्षा का स्थान दे दिया है, नौकरी, वेतन, पद और आर्थिक चमक के कारण नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक विरासत और चरित्र निर्माण पीछे छूट गए हैं, इसी वजह से शिक्षा में नकल, फर्जीवाड़ा, धन देकर नौकरी पाना और भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियाँ बढ़ी हैं जिससे सामाजिक मूल्य संकट में पड़ने लगे हैं, ऐसे समय में आवश्यकता है नैतिक साक्षरता की–ऐसी शिक्षा की जो ज्ञान के साथ-साथ संवेदना, जिम्मेदारी और सांस्कृतिक चेतना को विकसित करे, विशेष रूप से महिलाओं में यह शिक्षा एक सामाजिक बदलाव की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती है, क्योंकि शिक्षित स्त्री शोषण से लड़ना जानती है, अपने अधिकार पहचानती है, परिवार को सही दिशा देती है और आने वाली पीढ़ियों को सुसंस्कृत बनाती है, वास्तव में स्त्री का शिक्षित होना सिर्फ उसके परिवार का उत्थान नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति की कुंजी है, इसलिए आज भारत को केवल साक्षर नागरिक नहीं बल्कि शिक्षित, संवेदनशील, मूल्य-सम्पन्न और संस्कारित नागरिकों की आवश्यकता है, विशेषतः शिक्षित स्त्रियाँ ही समाज में वास्तविक जागरूकता, समानता और नैतिकता की नींव मजबूत कर सकती हैं, क्योंकि साक्षरता हमें पेशा दे सकती है पर शिक्षा हमें इंसान बनाती है, और जब समाज मनुष्यता, संवेदना, समानता और न्याय की राह पर चलेगा तभी भारत एक सशक्त, सुरक्षित और संस्कारित राष्ट्र बन सकेगा, इसलिए स्त्री पढ़ेगी तो इतिहास रचेगी और नारी जागेगी तो समाज आगे बढ़ेगा।

भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों पर वैश्विक चुनौतियाँ और संयुक्त परिवार की अनिवार्यता

भारत वर्तमान समय में विश्व की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है। इस प्रगति के साथ-साथ कुछ वैश्विक शक्तियाँ ऐसी भी हैं जिन्हें भारत की यह उन्नति स्वीकार्य नहीं है। परिणामस्वरूप भारतीय समाज, संस्कृति और पारिवारिक संरचना को कमजोर करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के भ्रामक विमर्श निर्मित किए जा रहे हैं। इन विमर्शों के पीछे कई ऐसी शक्तियाँ सक्रिय प्रतीत होती हैं जो भौतिकवाद, उपभोक्तावाद तथा सांस्कृतिक विच्छेदन की प्रवृत्तियों को बढ़ावा देकर भारत के पारंपरिक सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करना चाहती हैं। लेखन में उल्लिखित दृष्टिकोण के अनुसार कट्टरवादी इस्लाम, प्रसारवादी चर्च, सांस्कृतिक मार्क्सवाद और वैश्विक बाजार शक्तियाँ, भले ही अन्य देशों में एक-दूसरे के विरोध में हों, भारत के संदर्भ में एक साझा स्वर अपनाए हुए दिखाई देती हैं, जिनका उद्देश्य भारत की सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक मजबूती को कमजोर करना है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत के विरोध में अनेक झूठे विमर्शों का निर्माण और प्रसार तीव्र हुआ है। विज्ञापन, मीडिया, मनोरंजन उद्योग तथा डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से इन विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि वे सामान्य जनमानस को प्रभावित कर सकें। वैश्विक स्तर पर यह धारणा लंबे समय से रही है कि भारत आध्यात्मिकता, संतुलित जीवन-दर्शन तथा आत्मानुशासन का देश है, परन्तु नए विमर्श इन धारणाओं को खंडित करने तथा भारतीय जीवन-शैली को हीन या पिछड़ा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। भारत की तीव्र आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रभावशीलता कुछ राष्ट्रों और बाजार शक्तियों के लिए चुनौती बनकर उभरी है, जिसके कारण भारतीय समाज में भ्रम, असंतोष और विभाजन उत्पन्न करने का संगठित प्रयास दिखाई देता है।

भारतीय दर्शन पुनर्जन्म, कर्म, संयम और समष्टि कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसके कारण भारतीय जीवन-शैली में अतिभोग को स्थान नहीं दिया गया। इसके विपरीत पश्चिमी विचारधारा उपभोक्तावाद को प्राथमिकता देती है और व्यक्ति को वर्तमान जीवन में अधिकतम उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इस्लाम और ईसाईयत में पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया गया है। इस मानसिकता के चलते वैश्विक बाजार शक्तियाँ भारत में भी उपभोक्तावादी जीवन-दृष्टि को स्थापित करना चाहती हैं। विशेष रूप से त्यौहारों, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन के समय यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय व्यंजनों और परम्परागत खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यकर बताना, चॉकलेट एवं पैकेज्ड मिठाइयों को 'अधिक सुरक्षित' सिद्ध

प्रहलाद सबनानी

करना, या फिर भारतीय पर्वों को पर्यावरण-विरोधी बताना, ये सभी इसी व्यापक विमर्श-निर्माण का भाग हैं जिनका लक्ष्य भारतीय सांस्कृतिक आत्मविश्वास को कमजोर करना है। इसी प्रकार से भारतीय पारिवारिक संरचना, विशेषकर संयुक्त परिवार प्रणाली, पर भी संगठित आक्रमण देखा जा सकता है। भारत में कुटुंब को केवल सामाजिक इकाई न मानकर एक दार्शनिक संस्था माना गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति संस्कार, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और सामूहिक चेतना का अभ्यस्त बनता है। संयुक्त परिवार भारत की सामाजिक स्थिरता का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है, जबकि पश्चिमी समाज में यह संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। विकसित देशों में युवक-युवतियाँ वयस्क होते ही अलग रहने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक परिवार के लिए अलग-अलग आवास, वाहन, विद्युत उपकरण और उपभोग की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। इस व्यवस्था से निरन्तर बढ़ती माँग के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इसी तर्क के आधार पर ये कंपनियाँ भारत में भी परिवार-विच्छेद को प्रोत्साहित करने वाली सामग्री का निर्माण और प्रसार करती हैं।

टीवी सीरियलों, वेब-श्रृंखलाओं और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से संयुक्त परिवारों को कलह का केंद्र, परस्पर ईर्ष्या और संघर्ष का स्थान दिखाया जाता है। सास-बहू विवाद, भाई-बहन प्रतिस्पर्धा तथा पारिवारिक विघटन के प्रसंगों को मनोरंजन के नाम पर इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि भारतीय दर्शक संयुक्त परिवार को अव्यवस्थित और अनुपयोगी समझने लगें। इस प्रक्रिया का सीधा संबंध उपभोक्तावादी शक्तियों से जुड़ा है, जो भारत में भी पश्चिमी पैटर्न की पारिवारिक संरचना स्थापित करना चाहती हैं ताकि बाजार विस्तार में वृद्धि हो सके।

वास्तविकता यह है कि पश्चिमी देशों का जीवन-दर्शन भौतिकवाद पर आधारित है, जहाँ आर्थिक उन्नति ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बन जाती है। चेतना, सामाजिक दायित्व और आध्यात्मिकता को वहाँ गौण स्थान दिया जाता है। इसके विपरीत भारतीय समाज अभी भी समष्टि कल्याण, कर्तव्य-बोध और पारिवारिक एकता जैसे मूल्यों को अपने जीवन का आधार मानता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति आज भी वैश्विक मंच पर विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

इन परिस्थितियों में भारतवासियों के सामने चुनौती यह है कि वे वैश्विक बाजार शक्तियों द्वारा फैलाए जा रहे कृत्रिम और भ्रामक विमर्शों के प्रभाव से बचें तथा अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखें। इस दिशा में सबसे प्रभावी कदम है, स्वदेशी उत्पादों का उपयोग और विदेशी उत्पादों पर अनावश्यक निर्भरता का परित्याग। भारतीय उद्योग आज लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराता है, चाहे वह साबुन, तेल, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन हों या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य सामग्री, वाहन और मोबाइल फ़ोन। यदि भारतीय उपभोक्ता सचेत होकर स्वदेशी वस्तुओं का चयन करता है तो इससे न केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा बल्कि वैश्विक शक्तियों को यह स्पष्ट संदेश भी मिलेगा कि भारत आत्मनिर्भर है और अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से समझौता नहीं करेगा।

इन सबके बीच सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय परम्पराएँ मात्र अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक समग्र जीवन-दर्शन हैं। ये परम्पराएँ हमें हमारी जड़ों, हमारी चेतना और हमारी सामाजिक पहचान से जोड़ती हैं। संयुक्त परिवार भारतीय सभ्यता का आधार-स्तंभ है, जिसने सदियों तक समाज को स्थिरता, सहयोग, सुरक्षा और संस्कार प्रदान किए हैं। यदि भारतीय समाज इन मूल्यों को सुदृढ़ रखता है, तो न केवल उसका सांस्कृतिक ढांचा सुरक्षित रहेगा बल्कि भारत विश्व में अपने विशिष्ट स्वरूप के साथ और अधिक सशक्त होकर उभरेगा।

भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संयुक्त परिवार व्यवस्था की रक्षा और स्वदेशी अवधारणा के अनुपालन ये तीनों भारत को आत्मनिर्भर, सांस्कृतिक रूप से दृढ़ और आर्थिक रूप से शक्तिशाली बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए आवश्यक है कि भारतीय समाज सांस्कृतिक आत्मविश्वास के साथ अपनी परम्पराओं और पारिवारिक व्यवस्थाओं का पालन करे तथा उन वैश्विक विमर्शों से सतर्क रहे जो हमारी सभ्यता की मूल शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे हैं।

चार श्रम संहिताः आत्मनिर्भर भारत व नारी सशक्तीकरण की दिशा में एक और चरण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार श्रम सुधारों की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। नयी श्रम संहिताएँ इन्हीं सुधारों का अगला चरण हैं जिनका श्रमिक संगठनों की ओर से व्यापक स्वागत किया जा रहा है। यह चार नए श्रम सुधार व्यापक और सर्वहितकारी हैं। श्रमेव जयते की भावना से कार्य करने वाली मोदी सरकार आने के बाद से श्रमिक वर्ग का सम्मान और उनके लिए सुविधाएं दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वयं हर महत्वपूर्ण समारोह में श्रमिकों का सम्मान करते हैं, फिर चाहे वो अयोध्या में दिव्य- भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो या नए संसद भवन या फिर दिल्ली स्थित भारत मंडपम का उद्घाटन।

मोदी सरकार द्वारा लागू चार नई श्रम संहिताओं के माध्यम से श्रमिक वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा, समय पर वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था सुनिश्चित होगी। यह नई संहिताएं श्रमिक वर्ग के लिए बेहतर और लाभकारी अवसरों के लिए एक सशक्त नींव बनाएंगी। श्रमिकों के लिए पहली बार वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 व व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता 2020 लागू करने की महती घोषणा की गई है।

महिला कर्मचारियों के लिए पहली बार व्यापक संहिताः चार नई श्रम संहिताओं में पहली बार महिलाओं के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। भारत के श्रम इतिहास में पहली बार महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षा के साथ सभी क्षेत्रों में रात्रि पाली में काम की छूट तथा परिवार की परिभाषा में उन्हें अपने सास-ससुर को भी जोड़ने का अवसर दिया गया है। नई श्रम संहिता के अनुसार महिलाएं खनन सहित सभी उद्योगो में काम कर सकेंगी। इस कदम से महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे यद्यपि ऐसे कार्यों में उनकी नियुक्ति उनकी इच्छा से ही कि जाएगी। नए कानून में महिला श्रमिको को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। सहमति से और अनिवार्यतः सुरक्षा के साथ वह रात की पाली में भी काम कर सकेगी।पहली बार समान काम समान वेतन सहित 26 सप्ताह का वेतन सहित मातृत्व लाभ तथा शिशु पालन संहिता के अंतर्गत घर से काम करने की सुविधा भी दी जा रही है।

- मृत्युंजय दीक्षित

गिग वर्कर्स के लिए पहलः नई श्रम संहिता में गिग और प्लेटफार्म यानी रैपिडो, जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर से जुड़े कामगारों को भी पारिभाषित किया गया है। चार श्रम संहिता में वर्तमान 29 कानून को भी समाहित कर लिया गया है।

युवा श्रमिकों को अवकाश के दिनों का भी वेतनः नए श्रम कानूनों में पहली बार युवा श्रमिकों को अवकाश के दिनों का भी वेतन मिलेगा तथा सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी दी जा रही है। नियुक्त पत्र अनिवार्य करने से सामाजिक सुरक्षा रोजगार विवरण को बढ़ावा मिलेगा। नए श्रम कानूनों से अब नियोक्ता मजदूरों का शोषण नहीं कर सकेंगे। नए श्रम कानूनों में निश्चित अवधि वाले कर्मचारियों को स्थायी जैसे लाभ जिसमें सामाजिक सुरक्षा कवर, चिकित्सा सवेतन अवकाश सहित समस्त लाभ मिलेंगे। इलेक्ट्रानिक मीडिया, डिजिटल कामगारों को भी इन कानूनों का लाभ मिलेगा। नई श्रम संहिताएं 45 दिनों के अंदर ही लागू हो जाएंगी। नयी श्रम संहिता, श्रम कानूनों के इतिहास का सबसे बड़ा सुधार होने के साथ साथ बदलती श्रम आवश्यकता को भी संबोधित करती है। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, समाजिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों के लिए समान अवसर और गिग व संगठित कामगारों के लिए कानूनी पहचान सुनिश्चित करने वाली ये चारों संहिताएं उनके जीवन स्तर में सुधार लाएंगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मत है कि यह कानून साल 2047 तक विकसित भारत के नए लक्ष्य को गति प्रदान करेंगे। श्रम सुधारों का उद्योग जगत ने व्यापक स्वागत किया है। इन सुधारों से श्रमिकों की दशा बदलेगी और उनके जीवन में भी व्यापक बदलाव आएगा। महिलाओं को रात की पाली मे काम करने की अनुमति मिलना सरकार का कानून व्यवस्था पर आत्मविश्वास दर्शाता है। नए सुधारों से अब औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही लघु उद्योगों में भी वृद्धि होगी। नए श्रम कानूनों के कारण अब पुराने के साथ ही नए उद्योगों का भी विकास होगा। नई श्रम संहिताएं श्रमिकों के जीवन में नया सूर्योदय लेकर आने वाली हैं।

अरुणाचल प्रकरण से उठी राष्ट्रीय एकता की आवाज

बीते वर्षों में भारत ने जिस प्रकार अपनी कूटनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमाई संप्रभुता और नागरिक हित को मूल केंद्र में रखकर निर्णायक फैसले लिए हैं, उसने विश्व को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि आज का भारत किसी भी दबाव या चुनौती के सामने झुकने वाला नहीं है। वह पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा रहने वाला, साहस और आत्मसम्मान से भरा राष्ट्र है। सीमा पर घुसपैठ का मुंहतोड़ जवाब देना हो, अंतरराष्ट्रीय फोरम पर भारत की संप्रभुता की रक्षा करना हो, आतंकवाद के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे साहसिक कदम उठाने हों या फिर दुनिया के किसी भी संकटग्रस्त क्षेत्र में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए बड़े सैन्य अभियान चलाने हों। भारत ने हर मोर्चे पर यह सिद्ध किया है कि उसके प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सर्वोपरि है।

अब इन सभी का नवीनतम उदाहरण अरुणाचल प्रदेश की युवती पेमा वांग थोंगडोक का मामला है, जिसमें चीन द्वारा किए गए अनावश्यक उत्पीड़न पर भारत की कड़ी और तत्पर प्रतिक्रिया ने एक बार फिर साबित किया कि भारतीय नागरिक कहीं भी हों, देश की सरकार उनके साथ खड़ी रहती है। यह कहना असंगत नहीं होगा कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा का पूरा ढांचा पिछले 11 वर्षों में जिस तेजी से बदला है, वह केवल कूटनीतिक व्यवहार का परिवर्तन नहीं है; वह एक व्यापक, गहन और नागरिक केंद्रित बदलाव है, जिसने आम भारतीय को यह भरोसा दिया है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान किसी भी परिस्थिति में समझौते का विषय नहीं हैं।

केंद्र सरकार ने अनेक अवसरों पर यह दिखाया है कि भारत अपने नागरिकों के हितों पर किसी प्रकार का दबाव स्वीकार नहीं करता। पेमा वांग थोंगडोक का शंघाई एयरपोर्ट पर चीनी अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार का मामला इसी नीति का एक और सशक्त उदाहरण है, जिसने दुनिया को संकेत दिया कि भारत अब पुराने ढर्रे का शांत दर्शक नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी, सजग और संवेदनशील राष्ट्र है। उल?लेखि?त है, पेमा को चीन के अधिकारियों ने करीब 18 घंटे रोके रखा। उनका भारतीय पासपोर्ट अमान्य घोषित करने का प्रयास किया गया और यह तक कहा गया कि उनका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है।

भारतीयता के संदर्भ में यह एक नागरिक को प्रताड़ित करने की घटना से अधिक भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का स्पष्ट प्रयास था। घटना सामने आते ही भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया और यह दर्शाया कि देश अपनी सीमाई अखंडता के मुद्दे पर किसी प्रकार का दबाव या अपमान सहन नहीं करेगा। इसलिए पेमा ने कहा भी कि 'भारत सरकार का हर कदम सभी भारतीयों के हित में होता है।' वस्?तुतः यह वाक्य आज के भारत की कूटनीतिक सोच और राष्ट्रीय आत्मविश्वास का सार है।

यथार्थ यह है कि पेमा का मामला कोई अपवाद नहीं है, पिछले 11 वर्षों की उस निरंतरता का हिस्सा है जिसमें मोदी सरकार ने हर संकट में अपने नागरिकों को प्राथमिकता दी है। इसी वर्ष ईरान-इजरायल संघर्ष तेज होने पर 18 जून को भारत ने ऑपरेशन सिंधू चलाया।

-डॉ. यंक चतुर्वेदी

युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे भारतीयों खासकर छात्रों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया तत्काल आरंभ हुई। शुरुआती चरण में लगभग 110 लोगों को सुरक्षित लौटाया गया और बाद में यह अभियान व्यापक रूप से जारी रहा। दक्षिण-पूर्व एशिया, विशेष रूप से कंबोडिया में फर्जी नौकरी एजेंटों के जाल में फंसे भारतीयों की समस्या को भी भारत ने गंभीरता से लिया। 05 दिसंबर 2024 को दूतावास सक्रिय हुआ और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से लगातार बचाव तथा प्रत्यावर्तन कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही बहुभाषी हेल्पलाइन, ई-माइग्रेट पोर्टल और सोशल मीडिया के माध्यम से एक उत्तरदायी शिकायत तंत्र तैयार किया गया है, जो दुनिया भर में किसी भी संकट में भारतीय नागरिकों के लिए तुरंत सहायता सुनिश्चित कर रहा है।

साल 2023 में सूडान में युद्ध के हालात बने तो भारत ने ऑपरेशन कावेरी चलाया। 24 अप्रैल से 05 मई तक भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना के संयुक्त अभियान में लगभग 3,862 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अंधेरे में बिना किसी प्रकाश व्यवस्था वाले हवाई पट्टी पर वायुसेना के विमानों का उतरना और नौसेना के जहाजों का युद्ध क्षेत्र से लोगों को समुद्री मार्ग से निकालना, ये सभी निर्णय इस बात के प्रमाण हैं कि भारत बड़े युद्धकालीन संकटों में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की चुनौतियों में भी अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा कवच तैयार रखता है।

साल 2022 के ऑपरेशन गंगा को कौन भूल सकता है? रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच हजारों भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित निकालना, युद्धक्षेत्र में विमान भेजना, यह भारत की नागरिक हित प्रतिबद्धता का अभूतपूर्व उदाहरण था। साल 2021 में तालिबान कब्जे के दौरान ऑपरेशन देवशक्ति चलाकर भारत ने अपने नागरिकों के साथ अन्?य मित्र देशों के लोगों को भी सुरक्षित निकाला। कोविड-19 महामारी के दौरान चला वंदे भारत मिशन तो इतिहास का सबसे बड़ा नागरिक-उद्धार अभियान सिद्ध हुआ है, जिसमें लाखों भारतीयों को दुनिया भर से सुरक्षित वापस लाया गया।

इसी प्रकार साल 2020 और उसके बाद समुद्री डकैती और जहाज-हाइजैकिंग की घटनाओं में भारतीय नौसेना ने दुनिया के किसी भी हिस्से से भारतीय नाविकों और जहाजों को संरक्षित कर यह दिखा दिया कि वह वैश्विक समुद्री सुरक्षा में भी सबसे विश्वसनीय शक्ति है। इससे पूर्व साल 2015 में यमन से चलाया गया ऑपरेशन राहत भी हजारों लोगों की जान बचाने में सफल रहा। इसी क्रम में साल 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और साल 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक भारतीय सुरक्षा नीति की नई दिशा को दर्शाती हैं। अभी पाकिस्?तान के विरोध में भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया। ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई 22 अप्रैल 2025 को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें कई भारतीय नागरिकों की मृत्यु हुई थी। वस्?तुतः ये घटनाएँ और भारत सरकार के निर्णय स्पष्ट करते हैं कि भारत अपने नागरिकों के हित निर्णायक निर्णय लेता है।

अतः पेमा वांग थोंगडोक का प्रकरण इस पूरी श्रृंखला का नवीनतम अध्याय है। जिसमें वे कहती भी हैं, 'मैं भारत में रहती भी नहीं हूं इसलिए भारत सरकार का कोई भी कदम मेरे लिए नहीं बल्कि यहां रहने वाले मेरे साथी भारतीयों और अरुणाचलवासियों के सम्मान के लिए होगा। हम एक राष्ट्र हैं और एक-दूसरे के लिए खड़े हैं। ' यह कथन बदलते भारत की राजनीतिक संस्कृति का प्रतीक है, जिसमें नागरिक वोटर या करदाता होने तक सीमित नहीं, वह राष्ट्र-हित का मुख्य आधार माना जाता है। आज भारत इसलिए सशक्त दिखता है क्योंकि उसके नागरिक सुरक्षित महसूस करते हैं। नागरिक इसलिए सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनकी सरकार स्पष्ट, निर्णायक और हर चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर है। यही नई भारतीय नीति है, जिसमें नागरिक प्रथम, संप्रभुता और अखंड राष्ट्रीय एकता की गूंज है, जिसने आज पेमा वांग थोंगडोक के साथ जो घटा उसे एक सामान्य घटना से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बना दिया है।

भारतीयों का जीवन है हमारा संविधान

भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान के अनुसार, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि सभी धर्मों को समान सम्मान मिलता है और राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। यह एक संघात्मक प्रणाली है, जिसमें एक मजबूत केंद्र है, जो इसे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एकात्मक तत्वों को भी प्रदर्शित करता है। 2015 से संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। हमारा संविधान सभी भारतीयों का जीवन है। संविधान में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और एक-दूसरे का सम्मान करने जैसी सभी बातें शामिल हैं। ऐसे में हमें आज प्रत्येक नागरिक के अधिकारों को बनाए रखने, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को मजबूत करने तथा ईमानदारी, जिम्मेदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की प्रतिज्ञा लेनी होगी। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और विशेषज्ञों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और भारत की विविधता को एक सूत्र में पिरोने वाला एक दस्तावेज है। प्रयास यह होना चाहिए कि लोगों में कर्तव्य की भावना विकसित हो। आज हर कोई अधिकारों की बात करता है। लेकिन अधिकार तभी सुरक्षित रहते हैं जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाने की आदत विकसित करता है। कर्तव्यों के बिना अधिकार अस्तित्व में नहीं रह सकते। संविधान दिवस की सार्थकता तब ज्यादा परिलक्षित होगी जब प्रत्येक भारतीय परिवार के पास संविधान की एक प्रति हो और परिवारों को इसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए। लोकतंत्र को मानव सभ्यता के इतिहास में समाज और राष्ट्रों को संचालित करने की सबसे उपयुक्त व्यवस्था माना गया है, क्योंकि यह लोगों द्वारा, लोगों के लिए स्थापित किया गया है और इसमें सभी बराबर हैं। लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे आवश्यक होते हैं, यही संविधान होता है। आज 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है जो संविधान निर्माताओं की याद एवं उनके सम्मान में मनाया जाता है' वर्ष 1949 में 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो 26 जनवरी, 1950 को प्रभाव में आया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद कांग्रेस सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे' संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने के लिए प्रायः पहले एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है जो कुछ इस प्रकार है। राष्ट्रीय संविधान दिवस का विशेष महत्व है क्योंकि यह दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधान के निर्माण का उत्सव मनाता है, जो एक जीवंत दस्तावेज़ है जो सभी को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है और भारत की प्रगति को आकार देता है। यह दिवस हमें स्वतंत्रता के दौरान किए गए बलिदानों की याद दिलाता है' छात्रों को अधिकारों, कर्तव्यों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है' विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में विविधता और एकता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है' सक्रिय नागरिकता और समाज में जिम्मेदार भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

संविधान दिवस की सार्थकता तब ज्यादा परिलक्षित होगी जब प्रत्येक भारतीय परिवार के पास संविधान की एक प्रति हो और परिवारों को इसकी प्रस्तावना पढ़नी चाहिए

जी-20 शिखर सम्मेलन: नरेंद्र मोदी के सुझावों की रोशनी

मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों को ड्रग-माफिया और उसके आतंकवाद से जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया आज जिस गति से नए-नए मादक पदार्थों के जाल में फंसती जा रही है, वह वैश्विक चिंता और भी बढ़ाता है।

ललित गर्ग

जी-20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन सत्र इस बार जिस गंभीर मुद्दे पर केन्द्रित रहा, वह दुनिया के सामने उभरते खतरों की बदलती प्रकृति को स्पष्ट करता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के साथ-साथ ड्रग तस्करी को भी वैश्विक शांति, सुरक्षा और मानव अस्तित्व के लिए उतना ही घातक बताया जितना किसी संगठित हिंसा को माना जाता है। उनकी यह चेतावनी केवल कूटनीतिक वक्तव्य नहीं बल्कि बढ़ती वैश्विक वास्तविकताओं का सटीक विश्लेषण है। यह तथ्य अब निर्विवाद है कि मादक पदार्थों की तस्करी आतंकवाद को ईंधन प्रदान करने वाला सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है। अरबों डॉलर का यह अवैध व्यापार केवल अपराध जगत को नहीं बल्कि राष्ट्रों की सुरक्षा, समाज की स्थिरता और युवाओं के भविष्य को भी चूर-चूर कर रहा है।

मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि दुनिया के बड़े राष्ट्रों को ड्रग-माफिया और उसके आतंकवाद से जुड़े वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ एकजुट होकर निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। दुनिया आज जिस गति से नए-नए मादक पदार्थों के जाल में फंसती जा रही है, वह वैश्विक चिंता और भी बढ़ाता है। फेंटानाइल जैसे अत्यंत खतरनाक सिंथेटिक ड्रग्स ने अमेरिका में स्वास्थ्य-संकट की भयावह स्थिति पैदा कर दी है, जहां प्रतिदिन अनेक लोग इसके कारण जान गंवा रहे हैं। यह संकट किसी एक देश की समस्या नहीं, बल्कि मानव जीवन पर मंडरा रहा एक वैश्विक खतरा है। यह मानना भूल होगी कि ऐसे ड्रग्स केवल एक महाद्वीप तक सीमित रह सकते हैं; संगठित तस्करी के नेटवर्क इसकी पहुंच दुनिया के किसी भी कोने तक ले जा सकते हैं। यही कारण है कि मोदी ने चेताया कि यदि अभी निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई, तो यह त्रासदी अन्य देशों में भी फैल सकती है।

ड्रग्स माफिया केवल एक आपराधिक व्यापार नहीं, बल्कि मानव समाज की जड़ों को खोखला करने वाला वैश्विक संकट है। नशे का कारोबार सीमाओं, कानूनों और नैतिक मूल्यों-तीनों को धत्ता बताकर फैल रहा है। यह न केवल युवाओं के भविष्य को निगल रहा है, बल्कि देशों की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता और आर्थिक व्यवस्था को भी कमजोर कर रहा है। इसलिए ड्रग्स माफिया का खतरा अब केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। दुनिया भर में नशे का अवैध व्यापार एक विशाल संगठित नेटवर्क के रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें माफिया, कार्टेल, हथियार गिरोह, आतंकवादी संगठन और भ्रष्ट तंत्र की गहरी सांठगांठ शामिल है। यह नेटवर्क इतना शक्तिशाली है कि कई देशों में यह समानान्तर सत्ता जैसा व्यवहार करता है। अफगानिस्तान, मैक्सिको, कोलंबिया, म्यांमार, नाइजीरिया, रूस और यूरोप तथा एशिया के अनेक हिस्सों में ड्रग्स कार्टेलों ने शासन प्रणालियों को चुनौती दी है। अनेक जगह तो स्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सरकारें या तो इस लड़ाई में कमजोर पड़ जाती हैं या फिर समझौते करने को मजबूर हो जाती हैं। मोदी ने इस पर नियंत्रण के लिये दुनिया को एकजुट होने की आवश्यकता व्यक्त की।

जी-20 देशों की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे ड्रग्स के अवैध उत्पादन, वितरण, ऑनलाइन डार्क-नेट व्यापार, क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से होने वाले भुगतान और सीमा-पार तस्करी पर न केवल नियंत्रण करें बल्कि इसके खिलाफ साझा रणनीति भी अपनाएं। मोदी ने इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए-प्रत्येक देश में अवैध वित्तीय गतिविधियों पर कड़ा नियंत्रण, एआई के दुरुपयोग को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास, डेटा साझाकरण को बढ़ावा, तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ करना तथा डिजिटल और साइबर अपराधों के विरुद्ध नई वैश्विक नीति बनाना। एआई का दुरुपयोग आज केवल गलत सूचना फैलाने या साइबर अपराध तक सीमित नहीं रहा; उसके माध्यम से ड्रग्स की ऑनलाइन बिक्री, नकली पहचान, एन्क्रिप्टेड चैनल और तस्करों के गुप्त नेटवर्क को चलाने में भी व्यापक उपयोग होने लगा है। इस पर रोक अब सामूहिक प्रयासों के बिना संभव नहीं।

इस वर्ष का जी-20 शिखर सम्मेलन अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद काफी सफल माना गया। यह सफलता केवल उपस्थिति की संख्या में नहीं बल्कि चर्चाओं की गुणवत्ता, मुद्दों की गंभीरता और लिए गए निर्णयों के ठोस स्वरूप में दिखाई दी। बड़े देशों का एक-दूसरे से समन्वय और वैश्विक चुनौतियों को लेकर स्पष्टता इस सम्मेलन की बड़ी उपलब्धि रही। दुनिया का बदलता भू-राजनीतिक वातावरण, यूक्रेन और मध्य-पूर्व जैसे संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितताएं और ग्लोबल साउथ की महत्वाकांक्षाएं-इन सबके बीच भी यह सम्मेलन शांत, रचनात्मक और समाधान-उन्मुख रहा। यह संकेत है कि दुनिया के राष्ट्र अब प्रतिस्पर्धा से ज्यादा सहयोग को प्राथमिकता देने लगे हैं। ड्रग-तस्करी और आतंकवाद जैसे मुद्दे किसी भी देश की सीमाओं में बंधे नहीं रह सकते; इसलिए उनका समाधान भी सीमाओं के पार सहयोग से ही संभव है।

मोदी के सुझावों का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत लंबे समय से सीमा-पार आतंकवाद का शिकार रहा है और दक्षिण एशिया में ड्रग-तस्करी का एक बड़ा ट्रांज़िट-पॉइंट भी बनता रहा है। भारत ने तकनीक, कानून और कूटनीति-तीनों स्तरों पर इस खतरे से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनसे दुनिया सीख सकती है। भारत का अनुभव बताता है कि ड्रग-नेटवर्क को समाप्त करने के लिए तीन मोर्चों पर काम करना अत्यंत आवश्यक है-कड़ी सीमा निगरानी, सोशल-मीडिया एवं एआई आधारित निगरानी तंत्र को मजबूत करना, और युवाओं में नशामुक्ति एवं जागरूकता को बढ़ाना। केवल कानून पर्याप्त नहीं; सामाजिक-मानसिक जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है।

जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रिय, प्रभावशाली और केंद्रीय उपस्थिति ने एक बार फिर सिद्ध किया कि वे आज वैश्विक परिदृश्य के सबसे सशक्त, निर्णायक और भरोसेमंद नेताओं में अग्रणी हैं। अमेरिका की अनुपस्थिति के बावजूद विश्व मंच पर नेतृत्व का जो शून्य बन सकता था, उसे मोदी ने अपने संयमित, दूरदर्शी और कूटनीतिक करिश्मे से भर दिया। ड्रग-तस्करी, आतंकवाद, एआई के दुरुपयोग, वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल साउथ और मानव-कल्याण जैसे विविध मुद्दों पर उनकी स्पष्ट दृष्टि और व्यावहारिक समाधान ने दुनिया को यह विश्वास दिलाया कि भारत न केवल उभरती शक्ति है बल्कि स्थिर और सकारात्मक दिशा दिखाने वाला पथ-प्रदर्शक भी है। उनकी उपस्थिति ने यह भी रेखांकित किया कि बदलती वैश्विक राजनीति में जहां कई राष्ट्र आंतरिक संघर्षों और नीतिगत अनिश्चितताओं से जूझ रहे हैं, वहीं भारत एक विश्वसनीय, स्थिर और दूरदर्शी नेतृत्व प्रस्तुत कर रहा है। मोदी का यह उभार केवल भारत की प्रतिष्ठा को ऊंचा नहीं उठाता बल्कि दुनिया को एक ऐसे नेतृत्व का विकल्प देता है जो विकास, शांति, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग के नए मॉडल को आगे बढ़ा सकता है और यही आज की दुनिया के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ''एकात्म मानववाद'' के दर्शनशास्त्र को वैश्विक विकास के भविष्य में महत्वपूर्ण बताते हुए दुनिया से इसे अपनाने की अपील की। मोदी ने पारंपरिक ज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र, क्रिटिकल मिनरल्स, सैटेलाइट डेटा एक्सेस, अफ्रीका में क्षमता निर्माण और ड्रग-टेरर नेटवर्क के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव रखा। उनका कहना था कि इससे दीर्घकालिक शांति, मज़बूती और सतत विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के अध्यक्षता की प्रशंसा की, जिसने कौशल आधारित प्रवासन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिलाओं के सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली जी-20 शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णयों पर आगे कार्य हो रहा है। जी-20 शिखर सम्मेलन का संकेत स्पष्ट हैः दुनिया अब नए खतरे पहचान रही है और उन पर सामूहिक कार्रवाई के लिए तैयार भी हो रही है। आतंकवाद और ड्रग-तस्करी के गहरे रिश्ते को तोड़ना वैश्विक शांति के लिए अनिवार्य है। यदि आर्थिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित समाज बनाना है, तो ड्रग-पर नियंत्रण करना ही होगा। दुनिया की बढ़ती असुरक्षा का मुकाबला केवल हथियारों से नहीं, बल्कि जागरूकता, संयम, शिक्षा और संवेदनशीलता से होगा। जब तक हम नशे के इस वैश्विक खतरे को एक सामूहिक लड़ाई न मानें, तब तक सुरक्षा केवल एक भ्रम बनी रहेगी।

समाज को नशे के खिलाफ खड़ा करना आज समय की बड़ी मांग है-क्योंकि यह केवल एक अपराध के खिलाफ संघर्ष नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य देने का संकल्प है।

'हमेशा ऑनलाइन' रहने के मायाजाल की दौड़ में थकते युवा

भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 करोड़ पार कर चुकी है-यह दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल समुदायों में से एक है। यह संख्या जितनी विशाल है, उससे कहीं अधिक विशाल है वह दबाव, जो इसने युवाओं के मन पर डाला है

डॉ. सत्यवान सौरभ

आज का भारतीय समाज एक ऐसे संक्रमणकाल से गुजर रहा है जहाँ तकनीक अवसर भी दे रही है और संकट भी खड़ा कर रही है। सोशल मीडिया का तेजी से बढ़ता दायरा इस संक्रमणकाल का सबसे बड़ा प्रतीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स और अन्य प्लेटफॉर्म ने आम लोगों को वह मंच दिया है, जिसकी कल्पना कुछ दशक पहले संभव नहीं थी। लेकिन यह सशक्तिकरण जितनी उम्मीदें लेकर आया था, उतने ही उलझाव उसने मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्तर पर पैदा कर दिए हैं। युवा पीढ़ी लाइक, व्यूज़, फॉलोअर्स और डिजिटल सेलिब्रिटी बनने की सतही चाह में उलझकर मानसिक थकान और सामाजिक दूरी के ऐसे भंवर में फंसती जा रही है जो दिखाई तो नहीं देता, पर भीतर तक कमजोर कर रहा है। भारत में सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 करोड़ पार कर चुकी है-यह दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल समुदायों में से एक है। यह संख्या जितनी विशाल है, उससे कहीं अधिक विशाल है वह दबाव, जो इसने युवाओं के मन पर डाला है। सुबह उठते ही फोन उठाकर रात को आंख बंद होने तक स्क्रीन पर स्क्रोल करते रहने की आदत आज सामान्य लगती है, लेकिन यह सामान्यता ही सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। लाइक-व्यूज़ के माध्यम से मान्यता पाने की चाह युवाओं को धीरे-धीरे वास्तविक जीवन से काट रही है।

सोशल मीडिया का सबसे आकर्षक और सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यह एक समानांतर दुनिया रचता है-एक ऐसी दुनिया जहाँ आप अपनी इच्छानुसार छवि गढ़ सकते हैं, अपनी वास्तविकता से अलग व्यक्तित्व प्रदर्शित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को चमकदार फ्रेम्स में पिरो सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में स्वीकृति की कीमत बहुत भारी है। कुछ सेकंड का ध्यान पाने के लिए लगातार नए पोस्ट, नई तस्वीरें, नए रील्स और नई अभिव्यक्तियाँ देनी पड़ती हैं। युवाओं में यह दबाव बढ़ रहा है कि यदि उनकी पोस्ट को पर्याप्त लाइक या व्यूज़ नहीं मिले, तो वे किसी अदृश्य प्रतियोगिता में पिछड़ गए हैं। यह डिजिटल पहचान की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा है जिसमें न कोई स्पष्ट लक्ष्य है, न कोई अंत, और न ही कोई वास्तविक विजेता। हर युवा अपनी ही छवि की तुलना दूसरों से करता है। किसी और की मुस्कुराहट, जीवनशैली, शरीर, छुट्टियाँ, करियर, रिश्ते-सब कुछ तुलना का आधार बन जाता है। यह तुलना आत्म-सम्मान को चोट पहुंचाती है और धीरे-धीरे युवा महसूस करने लगते हैं कि वास्तविक जीवन में जितना वे पाते हैं, वह पर्याप्त नहीं है।

कई सर्वे बताते हैं कि 18-34 आयु वर्ग के 59% युवा स्वीकार करते हैं कि सोशल मीडिया उनके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है। इनमें चिंता, तनाव, अनिद्रा, ओवरथिंकिंग, अत्यधिक उत्तेजना और आत्म-संदेह जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं। युवाओं के दिमाग में हर समय दो सवाल घूमते रहते हैं-इस पोस्ट पर कितने लाइक आए? लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? इन सवालों का बोझ इतना बढ़ चुका है कि वास्तविक उपलब्धियाँ भी कई बार डिजिटल प्रतिक्रिया के बिना युवा को अधूरी लगती हैं। आत्मविश्वास की नींव खुद के मूल्य पर नहीं, बल्कि दूसरों की डिजिटल स्वीकृति पर टिकने लगती है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताने वाले युवाओं में अवसाद और अकेलेपन की समस्या तेजी से बढ़ी है। बाहर से वे ''कनेक्टेड'' दिखते हैं, लेकिन भीतर वे अत्यधिक अलगाव महसूस करते हैं। वास्तविक बातचीत में कमी आने से भावनात्मक अभिव्यक्ति भी कमजोर हो गई है। आज कई परिवारों में यह आम दृश्य है कि भोजन की मेज पर बैठे सभी लोग मोबाइल स्क्रीन में झुके हैं। माता-पिता कभी समझ नहीं पाते कि बच्चे किस पोस्ट को बनाने में इतना वक्त लगा रहे हैं, या क्यों एक तस्वीर को कई बार परफेक्ट एंगल से लेना आवश्यक है। युवा पीढ़ी की भावनाएँ, संवाद शैली और प्राथमिकताएँ तेजी से डिजिटल स्वरूप में बदल रही हैं, जबकि बुजुर्ग अभी भी वास्तविक संवाद और संबंधों को महत्व देते हैं। इस पीढ़ीगत अंतर ने परिवारों को भावनात्मक रूप से दूर कर दिया है।

दोस्तों के साथ घूमने जाना अब एक अनुभव नहीं, बल्कि कंटेंट बनाने का अवसर बन गया है। हर जगह ''पोस्ट करने लायक'' तस्वीर ढूंढना मानो एक अनिवार्य कार्य बन गया है। रिश्ते धीरे-धीरे वास्तविकता से हटकर प्रदर्शन के माध्यम बन रहे हैं। कई युवा स्वीकार करते हैं कि वे सोशल मीडिया पर दिखने वाले ''परफेक्ट रिश्तों'' से प्रभावित होकर अपने संबंधों को लेकर अनावश्यक उम्मीदें पाल लेते हैं, जो बाद में निराशा का कारण बनती हैं। सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या है-हमेशा उपलब्ध रहने का दबाव। नोटिफिकेशन की लगातार झंकार, मैसेज का तुरंत जवाब देने की आदत, किसी नए ट्रेंड में पीछे न छूटने का डर, और हर समय अपडेटेड दिखने की चाह युवाओं की मानसिक ऊर्जा को धीरे-धीरे खत्म कर रही है।

डिजिटल थकान आज एक वास्तविक समस्या बन चुकी है। कई युवा रात को देर तक नींद नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे कुछ मिस कर देंगे। दिन में उनकी एकाग्रता भंग रहती है क्योंकि दिमाग हर समय स्क्रीन की ओर खिंचता रहता है। यह चक्र अंतहीन है और जितना समय बढ़ता है, उतनी थकान गहराती जाती है। प्लेटफॉर्म्स का उद्देश्य सरल है-उपयोगकर्ता को जितना अधिक समय स्क्रीन पर रोके रखा जाए, उतना अधिक लाभ। एल्गोरिद्म इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उपयोगकर्ता स्क्रोल करना बंद ही न करे। वीडियो एक के बाद एक चलते रहते हैं, नोटिफिकेशन लगातार आकर्षित करते रहते हैं और कंटेंट का चयन इस प्रकार किया जाता है कि उपयोगकर्ता को लगे-''बस थोड़ा और।'' इस रणनीति का सबसे अधिक प्रभाव युवा दिमागों पर पड़ता है, जो अभी भावनात्मक और बौद्धिक रूप से परिपक्व हो रहे होते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि सोशल मीडिया की यह दुनिया उनके समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान को लगातार प्रभावित कर रही है।

समस्या जितनी बड़ी है, उसका समाधान भी उतना ही व्यवहारिक है-डिजिटल अनुशासन। युवाओं को प्रतिदिन एक निश्चित समय तय करना चाहिए-इससे आदतें नियंत्रित होंगी और थकान कम होगी। अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद करने से मन पर होने वाला दबाव कम होता है। खुद को दूसरों के बनाए 'हाइलाइट रील' से तुलना करना बंद करना जरूरी है। परिवार, दोस्तों, किताबों, प्रकृति, खेल और रचनात्मक गतिविधियों पर ध्यान देना सकारात्मक ऊर्जा देता है। स्कूलों-कॉलेजों में डिजिटल व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य पर पाठ्यक्रम जोड़ना समय की मांग है। अभिभावकों को भी बच्चों में मोबाइल उपयोग की आदतों पर संयमित और संवेदनशील निगरानी रखनी चाहिए।

युवाओं को यह समझने की आवश्यकता है कि उनकी वास्तविक प्रतिभा, भावनाएँ, रचनात्मकता और मेहनत किसी स्क्रीन पर आए आंकड़ों से अधिक मूल्यवान हैं। जीवन का अर्थ डिजिटल तालियों से नहीं, बल्कि वास्तविक अनुभवों, रिश्तों और आत्मविकास से बनता है। सोशल मीडिया ने दुनिया को छोटा जरूर बनाया है, लेकिन इसका उपयोग यदि संयमित न हो तो यह हमारे ही जीवन का दायरा छोटा कर देता है।

समय आ गया है कि युवा इस मायाजाल से जागें, स्क्रीन से थोड़ी दूरी बनाएं और अपनी वास्तविक पहचान की ओर लौटें। क्योंकि लाइक-व्यूज़ की यह दौड़ अंतहीन है-और इसमें थकना निश्चित है। लेकिन जीवन की दौड़ के रास्ते अनंत हैं, अर्थपूर्ण हैं और सच्चे हैं।

आप की बात

15 साल फिर भी कमला पसंद नहीं?

आश्चजर्य होता है कि शादी के 15 बाद भी "कमला पसंद" (दीप्ति-हरप्रीत चौरसिया) के बीच पसंदगी/नापसंदगी की बात ऐसी उठी कि "कमला पसंद" /राजश्री के ख्यातनाम व्यापारी कमलकिशोर चौरसिया की बहू दीप्ति ने घर में ही फंदे से लटककर अपनी जिंदगी को 40 की उम्र में ही खत्म कर लिया. छोटी/मोटी बातें छोटे/बढ़े घरानों में होना कोई नई बात नहीं है. पर ऐेसी कौनसी बात हो गई जो "प्यार में भरोसा नहीं तो जीने की वजह नहीं" नोट लिखकर इतना बढ़ा कदम उठाना पड़ा दीप्ति को. यह तो पुलिस के लिए जांच का विषय है. परन्तु इसके बावजूद ऐसी कौनसी मानसिक स्थिति बन गई कि इतनी बड़ी दुखद घटना हो गई? गलत भावनात्मक जूनून की परिस्थितियां जो भी रही हों किन्तु यह न तो व्यक्तिगत रूप से और न ही सामाजिक रूप में ठीक हैं. इतने लम्बे अच्छे-भले चलते गृहस्थ जीवन के बीच अचानक एक संभ्रांत परिवार में गंभीर घटना का होना सोचनीय है. क्योंकि इससे समाज में बहुत ही गलत और अव्यवहारिक सन्देश जाता है. ऐसी दुखद घटना कदापि किसी भी संभ्रांत ही नहीं अन्य किसी भी परिवार में न हो और न ही किसी की बहू/बेटी गलत कदम उठाने पाए इसके लिए परिवार के ही सदस्यों को संयम बरतना चाहिए और समझदारी दिखानी चाहिए. ताकि फिर कभी कोई अबला/सबला आत्महत्या करने के लिए मजबूर न होने पाये. क्योंकि इससे परिवार ही नहीं बल्कि समाज भी बदनाम होता है और विचलित होती है सरकार व समाज सुधारक संस्थाएं भी....

शकुंतला महेश नेनावा, 57, गिरधर नगर (तिलक नगर के पास), इंदौर (म.प्र.).

ध्वज स्थापना का संदेश मूल्यों पर दृढ़ रहेगा देश

यह पत्र संपादकीय, सनातन गौरव का क्षण के संदर्भ में है अयोध्या में स्थापित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर मार्ग शीर्ष मास की शुक्ल बसंत पंचमी के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपन्न हुए ध्वजारोहण कार्यक्रम से देश विदेश में सनातन संस्कृति गौरवान्वित होने की सुखद अनुभूति हुई है भगवा झंडा बहती बयार में भी काफी लंबे समय तक सुरक्षित उड़ता हुआ दिखेगा तो यह आभास कराएगा कि देश के 140 करोड देशवासियों की आस्था एवं आकर्षण का केंद्र बन चुके श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की लोकप्रियता में दिन प्रतिदिन गुणात्मक वृद्धि हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह कहना सर्वाधिक उचित है कि 21वीं सदी की अयोध्या दुनिया को विकास का एक नया मॉडल दे रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना अटल सत्य है कि ध्वज यही संदेश देगा कि भारत अपने मूल्यों पर दृढ़ है और इन्हीं आधारों पर भविष्य का निर्माण कर रहा है। केंद्र एवं प्रदेश सरकार सामूहिक प्रयासों से 50 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं से अयोध्या में विकास , पर्यटन , रोजगार के साथ साथ धर्म कर्म संबंधित गतिविधियों से जुड़े विचारों को समाज के हर वर्ग द्वारा आत्मसात किया जा रहा है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

अधिकारों का हनन न हो तो श्रम सुधार कानून मील का पत्थर साबित होगा

सशक्त, खुशहाल और आत्मनिर्भर भारत के अपने सपने को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रम सुधारों की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश के संगठित और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले पचास करोड़ से अधिक श्रमिकों के स्वस्थ, सुरक्षित और बेहतर जीवन निर्माण की दिशा में वर्षों से चले आ रहे बेहद पेचीदे और जटिल 29 श्रम कानूनों को चार लेबर कोड में समाहित कर श्रम कानूनों को सरल बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में ही श्रम संहिता संसद से पारित हो गई थी, लेकिन पाँच वर्ष बाद एकाएक संसद में पारित चारों लेबर कोड अर्थात श्रम संहिता की अधिसूचना जारी कर देश के पचास करोड़ श्रमिकों और उनके परिवारों के चेहरों पर सुखद भविष्य की मुस्कान बिखेर दी है। निस्संदेह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में ही श्रमिकों को राष्ट्र निमार्ता की संज्ञा देकर ह्यश्रमेव जयतेह्व योजना की शुरूआत कर देश को यह संकेत दे दिया था कि भविष्य में श्रमिकों के हितार्थ सरकार कोई बड़ा निर्णय लेगी। आजादी के साढ़े सात दशक बीत जाने के बाद पहली बार केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को वेतन सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा देने हेतु पुराने जटिल श्रम संहिता को चार लेबर कोड मे सीमित कर नए प्रकार से श्रम कानून का निर्माण किया है।

अरविंद रावल 51 गोपाल कॉलोनी झाबुआ म.प्र.

साहसी निर्णय और राष्ट्रीय संकल्प

जब दुनिया भविष्य की ओर भाग रही है, भारत ने उससे भी एक कदम आगे बढ़कर इतिहास रच दिया–ग्रेड 3 से अकको अनिवार्य विषय बनाने का साहसी निर्णय। यह कदम केवल पाठ्यक्रम में बदलाव नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ी की सोच, कौशल और संभावनाओं को पुनर्परिभाषित करने का राष्ट्रीय संकल्प है। NCERT की यह पहल बच्चों को सिर्फ तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि रचनाकार बनाने की दिशा में निर्णायक मोड़ है। तीसरी कक्षा से ही अकके मूल सिद्धांतों को खेल, गतिविधियों और सरल प्रयोगों के माध्यम से सीखना उन्हें डिजिटल दुनिया से सहजता से जोड़ देगा। यह वह उम्र है जब जिज्ञासा सबसे तीव्र होती है–और अकजैसा विषय उसी जिज्ञासा को नवाचार में बदलने की क्षमता रखता है।

यह नीति स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी प्रभाव डालेगी। भविष्य की नौकरियाँ डेटा, ऑटोमेशन और मशीन इंटेलिजेंस पर आधारित होंगी। ऐसे में अक-साक्षर विद्यार्थी न केवल प्रतिस्पर्धी बनेंगे, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की तकनीकी नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करेंगे। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और युवाओं को आधुनिक क्षमता प्रदान करने के लिए यह निर्णय एक महत्वपूर्ण आधारशिला है।

प्रो. आरके जैन अरिजीत, बड़वानी (मप्र)

पाठकगण अपने विचार responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भेज सकते हैं।